

सत्यमेव जयते

# विनियोग लेखे 2017-18



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest



## छत्तीसगढ़ शासन

विनियोग लेखे

2017-18

छत्तीसगढ़ शासन



## विषय—सूची

पृष्ठ संख्या

प्रस्तावना	1
विनियोग लेखे का सार	2—17
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	19—21

### विनियोग लेखे

अनुदान संख्या	अनुदान या विनियोग का नाम	
	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा ( भारत विनियोग )	23—25
	लोक ऋण ( भारत विनियोग )	26—27
01	सामान्य प्रशासन	28—32
02	सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय	33—34
03	पुलिस	35—40
04	गृह विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय	41—43
05	जेल	44
06	वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय	45—48
07	वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बंधित व्यय	49—52
08	भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन	53—57
09	राजस्व विभाग से सम्बंधित व्यय	58—59
10	वन	60—65
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सम्बंधित व्यय	66—68
12	ऊर्जा विभाग से सम्बंधित व्यय	69—71
13	कृषि	72—79
14	पशुपालन विभाग से सम्बंधित व्यय	80—84
15	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	85—87
16	मछली पालन	88—89
17	सहकारिता	90—91

18	श्रम	92—95
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	96—100
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	101—106
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बंधित व्यय	107—110
22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय निकाय	111
23	जल संसाधन विभाग	112—120
24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	121—125
25	खनिज संसाधन विभाग से सम्बंधित व्यय	126—127
26	संस्कृति विभाग से सम्बंधित व्यय	128—129
27	स्कूल शिक्षा	130—136
28	राज्य विधान मंडल	137—138
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	139—143
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित व्यय	144—150
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से सम्बंधित व्यय	151—152
32	जनसंपर्क विभाग से सम्बंधित व्यय	153—155
33	आदिम जाति कल्याण	156—158
34	समाज कल्याण	159—160
35	पुनर्वास	161
36	परिवहन	162—164
37	पर्यटन	165—166
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय	167—169
40	आयाकट विभाग से सम्बंधित व्यय	170—171
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	172—208
42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	209—211
43	खेल और युवा कल्याण	212—213
44	उच्च शिक्षा	214—217

45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	218–221
46	विज्ञान और टेक्नालॉजी	222–223
47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	224–227
49	अनुसूचित जाति कल्याण	228
50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से सम्बंधित व्यय	229
51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	230–231
53	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	232–233
54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से सम्बंधित व्यय	234
55	महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय	235–242
56	ग्रामोद्योग	243–244
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	245–250
60	जिला परियोजनाओं से सम्बंधित व्यय	251
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	252–277
65	विमानन विभाग	278–279
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	280–282
67	लोक निर्माण कार्य—भवन	283–292
68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—भवन	293–295
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय कल्याण	296–298
71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	299–301
75	जल संसाधन विभाग से सम्बंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	302–305
76	लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	306
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय	307–311
80	त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	312–315
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	316–320
82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	321–323
83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	324–325

**परिशिष्ट**

परिशिष्ट	अनुमानों का अनुदानवार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां	328—329
----------	---	---------

## प्रस्तावना

वर्ष 2017-18 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के विनियोग लेखे का संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है।

इन लेखाओं में-

- मूल मूल अनुदान या विनियोग का द्योतक है।  
पूरक पूरक अनुदान या विनियोग का द्योतक है।  
पुनर्वि. सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोग प्रत्याहरण या अभ्यर्पण का द्योतक है।  
*प्रभारित* विनियोग और व्यय को तिरछे अक्षरों में दर्शाया गया है।

छत्तीसगढ़ विधान सभा के लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखे में टिप्पणी हेतु संयुक्त मध्य प्रदेश विधान सभा के लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित निम्न मापदण्डों को अपनाया गया है।

### बचत

- (1) कुल प्रावधान का 2 % से अधिक बचत हेतु टिप्पणी की आवश्यकता होगी (मुल एवं अनुपूरक)।
- (2) ₹ 10 करोड़ से कम अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उपशीर्षों के लिए ₹ 5 लाख से अधिक बचतों पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (3) ₹ 10 करोड़ से ₹ 30 करोड़ के अनुदानों के बीच के प्रकरण में प्रत्येक उपशीर्षों के लिए ₹ 10 लाख से अधिक बचतों पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (4) ₹ 30 करोड़ से अधिक अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उप शीर्ष हेतु ₹ 20 लाख से अधिक बचतों हेतु टिप्पणी की आवश्यकता होगी।

### प्रभारित विनियोग:

सभी उपशीर्षों में जहां ₹ 5 लाख से अधिक अंतर पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।

### आधिक्य

**सभी अधिक व्ययों का विधानसभा का नियमितिकरण की आवश्यकता होगी।**

- (1) सभी प्रकरणों में जहां अनुदानों में पूर्ण आधिक्य है कुछ राशि प्रावधान पर आधिक्य व्यय का नियमितिकरण हेतु सामान्य टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (2) ₹ 10 करोड़ से कम अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उप शीर्षों हेतु ₹ 5 लाख से अधिक व्यय पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (3) ₹ 10 करोड़ तथा ₹ 30 करोड़ के मध्य अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उपशीर्षों हेतु ₹ 10 लाख से अधिक व्यय पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (4) ₹ 30 करोड़ से अधिक अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उपशीर्षों के लिए ₹ 20 लाख से अधिक व्यय पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।

### प्रभारित विनियोग:

सभी उपशीर्षों में जहां ₹ 5 लाख से अधिक अंतर पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।



## विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूँजीगत
	( ₹ हजार में)	
ब्याज की अदायगी एवं ऋण सेवा (प्रभारित विनियोग) प्रभारित	3,45,78,014	00
लोक ऋण (प्रभारित विनियोग) प्रभारित	00	1,91,73,826
01 सामान्य प्रशासन दत्तमत प्रभारित	20,17,892 3,00,125	10,66,602 00
02 सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय दत्तमत	2,89,576	00
03 पुलिस दत्तमत प्रभारित	4,01,44,526 6,600	6,42,906 00
04 गृह विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय दत्तमत	4,34,507	00
05 जेल दत्तमत प्रभारित	16,11,270 10	00 00
06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय दत्तमत प्रभारित	5,34,96,210 5,041	1,000 00
07 वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बंधित व्यय दत्तमत प्रभारित	41,94,269 7,50,635	22,71,200 00
08 भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन दत्तमत प्रभारित	1,02,70,935 1,526	34,90,500 00
09 राजस्व विभाग से सम्बंधित व्यय दत्तमत प्रभारित	1,74,886 10	55,000 00
10 वन दत्तमत प्रभारित	1,00,29,359 2,67,535	1,49,221 00

## का सार

व्यय		अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
( ₹ हजार में)		( ₹ हजार में)		( ₹ हजार में)	
3,29,23,276	00	16,54,738	00	00	00
00	99,98,816	00	91,75,010	00	00
16,47,853	8,82,279	3,70,039	1,84,323	00	00
2,23,054	00	77,071	00	00	00
1,86,941	00	1,02,635	00	00	00
3,20,49,365	4,76,330	80,95,161	1,66,576	00	00
3,974	00	2,626	00	00	00
2,92,793	00	1,41,714	00	00	00
13,80,658	00	2,30,612	00	00	00
00	00	10	00	00	00
4,01,87,598	10,759	1,33,08,612	00	00	9,759
238	00	4,803	00	00	(97,58,904)
30,88,536	22,64,248	11,05,733	6,952	00	00
5,17,300	00	2,33,335	00	00	00
82,40,877	23,78,165	20,30,058	11,12,335	00	00
00	00	1,526	00	00	00
83,523	00	91,363	55,000	00	00
00	00	10	00	00	00
83,83,343	53,229	16,46,016	95,992	00	00
1,98,738	00	68,797	00	00	00

## विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूँजीगत
	( ₹ हजार में)	
11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	26,55,570	7,10,420
प्रभारित	785	500
12 उर्जा विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	1,62,74,839	51,93,326
प्रभारित	26,94,123	00
13 कृषि		
दत्तमत	2,31,99,089	55,910
प्रभारित	1300	00
14 पशु पालन विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	43,48,849	2,26,746
प्रभारित	20	00
15 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता		
दत्तमत	57,22,120	5,20,000
16 मछली पालन		
दत्तमत	6,22,667	96,835
प्रभारित	20	00
17 सहकारिता		
दत्तमत	12,82,370	3,81,201
प्रभारित	15	00
18 श्रम		
दत्तमत	13,63,100	10,000
प्रभारित	20	00
19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		
दत्तमत	1,88,56,570	8,92,600
प्रभारित	1,450	00
20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी		
दत्तमत	37,51,526	29,85,000
प्रभारित	1,000	00
21 आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	13,48,791	64,77,362
22 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय		
दत्तमत	2,75,256	00
प्रभारित	5	00

## का सार—जारी

व्यय		अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
( ₹ हजार में)		( ₹ हजार में)		( ₹ हजार में)	
22,68,165	6,27,799	3,87,405	82,621	00	00
00	00	785	500	00	00
1,33,54,143	49,63,117	29,20,696	2,30,209	00	00
21,70,800	00	5,23,323	00	00	00
1,93,28,447	23,003	38,70,642	32,907	00	00
727	00	573	00	00	00
36,03,008	1,21,921	7,45,841	1,04,825	00	00
214	00	00	00	194	00
				(1,94,387)	
51,94,039	5,20,000	5,28,081	00	00	00
4,90,043	91,835	1,32,624	5,000	00	00
00	00	20	00	00	00
10,19,539	3,10,650	2,62,831	70,551	00	00
00	00	15	00	00	00
9,43,312	00	4,19,788	10,000	00	00
00	00	20	00	00	00
1,66,74,753	4,23,080	21,81,817	4,69,520	00	00
60	00	1,390	00	00	00
28,36,256	22,01,885	9,15,270	7,83,115	00	00
1,000	00	00	00	00	00
5,90,216	29,40,826	7,58,575	35,36,536	00	00
2,39,352	00	35,904	00	00	00
00	00	5	00	00	00

## विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूंजीगत
	( ₹ हजार में)	
23 जल संसाधन विभाग		
दत्तमत	50,62,021	47,41,471
प्रभारित	110	47,500
24 लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल		
दत्तमत	1,13,53,661	2,30,41,001
प्रभारित	00	1,83,130
25 खनिज संसाधन विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	19,87,154	86,65,648
प्रभारित	500	00
26 संस्कृति विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	4,65,252	15,000
27 स्कूल शिक्षा		
दत्तमत	2,89,44,115	20,45,480
प्रभारित	1,450	00
28 राज्य विधान मण्डल		
दत्तमत	6,53,840	00
प्रभारित	8,157	00
29 न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन		
दत्तमत	32,49,948	3,75,877
प्रभारित	6,16,475	8,400
30 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	3,86,10,374	78,91,700
प्रभारित	200	00
31 योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	3,95,121	00
प्रभारित	40	00
32 जनसंपर्क विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	15,63,231	200
प्रभारित	10	00
33 आदिम जाति कल्याण		
दत्तमत	1,89,02,462	2,700
प्रभारित	500	00

## का सार—जारी

व्यय		अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
( ₹ हजार में)		( ₹ हजार में)		( ₹ हजार में)	
45,59,523	35,49,949	5,02,498	11,91,522	00	00
00	45,933	110	1,567	00	00
81,32,187	1,49,54,930	32,21,474	80,86,071	00	00
00	1,72,133	00	10,997	00	00
19,51,471	41,08,795	35,683	45,56,853	00	00
500	00	00	00	00	00
3,43,550	00	1,21,702	15,000	00	00
2,63,65,350	19,21,436	25,78,765	1,24,044	00	00
1,350	00	100	00	00	00
3,86,742	00	2,67,098	00	00	00
864	00	7,293	00	00	00
24,37,973	1,20,518	8,11,975	2,55,359	00	00
4,63,290	6,889	1,53,185	1,511	00	00
3,32,81,322	53,06,358	53,29,052	25,85,342	00	00
00	00	200	00	00	00
2,55,161	00	1,39,960	00	00	00
00	00	40	00	00	00
14,42,237	00	1,20,994	200	00	00
00	00	10	00	00	00
1,57,39,294	1,500	31,63,168	1,200	00	00
3,859	00	00	00	3,359	00
				(33,58,661)	

## विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूँजीगत
	( ₹ हजार में)	
34 समाज कल्याण		
दत्तमत	9,46,302	1,000
प्रभारित	40	00
35 पुनर्वास		
दत्तमत	23,473	00
36 परिवहन		
दत्तमत	6,93,253	4,23,300
प्रभारित	2,010	00
37 पर्यटन		
दत्तमत	3,42,357	3,55,000
39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	1,87,00,090	72,400
प्रभारित	50	00
40 आयाकट विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	41,276	2,85,000
41 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना		
दत्तमत	13,20,66,583	3,05,18,870
प्रभारित	10	1,500
42 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल		
दत्तमत	00	1,55,88,900
प्रभारित	00	84,200
43 खेल और युवा कल्याण		
दत्तमत	7,09,452	17,500
प्रभारित	1,636	00
44 उच्च शिक्षा		
दत्तमत	68,25,466	1,22,750
प्रभारित	70	00
45 लघु सिंचाई निर्माण कार्य		
दत्तमत	8,28,709	47,65,000
46 विज्ञान और टेक्नालॉजी		
दत्तमत	1,57,500	60,000

## का सार—जारी

व्यय		अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
( ₹ हजार में)		( ₹ हजार में)		( ₹ हजार में)	
7,76,168	998	1,70,134	2	00	00
00	00	40	00	00	00
19,147	00	4,326	00	00	00
3,46,600	45,318	3,46,653	3,77,982	00	00
528	00	1,482	00	00	00
1,91,057	40,000	1,51,300	3,15,000	00	00
1,40,54,295	26,558	46,45,795	45,842	00	00
24	00	26	00	00	00
29,414	98,475	11,862	1,86,525	00	00
10,77,75,373	2,08,89,367	2,42,91,210	96,29,503	00	00
00	00	10	1,500	00	00
00	63,25,547	00	92,63,353	00	00
00	16,759	00	67,441	00	00
1,80,616	15,500	5,28,836	2,000	00	00
1,631	00	5	00	00	00
56,79,505	31,145	11,45,961	91,605	00	00
00	00	70	00	00	00
6,13,652	29,06,757	2,15,057	18,58,243	00	00
78,330	00	79,170	60,000	00	00



## विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूँजीगत
	( ₹ हजार में)	
47 तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग		
दत्तमत	38,55,228	3,91,282
प्रभारित	20	00
49 अनुसूचित जाति कल्याण		
दत्तमत	57,253	00
50 बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	19,960	00
51 धार्मिक न्यास और धर्मस्व		
दत्तमत	1,18,218	30,000
53 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता		
दत्तमत	3,05,464	5,05,000
54 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	12,85,000	2,42,000
55 महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	93,01,660	5,66,470
प्रभारित	10	00
56 ग्रामोद्योग		
दत्तमत	10,15,008	14,900
प्रभारित	10	00
58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय		
दत्तमत	1,26,67,321	2,000
60 जिला परियोजनाओं से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	3,57,100	5,20,000
64 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		
दत्तमत	4,50,35,482	1,17,93,211
प्रभारित	10	00

## का सार—जारी

व्यय		अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
( ₹ हजार में)		( ₹ हजार में)		( ₹ हजार में)	
29,57,297	1,51,449	8,97,931	2,39,833	00	00
00	00	20	00	00	00
62,533	00	00	00	5,280	00
				(52,79,857)	
27,429	00	00	00	7,469	00
				(74,69,051)	
96,908	26,082	21,310	3,918	00	00
2,72,655	5,05,000	32,809	00	00	00
12,66,000	1,21,000	19,000	1,21,000	00	00
66,89,841	4,49,623	26,11,819	1,16,847	00	00
138	00	00	00	128	00
				(1,27,764)	
8,17,767	14,583	1,97,241	317	00	00
00	00	10	00	00	00
1,04,09,471	00	22,57,850	2,000	00	00
3,53,086	5,14,868	4,014	5,132	00	00
3,77,00,460	69,42,240	73,35,022	48,50,971	00	00
00	00	10	00	00	00

## विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूँजीगत
	( ₹ हजार में)	
65 विमानन विभाग		
दत्तमत	3,27,642	6,40,000
प्रभारित	10	00
66 पिछड़ा वर्ग कल्याण		
दत्तमत	23,39,530	2,11,400
67 लोक निर्माण कार्य-भवन		
दत्तमत	61,96,802	59,84,511
प्रभारित	4,600	00
68 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य-भवन		
दत्तमत	00	25,71,411
69 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण		
दत्तमत	73,40,900	00
71 सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव-प्रौद्योगिकी		
दत्तमत	10,35,260	10,00,000
75 जल संसाधन विभाग से सम्बंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं		
दत्तमत	00	69,99,100
76 लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं		
दत्तमत	00	90,00,001
79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	59,17,176	23,41,400
प्रभारित	310	00
80 त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता		
दत्तमत	3,82,95,853	26,80,000
81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता		
दत्तमत	1,99,91,298	50,83,125
प्रभारित	6,90,000	00

## का सार—जारी

व्यय		अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
( ₹ हजार में)		( ₹ हजार में)		( ₹ हजार में)	
2,59,513	1,83,284	68,129	4,56,716	00	00
00	00	10	00	00	00
17,62,864	1,20,354	5,76,666	91,046	00	00
46,09,607	33,49,903	15,87,195	26,34,608	00	00
219	00	4,381	00	00	00
00	11,56,304	00	14,15,107	00	00
61,26,938	00	12,13,962	00	00	00
6,17,683	8,900	4,17,577	9,91,100	00	00
00	51,61,159	00	18,37,941	00	00
00	66,51,280	00	23,48,721	00	00
43,13,552	20,69,064	16,03,624	2,72,336	00	00
00	00	310	00	00	00
3,51,62,171	26,78,231	31,33,682	1,769	00	00
1,89,27,856	36,22,136	10,63,442	14,60,989	00	00
6,90,000	00	00	00	00	00

## विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूंजीगत
	( ₹ हजार में)	
82 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता दत्तमत	1,91,53,494	15,30,000
83 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता दत्तमत	4,34,660	3,00,000
<b>योग दत्तमत :</b>	<b>64,99,36,126</b>	<b>17,66,20,437</b>
<b>योग प्रभारित :</b>	<b>3,99,34,462</b>	<b>1,94,99,056</b>
<b>महायोग :</b>	<b>68,98,70,588</b>	<b>19,61,19,493</b>

## का सार—जारी

व्यय		अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
( ₹ हजार में)		( ₹ हजार में)		( ₹ हजार में)	
1,59,35,575	15,30,000	32,17,919	00	00	00
4,02,048	3,00,000	32,612	00	00	00
53,54,92,981	11,41,87,737	11,44,55,894	6,24,42,459	12,749	9,759
3,72,01,784	1,02,40,530	27,36,359	92,58,526	3,681	00
<b>57,26,94,765</b>	<b>12,44,28,267</b>	<b>11,71,92,253</b>	<b>7,17,00,985</b>	<b>16,430</b>	<b>9,759</b>

### विनियोग लेखे का सार—जारी

निम्नलिखित प्रकरणों में दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोग से अधिक व्यय हुआ। अधिक व्यय का विनियमन आवश्यक है :-

अनुदान संख्या और नाम—	अनुभाग	
दत्तमत—अनुदान		
06—वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय	00	पूंजीगत
49—अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	00
50—बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से सम्बंधित व्यय	राजस्व	00
प्रभारित—विनियोग		
14—पशुपालन विभाग से सम्बंधित व्यय	राजस्व	00
33—आदिम जाति कल्याण	राजस्व	00
55—महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय	राजस्व	00

चूंकि अनुदान और विनियोग उन सकल निधियों के लिए है जिनका व्यय करना अपेक्षित है, उनके प्रति दर्शाए गए व्यय के आंकड़ों में वह वसूलियां शामिल नहीं की जाती हैं जिनका व्यय से कटौती करके लेखाओं में समायोजन किया गया है। निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दर्शाए जाते हैं।

वर्ष 2017-18 के लिए विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के लिए वित्त लेखे में दिखाए गए आंकड़ों के बीच समाधान नीचे दर्शाया गया है।

	राजस्व		पूंजीगत	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
	(₹ हजार में )			
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	53,54,92,981	3,72,01,784	11,41,87,737	1,02,40,530
घटाइये—वसूलियों का जोड़	1,03,97,268	00	1,07,21,545	00
वित्त लेखे के विवरण संख्या 11—में दर्शाया गया कुल निवल व्यय	52,50,95,713	3,72,01,784	10,34,66,192	1,02,40,530

ऊपर दी गई वसूलियों का विवरण परिशिष्ट में दर्शाया गया है।

विनियोग लेखे का सार—समाप्त

प्रावधान से 10 प्रतिशत अधिक व्यय निम्नांकित दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत हुआ :-

(क) दत्तमत अनुदान:-

राजस्व:- अनुदान संख्या-50

पूँजीगत:-अनुदान संख्या-06

(ख) प्रभारित विनियोग :-

राजस्व :- अनुदान संख्या-14, 33 एवं 55

प्रावधान से 10 प्रतिशत अधिक बचत निम्नांकित दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत हुई:-

(क) दत्तमत अनुदान:-

(i) राजस्व :-अनुदान संख्या- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 55, 56, 58, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 79 एवं 82.

(ii) पूँजीगत :-अनुदान संख्या -01, 03, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 54, 55, 58, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 75, 76, 79 एवं 81.

(ख) प्रभारित विनियोग :-

(i) राजस्व :-अनुदान संख्या-01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 41, 44, 47, 56, 64, 65, 67, एवं 79.

(ii) पूँजीगत:-अनुदान संख्या-लोक ऋण., 11, 29, 41 एवं 42.

लोक लेखा समिति द्वारा उपशीर्ष स्तर पर आधिक्य/बचत पर टिप्पणी हेतु निम्नतम सीमा ₹ 5.00 लाख निर्धारित की गई है।





## भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

इस संकलन में 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के विनियोग लेखे समाहित हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे सरकार की वर्ष की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें एक पृथक संकलन में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा इन्हें छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले एवं ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाऊचरों, चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से संकलित किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा/अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं को तैयार करने और इनकी परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू कानूनों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधान मंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से, इन लेखाओं पर अपना मत व्यक्त करने के लिए की जाती है, जो लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित होता है। ये कार्यालय स्वतंत्र संस्थाएँ हैं, जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक उत्तरदायी पदानुक्रम तथा प्रबंधन ढाँचा है।

लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि लेखे महत्वपूर्ण त्रुटियों से मुक्त हैं, इस पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाकर लेखा परीक्षा करें। लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से संबंधित साक्ष्यों की नमूना आधार पर जाँच भी सम्मिलित है।




मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणाम स्वरूप, अपनी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए मैं अपनी सम्पूर्ण जानकारी और विश्वास के साथ प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई टिप्पणियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की राशियों के लेखाओं की सही एवं निष्पक्ष प्रस्तुति करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत महत्वपूर्ण मुद्दे 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले छत्तीसगढ़ राज्य सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल है।

मामलों का ध्यानाकर्षण—

मैं निम्नलिखित पर ध्यानाकर्षण करना चाहूँगा :

1. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान तीन अनुदानों एवं तीन विनियोगों के अंतर्गत राज्य विधानसभा द्वारा प्राधिकृत राशि के अतिरिक्त रु. 2.61 करोड़ का अधिक संवितरण किया गया था। वर्ष 2000-01 से 2016-17 तक अधिक संवितरण किये गये रु. 3257.55 करोड़ को राज्य विधानसभा द्वारा नियमित किया जाना शेष है। यह संविधान के अनुच्छेद- 204 (3) का उल्लंघन है, जिसमें यह विनिर्दिष्ट है कि राज्य के समेकित निधि से राज्य विधानसभा द्वारा विनियोग के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अतिरिक्त कोई भी राशि आहरित नहीं किया जायेगा। यह बजटीय प्रणाली तथा वित्तीय नियंत्रण को प्रभावित करता है एवं सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनियमितता को प्रोत्साहित करता है।
2. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कुल अनुदानों व विनियोगों एवं व्यय के मध्य महत्वपूर्ण अंतर है, जिसके कारण 64 अनुदानों तथा 7 विनियोगों में रु. 3191.61 करोड़ रुपये की बचत हुई है, जिनके कारणों को विनियोग लेखें में उचित रूप से वर्णित नहीं किया गया है।  
उक्त मुद्दों पर लेखापरीक्षा अभियुक्तियों का विस्तृत विवरण 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 'स्टेट फायनेन्स ऑडिट रिपोर्ट' में दिया गया है।

  
( राजीव महर्षि )

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

दिनांक : 31 जुलाई 2019

स्थान : नई दिल्ली



ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा

(प्रभारित विनियोग)

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष -</b>			
2048-ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन			
2049-ब्याज अदायगियां			
<b>राजस्व:</b>			
मूल	3,22,26,814		
पूरक	23,51,200	3,45,78,014	3,29,23,276
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)16,54,738 16,54,738

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) ₹ 3,29,232.76 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में अगस्त 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 23,512.00 लाख अनुपूरक प्रावधान आधिक्यपूर्ण सिद्ध हुआ। इसे यथा सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था।

(ii) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2049-01-101-2199-नया बाजार ऋण-			
मूल	15,000.00		
पुनर्वि.	(-)15,000.00	0.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14,925.41 लाख का की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 74.59 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से ₹ 15,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिनके पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2005-06 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2049-01-101-7758-उदय योजना के अंतर्गत

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण  
कंपनी को अनुदान-

मूल	10,000.00			
पुनर्वि.	(-)2,569.17	7,430.83	7,430.83	0.00

(3) 2049-01-123-4854-केन्द्रीय सरकार की

राष्ट्रीय अल्प बचत निधि  
पर ब्याज-

मूल	60,484.00			
पुनर्वि.	(-)3,258.15	57,225.85	57,225.85	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 2,569.71 लाख एवं ₹ 3,258.15 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2049-01-200-3087-भारतीय जीवन बीमा निगम

से लिए गए ऋणों पर ब्याज-

मूल	500.00			
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00	0.00

**ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा-जारी**

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 2049-01-200-3089-भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय पेशगियों और कैश बैलेंस की कमी की पूर्ति हेतु लिए गए अग्रिमों पर ब्याज- मूल 1,080.00 पुनर्वि. (-)1,080.00	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान क्रमशः ₹ 500.00 लाख एवं ₹ 1,080.00 लाख के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2005-06 से 2016-17 के दौरान इन शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(6) 2049-01-200-3732-राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण एवं विकास बैंक की राष्ट्रीय कृषि निधि से लिए गये ऋणों पर ब्याज- मूल 22,500.00 पुनर्वि. (-)1,641.18	20858.82	20,858.00	0.00
(7) 2049-03-104-4033-विभागीय भविष्य निधि पर ब्याज- मूल 5,259.29 पुनर्वि. (-)4,380.50	878.79	878.79	0.00
(8) 2049-04-101-3707-राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज- मूल 8,651.02 पुनर्वि. (-)250.10	8,400.92	8,400.92	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (6) से (8) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,641.18 लाख, ₹ 4,380.50 लाख एवं ₹ 250.10 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2011-12 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(9) 2049-04-101-6721-बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार समेकित ऋणों पर ब्याज- मूल 6,865.01 पुनर्वि. (-)1,883.12	4,981.89	4,981.89	0.00
(10) 2049-60-701-4192-शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना (बीमा निधि पर ब्याज)- मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)278.06	1,721.94	1,721.94	0.00
(11) 2049-60-701-4198-शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना (बचत निधि पर ब्याज)- मूल 5,300.00 पुनर्वि. (-)397.32	4,902.68	4,902.68	0.00

**ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा—समाप्त**

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(12) 2049-60-701-4209-शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि पर ब्याज—			
मूल	600.00		
पुनर्वि.	(-)148.04	451.96	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (9) से (12) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,883.12 लाख, ₹ 278.06 लाख, ₹ 397.32 लाख एवं ₹ 148.04 लाख के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (9) एवं (10) के शीर्षान्तर्गत एवं 2012-13 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (12) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2011-12 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2049-01-101-7895-7.47 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2028—			
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	7,470.00	7,470.00	0.00
(2) 2049-01-305-2624-पुराने ऋणों का प्रबंध—			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	229.40	429.40	0.00
(3) 2049-03-104-4487-सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज—			
मूल	33,582.51		
पुनर्वि.	7,221.12	40,803.63	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में क्रमशः ₹ 7,470.00 लाख, ₹ 229.40 एवं ₹ 7,221.12 लाख के आवर्धन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत एवं 2014-15 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।



**लोक ऋण**  
(प्रभारित विनियोग)

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष -</b>			
<b>6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण</b>			
<b>6004-केन्द्रीय सरकार से कर्ज एवं अग्रिम</b>			
<b>पूँजीगत</b>	1,91,73,826	99,98,816	(-)91,75,010
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			91,75,010
टीका एवं टिप्पणियां			
<b>पूँजीगत :</b>			

**(i) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-**

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 6003-103-8140-भारतीय जीवन बीमा निगम से उधार-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00
₹ 500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2007-08 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(2) 6003-110-637-उपाय एवं साधन अग्रिम-			
मूल	66,000.00		
पुनर्वि.	(-)66,000.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,200.91 लाख की कमी कम व्यय होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 64,799.09 लाख की अन्य कमी अनुमानित व्यय के विरुद्ध कम उपयोग होने के संयुक्त प्रभाव से ₹ 66,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। 2007-08 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(3) 6003-110-779-कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम-			
मूल	26,451.00		
पुनर्वि.	(-)26,451.00	0.00	0.00
₹ 26,451.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

**(ii) उपरोक्त टिप्पणी (i) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-**

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 6003-111-5670-केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां-			
मूल	43,000.00		
पुनर्वि.	113.00	43,113.00	0.00

## लोक ऋण-समाप्त

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 6004-02-101-3052-ब्लॉक कर्जे-			
मूल	6,753.79		
पुनर्वि.	1,081.38	7,835.17	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में क्रमशः ₹ 113.00 लाख एवं ₹ 1,081.38 लाख का आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2016-17 एवं क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

## अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
2012—राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/राज्यपाल/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक			
2013—मंत्री परिषद			
2015—निर्वाचन			
2051—लोक सेवा आयोग			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं			
2055—पुलिस			
2059—लोक निर्माण कार्य			
2062—सतर्कता			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण			
2251—सचिवालय—सामाजिक सेवाएं			
3451—सचिवालय—आर्थिक सेवाएं			
4059—लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय			
4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
7610—सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि			
<b>राजस्व :</b>			
दत्तमत—			
मूल	19,18,172		
पूरक	99,720	20,17,892	16,47,853
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)3,70,039 3,72,941
प्रभारित		3,00,125	2,23,054
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)77,071 75,902
<b>पूंजीगत :</b>			
दत्तमत	10,66,602	8,82,279	(-)1,84,323
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			1,581
टीका एवं टिप्पणियां			

**राजस्व :**

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2017 (₹ 852.10 लाख) एवं दिसम्बर 2017 (₹ 116.74 लाख) एवं फरवरी 2018 (₹ 28.36 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 997.20 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक निधि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 3,700.39 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2018 को किया गया ₹ 3,729.41 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

## अनुदान संख्या 01—जारी

## (iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2013—102—3282—मंत्रियों का वेतन—			
मूल	288.00		
पुनर्वि.	(- )76.44	211.56	214.47
			+2.91
समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 76.44 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2013—14 से 2016—17 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2013—105—9064—मंत्रियों द्वारा वैवेकिक अनुदान—			
मूल	2,750.00		
पूरक	820.00		
पुनर्वि.	(- )748.22	2,821.78	2,821.78
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 748.22 लाख की कमी निधि प्रस्ताव मंत्रियों के निधि अनुमोदन प्रस्ताव के निराकरण के पश्चात अनुमोदित किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013—14 से 2016—17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2015—101—6262—राज्य निर्वाचन आयोग—			
मूल	820.53		
पूरक	12.00		
पुनर्वि.	(- )157.56	674.97	689.13
			+14.16
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 157.56 लाख की कमी जिलों द्वारा वाहनों के किराये पर हुये व्यय हेतु देयक प्राप्त नहीं होने एवं कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा रियायत का लाभ नहीं लेने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2013—14 से 2016—17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2052—090—4327—सचिवालय—			
मूल	5,979.16		
पूरक	38.10		
पुनर्वि.	(- )357.62	5659.64	5664.92
			+5.28
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 41.00 लाख की वृद्धि मंहगाई भत्ते में कम खर्च होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 398.62 लाख की कमी व्यय में कमी होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 357.62 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(5) 2052—091—458—आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली का कार्यालय—			
मूल	1,084.00		
पुनर्वि.	(- )177.63	906.37	925.23
			+18.86
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 177.63 लाख की कमी व्यय में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015—16 एवं 2016—17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2055—101—4544—सी.आई.डी. (इकॉनामिक अफेन्सेस)—			
मूल	778.50		
पूरक	20.00		
पुनर्वि.	(- )229.94	568.56	569.01
			+0.45

## अनुदान संख्या 01—जारी

शीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 2055—101—5461—एन्टी करप्शन ब्यूरो— मूल 906.20 पुनर्वि. (-)383.36	522.84	522.83	(-)0.01
उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 229.94 लाख एवं ₹ 383.36 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, आर्थिक मितव्ययी उपायों को अपनाने, देयक प्राप्त नहीं होने इत्यादि के कारण उल्लिखित की गई है। 2009—10 से 2016—17 के दौरान इन शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(8) 2062—104—5405—लोक आयोग— मूल 354.65 पुनर्वि. (-)134.96	219.69	217.66	(-)2.03
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 134.96 लाख की व्यय में कमी के कारण उल्लिखित की गई है।			
(9) 2062—104—5460—विशेष अन्वेषण स्थापना (एस.आई.ई.)— मूल 143.87 पुनर्वि. (-)78.16	65.71	67.65	+1.94
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 78.16 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009—10 से 2016—17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(10) 2070—003—5435—प्रशासन अकादमी— मूल 700.54 पुनर्वि. (-)214.28	486.26	492.08	+5.82
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 214.28 लाख की कमी संगोष्ठियों का आयोजन नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2251—090—4329—सचिवालय— मूल 1,799.30 पुनर्वि. (-)392.32	1,406.98	1,406.05	+0.93
समर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 351.32 लाख की कमी मंहगाई भत्ते हेतु निधि वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 41.00 लाख की अन्य कमी मंहगाई भत्ते का कम भुगतान किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 392.32 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2014—15 से 2016—17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(12) 2251—091—7271—छत्तीसगढ़ लोक प्रशासन की स्थापना— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(13) 3451—090—4327—सचिवालय— मूल 1,793.80 पुनर्वि. (-)368.36	1,425.44	1,428.31	+2.87
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 368.36 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2011—12 से 2016—17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			

प्रभारित—

(iv) ₹ 770.71 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 759.02 लाख की निधि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

## अनुदान संख्या 01—जारी

(v) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2012-03-090-4330-सचिवालय-			
मूल	498.70		
पुनर्वि.	(-)125.29	373.41	+0.45
(2) 2012-03-102-9060-वैकेिक अनुदान-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)16.55	83.45	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 125.29 लाख एवं ₹ 16.55 लाख की कमी व्यय में कमी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2012-03-103-9059-घरेलू कर्मचारी-			
मूल	417.60		
पुनर्वि.	(-)81.96	335.64	(-)0.34

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 81.96 लाख की कमी व्यय में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2012-03-800-3609-अन्य व्यय (भारित)-			
मूल	16.55		
पुनर्वि.	(-)12.55	4.00	(-)0.01

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 12.55 लाख की कमी लोक निर्माण विभाग से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(5) 2051-102-3689-राज्य लोक सेवा आयोग-			
मूल	1,901.00		
पुनर्वि.	(-)488.37	1,412.63	(-)11.12

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 488.37 लाख की कमी व्यय में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2008-09 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

पूँजीगत :  
दत्तमत-

(vi) ₹ 1,843.23 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2018 को केवल 15.81 लाख की निधि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन बजट पर कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4485-सामान्य प्रशासन विभाग- भवन-	570.83	0.00	(-)570.83

सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 570.83 लाख के अप्रयुक्त रहने के कारण उल्लिखित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

## अनुदान संख्या 01—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7862-मुख्यमंत्री घोषणाओं की पूर्तियां-			
मूल	10,000.00		
पुनर्वि.	(-)0.81	9,999.19	8,822.79
			(-)1,176.40
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 0.81 लाख की कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(3) 4216-01-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5918-सामान्य प्रशासन विभाग-			
	80.19	0.00	(-)80.19
₹ 80.19 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण उल्लिखित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			

अनुदान संख्या 02—सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2052—सचिवालय सामान्य सेवाएं			
2053—जिला प्रशासन			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2075—विविध सामान्य सेवाएं			
2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण			
2250—अन्य सामाजिक सेवाएं			

राजस्व:

मूल	2,87,305		
पूरक	2,271	2,89,576	1,86,941
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)1,02,635 84,319

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2017 (₹ 7.00 लाख) एवं फरवरी 2018 (₹ 15.71 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 22.71 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक निधि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 1,026.34 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 843.19 लाख की निधि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2052-092-6513-मानव अधिकार आयोग—			
मूल	205.00		
पुनर्वि.	(-)29.95	175.05	153.74
			(-)21.31

समर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 29.95 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

(2) 2052-092-6705-राज्य सूचना आयोग—

मूल	539.60		
पूरक	7.00		
पुनर्वि.	(-)275.65	270.95	268.73
			(-)2.22

समर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 275.65 लाख की कमी मुख्य सूचना आयुक्त का पद रिक्त रहने, नियमित कर्मचारियों की कमी एवं व्यय में कमी के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2070-800-4678-स्वागत एवं सामपत्तिक

पदाधिकारी का कार्यालय—

मूल	183.75		
पुनर्वि.	(-)47.82	135.93	135.55
			(-)0.38

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 47.82 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने, निधि का उपयोग नहीं किए जाने एवं जिलाधीशों को निधि के पुर्न आबंटन के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।



## अनुदान संख्या 02 समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2235-60-107-4674-स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भत्ते एवं उपादान-			
मूल	360.00		
पुनर्वि.	(-)279.52	80.48	1.29
			(-)79.19
समर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 279.52 लाख की कमी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संख्या में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2006-07 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(5) 2235-60-800-1982-दुर्घटना मृतकों के परिवार एवं घायलों को वित्तीय सहायता	400.00	351.62	(-)48.38
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(6) 2235-60-800-7297-लोक नायक जय प्रकाश नारायण सम्मान निधि-			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)186.10	813.90	810.90
			(-)3.00

समर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 186.10 लाख की कमी मीसा बंदियों की पेंशन निर्धारित समय पर प्राप्त नहीं होने एवं इनमें से कई लोगों की मृत्यु हो जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

## अनुदान संख्या 03—पुलिस

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
2049—ब्याज अदायगियां			
2055—पुलिस			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
4055—पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
<b>राजस्व :</b>			
दत्तमत—			
मूल	3,64,68,620		
पूरक	36,75,906	4,01,44,526	3,20,49,365
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)80,95,161 78,33,508
प्रभारित	6,600	3,974	(-)2,626
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			2,626
<b>पूंजीगत :</b>			
दत्तमत—			
मूल	5,86,810		
पूरक	56,096	6,42,906	4,76,330
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)1,66,575 1,80,673
टीका एवं टिप्पणियां			
<b>राजस्व:</b>			
दत्तमत—			

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2017 (₹ 1,459.06 लाख), दिसम्बर 2017 (₹ 500.00 लाख) एवं फरवरी 2018 (₹ 34,800.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 36,759.06 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक निधि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 80,951.61 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 78,335.08 लाख की निधि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2049-01-200-2629-पुलिस—			
मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,400.00	600.00	600.00
			(-)0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,400.00 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2055-001-3680-राज्य मुख्यालय—

मूल	7,249.70		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)1,453.47	5,796.23	5,760.02
			(-)36.21

समर्पण द्वारा ₹ 1,463.47 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं पुनर्विनियोजन 10.00 लाख की वृद्धि लम्बित देयकों का भुगतान किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,453.47 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

## अनुदान संख्या 03—जारी

शीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2055-001-7012-पुलिस जवाबदेही प्राधिकरण— मूल 186.60 पुनर्वि. (-)101.99	84.61	79.44	(-)5.17
(4) 2055-001-7811-डायल 100/112— मूल 5,000.00 पुनर्वि. (-)3,316.69	1,683.31	1,683.31	0.00
(5) 2055-003-195-अन्य पुलिस प्रशिक्षण शालाएं— मूल 5,846.60 पुनर्वि. (-)2,044.15	3,802.45	3,768.88	(-)33.57

उपरोक्त क्रम संख्या (3) से (5) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 101.99 लाख, ₹ 3,316.69 एवं ₹ 2,044.15 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम (5) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (3) 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (4) एवं 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(6) 2055-101-279-अभियोजन संचालनालय— मूल 2,627.50 पुनर्वि. (-)902.67	1,724.83	1,724.71	(-)0.12
--	----------	----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 902.67 लाख की कमी जिला कार्यालयों से मांग प्राप्त नहीं होने, भृत्य के पद की पूर्ति हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने एवं शासन से प्रशासकीय स्वीकृति वर्षान्त में प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(7) 2055-101-0801-केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 7633-क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क सिस्टम— मूल 1,200.00 पुनर्वि. (-)847.12	352.88	352.88	0.00
--	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 847.12 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 2055-104-4492-सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)— मूल 1,17,161.95 पुनर्वि. (-)17,416.71	99,745.24	98,304.45	(-)1,440.79
---	-----------	-----------	-------------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 17,416.71 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(9) 2055-108-5067-विधि चिकित्सा विज्ञान	1,371.29	898.86	(-)472.43
---	----------	--------	-----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2010-11 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(10) 2055-109-121-केन्द्रीय पुलिस बल तैनाती— मूल 243.00 पुनर्वि. (-)243.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 243.00 लाख के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2012-13 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

## अनुदान संख्या 03—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(11) 2055-109-4491-सामान्य व्यय— (जिला स्थापना)—			
मूल	1,80,668.40		
पूरक	12,300.00		
पुनर्वि.	(-)25,476.09	1,67,492.31	1,66,376.13
			(-)1,116.18

मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण प्रावधान में समर्पण द्वारा ₹ 26,186.09 लाख की कमी एवं बिजली बिलों के एवं लम्बित देयकों के भुगतान के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 710.00 लाख की वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 25,476.09 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अत्यधिक निधि की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 2055-109-6717-प्रतिपूर्ति योग्य सुरक्षा संबंधी व्यय—			
मूल	14,608.00		
पुनर्वि.	(-)247.31	14,360.69	14,347.61
			(-)13.08

मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण प्रावधान में समर्पण द्वारा ₹ 1,347.31 लाख की कमी एवं शहीद परिवारों को बीमा निधि के एवं लम्बित देयकों के भुगतान के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,100.00 लाख की वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 247.31 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(13) 2055-109-8933-सड़क सुरक्षा निधि से व्यय—			
मूल	1,400.00		
पुनर्वि.	(-)1,230.74	169.26	169.26
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,230.74 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(14) 2055-109-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7660-महिला अपराध अनुसंधान इकाई—			
मूल	247.00		
पुनर्वि.	(-)247.00	0.00	0.00
			0.00

सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 247.00 लाख का अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(15) 2055-111-2531-पर्यवेक्षक कर्मचारी वृन्द (रेलवे पुलिस-पूर्वी विभाग)—			
मूल	3,082.15		
पुनर्वि.	(-)429.42	2,652.73	2,642.07
			(-)10.66

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 429.42 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(16) 2055-114-4155-वेतार केन्द्र रायपुर—			
मूल	4,595.55		
पुनर्वि.	(-)1,200.39	3,395.16	3,369.43
			(-)25.73

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,200.39 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

## अनुदान संख्या 03—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(17) 2055-115-2643-पुलिस बल का आधुनिकीकरण— मूल 2,500.00 पुनर्वि. (-)808.74	1,691.26	1,691.26	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 808.74 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2007-08 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(18) 2055-115-7506-नक्सल क्षेत्रों में नवीन थाना चौकी निर्माण एवं सुदृढीकरण— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 200.00 लाख के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 2055-115-0600-विशेष केन्द्रीय सहायता— 7918-नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता— मूल 23,000.00 पुनर्वि. (-)19,500.00	3,500.00	4,000.00	+500.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 19,500.00 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(20) 2070-107-2710-प्रधान सेनानी कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालय— मूल 2,596.26 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)851.01	1,745.25	1,767.42	+22.17
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 851.01 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, चिकित्सा दावों के प्राप्त नहीं होने, जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2007-08 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(21) 2070-107-492-आव्हान पर होने वाला व्यय— मूल 11,478.00 पूरक 1,400.00 पुनर्वि. (-)522.35	12,355.65	12,370.88	+15.23
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 522.35 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, रेल्वे वारंट प्राप्त नहीं होने, कम बजट आबंटन होने, जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

## अनुदान संख्या 03—जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2055-113-7494-छ.ग. पुलिस हाऊसिंग कारपोरेशन— मूल 350.00 पुनर्वि. 200.00	550.00	550.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 200.00 लाख का आवर्धन स्थापना व्यय में वृद्धि एवं अन्य व्यय के कारण सूचित किया गया। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

प्रभारित—

(v) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2055-109-4491-सामान्य व्यय (जिला स्थापना)— मूल 60.00 पुनर्वि. (-)20.26	39.74	39.74	0.00

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 20.26 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।

पूँजीगत :  
दत्तमत—

(vi) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 560.96 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक निधि से सीमित किया जा सकता था।

(vii) ₹ 1,665.75 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2018 को किया गया ₹ 1,806.73 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन बजट पर कमजोर प्रबंधन को दर्शाता है।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4055-207-3680-राज्य मुख्यालय— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)181.45	118.55	118.55	0.00
(2) 4055-207-4491-सामान्य व्यय (जिला स्थापना)— मूल 2,417.00 पूरक 560.96 पुनर्वि. (-)700.16	2,277.80	2,424.78	+146.98
(3) 4055-208-4492-सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)— मूल 1,085.00 पुनर्वि. (-)101.04	983.96	983.96	0.00

## अनुदान संख्या 03—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 4055—208—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2629—पुलिस—			
मूल	2,050.00		
पुनर्वि.	(-)816.43	1,233.57	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान में क्रमशः ₹ 181.45 लाख, ₹ 700.16, ₹ 101.04 लाख एवं ₹ 816.43 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम (2) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016—17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2007—08 से 2016—17 के दौरान क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

## अनुदान संख्या 04—गृह विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय

(सभी दत्तमत)

कुल  
अनुदानवास्तविक  
व्यय  
(₹ हजार में)आधिक्य+  
बचत(-)

## मुख्य शीर्ष—

2013—मंत्री परिषद्

2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2216—आवास

2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

3454—जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी

## राजस्व:

मूल 3,34,095

पूरक 1,00,412

4,34,507

2,92,793

(-)1,41,714

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि

23,855

(31 मार्च 2018)

टीका एवं टिप्पणियां

## राजस्व :

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अगस्त 2017 (₹ 885.00 लाख) एवं दिसम्बर 2017 (₹ 119.12 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,004.12 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं यथा आवश्यक सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 1,417.14 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को ₹ 238.55 लाख की निधि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2013—800—9261—अन्य व्यय —			
मूल	210.00		
पुनर्वि.	119.11	329.11	164.30
			(-)164.81

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

(2) 2070—106—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)—

7465—रिवेम्पिंग ऑफ

सिविल डिफेंस—

99.80

0.00

(-)99.80

सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 99.80 लाख के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2011—12 से 2016—17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 2070—108—7715—नियंत्रण कक्ष, आग नियंत्रण

एवं आपातकालीन सेवाएं—

मूल 245.65

पूरक सांकेतिक

245.65

1.90

(-)243.75

अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016—17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2070—108—7716—क्षेत्र कार्यालय, आग नियंत्रण

एवं आपातकालीन सेवाएं—

मूल 554.05

पूरक सांकेतिक

589.05

385.73

(-)203.32

पुनर्वि. 35.00



## अनुदान संख्या 04—जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 35.00 लाख की वृद्धि फायर ब्रिगेड वाहन की आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 2070-108-7717-प्रशिक्षण केन्द्र, आग नियंत्रण एवं आपातकालीन सेवाएं— मूल 203.00 पूरक सांकेतिक 203.00	203.00	25.88	(-)177.12

अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2070-108-7718-आपातकालीन सेवाएं— मूल 412.87 पूरक 85.00 पुनर्वि. (-)35.00	462.87	363.62	(-)99.25
--	--------	--------	----------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 35.00 लाख की कमी एन डी आर एफ सिपाहियों के वेतनवृद्धि हेतु स्वीकृति प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2235-60-200-6704-जन जागरण अभियान— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)50.00	50.00	31.73	(-)18.27
--	-------	-------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 50.00 लाख की कमी जिलाधीशों द्वारा मांग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2009-10 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई हैं।

(8) 2235-60-200-9262-जिला सैनिक बोर्ड— मूल 528.64 पुनर्वि. (-)79.68	448.96	444.63	(-)4.33
---	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 79.68 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं हितग्राहियों की मृत्यु होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(9) 3454-01-800-7586-वर्ष 2011 का जनगणना कार्य— मूल 0.86 पूरक 800.00	800.86	471.33	(-)329.53
--	--------	--------	-----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235-60-200-2653-पूर्वदृष्टि प्रयोजनों के लिए अनुदान, सहायक अनुदान— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)77.36	422.64	557.98	+135.34

## अनुदान संख्या 04—समाप्त

(2) 2235—60—200—7495—अपराध पीड़ितों

के लिए पीड़ित क्षतिपूर्ति—

मूल 120.00

पुनर्वि. (-)9.27

110.73

202.27

+91.54

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 77.36 लाख एवं ₹ 9.27 लाख की कमी जिलाधीशों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016—17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

## अनुदान संख्या 05—जेल

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>		
<b>2056—जेल</b>		
<b>राजस्व :</b>		
दत्तमत	16,11,270	13,80,658
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)		(-)2,30,612 2,31,749
<i>प्रभारित</i>	<i>10</i>	<i>00</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)</i>		<i>(-)10</i> <i>10</i>

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 2,306.12 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को किया गया ₹ 2,317.49 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन बजट प्रबंधन पर कमजोर नियंत्रण को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2056—001—2272—निर्देशन और प्रशासन—			
मूल	315.45		
पुनर्वि.	(-)102.00	213.45	213.51
(2) 2056—101—938—केन्द्रीय एवं जिला जेलें—			
मूल	15,097.25		
पुनर्वि.	(-)2,215.48	12,881.77	12,893.07

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 102.00 लाख एवं ₹ 2,215.48 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों को अपनाने शासन से सी.सी.टी.व्ही. एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम क़य किए जाने, जेल श्रमिक अनुदान हेतु विलंब से अनुमति प्राप्त होने एवं व्यय में कमी के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2013—14 से 2016—17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2006—07 से 2016—17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई हैं।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2018 को अभ्यर्पित किया गया। 2010—11 से 2016—17 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

## अनुदान संख्या 06—वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
2047—अन्य राजकोषीय सेवाएं			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं			
2054—खजाना एवं लेखा प्रशासन			
2071—पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ			
2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण			
2435—अन्य कृषि कार्यक्रम			
2885—उद्योगों एवं खनिजों पर अन्य परिव्यय			
7810—अन्तर्राज्यीय निपटारा			

**राजस्व :**

## दत्तमत—

मूल	5,34,44,110		
पूरक	52,100	5,34,96,210	4,01,87,598
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-) 1,33,08,612 5,62,611
<i>प्रभारित</i>		<i>5,041</i>	<i>238</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि</i> <i>(31 मार्च 2018)</i>			<i>(-) 4,803 31</i>

**पूँजीगत:**

## दत्तमत

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि	1,000	10,759	+9,759
टीका एवं टिप्पणियां			00

**राजस्व :**

## दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2017 (₹ 21.00 लाख) एवं दिसम्बर 2017 (₹ 500.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 521.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 1,33,086.12 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 5,626.11 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन बजट प्रबंधन पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2052-091-4296—संचालनालय संस्थागत वित्त व्यवस्था—			
मूल	169.20		
पूरक	4.00		
पुनर्वि.	(-) 68.31	104.88	103.93
(2) 2054-095-2274—निर्देशन और प्रशासन—			
मूल	1,914.80		
पुनर्वि.	(-) 420.94	1,493.86	1,493.61

## अनुदान संख्या 06—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2054-095-4307—संभागीय स्थापना— मूल 827.70 पुनर्वि. (-)243.02	584.68	578.57	(-)6.11
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 68.31 लाख, ₹ 420.94 लाख एवं ₹ 243.02 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2011-12 से 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत एवं 2008-09 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(4) 2054-095-8904—ऑडिट सेल का गठन— मूल 290.20 पुनर्वि. (-)124.35	165.85	165.94	+0.09
पुनर्विनियोजन ₹ 76.00 लाख एवं समर्पण ₹ 48.35 लाख द्वारा प्रावधान से ₹ 124.35 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2054-097-1026—खजाना स्थापना— मूल 4,052.60 पूरक सांकेतिक पुनर्वि (-)1,073.51	2,979.09	2,978.35	(-)0.74
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,073.51 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2010-11 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(6) 2054-098-4361—स्थानीय निधि लेखा	2,163.10	1,453.68	(-)709.42
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2010-11 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(7) 2071-01-101-2413—सेवा निवृत्त वेतन भोगियों को देय— मूल 3,45,000.00 पुनर्वि. (-)4,000.00	3,41,000.00	2,19,018.23	(-)1,21,981.77
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,000.00 लाख की कमी के कारणों के साथ अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2071-01-104-4590—सेवा एवं मूल्य निवृत्ति पुरस्कार	50,000.00	41,294.88	(-)8,705.12
(9) 2071-01-111-4010—विधायकों को पेंशन	1,000.00	463.81	(-)536.19
उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक निधि की बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2013-14 से 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(10) 2435-60-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5628—कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्त करण हेतु ब्याज अनुदान— मूल 3,300.00 पुनर्वि. (-)1,930.54	1,369.46	1,369.46	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,930.54 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2010-11 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			

## अनुदान संख्या 06—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(11) 2885-60-190-4843-अधोसंरचना विकास निगम—			
मूल	620.00		
पूरक	500.00		
पुनर्वि.	(-)120.00	1,000.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 120.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2011-12 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2071-01-102-3080-भारत में पेंशनों का रूपान्तरित मूल्य का भुगतान	500.00	887.35	+387.35
(2) 2071-01-105-2514-परिवार पेंशन	70,000.00	71,004.80	+1,004.80
(3) 2071-01-115-5438-अवकाश नगदीकरण	15,000.00	17,693.50	+2,693.50

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक निधि का आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2013-14 से 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(4) 2071-01-117-6801-राज्य शासन का अंशदान—			
मूल	37,000.00		
पुनर्वि.	2,356.81	39,356.81	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,000.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,643.19 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप प्रावधान में ₹ 2,356.81 लाख के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

(5) 2235-60-200-7000-पेंशन कल्याण कोष की निधि की प्रतिपूर्ति—			
मूल	0.10		
पुनर्वि.	(-)0.10	0.00	+397.80

₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

प्रभारित—

(v) ₹ 48.03 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 0.31 लाख की निधि अभ्यर्पित की गई। यह प्रक्रिया बजट पर कमजोर प्रबंधन को दर्शाता है।

(vi) विनियोग से आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2071-01-106-600- उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जजों को भुगतान	50.00	2.38	(-)47.62

अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

## अनुदान संख्या 06—समाप्त

पूँजीगत :

दत्तमत—

(vii) दत्तमत अनुदान से हुए ₹ 1,07,58,904 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(viii) प्रावधान से आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
7810-122-5675-मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य अन्तर्राज्यीय समायोजन	10.00	107.59	+97.59

अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 07—वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
2030—स्टाम्प एवं पंजीकरण			
2039—राज्य उत्पाद शुल्क			
2040—बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
2058—लेखन सामग्री एवं मुद्रण			
4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
<b>राजस्व :</b>			
दत्तमत—			
मूल	40,73,889		
पूरक	1,20,380	41,94,269	30,88,536
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)11,05,733 11,93,594
<i>प्रभारित</i>	<i>7,50,635</i>	<i>5,17,300</i>	<i>(-)2,33,335</i> <i>2,33,335</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि</i> <i>(31 मार्च 2018)</i>			
<b>पूंजीगत</b>			
दत्तमत—			
मूल	11,200		
पूरक	22,60,000	22,71,200	22,64,248
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)6,952 6,946
टीका एवं टिप्पणियां			
<b>राजस्व :</b>			
दत्तमत—			
(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2017 (₹ 163.00 लाख) एवं दिसम्बर 2017 (₹ 1,040.80 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,203.80 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक निधि से सीमित किया जा सकता था।			
(ii) ₹ 11,057.33 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को किया गया ₹ 11,935.94 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन बजट पर कमजोर प्रबंधन को दर्शाता है।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ लाख में)	
(1) 2030-02-797-7428—छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत भूमि के अंतरण पर उपकर का ग्रामीण विकास निधि में अंतरण—			
मूल	3,200.00		
पुनर्वि.	(-)292.00	2,908.00	2,908.00
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 292.00 लाख की कमी उपकर की कम वसूली किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			



## अनुदान संख्या 07-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2030-03-001-1480-जिला प्रभार-			
मूल	3,182.05		
पुनर्वि.	(-)1,847.33	1,334.72	1,256.30
			(-)78.42
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,847.33 लाख की कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2039-001-122-अधीक्षण-			
मूल	3,283.30		
पूरक	130.00		
पुनर्वि.	(-)294.04	3,119.26	3,120.85
			+1.59
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 121.43 लाख की वृद्धि लम्बित देयकों के भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 415.47 लाख की कमी निधि की मांग नहीं होने, देयकों के प्राप्त नहीं होने, जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने एवं वित्त विभाग से निधि विमुक्त नहीं किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 294.04 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2039-001-1470-जिला कार्यपालिक स्थापना-			
मूल	5,956.00		
पुनर्वि.	(-)1,435.82	4,520.18	4,518.47
			(-)1.71
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,435.82 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं निधि की मांग नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(5) 2039-102-1111-आबकारी सामग्री की खरीद-			
मूल	120.00		
पुनर्वि.	(-)120.00	0.00	0.00
			0.00
आवश्यकतानुसार सामग्री क्रय किए जाने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। 2011-12 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(6) 2039-102-8629-नये सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स सिनेमाघर को प्रोत्साहन-			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)300.00	0.00	0.00
			0.00
पात्र आवेदक नहीं होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2039-800-4034-विभागीय मदिरा दुकानों का संचालन-			
मूल	6,070.00		
पुनर्वि.	(-)6,018.73	51.27	51.27
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,018.73 लाख की कमी विभाग द्वारा संचालित दुकानों के लिए मांग पत्र प्राप्त नहीं होने एवं जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2040-001-3569-मुख्यालय स्थापना व्यय-			
मूल	1,599.10		
पूरक	368.80		
पुनर्वि.	(-)480.21	1,487.69	1,488.36
			+0.67
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 480.21 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2012-13 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

## अनुदान संख्या 07-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2040-101-1509-जिला स्थापना-			
मूल	6,143.66		
पूरक	5.00		
पुनर्वि.	(-)1,009.53	5,139.13	5,157.39
			+18.26

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,009.53 लाख की कमी क्षेत्रीय कार्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, व्यय कम होने एवं चार्टर्ड एकाउन्टेंट के रिक्त पद की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2030-01-001-6003-मुख्यालय स्थापना-			
मूल	221.62		
पुनर्वि.	(-)67.01	154.61	280.29
			+125.68

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 67.01 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

(2) 2030-01-101-4612-स्टाम्पों की लागत 150.00 363.24 +213.24  
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(3) 2030-01-102-4611-स्टॉम्पों की बिक्री पर व्यय-  
मूल 35.00  
पुनर्वि. (-)9.57 25.43 151.55 +126.12  
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 9.57 लाख की कमी स्टॉम्पों की कम बिक्री के कारण उल्लिखित की गई।

(4) 2030-02-101-2456-न्यायिकेतर स्टाम्प की लागत-  
मूल 500.00  
पूरक 700.00  
पुनर्वि. (-)9.31 1,190.69 1,475.17 +284.48  
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 9.31 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

(5) 2030-02-102-2455-न्यायिकेतर स्टॉम्प की  
बिक्री पर व्यय 350.00 538.77 +188.77  
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

प्रभारित-

(v) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2030-02-797-7429-छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम के अंतर्गत लगाये गये स्टाम्प शुल्क का अंतरण-			
मूल	7,500.00		
पूरक	2,327.00	5,173.00	5,173.00
			0.00

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 2,327.00 लाख की कमी स्टॉम्प शुल्क प्राप्ति में कमी के कारण उल्लिखित की गई

है।

## अनुदान संख्या 07—समाप्त

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2039-001-1470-जिला कार्यपालिक स्थापना-				
मूल	5.00			
पूरक	(-5.00)	0.00	0.00	0.00

₹ 5.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग जिलों से निधि की मांग न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 08—भू—राजस्व एवं जिला प्रशासन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
2029—भू—राजस्व			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं			
2053—जिला प्रशासन			
2216—आवास			
3604—स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन			
4059—लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय			
5054—सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय			
6401—फसल कृषि—कर्म के लिए कर्ज			
<b>राजस्व:</b>			
<b>दत्तमत—</b>			
मूल	97,67,444		
पूरक	5,03,491	1,02,70,935	82,40,877
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)20,30,058 21,23,893
<i>प्रभारित</i>	<i>1,526</i>	<i>00</i>	<i>(-)1,526</i> <i>1,526</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि</i> <i>(31 मार्च 2018)</i>			
<b>पूंजीगत:</b>			
दत्तमत	34,90,500	23,78,165	(-)11,12,335
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			7,83,097

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 5,034.91 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक निधि से सीमित किया जा सकता था।
- (ii) ₹ 20,300.58 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को किया गया ₹ 21,238.93 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।
- (iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2029-001-456-आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त कार्यालय—			
मूल	591.20		
पुनर्वि.	(-)108.13	483.07	477.36
			(-)5.71

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 108.13 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, कर्मचारियों द्वारा देयकों को जमा नहीं किए जाने, वाहन नए होने एवं मशीनों के अनुरक्षण कार्य में कम व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

## अनुदान संख्या 08—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2029-102-3132—भू सुधार कार्यालय—			
मूल	317.35		
पुनर्वि.	(-)69.17	248.18	266.78
			+18.60
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 69.17 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(3) 2029-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
7787—ई—धरती—			
मूल	4,274.00		
पुनर्वि.	(-)2,576.04	1,697.96	1,542.48
			(-)155.48
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,576.04 लाख की कमी पंजीयन में विलम्ब होने कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2029-103-1472—जिला खर्च—			
मूल	24,999.00		
पुनर्वि.	(-)3,798.02	21,200.98	22,327.47
			+1,126.49
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6.40 लाख की वृद्धि कर्मचारी की किडनी परिवर्तित करने के कारण एवं समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,804.42 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने, शासन से सूचना और प्रौद्योगिकी मद में क्य किए जाने की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, मितव्ययी उपायों को अपनाने, पूर्व में आबंटित निधि का उपयोग नहीं किए जाने एवं बी-01 फार्म की छाया प्रति पटवारियों को वितरित नहीं किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान से ₹ 3,798.02 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2029-103-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)—			
908—कृषि संगणना—			
मूल	359.18		
पुनर्वि.	(-)243.75	115.43	104.77
			(-)10.66
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 243.75 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने, रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं कर्मचारियों द्वारा देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(6) 2029-103-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)—			
9981—लघु सिंचाई योजनाओं की संगणना			
मानदेय एवं अन्य			
आकस्मिक व्यय—			
मूल	184.30		
पुनर्वि.	(-)150.30	34.00	21.58
			(-)12.42
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 150.30 लाख की कमी भारत सरकार से निधि विलम्ब से प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(7) 2029-103-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—			
7635—राष्ट्रीय भू-अभिलेख			
का आधुनिकीकरण			
(एन.एल.आर.एम.पी.)—			
मूल	12,312.40		
पुनर्वि.	(-)12,312.40	0.00	0.00
			0.00
₹ 12,312.40 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

## अनुदान संख्या 08—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2029-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7797—प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना— पूरक 426.00 पुनर्वि. (-)309.65	116.35	98.10	(-)18.25
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 309.65 लाख की कमी व्यय में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2029-797-6753—पर्यावरण निधि का अंतरण मूल 8,782.77 पुनर्वि. (-)2,638.48	6,144.29	6,144.29	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,638.48 लाख की कमी पर्यावरण उपकर में कम वसूली के कारण सूचित की गई है।			
(10) 2029-800-0510—अधोसंरचना विकास निधि— 7860—अधोसंरचना एवं पर्यावरण निधि— मूल 5,300.00 पूरक 5,000.00 पुनर्वि. (-)148.70	10,151.30	10,100.32	(-)50.98
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 148.70 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(11) 2052-099-3657—राजस्व बोर्ड— मूल 677.00 पुनर्वि. (-)280.60	396.40	396.79	+0.39
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 280.60 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, चिकित्सा अग्रिम, यात्रा, अवकाश, यात्रा रियायत के आवेदन प्राप्त नहीं होने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(12) 2053-093-1510—जिला स्थापना— मूल 23,986.10 पूरक 34.91 पुनर्वि. (-)611.72	23,409.29	23,434.30	+25.01
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 6.40 लाख की कमी जिलाधीशों से मांग प्राप्त नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 605.32 की अन्य कमी जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 611.72 लाख कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2010-11 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(13) 2053-101-452—आयुक्त संभागीय कार्यालय— मूल 885.40 पुनर्वि. (-)101.96	783.44	816.42	+32.98
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 101.96 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

## अनुदान संख्या 08—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(14) 2053—800—7769—भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन प्राधिकरण—			
मूल	400.70		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-344.90)	55.80	49.90
			(-)5.90

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 344.90 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, यात्रा कार्यक्रमों में कमी एवं कार्यालय प्रारंभिक अवस्था में होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2029—797—6754—अधोसंरचना विकास निधि में अंतरण—			
मूल	12,540.00		
पुनर्वि.	2,638.48	15,178.48	15,178.48
			0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,638.48 लाख का आवर्धन अधोसंरचना विकास उपकर में अधिक प्राप्ति के कारण उल्लिखित किया गया।

प्रभारित—

(v) ₹ 15.26 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2018 को अभ्यर्पित किया गया।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vi) ₹ 11,123.53 लाख के उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 7,830.97 लाख की निधि अभ्यर्पित की गई है। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4059—80—051—0510—अधोसंरचना विकास निधि— 7860—अधोसंरचना एवं पर्यावरण निधि—			
मूल	21,000.00		
पुनर्वि.	(-2,584.29)	18,415.71	15,610.61
			(-)2,805.10

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,584.29 लाख की कमी व्यय में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

(2) 4059—80—052—1510—जिला स्थापना—

मूल	360.00		
पुनर्वि.	(-)318.00	42.00	42.00
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 318.00 लाख की कमी राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2016—17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4059—80—052—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7787—ई—धरती—			
मूल	981.00		
पुनर्वि.	(-)981.00	0.00	0.00
			0.00

## अनुदान संख्या 08—समाप्त

राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 981.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 5054-05-337-0510-अधोसंरचना विकास निधि- 7860-अधोसंरचना एवं पर्यावरण निधि-			
मूल	12,500.00		
पुनर्वि.	(- )3,914.68	8,585.32	(- )486.96

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,914.68 लाख की कमी व्यय में कमी के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।



अनुदान संख्या 09—राजस्व विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
<b>2058—लेखन सामग्री एवं मुद्रण</b>			
<b>4058—लेखन सामग्री एवं मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
<b>राजस्व :</b>			
दत्तमत	1,74,886	83,523	(-)91,363
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			91,316
<i>प्रभारित</i>	<i>10</i>	<i>00</i>	<i>(-)10</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि</i> <i>(31 मार्च 2018)</i>			<i>10</i>
<b>पूंजीगत:</b>			
दत्तमत	55,000	00	(-)55,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			55,000
टीका एवं टिप्पणियां			

**राजस्व :**

दत्तमत—

(i) ₹ 913.63 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 913.16 लाख की निधि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2058—101—618—उप नियंत्रक लेखन सामग्री का कार्यालय—			
मूल	160.26		
पुनर्वि.	(-)47.76	112.50	112.46
			(-) 0.04

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 47.76 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, कर्मचारियों से चिकित्सा दावे एवं गणवेश हेतु मांग प्राप्त नहीं होने, फर्नीचर, उपकरण, लेखन सामग्री, प्रपत्र की आवश्यकता नहीं होने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2058—102—2820—फार्म का मुद्रण,  
भण्डारण और वितरण—

मूल	930.74		
पुनर्वि.	(-)430.83	499.91	499.85
			(-) 0.06

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 430.83 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों को अपनाने, नवीन मशीन क्रय नहीं किए जाने एवं मुद्रण सामग्री की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2005—06 से 2016—17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 2058—102—5659—शासकीय प्रेस  
रायपुर—

मूल	466.67		
पुनर्वि.	(-)315.55	151.12	150.70
			(-) 0.42

## अनुदान संख्या 09—समाप्त

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 315.55 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों के अपनाने एवं कर्मचारियों से देयक प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2005—06 से 2016—17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2058—104—301—अशासकीय मुद्रणालयों में मुद्रण कार्य —			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)85.21	14.79	+0.02

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 85.21 लाख की कमी मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2018 को अभ्यर्पित किया गया। 2013—14 से 2016—17 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(iv) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4058—103—3427—मशीन एवं उपकरण—			
छपाई मशीनों का क्रय—			
मूल	550.00		
पुनर्वि.	(-)550.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान से ₹ 550.00 लाख का प्रत्याहरण रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं मशीनरी एवं उपकरण का क्रय नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। वर्ष 2016—17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

## अनुदान संख्या 10-वन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष-</b>			
<b>2406-वानिकी एवं वन्य प्राणी</b>			
<b>4406-वानिकी एवं वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
<b>राजस्व :</b>			
दत्तमत वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)	1,00,29,359	83,83,343	(-)16,46,016 14,07,548
प्रभारित वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)	2,67,535	1,98,738	(-)68,797 2,396
<b>पूंजीगत :</b>			
दत्तमत वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)	1,49,221	53,229	(-)95,992 86,704
टीका एवं टिप्पणियां			
<b>राजस्व :</b>			
दत्तमत-			

(i) ₹ 16,460.16 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 14,075.48 लाख की निधि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2406-01-003-4462-वन प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन-			
मूल	332.50		
पुनर्वि.	(-)67.51	264.99	(-)4.71
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 67.51 लाख की कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(2) 2406-01-003-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1859-राज्य वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना-			
मूल	331.48		
पुनर्वि.	(-)137.04	194.44	+66.04
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 137.04 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(3) 2406-01-101-2786-प्रादेशिक संभाग (क्षेत्रीय वृत्त)-			
मूल	1,274.60		
पुनर्वि.	(-)52.35	1,222.25	(-)18.58

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 52.35 लाख की कमी 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार महंगाई भत्ते की दर में कमी के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2009-10 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

## अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2406-01-101-3836—उत्पादन वन मण्डल राजकीय व्यापार राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी, खैर एवं बांस— मूल 2,985.24 पुनर्वि. (-)655.65	2,329.59	2,630.37	+300.78
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 655.65 लाख की कमी 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार महंगाई भत्ते की दर में कमी के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2010-11 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(5) 2406-01-101-3877—क्षेत्रीय वन मण्डल— मूल 36,253.30 पुनर्वि. (-)1,626.76	34,626.54	34,247.36	(-)379.18
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 20.00 लाख की कमी देयकों के कम भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,606.76 लाख की कमी 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार महंगाई भत्ते की दर में कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,626.76 लाख की कमी कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2010-11 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(6) 2406-01-101-812—कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना— मूल 1,045.65 पुनर्वि. (-)183.17	862.48	834.21	(-)28.27
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 183.17 लाख की कमी 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार महंगाई भत्ते की दर में कमी के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2010-11 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(7) 2406-01-101-813—कार्यकारी योजनाएं एवं अतिक्रमण व्यवस्थापन कार्य— मूल 388.20 पुनर्वि. (-)62.66	325.54	315.56	(-)9.98
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 62.66 लाख की कमी 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार महंगाई भत्ते की दर में कमी के कारण उल्लिखित की गई है।			
(8) 2406-01-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2965—निम्नीकृत वनों की पुनःस्थापना (बांस वनों सहित)— मूल 4,450.00 पुनर्वि. (-)515.37	3,934.63	3,698.08	(-)236.55
(9) 2406-01-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6827—भूजल एवं जल संरक्षण कार्य— मूल 1,870.00 पुनर्वि. (-)89.26	1,780.74	1,782.03	(-)1.29

उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 515.37 लाख एवं ₹ 89.26 लाख की कमी व्यय में कमी के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

## अनुदान संख्या 10-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 2406-01-102-3531-प्राकृतिक पुनरोत्पादन का (बांस वनों सहित) संरक्षण-			
मूल	1,760.00		
पुनर्वि.	(-)20.56	1,739.44	1,235.37
			(-)504.07
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 20.56 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अत्यधिक अंतिम बचत के कारण उल्लिखित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2406-01-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7732-छत्तीसगढ़ स्टेट एक्शन प्लान आन क्लाईमेट योजना-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00
			0.00
सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 200.00 लाख के अप्रयुक्त रहने के केन्द्रीय शासन द्वारा निधि जारी नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2406-01-102-0430-वन विकास निधि- 6699-वन विकास उपकर निधि से व्यय-			
मूल	2,080.00		
पुनर्वि.	(-)477.21	1,602.79	1,466.58
			(-)136.21
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 477.21 लाख की कमी राज्य सरकार एवं वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2406-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1902-तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण बांस रोपण सहित-			
मूल	950.00		
पुनर्वि.	(-)111.96	838.04	839.47
			+1.43
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 111.96 लाख की कमी अधीनस्थ वृत्तों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं व्यय में कमी के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2406-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2533-हरियाली प्रसार योजना-			
मूल	720.00		
पुनर्वि.	(-)53.25	666.75	636.15
			(-)30.60
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 53.25 लाख की कमी व्यय में कमी के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(15) 2406-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6724-बांस वनों का पुनरोद्धार-			
मूल	1,150.00		
पुनर्वि.	(-)10.57	1,139.43	1,062.04
			(-)77.39
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 10.57 लाख की कमी व्यय में कमी के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

## अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(16) 2406-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7731-बाड़ी बांस योजना-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)337.32	162.68	190.05
			+27.37
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 337.32 लाख की कमी के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(17) 2406-01-105-252-अन्य व्यय अनुग्रह अनुदान आर्थिक सहायता-			
मूल	2,590.00		
पुनर्वि.	(-)990.00	1,600.00	1,600.00
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 990.00 लाख की कमी राज्य शासन से निधि के आहरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(18) 2406-01-203-535-इमारती लकड़ी-			
मूल	9,485.00		
पुनर्वि.	(-)4,749.78	4,735.22	4,205.38
			(-)529.84
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,749.78 लाख की कमी कार्य योजना के स्वीकृत नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक निधि की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 2406-01-203-5641-वन प्रबंधन समितियां-			
मूल	3,300.00		
पुनर्वि.	(-)998.33	2,301.67	1,531.47
			(-)770.20
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 998.33 लाख की कमी के कारणों के साथ अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(20) 2406-01-204-2901-बांस-			
मूल	1,755.00		
पुनर्वि.	(-)664.20	1,090.80	999.89
			(-)90.91
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 664.20 लाख की कमी कार्य योजना के स्वीकृत नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक निधि की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(21) 2406-02-110-2899-राष्ट्रीय उद्यान	1,531.27	1,272.26	(-)259.01
(22) 2406-02-110-2900-अभ्यारण्य क्षेत्र	3,251.77	2,581.74	(-)670.03
(23) 2406-02-110-3896-वन्य प्राणियों द्वारा जन हानि करने पर क्षतिपूर्ति	2,000.00	1,859.73	(-)140.27
(24) 2406-02-110-8644-वन्य प्राणी/वन वृत्तों की स्थापना	433.35	318.26	(-)115.09
(25) 2406-02-110-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)- 5502-प्रोजेक्ट एलीफेन्ट	200.00	79.88	(-)120.12

उपरोक्त क्रम संख्या (21) से (25) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (21), (22) एवं (24) के शीर्षान्तर्गत एवं 2013-14 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (25) के शीर्षान्तर्गत के दौरान भी बचत हुई थी। 2007-08 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (23) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

## अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(26) 2406-04-101-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7261—राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम— मूल 4,772.00 पुनर्वि. (-)2,936.81	1,835.19	1,835.19	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,936.81 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधि के विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2406-01-001-3555—मुख्यालय— मूल 1,990.95 पुनर्वि. 15.77	2,006.72	2,150.12	+143.41

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 35.00 लाख की वृद्धि सफाई कर्मियों एवं सुरक्षा कर्मियों के दैनिक वेतन का भुगतान किए जाने, दूरभाष, आंतरिक दूरभाष एवं ऊर्जा संयंत्र के स्थापित किए जाने एवं समर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 19.23 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 15.77 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया। कमी के कारणों के साथ अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

(2) 2406-01-204-5641—वन प्रबंधन समितियों— मूल 825.00 पुनर्वि. 998.33	1,823.33	2,228.05	+404.72
--	----------	----------	---------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 998.33 लाख की वृद्धि कारणों के साथ अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

(3) 2406-02-110-3531—प्राकृतिक पुनरोत्पादन का (बांस वनो सहित) संरक्षण	81.00	582.44	+501.44
--	-------	--------	---------

(4) 2406-02-110-0430—वन विकास निधि— 6699—वन विकास उपकर निधि से व्यय	520.00	609.77	+89.77
---	--------	--------	--------

(5) 2406-02-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2965—बिगड़े वनों का सुधार बांस वनो सहित	300.00	483.10	+183.10
--	--------	--------	---------

(6) 2406-02-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6724—बांस वनों का पुनरोद्धार	110.00	174.71	+64.71
--	--------	--------	--------

उपरोक्त क्रम संख्या (3) से (6) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक निधि के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए हैं (जुलाई 2018)।

प्रभारित—

(iv) ₹ 687.97 लाख के उपलब्ध विनियोग के विरुद्ध 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 23.96 लाख की निधि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन विनियोग पर कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

## अनुदान संख्या 10—समाप्त

(v) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2406-01-001-3555-मुख्यालय-			
मूल	75.00		
पुनर्वि.	23.96	51.04	(- )3.33

समर्पण द्वारा विनियोग में ₹ 23.96 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

(2) 2406-01-797-3885-वन विकास निधि में अंतरण	2,600.00	1,939.67	(-)660.13
---	----------	----------	-----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूंजीगत:

दत्तमत-

(vi) ₹ 959.92 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2018 को ₹ 867.04 लाख की निधि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4406-01-070-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1859-राज्य वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना-			
मूल	165.00		
पुनर्वि.	(-)111.61	53.39	+0.45

समर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 111.61 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4406-01-070-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4342-सड़कें एवं मकान निर्माण कार्य-			
मूल	270.00		
पुनर्वि.	(-)32.31	237.79	(-)35.38

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 32.31 लाख की कमी व्यय में कमी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4406-01-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित आयोजना (सामान्य)- 5538-एकीकृत वन सुरक्षा योजना			
	900.00	227.33	(-)672.67

अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2011-12 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।



अनुदान संख्या 11—वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
2230— श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास			
2851—ग्रामीण एवं लघु उद्योग			
2852—उद्योग			
3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
4851—ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
6851—ग्राम एवं लघु उद्योगों के लिए कर्ज			
<b>राजस्व :</b>			
दत्तमत—			
मूल	21,66,570		
पूरक	4,89,000	26,55,570	22,68,165
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-) 3,87,405 3,87,950
<i>प्रभारित</i>			
मूल	25		
पूरक	760	785	00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-) 785 785
<b>पूंजीगत :</b>			
दत्तमत			
	7,10,420	6,27,799	(-) 82,621 82,621
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			
<i>प्रभारित</i>			
	500	00	(-) 500 500
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			
टीका एवं टिप्पणियां			
<b>राजस्व :</b>			
दत्तमत—			

(i) ₹ 22,681.65 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में, अगस्त 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 700.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान आवश्यकता से अत्यधिक था एवं दिसम्बर 2017 में प्राप्त किया ₹ 4,190.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक संकेतिक निधि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 3,874.05 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 3,849.50 लाख की निधि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2230-01-102-8034-स्टीम बाईलरों का निरीक्षण—			
मूल	161.70		
पुनर्वि.	(-)60.35	101.35	101.35
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 60.35 लाख की कमी संभागीय कार्यालय से निधि हेतु मांग प्राप्त नहीं होने एवं यात्रा भत्ते, टेलीफोन एवं बिजली आदि पर व्यय कम किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

## अनुदान संख्या 11—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2851—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7825—स्टार्टअप छत्तीसगढ़ — मूल 300.00 पुनर्वि. (-)155.88	144.12	144.12	0.00
(3) 2851—200—1464—जिला औद्योगिक केन्द्र— मूल 2,543.69 पुनर्वि. (-)681.64	1,862.05	1,854.88	(-)7.17
(4) 2852—80—001—3370—संचालनालय उद्योग— मूल 1,061.25 पुनर्वि. (-)314.23	747.02	729.68	(-)17.34
(5) 2852—80—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5385—नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना— मूल 1,389.52 पुनर्वि. (-)1,249.52	140.00	140.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (5) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान में क्रमशः ₹ 155.88 लाख, ₹ 681.64 लाख ₹ 314.23 लाख एवं ₹ 1,249.52 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2010—11 से 2016—17 के दौरान क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है। 2015—16 एवं 2016—17 के दौरान क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(6) 2852—80—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7784—निजी औद्योगिक क्षेत्रों/ पार्को के लिए अधोसंरचना अनुदान— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
₹ 155.88 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016—17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(7) 2852—80—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8890—खाद्य प्रसंस्करण सहायता अनुदान— मूल 1,400.00 पुनर्वि. (-)947.51	0.00	0.00	0.00
(8) 2852—80—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8928—मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना— मूल 150.00 पुनर्वि. (-)51.31	98.69	98.69	0.00
(9) 3475—200—255—अन्य व्यवसायिक उपक्रमों के विनियमन—भारतीय साझेदारी विधान का प्रशासन— मूल 281.14 पुनर्वि. (-)102.80	178.34	178.45	(-)0.11

उपरोक्त क्रम संख्या (7) से (9) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान में क्रमशः ₹ 947.51 लाख, ₹ 51.31 लाख एवं ₹ 102.80 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016—17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

## अनुदान संख्या 11—समाप्त

प्रभारित—

(iv) ₹ 7.85 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2018 को अभ्यर्पित किया गया। 2010-11 से 2016-17 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(v) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4851-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
6742-औद्योगिक पार्कों के लिए अनुदान-			
मूल	1,700.00		
पुनर्वि.	(-800.00	900.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 800.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

प्रभारित—

(vi) ₹ 5.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2018 को अभ्यर्पित किया गया। 2011-12 से 2016-17 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

## अनुदान संख्या 12—ऊर्जा विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
2045—वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क			
2801—विद्युत			
2810—नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा			
4801—विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
4810—ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्रोतों पर पूंजीगत परिव्यय			
<b>राजस्व :</b>			
<b>दत्तमत—</b>			
मूल	1,38,58,539		
पूरक	24,16,300	1,62,74,839	1,33,54,143
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)29,20,696 29,45,700
<i>प्रभारित</i>	<i>26,94,123</i>	<i>21,70,800</i>	<i>(-)5,23,323</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि</i>			<i>00</i>

**पूंजीगत :****दत्तमत—**

मूल	32,71,500		
पूरक	19,21,826	51,93,326	49,63,117
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)2,30,209 2,30,000

## टीका एवं टिप्पणियां

**राजस्व :****दत्तमत—**

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2017 (₹ 5,010.00 लाख), दिसम्बर 2017 (₹ 14,258.00 लाख) एवं फरवरी 2018 (₹ 4,895.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 24,163.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक निधि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 29,206.96 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को किया गया ₹ 29,457.00 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

**(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2045-103-4281-संग्रह प्रभार बिजली शुल्क—			
मूल	960.39		
पूरक	10.00		
पुनर्वि.	(-)170.00	800.39	795.43
			(-)4.96

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 170.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2010-11 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

## (2) 2801-80-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)–

## 6501-एकल बत्ती कनेक्शन

## हेतु अनुदान—

मूल	14,677.00		
पुनर्वि.	(-)1,907.00	12,770.00	12,770.00
			0.00

## अनुदान संख्या 12—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2801-80-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7305-पाँच एच.पी.के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान-			
मूल	1,11,418.00		
पुनर्वि.	(-)26,451.00	84,967.00	84,967.00
			0.00
(4) 2801-80-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7620-उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी-			
मूल	8,900.00		
पूरक	19,258.00		
पुनर्वि.	(-)774.00	27,384.00	27,384.00
			0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान में कमशः ₹ 1,907.00 लाख, ₹ 26,451.00 लाख एवं ₹ 774.00 लाख की कमी राज्य सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(5) 2810-60-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7697-बायो एनर्जी आधारित कार्यक्रम-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)60.00	40.00	40.00
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 60.00 लाख की कमी वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन से निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2810-800-0410-ऊर्जा विकास निधि- 3188- ऊर्जा विकास संस्था को सहायक अनुदान	600.00	810.00	+210.00

अत्यधिक आधिक्य के कारण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

प्रभारित-

(v) ₹ 5,233.23 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष दौरान कोई भी निधि अभ्यर्पित नहीं की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(vi) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2045-797-3218-उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत उर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अन्तरण	26,941.23	21,708.00	(-)5,233.23

अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

## अनुदान संख्या 12—समाप्त

पूँजीगत :

दत्तमत—

(vii) ₹ 2,302.09 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 2,300.00 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4801-06-800-0410-उर्जा विकास निधि- 6758-कृषि पम्पों का उर्जाकरण-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00

₹ 500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4810-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

8965-मुख्यमंत्री मजरा टोला  
विद्युतीकरण योजना-

मूल
 2,000.00 |  |  |

पूरक
 (-)1,800.00 | 200.00 | 0.00 |

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,800.00 लाख की कमी वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन से निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(ix) विद्युत/ऊर्जा विकास निधि :-

ऊर्जा विकास निधि का गठन ऊर्जा विकास उपकर से किया गया जो उपभोक्ताओं को स्वयं या उनके कर्मचारियों द्वारा उपभोगित करने के लिए विक्रय या आपूर्ति की गई कुल विद्युत ऊर्जा यूनिट पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से अधिरोपित किया गया जिसका उपयोग ऊर्जा (सभी पारम्परिक एवं गैर पारम्परिक ऊर्जा के प्रकार), रिसर्च एवं विकास योजनाओं में विद्युत उत्पादन, क्षमता, पारेषण वितरण में वृद्धि सहित ऊर्जा स्रोत का सर्वे एवं ऊर्जा कन्जर्वेशन कार्यक्रम आदि में किया जाता है। यह उपकर "राजस्व शीर्ष 0043-विद्युत पर कर एवं शुल्क-800-अन्य प्राप्तियों" में जमा किया जाता है एवं उपकर से राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष की समस्त आगम के समतुल्य निधि राज्य की संचित निधि में इस मांग संख्या के "मुख्य शीर्ष 2045-वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क-797-संग्रहण प्रभार-विद्युत शुल्क-3218-उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि का अन्तरण" को प्रभारित कर ऊर्जा विकास निधि में जमा किया जाता है।

इस निधि में 01 अप्रैल 2017 को प्रारम्भिक शेष ₹ 3,382.72 लाख जमा था। वर्ष के दौरान ₹ 21,708.00 लाख की निधि में इस अनुदान के अन्तर्गत "मुख्य शीर्ष-2045-797 संचय तिथि से/में स्थानान्तरण-3218 उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अन्तरण" को नामे कर जमा की गई एवं निधि से वर्ष के दौरान ₹ 23,985.31 लाख का व्यय किया गया। 31 मार्च 2018 को ₹ 1,105.41 लाख की शेष निधि निधि में जमा थी।

इस निधि के लेन-देन" मुख्य शीर्ष-8229-विकास एवं कल्याण निधि-110-ऊर्जा विकास निधि" में सम्मिलित है जिसका लेखा वित्त लेखे 2017-18 के "21-आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संव्यवहारों का विस्तृत विवरण" में दिया गया है।

## अनुदान संख्या 13—कृषि

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
2401—फसल कृषि—कर्म			
2402—मृदा एवं जल संरक्षण			
4401—फसल कृषि—कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
6401—फसल कृषि—कर्म के लिए कर्ज			
<b>राजस्व :</b>			
दत्तमत—			
मूल	1,26,43,922		
पूरक	1,05,55,167	2,31,99,089	1,93,28,447
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)38,70,642 38,63,014
<i>प्रभारित</i>	<i>1,300</i>	<i>727</i>	<i>(-)573</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)</i>			<i>573</i>
<b>पूंजीगत :</b>			
दत्तमत	55,910	23,003	(-)32,907
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			32,907

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में अनुपूरक अनुदान ₹ 1,05,551.67 लाख अगस्त 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 551.67 लाख का अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था, जबकि सितम्बर 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 1,05,000.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान आधिक्यपूर्ण सिद्ध हुआ। यह प्रचलन बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(ii) ₹ 38,706.42 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 38,630.14 लाख की निधि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2401-001-119-अधीनस्थ एवं विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द—(जिला एवं अधीनस्थ स्तर का अमला)—			
मूल	28,487.80		
पुनर्वि.	(-)4,364.61	24,123.19	23,879.22
(2) 2401-001-124-अधीक्षण (संभागीय स्तर का अमला)—			
मूल	675.95		
पुनर्वि.	(-)136.74	539.21	536.46

समर्पण द्वारा प्रावधान में उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 4,364.61 लाख एवं ₹ 136.74 लाख की कमी वास्तविक स्वीकृत अमले के अनुसार व्यय किए जाने के कारण सूचित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

## अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2401-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7255—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन— मूल 6,250.00 पुनर्वि. (-)349.14	5,900.86	5,900.86	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 348.33 लाख की कमी व्यय में कमी होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.81 लाख की अन्य कमी भारत सरकार से पर्याप्त स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण व्यय में कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 349.14 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2401-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7258—नेशनल मिशन ऑन ऑईलसीड्स एण्ड ऑईल पॉम— मूल 406.00 पुनर्वि. (-)200.85	205.15	205.15	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 200.85 लाख की कमी केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2401-102-0101— राज्य योजना (सामान्य)— 8936—ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप को ऋण अनुदान— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)93.13	6.87	6.87	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 93.13 लाख की कमी एपेक्स एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से प्राप्त प्रकरणों के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(6) 2401-102-0101— राज्य आयोजना (सामान्य)— 8972—धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना— मूल 0.01 पूरक 1,05,000.00 पुनर्वि. (-)2,736.71	1,02,263.30	1,02,268.30	+5.00
(7) 2401-103-898—कृषि प्रदर्शन एवं बीज फार्म— मूल 693.75 पुनर्वि. (-)25.93	667.82	600.20	(-)67.62
उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 2,736.71 लाख एवं ₹ 25.93 लाख की कमी स्वीकृत संख्या के अनुरूप मांग के आधार पर व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(8) 2401-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6820—कृषक समग्र विकास योजना— मूल 4,168.05 पुनर्वि. (-)143.19	4,024.86	4,024.27	(-)0.59
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 143.19 लाख की कमी राज्य सरकार से पॉलीबेग पौधों के वितरण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			



## अनुदान संख्या 13-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2401-105-7283-छ.ग. राज्य विपणन संघ को उर्वरक व्यवसाय हेतु सहायता-			
मूल	800.00		
पुनर्वि.	(-)513.34	286.66	286.66
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 513.34 लाख की कमी राज्य सरकार से प्राप्ति के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(10) 2401-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8900-जैविक खेती मिशन-			
मूल	1,198.65		
पुनर्वि.	(-)175.10	1,023.55	1,023.55
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 175.10 लाख की कमी पी.जी.एस. पोर्टल का उपयोग किए जाने के फलस्वरूप व्यय में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2401-108-5549-गन्ना कृषकों को बोनस-			
मूल	2,800.00		
पुनर्वि.	(-)1,501.37	1,298.63	1,298.63
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,501.37 लाख की कमी स्वीकृत निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(12) 2401-108-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-			
मूल	6,000.00		
पुनर्वि.	(-)3,012.43	2,987.57	2,990.23
			+2.66
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,126.60 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,885.83 लाख की अन्य कमी भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार व्यय किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 3,012.43 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2401-108-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7266-एन.एम.एस.ए. रेनफेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम-			
मूल	1,230.10		
पुनर्वि.	(-)886.66	343.44	343.44
			0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 167.57 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 719.09 लाख की अन्य कमी भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति अनुसार व्यय किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 886.66 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गये हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2401-108-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7684-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई विकास योजना-			
मूल	1,400.00		
पुनर्वि.	(-)1,198.08	202.02	202.02
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,198.08 लाख की कमी कार्य योजना हेतु पर्याप्त सामग्री की आपूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			

## अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(15) 2401-108-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7830—परम्परागत कृषि विकास योजना— मूल 780.00 पुनर्वि. (-)481.71	298.29	298.29	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 481.71 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(16) 2401-108-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7833—रिक्लेमेशन आफ प्राब्लम स्वाइल (आर. पी. एस.)— मूल 1,255.00 पुनर्वि. (-)1,209.11	45.89	45.89	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,209.11 लाख की कमी भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(17) 2401-108-0701— केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 8942—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति)— मूल 8,750.00 पुनर्वि. (-)2,804.05	5,945.95	5,945.94	(-)0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,804.05 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 2401-109-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7829—नेशनल ई गर्वनेस प्लान एग्रीकल्चर— मूल 400.00 पुनर्वि. (-)303.68	96.32	96.32	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 303.68 लाख की कमी तकनीकी त्रुटि एवं समय की कमी के कारण उल्लिखित की गई है।			
(19) 2401-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7797—प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना— मूल 6,780.00 पुनर्वि. (-)1,301.29	5,478.71	5,478.71	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 87.05 लाख की कमी बीमा दावों में व्यय कम किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,214.24 लाख की अन्य कमी व्यय में कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,301.29 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।			
(20) 2401-113-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 8961—कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान— मूल 1,500.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)1,023.37	476.63	476.63	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,459.00 लाख की वृद्धि अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 2,482.37 लाख की कमी कार्य योजना हेतु पर्याप्त सामग्री की आपूर्ति नहीं किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,023.37 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

## अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(21) 2401-119-2013—नए उद्यानों एवं पौध शालाओं की स्थापना— मूल 1,981.63 पुनर्वि. (-)96.48	1,885.15	1,892.09	+6.94
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.00 लाख की वृद्धि अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 100.48 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं व्यय में कमी होने के निवल प्रभाव से प्रवधान में ₹ 96.48 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(22) 2401-119-9188—उद्यान विकास योजना— मूल 4,472.63 पुनर्वि. (-)236.14	4,236.49	4,232.00	(-)4.49
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 38.00 लाख की वृद्धि अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 274.14 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं व्यय में कमी किए जाने के निवल प्रभाव से प्रवधान में ₹ 236.14 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(23) 2401-119-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 4,000.00 पुनर्वि. (-)2,776.58	1,223.42	1,223.42	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 38.00 लाख की कमी व्यय में कमी किए जाने एवं समर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,738.58 लाख की अन्य कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,776.58 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(24) 2401-119-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7258—नेशनल मिशन ऑन आईलसीडस एण्ड आईलपॉम— मूल 556.32 पुनर्वि. (-)295.38	260.94	260.94	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 295.38 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(25) 2401-119-0701— केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7684—प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना— पूरक 2,214.90 पुनर्वि. (-)2,130.90	84.00	84.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,130.90 लाख की कमी ड्रिप की दर अधिक होने एवं कृषक अंशदान देने में असक्षम होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(26) 2401-119-0701— केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7705— एकीकृत बागवानी विकास मिशन— मूल 9,352.00 पुनर्वि. (-)1,357.77	7,794.23	7,976.47	(-)17.76

## अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(27) 2401-119-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7874-एन.एम.एस.ए. नेशनल मिशन ऑन एग्रोफारेस्ट्री- पूरक 416.66 पुनर्वि. (-)192.40	224.26	224.26	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (26) एवं (27) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,357.77 लाख एवं ₹ 192.40 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (26) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(28) 2401-119-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 7854-नाबार्ड पोषित संरक्षित खेती एवं फसलोत्तर प्रबंधन योजना- मूल 1,150.00 पुनर्वि. (-)1,150.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,150.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(29) 2401-119-0101-राज्य योजना (सामान्य)- 7676-संरक्षित खेती एवं फसलोत्तर प्रबंधन योजना- पूरक 1,500.00 पुनर्वि. (-)1,500.00	0.00	0.00	0.00
जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 1,500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।			
(30) 2401-119-0101-राज्य योजना (सामान्य)- 7837-उद्यानिकी फसलों का बेसलाईन सर्वे- पूरक 1,200.00 पुनर्वि. (-)1,200.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के अप्रयुक्त रहा।			
(31) 2401-119-0101-राज्य योजना (सामान्य)- 7838-रिवाल्विंग फण्ड योजना- पूरक 117.00 पुनर्वि. (-)94.03	22.97	22.97	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 94.03 लाख की कमी जिलों द्वारा निधि आहरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(32) 2401-800-0311- नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 7853-नाबार्ड पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना- पूरक 6,550.00 पुनर्वि. (-)6,550.00	0.00	0.00	0.00
राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 6,550.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।			
(33) 2402-102-3143-भूमि संरक्षण कटावरोधक बंधन की योजना- पूरक 3,082.85 पुनर्वि. (-)241.47	2,841.38	2,571.14	(-)270.24

## अनुदान संख्या 13—जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.20 लाख की कमी व्यय में कमी होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 231.27 लाख की अन्य कमी कम स्वीकृत संख्या के अनुसार वास्तविक व्यय किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 241.47 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(34) 2402-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7350—एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम— पूरक 7,500.85 पुनर्वि. (-)981.18	6,518.82	6,518.82	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 981.18 लाख की कमी भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित

हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2401-108-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7267—एन.एम.एस.ए. मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना— मूल 420.00 पुनर्वि. 426.47	846.47	845.42	(-)1.05

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 525.60 लाख की वृद्धि अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 99.13 लाख की कमी भारत सरकार से एवं राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 426.47 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(2) 2401-109-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7269—एन एम ए ई टी सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन— मूल 1,625.00 पुनर्वि. 443.90	2,068.90	2,068.90	0.00
---	----------	----------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 443.90 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधि अनुसार व्यय किए जाने एवं मजदूरी के भुगतान हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

(3) 2401-113-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 8963—कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्र बैंकों की स्थापना— पूरक 250.00 पुनर्वि. 192.00	442.00	442.00	0.00
---	--------	--------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 192.00 लाख का आवर्धन कार्य योजना हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

(4) 2402-101-8351—विस्तृत मृदा सर्वेक्षण— मूल 393.45 पूरक 100.00 पुनर्वि. (-)98.65	394.80	650.08	+255.28
---	--------	--------	---------

## अनुदान संख्या 13—समाप्त

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 98.65 लाख की कमी स्वीकृत संख्या के अनुसार वास्तविक व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4401-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8987-बीज गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रयोगशाला-			
मूल	70.00		
पुनर्वि.	(-)70.00	0.00	0.00
योजना प्रारंभ नहीं होने के कारण ₹ 70.00 लाख सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।			
(2) 4401-107-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7661-एन. एम. ई. टी. सबमिशन ऑन प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाईन योजना-			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	(-)50.00	0.00	0.00
भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 50.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।			
(3) 4401-108-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7267-एन. एम. एस. ए. मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना-			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)193.14	106.86	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 193.14 लाख कमी भारत सरकार द्वारा विमुक्त निधि अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

## अनुदान संख्या 14—पशुपालन विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
<b>2403—पशुपालन</b>			
<b>4403—पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
<b>राजस्व :</b>			
दत्तमत—			
मूल	43,32,849		
पूरक	16,000	43,48,849	36,03,008
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)7,45,841 7,56,588
प्रभारित	20	214	+194
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			00

**पूंजीगत :**

दत्तमत—			
मूल	2,26,746	1,21,921	(-)1,04,825
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			1,04,826

टीका एवं टिप्पणियां

**राजस्व :**

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 160.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक निधि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 7,458.51 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को किया गया ₹ 7,565.88 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2403-001-1468—जिला एवं संभागीय स्तर—			
मूल	3,205.92		
पूरक	(-)529.95	2,675.97	2,671.21
(2) 2403-101-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 3786—रेन्डरपेस्ट—			
मूल	616.59		
पुनर्वि.	(-)78.37	538.22	538.29

उपरोक्त क्रम (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से कमशः ₹ 529.95 लाख एवं ₹ 78.37 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009-10 से 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम (1) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 2403-101-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

5620—पशुरोग नियंत्रण—

मूल 1,210.00

पूरक 100.00

पुनर्वि. (-)319.19

990.81

987.06

(-)3.75

## अनुदान संख्या 14—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2403-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7826-बकरी रोग नियंत्रण (पी. पी. आर.सी.पी.)-			
मूल	165.74		
पुनर्वि.	(-)151.17	14.57	(-)0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 319.19 लाख एवं ₹ 151.17 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(5) 2403-101-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 7471-नाबार्ड योजनातर्गत पशुधन एवं कुक्कुट उद्यमिता विकास हेतु अनुदान-			
मूल	900.00		
पुनर्वि.	(-)767.56	132.44	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान ₹ 135.00 लाख की वृद्धि नाबार्ड पोषित डेयरी/बकरी/कुक्कुट उद्यमिता विकास अर्न्तगत हितग्राहियों के भुगतान हेतु एवं समर्पण द्वारा ₹ 902.56 लाख की कमी नाबार्ड से निधि प्राप्त नहीं होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 767.56 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।

(6) 2403-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2549-पशु औषधालय एवं चिकित्सालय-			
मूल	17,210.00		
पुनर्वि.	(-)738.25	16,472.02	+110.16

(7) 2403-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7403-कामधेनु पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय -			
मूल	1,500.00		
पुनर्वि.	(-)1,368.00	132.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 738.25 लाख एवं ₹ 1,368.00 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं भारत सरकार से केन्द्रांश की निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 2403-102-1108-गहन पशु विकास परियोजना-			
मूल	4,460.20		
पुनर्वि.	(-)396.28	4,063.92	+6.17

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 396.28 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं चिकित्सा अग्रिम हेतु निधि का पुनर्विनियोजन किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(9) 2403-102-2567-पशु प्रजनन प्रक्षेत्र-			
मूल	960.82		
पुनर्वि.	(-)118.91	841.91	(-)0.77

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 118.91 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।



## अनुदान संख्या 14—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 2403-102-5535—छत्तीसगढ़ गौसेवा एवं ग्रामीण विकास आयोग को अनुदान— मूल 415.00 पुनर्वि. (-)265.00	150.00	150.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 265.00 लाख की कमी शासन से अनुदान प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2403-102-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 7257—राष्ट्रीय गौवंशीय, भैंस वंशीय परियोजना एवं पशुधन बीमा योजना— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)433.00	67.00	67.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 433.00 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2403-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7621—नेशनल लाइव स्टॉक मिशन— मूल 1,250.00 पुनर्वि. (-)994.61	255.39	255.39	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 294.61 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2403-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7614—राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड— मूल 60.00 मूल 30.00 पुनर्वि. (-)62.00	28.00	28.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 62.00 लाख की कमी राज्य सरकार से निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(14) 2403-103-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 3578—मुर्गी पालन विकास की योजना कुक्कुट पालन प्रक्षेत्रों पर मूल 1,448.31 पुनर्वि. (-)100.07	1348.24	1,347.48	(-)0.76
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 100.07 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जानेके कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 2403-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7403—कामधेनु पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय— मूल 3,050.00 पुनर्वि. (-)762.50	2,287.50	2,287.50	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 762.50 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं राज्य सरकार द्वारा निधि के विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			

## अनुदान संख्या 14—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(16) 2403—113—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 5505—पशु संगणना कार्यक्रम—			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00

₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रांश जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(17) 2403—800—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 8703—दुग्ध उत्पादन एवं अधोसंरचना—			
मूल	1,229.51		
पुनर्वि.	(-)174.18	1,055.33	1,061.24

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 174.18 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2403—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8898—राज्य पोषित डेयरी उद्यमिता विकास योजना—			
मूल	800.00		
पुनर्वि.	199.92	999.92	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख की वृद्धि औद्योगिक डेयरी विकास हेतु हितग्राहियों के भुगतान एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.08 लाख की कमी के कारण निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 199.92 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

प्रभारित :  
पूँजीगत :  
दत्तमत—

(v) प्रभारित विनियोग पर हुए 1,943.387 लाख के आधिक्य व्यय का नियमितिकरण आवश्यक है।

(vi) ₹ 1,048.25 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को किया गया ₹ 1,048.26 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4403—103—3578—मुर्गी पालन विकास की योजना— कुक्कुट पालन प्रक्षेत्रों पर—			
मूल	498.46		
पुनर्वि.	(-)498.46	0.00	0.00

राज्य सरकार से राज्यांश जारी नहीं किए जाने के कारण ₹ 498.46 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।

(2) 4403—109—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7403—कामधेनु पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय—			
मूल	335.00		
पुनर्वि.	(-)310.00	25.00	0.00

## अनुदान संख्या 14—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 310.00 लाख की कमी राज्य सरकार द्वारा राज्यांश विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(3) 4403—800—3784—रोगों की जांच—

मूल	135.00		
पुनर्वि.	(- )100.72	34.28	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 100.72 लाख की कमी सामग्री क्य करने हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 15—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत  
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
2202—सामान्य शिक्षा			
2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण			
2403—पशुपालन			
2405—मछली पालन			
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
2853—लौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग			
4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
<b>राजस्व</b>			
मूल	53,53,255		
पूरक	3,68,865	57,22,120	51,94,039
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)5,28,081 6,36,591
<b>पूंजीगत</b>	5,20,000	5,20,000	00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि			00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 3,688.65 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक निधि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 5,280.81 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को किया गया ₹ 6,365.91 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन बजट पर कमजोर प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-789-197-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2952—बालिकाओं को गणवेश— मूल	350.00		
पुनर्वि.	(-)280.23	69.77	69.77
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 280.23 लाख की कमी महिला स्वयं सहायता समूह के लम्बित देयकों का भुगतान नहीं किए जाने, सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत विधार्थियों की संख्या में कमी होने एवं गणवेश के देयकों का भुगतान नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(2) 2202-01-789-197-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 327—अस्वच्छ धन्धे में लगे लोगों के बच्चों के लिए आश्रम, छात्रवृत्ति— मूल	405.00		
पुनर्वि.	(-)174.95	230.05	230.05
			0.00

## अनुदान संख्या 15-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2202-01-789-197-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 4691-कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजना- मूल 250.00 पुनर्वि. (-)82.76	167.24	167.24	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 174.95 लाख एवं ₹ 82.76 लाख की कमी ऑनलाइन पंजीकृत विधार्थियों की संख्या में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(4) 2202-01-789-197-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिये अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये- मूल 32,060.00 पुनर्वि. (-)4,024.16	28,035.84	28,141.40	+105.56
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,947.65 लाख की कमी जिलों द्वारा मांग नहीं होने एवं ₹ 76.51 लाख की अन्य कमी जिलों द्वारा निधि समर्पित किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 4,024.16 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2405-789-101-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)- मूल 188.00 पुनर्वि. (-)113.53	74.47	72.97	(-)1.50
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 113.53 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2515-789-198-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 7790-श्रद्धांजली योजना- मूल 120.00 पुनर्वि. (-)72.00	48.00	48.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 72.00 लाख की कमी मानकों के अनुसार व्यय किए जाने हेतु निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(7) 2853-02-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 6299-ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण- मूल 5,361.00 पूरक 3,688.65 पुनर्वि. (-)1,515.90	7,533.75	8,058.86	+525.11
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,515.90 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

## अनुदान संख्या 15—समाप्त

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235-60-789-198-1003-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5401-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	2,500.00	2,809.53	+309.53
(2) 2235-60-789-198-1003-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7336-इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	756.00	829.60	+73.60

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

## अनुदान संख्या 16—मछली पालन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
<b>2405—मछली पालन</b>			
<b>2415—कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा</b>			
<b>4405—मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
<b>राजस्व :</b>			
दत्तमत	6,22,667	4,90,043	(-)1,32,624
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			1,32,418
प्रभारित	20	00	(-)20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि			00
<b>पूंजीगत :</b>			
दत्तमत—			
मूल	10,000		
पूरक	86,835	91,835	(-)5,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि			5,000

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 1,326.24 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 1,324.18 लाख की निधि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2405-001-2280- निर्देशन और प्रशासन—			
मूल	374.14		
पुनर्वि.	(-)60.86	313.28	(-)0.09
(2) 2405-101-162-अंतर्देशीय मत्स्योद्योग के लिए जिला स्तर पर अमला—			
मूल	3,191.34		
पुनर्वि.	(-)404.26	2,787.08	(-)9.26

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से कमशः ₹ 60.86 लाख एवं ₹ 404.26 की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2010-11 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 2405-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7814-नील कान्ति अंतर्गत

मत्स्य पालन विकास एवं

प्रबंधन कार्यक्रम—

मूल 1,225.00

पुनर्वि. (-)402.69

822.31

822.31

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 402.69 की कमी भारत सरकार द्वारा मद परिवर्तन की मांग स्वीकार नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।

## अनुदान संख्या 16—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2405-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7434-मत्स्यकी महाविद्यालय कवर्धा हेतु अनुदान-			
मूल	252.00		
पुनर्वि.	(-)92.00	160.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 92.00 लाख की कमी कार्य योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(5) 2405-800-0801-केन्द्र क्षेत्र योजना- 5625-मत्स्य पालन के लिए डेटाबेस और सूचना नेटवर्किंग का सुदृढ़िकरण-			
मूल	238.19		
पुनर्वि.	(-)234.47	3.72	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 234.47 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(6) 2415-05-004-8896-मछुआ कल्याण बोर्ड की स्थापना-			
मूल	84.00		
पुनर्वि.	(-)84.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 84.00 लाख के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			

प्रभारित-

(iii) ₹ 0.20 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं वर्ष के दौरान कोई भी निधि अभ्यर्पित नहीं की गई। 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूंजीगत:

दत्तमत-

(iv) ₹ 918.35 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में अगस्त 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 868.35 लाख का अनुपूरक प्रावधान आधिक्यपूर्ण था। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक निधि से सीमित किया जा सकता था।

(v) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4405-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7434-मत्स्यकी महाविद्यालय कवर्धा हेतु अनुदान-			
मूल	50.00		
पूरक	868.35		
पुनर्वि.	(-)50.00	868.35	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 50.00 लाख की कमी कार्य योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।



## अनुदान संख्या 17—सहकारिता

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
<b>2425—सहकारिता</b>			
<b>4425—सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
<b>6425—सहकारिता के लिए कर्ज</b>			
<b>राजस्व:</b>			
दत्तमत—			
मूल	12,79,225		
पूरक	3,145	12,82,370	10,19,539
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)2,62,831 2,61,684
<i>प्रभारित</i>	<i>15</i>	<i>00</i>	<i>(-)15</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि</i> <i>(31 मार्च 2018)</i>			<i>15</i>
<b>पूंजीगत:</b>			
दत्तमत	3,81,201	3,10,650	(-)70,551
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			70,551

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 31.45 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक निधि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 2,628.31 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 2,616.84 लाख की निधि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2425-001-123-अधीक्षण—			
मूल	4,071.05		
पुनर्वि.	(-)390.21	3,680.84	3,672.16
			(-)8.68

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 361.04 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 29.17 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 390.21 लाख की कमी उल्लिखित की गई है, उभय कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2425-001-2282-निर्देशन—

मूल	676.86		
पुनर्वि.	(-)117.89	558.97	558.66
			(-)0.31

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 117.89 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

## अनुदान संख्या 17—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2425-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5628-कृषक ऋण ब्याज दर युक्तिकरण हेतु ब्याज अनुदान-			
मूल	7,804.00		
पुनर्वि.	(-)2,104.00	5,700.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,104.00 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित-

(iv) ₹ 0.15 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2018 को अभ्यर्पित किया गया। 2010-11 से 2016-17 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत :

दत्तमत-

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4425-108-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 7678-सहकारी संस्थाओं के लिए अंशपूँजी-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)400.00	100.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 400.00 लाख का प्रत्याहरण वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4425-200-0311-नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)-

8545- नाबार्ड सहायता से  
गोदाम निर्माण-

मूल	250.00		
पुनर्वि.	(-)250.00	0.00	0.00

नाबार्ड से निधि आहरण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 250.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।

(3) 6425-108-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-

8970-विपणन सहकारी समितियों  
का सुदृढीकरण-

मूल	50.00		
पुनर्वि.	(-)43.50	6.50	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 43.50 लाख की कमी विभाग से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

## अनुदान संख्या 18—श्रम

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य			
2230—श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास			
4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
<b>राजस्व :</b>			
दत्तमत—			
मूल	13,62,400		
पूरक	700	13,63,100	9,43,312
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)4,19,788 4,14,281
<i>प्रभारित</i>	<i>20</i>	<i>00</i>	<i>(-)20</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)</i>			<i>20</i>
<b>पूंजीगत:</b>			
दत्तमत	10,000	00	(-)10,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			10,000

टीका एवं टिप्पणियां

**राजस्व :**

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 7.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ, इसे यथा सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 4,197.88 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 4,142.81 लाख की निधि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2210-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
3676—राज्य बीमा			
अस्पताल—			
मूल	3,505.80		
पुनर्वि.	(-)764.11	2,741.69	2,721.37
			(-)20.32

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 764.11 लाख की कमी नवीन औषधालयों के प्रारम्भ नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2007-08 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2210-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

791—कर्मचारी राज्य

बीमा चिकित्सालय—

मूल

2,201.60

पुनर्वि.

(-)70.63

2,130.97

1,892.71

(-)238.26

## अनुदान संख्या 18—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 370.63 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं अमले के स्थानांतरण नहीं किए जाने एवं ₹ 300.00 लाख के आवर्धन के निवल परिणाम स्वरूप प्रावधान में ₹ 70.63 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। आवर्धन के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2008-09 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2230-01-101-4268-श्रम आयुक्त— मूल 498.90 पुनर्वि. (-)140.92	357.98	357.62	(-)0.36
(4) 2230-01-101-4271-श्रम कानूनों के कार्यान्वयन के लिए अमला— मूल 1,160.20 पुनर्वि. (-)186.84	973.36	972.78	(-)0.58
उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 140.92 लाख एवं ₹ 186.84 लाख की कमी व्यय कम होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं 2013-14 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2230-01-101-4272-श्रम न्यायालय— मूल 494.79 पुनर्वि. (-)90.04	404.75	404.68	(-)0.07
(6) 2230-01-101-712-औद्योगिक न्यायालय— मूल 272.16 पुनर्वि. (-)95.73	176.43	172.81	(-)3.62
उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 90.04 लाख एवं ₹ 95.73 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2005-06 से 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(7) 2230-01-102-5810-औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा— मूल 412.60 पुनर्वि. (-)144.83	267.77	267.71	(-)0.06
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 144.83 लाख की कमी व्यय में कमी के कारण उल्लिखित की गई है। 2006-07 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(8) 2230-01-103-4270-श्रम कल्याण निधि की स्थापना— मूल 525.00 पुनर्वि. (-)293.61	231.39	231.39	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 293.61 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(9) 2230-01-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7435-असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मण्डल— मूल 1,925.00 पुनर्वि. (-)675.99	1,249.01	1,249.01	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 675.99 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2011-12 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			

## अनुदान संख्या 18—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 2230-01-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8977—असंगठित सफाई कर्मकार कल्याण मण्डल— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)755.30	244.70	244.70	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 755.30 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 2230-01-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8989—ढेका मजदूर, घरेलू कामकाजी महिला एवं हमाल कल्याण मण्डल— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)483.45	516.55	516.55	0.00
---	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 483.45 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 2230-01-112-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 2837—बंधक मजदूरों की पुनर्वास योजना— मूल 360.00 पुनर्वि. (-)337.20	22.80	22.80	0.00
---	-------	-------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 337.20 लाख की कमी बंधुआ मजदूरों के वैध प्रकरणों में नियमानुसार पुनर्वास सहायता प्रदान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2210-01-102-791—कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय— पूरक 7.00 पुनर्वि. (-)7.00	0.00	207.67	+207.67

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

प्रभारित—

(v) ₹ 0.20 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2018 को अभ्यर्पित किया गया। 2010-11 से 2016-17 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(vi) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

## अनुदान संख्या 18—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4250-201-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-			
8352-राज्य में बीड़ी मजदूरों के लिए आवास निर्माण-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-100.00	0.00	0.00

₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान आवासीय भवन निर्माण हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2010-11 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

**अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण**

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
2071—पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ			
2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य			
2211—परिवार कल्याण			
4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
<b>राजस्व:</b>			
दत्तमत—			
मूल	1,77,65,190		
पूरक	10,91,380	1,88,56,570	1,66,74,753
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि			(-)21,81,817
			00
प्रभारित	1450	60	(-)1,390
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि			00
<b>पूंजीगत :</b>			
दत्तमत—			
मूल	8,32,600		
पूरक	60,000	8,92,600	4,23,080
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि			4,69,520
			00
टीका एवं टिप्पणियां			
<b>राजस्व :</b>			
दत्तमत—			
(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2017 (₹ 7,160.80 लाख) एवं दिसम्बर 2017 (₹ 3,753.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 10,913.80 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक निधि से सीमित किया जा सकता था।			
(ii) ₹ 21,818.17 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई निधि समर्पित नहीं हुई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2210-01-001-2283-निर्देशन और प्रशासन (राजीव गांधी मिशन मूलभूत सेवायें)—			
मूल	3,726.22		
पूरक	400.00	4,126.22	2,259.16
			(-)1,867.06
(2) 2210-01-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7327-मानसिक चिकित्सालय	737.70	557.11	(-)180.59
(3) 2210-01-196-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 1473-जिला चिकित्सालय—			
मूल	15,642.75		
पूरक	3,760.80	19,403.55	13,238.26
			(-)6,165.29
(4) 2210-01-200-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 8649-मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम—	365.00	10.95	(-)354.05

## अनुदान संख्या 19—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (4) एवं 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (1), (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(5) 2210-03-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7330-मितानिन कल्याण निधि	3,000.00	0.00	(-)3,000.00
सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 3,000.00 लाख के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(6) 2210-03-197-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5998-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	11,958.20	11,670.87	(-)287.33
(7) 2210-03-197-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 748-दवाखाना	370.50	194.95	(-)175.55
(8) 2210-03-198-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2777-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र— (मूलभूत सेवाएं)	28,015.50	23,958.93	(-)4,056.57
उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2011-12 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(9) 2210-05-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7799-सी.पी.एस योजना	100.00	0.00	(-)100.00
सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 100.00 लाख के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।			
(10) 2210-06-003-2502-परिचारिकाओं का प्रशिक्षण	384.50	226.72	(-)157.78
(11) 2210-06-003-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6811-राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान	185.30	124.95	(-)60.35
(12) 2210-06-101-4244-शीत ज्वर	1,902.70	1,580.11	(-)322.59
(13) 2210-06-101-858-कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम	3,215.70	2,971.11	(-)244.59
उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं (13) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2013-14 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (10), 2014-15 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (12) एवं 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (13) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(14) 2210-06-101-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)- 6729-एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	2,000.00	0.00	(-)2,000.00
सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 2,000.00 लाख के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(15) 2210-06-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 5026-छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता निधि हेतु आर्थिक सहायता/अनुदान— मूल 1,250.00 पूरक 1,000.00	2,250.00	2,125.00	(-)125.00
(16) 2210-06-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7636-बाल श्रवण योजना	200.00	150.00	(-)50.00



## अनुदान संख्या 19—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (15) एवं (16) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (15) एवं 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (16) 2016-17 के अंतर्गत भी बचत दृष्टिगत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(17) 2210-06-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7671-मुख्यमंत्री बाल मधुमेह रोकथाम एवं सुरक्षा योजना-	300.00	0.00	(-)300.00
सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 300.00 लाख के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(18) 2210-06-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7679-टी.बी रोकथाम के लिए पोषित खाद्य	500.00	0.28	(-)499.72
(19) 2210-06-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8632-बाल हृदय सुरक्षा योजना	700.00	600.00	(-)100.00
(20) 2210-06-102-1070-खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम (खाद्य प्रयोगशाला सहित)	1,228.60	660.39	(-)568.21
(21) 2210-06-104-750-औषध नियंत्रण	1,012.00	583.86	(-)428.14

उपरोक्त क्रम संख्या (18) एवं (21) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (19), 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (21) एवं 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (20) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(22) 2210-06-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7863-मुख्यमंत्री चिकित्सा फेलोशिप योजना-	100.00	0.00	(-)100.00
सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 100.00 लाख के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(23) 2211-001-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 1508-जिला स्तर के कर्मचारी	486.50	431.49	(-)55.01
(24) 2211-001-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 3704-राज्य स्तरीय परिवार कल्याण	668.50	515.17	(-)153.33
(25) 2211-001-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 1007-क्षेत्रीय परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र	209.55	80.66	(-)128.89
(26) 2211-001-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 2880-बहुउद्देशीय कार्य योजना	205.35	105.12	(-)100.23
(27) 2211-003-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 336-ऑकजीलियरी नर्स, मिड वाईफ एवं हेल्थ विजिटर्स को परिवार कल्याण का प्रशिक्षण	291.50	172.70	(-)118.80
(28) 2211-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 621-उप स्वास्थ्य केन्द्र	13,491.00	9,560.99	(-)3,930.01
(29) 2211-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 6791-शहरी स्वास्थ्य केन्द्र	399.20	288.76	(-)110.44

उपरोक्त क्रम संख्या (23) से (29) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (27) एवं (29) एवं 2013-14 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (28) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(30) 2211-103-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)- 6106-युनिवर्सल इम्युनाईजेशन	130.00	0.00	(-)130.00
--	--------	------	-----------

## अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(31) 2211-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4601-स्टरलाईजेशन	67.00	0.00	(-)67.00

उपरोक्त क्रम संख्या (30) एवं (31) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान क्रमशः ₹ 130.00 लाख एवं ₹ 100.00 लाख के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (30) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 2071-01-800-5499-सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा	220.00	435.97	+215.97
(2) 2210-01-110-748-दवाखाना	822.00	865.93	+43.93
(3) 2210-03-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7330-मितानिन कल्याण निधि	4,157.00	6,760.48	+2,603.48
(4) 2210-03-198-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 620-उप स्वास्थ्य केन्द्र	6,426.50	7,931.12	+1,504.62

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2009-10 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत निरंतर आधिक्य हुआ था। 2014-15 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत भी आधिक्य हुआ था।

भारित :

(v) ₹ 13.90 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई निधि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2210-01-001-2283-निर्देशन एवं प्रकाशन (राजीव गांधी मिशन, मूलभूत सर्विस)	10.00	0.00	(-)10.00

सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 10.00 लाख के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vii) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2017 में प्राप्त किया गया कुल ₹ 600.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक निधि से सीमित किया जा सकता था।

(viii) ₹ 4695.20 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ix) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4210-01-110-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7327-मानसिक चिकित्सालय	1,816.00	0.00	(-)1,816.00

सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1816.00 लाख के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

## अनुदान संख्या 19—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4210-01-196-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1473-जिला अस्पताल-			
मूल	2,100.00		
पूरक	600.00	1,296.25	(-)1,403.75
कुल	2,700.00		
(3) 4210-02-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 620-उप स्वास्थ्य केन्द्र	1,100.00	739.81	(-)360.19
(4) 4210-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2777-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मूलभूत सेवाएं)	826.00	686.31	(-)139.69
(5) 4210-02-197-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5998-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-			
मूल	2,193.00		
पूरक	सांकेतिक	1,380.11	(-)812.89
कुल	2,193.00		

उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (5) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (4) शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2011-12 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत हुई थी।

(6) 4210-80-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7398-मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन	100.00	0.00	(-)100.00
---	--------	------	-----------

₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

## अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य			
2215—जलपूर्ति एवं सफाई			
4215—जलपूर्ति एवं सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
6215—जलपूर्ति एवं सफाई के लिए कर्ज			
<b>राजस्व:</b>			
दत्तमत—			
मूल	37,50,216		
पूरक	1,310	37,51,526	28,36,256
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)9,15,270 9,16,564

<i>प्रभारित</i>	1,000	1,000	00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि			00

**पूंजीगत:**

दत्तमत—			
मूल	25,69,300		
पूरक	4,15,700	29,85,000	22,01,885
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)7,83,115 7,66,724

टीका एवं टिप्पणियां

**राजस्व:**

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2017 (₹ 0.10 लाख) एवं दिसम्बर 2017 (₹ 13.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 13.10 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक निधि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 9,152.70 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को किया गया ₹ 9,165.64 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2215-01-001-2294-निर्देशन—			
मूल	1,986.40		
पुनर्वि.	(-)652.70	1,333.70	1,345.17
			+11.47

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 652.23 लाख की कमी जिलों से निधि हेतु मांग प्राप्त नहीं होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5.47 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 652.70 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन एवं अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2008-09 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2215-01-001-2715-प्रशासन—

मूल	11,573.60		
पुनर्वि.	(-)3,034.91	8,538.69	8,585.22
			+46.53

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,034.91 लाख की कमी वास्तविक आधार पर व्यय किए जाने एवं जिलों से निधि हेतु मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2012-13 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

## अनुदान संख्या 20—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2215-01-005-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1196-ग्रामीण जल प्रदाय सर्वेक्षण एवं जॉच पड़ताल- मूल 139.10 पुनर्वि. (-)82.31	56.79	56.79	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 82.31 लाख की कमी जिलों से निधि हेतु मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(4) 2215-01-101-5300-स्थानीय संस्थाओं की जल प्रदाय योजनाओं का संधारण- मूल 1,792.10 पुनर्वि. (-)869.83	922.27	923.06	+0.79
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 869.83 लाख की कमी वास्तविक आधार पर व्यय किए जाने एवं जिलों से निधि हेतु मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2215-01-102-1202-ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं का अनुरक्षण- मूल 701.25 पुनर्वि. (-)261.26	439.99	436.70	(-)3.29
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 261.26 लाख की कमी वास्तविक आधार पर व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009-10 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(6) 2215-01-102-1854-ड्रिलिंग रिंग्स का आपरेशन- मूल 1,708.95 पुनर्वि. (-)435.78	1,273.17	1,295.83	+22.66
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 435.78 लाख की कमी जिलों से निधि हेतु मांग प्राप्त नहीं होने एवं वास्तविकता के आधार पर व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2215-01-102-2219-नलकूपों का अनुरक्षण- मूल 6,876.30 पुनर्वि. (-)1,783.71	5,092.59	5,091.07	(-)1.52
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,783.71 लाख की कमी वास्तविकता के आधार पर व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(8) 2215-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5403-पाईप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना- मूल 100.00 पुनर्वि. (-)70.87	29.13	29.13	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 70.87 लाख की कमी जिलों से निधि हेतु मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

## अनुदान संख्या 20—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2215-01-192-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7451—बेमेतरा जल प्रदाय योजना— मूल 365.00 पुनर्वि. (-)365.00	0.00	0.00	0.00
(10) 2215-01-193-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8318—कटघोरा जिला बिलासपुर नल जल प्रदाय योजना— मूल 88.00 पुनर्वि. (-)88.00	0.00	0.00	0.00
(11) 2215-01-193-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8567—बागबाहरा जल प्रदाय योजना— मूल 91.00 पुनर्वि. (-)91.00	0.00	0.00	0.00
(12) 2215-01-193-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8614—बालोद आवर्धन जल प्रदाय योजना— मूल 212.00 पुनर्वि. (-)212.00	0.00	0.00	0.00
(13) 2215-01-193-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8618—भाटागांव जल प्रदाय योजना— मूल 70.00 पुनर्वि. (-)70.00	0.00	0.00	0.00
(14) 2215-01-193-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8661—डोंगरगांव आवर्धन जल प्रदाय योजना— मूल 78.00 पुनर्वि. (-)78.00	0.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (9) से (14) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 365.00 लाख, ₹ 88.00 लाख, ₹ 91.00 लाख ₹ 212.00 लाख, ₹ 70.00 लाख एवं ₹ 78.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (14) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(15) 2215-01-799-4058—विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)1,069.74	930.26	910.62	(-)19.64
--	--------	--------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,069.74 लाख की कमी निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

## अनुदान संख्या 20-जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 2215-01-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8613-उत्तर्ज जल प्रदाय योजना-			
मूल	424.90		
पुनर्वि.	146.57	571.47	571.47
			0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 146.57 लाख के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

(2) 2215-01-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8908-नवीन नगरीय आवर्धन जल प्रदाय योजना-			
मूल	1,400.00		
पुनर्वि.	220.11	1,620.11	1,620.11
			0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 389.38 लाख की वृद्धि और समर्पण द्वारा ₹ 169.27 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 220.11 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया। समय की कमी के कारण 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(v) उचंत लेन देन-

इस अनुदान के व्यय में "2215-जल प्रदाय और सफाई-01-जल प्रदाय-799-उचंत" के अन्तर्गत लेखांकित ₹ 910.62 लाख का व्यय सम्मिलित है। लघु शीर्ष "उचंत" में अस्थायी प्रकृति के लेन-देन दर्ज किए जाते हैं जो कि न तो अंतिम रूप से सम्बंधित निर्माण कार्य को समायोजित किए जाते हैं और न ही उनका उचित वर्गीकरण शीघ्र ही सुनिश्चित किया जा सकता है तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन देनों को यदि लेखे के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं किया जा सका है, तो उन्हें प्रति वर्ष अग्रणीत किया जाता है।

"उचंत" शीर्ष में चार उपभाग हैं यथा :-

(1) क्रय (2) भण्डार (3) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम और (4) कार्यशाला उचंत

प्रत्येक उपभाग के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा कार्य विधि जो अपनाई जाती है, नीचे स्पष्ट की गई :-

(1) क्रय- राज्य में 1983-84 से नई लेखा पद्धति के अपनाने के फलस्वरूप यह उप संभाग अक्रियाशील हो गया है, अतः केवल विगत वर्षों के शेषों को अग्रणीत किया जाता है और बाद के वर्षों में इस शीर्ष से कोई लेन-देन नहीं हुआ है।

(2) भण्डार- इस शीर्ष में ऐसे सामग्री का मूल्य नामे किया जाना है जो कि किसी निश्चित कार्य के लिए नहीं अपितु संभाग के सामान्य उपयोग हेतु प्राप्त की गई हो, इसे निर्माण कार्यों पर उपयोग के लिए प्रदत्त या बेची गई अथवा अन्य संभागों को अंतरित की गई सामग्री के मूल्य से क्रेडिट किया जाता है। इसलिए यह शीर्ष स्टॉक में रखी गई सामग्रियों के पुस्तक मूल्य एवं सामग्रियों के उत्पादन से सम्बंधित असमायोजित प्रभार यदि कोई हो, के योग के नामे शेष दर्शायेगा।

(3) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम- इस शीर्ष में उधार बेचे गए सामान के मूल्य निर्माण कर्म जमा के संबंधप में अधिक व्यय बट्टे खाते में न डाली गई नगदी या भण्डारों की हानियां और सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशियों आदि के नामे आते हैं। इस प्रकार इस शीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियां दर्शाते हैं।

(4) कार्यशाला उचंत-किए गए कार्यों के प्रभार या लोक निर्माण विभाग के कार्यशालाओं में अन्य परिचालन सम्बन्धी प्रभार वसूली या समायोजन पर्यन्त इस शीर्ष के नामे डाले जाते हैं।

2017-18 के दौरान अनुदान के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए विभिन्न उप शीर्षों के अन्तर्गत "उचंत" लेन-देनों का विश्लेषण नीचे दिया गया है :-

विवरण	प्रारंभिक शेष 01 अप्रैल 2017 को नामे+जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2018 को नामे+जमा (-)
(₹ लाख में )				
2215-जल आपूर्ति एवं सफाई				
(i) क्रय	(-)1,600.70	0.00	0.00	(-)1,600.70
(ii) भण्डार	+1,550.23	0.00	0.00	+1,550.23
(iii)विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+10,981.05	910.62	(-)422.17	+10,492.60
<b>योग</b>	<b>+10,930.58</b>	<b>910.62</b>	<b>(-)422.17</b>	<b>+10,442.13</b>

## अनुदान संख्या 20—जारी

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vi) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 4,157.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक निधि से सीमित किया जा सकता था।

(vii) ₹ 7,831.15 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 7,667.24 लाख का अभ्यर्पण किया गया। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4215-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2294-निर्देशन-			
मूल	96.00		
पुनर्वि.	(-)90.33	5.67	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 90.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.33 लाख की अन्य कमी जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 90.33 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।

(2) 4215-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2715-प्रशासन-			
मूल	354.00		
पुनर्वि.	(-)98.48	255.52	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 98.48 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(3) 4215-01-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7353-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-			
मूल	8,000.00		
पूरक	757.00		
पुनर्वि.	(-)2,903.93	5,853.07	(-)304.81

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,903.93 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश कम प्राप्त होने के कारण राज्यांश जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 4215-01-102-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 5403-पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना-			
मूल	4,150.00		
पूरक	500.00		
पुनर्वि.	(-)449.29	4,200.71	+94.33

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 449.29 लाख की कमी, जिलों से निधि की मांग कम प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 4215-01-102-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 7858-सौर ऊर्जा आधारित ग्रामीण पेयजल योजना-			
मूल	1,582.00		
पुनर्वि.	(-)1,304.69	277.31	0.00

समर्पण द्वारा ₹ 1,304.69 लाख की कमी, जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।



## अनुदान संख्या 20—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(6) 4215-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 693-औजार और संयंत्र-			
मूल	210.00		
पुनर्वि.	(-)210.00	0.00	0.00
₹ 210.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया।			
(7) 4215-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7858-सौर ऊर्जा आधारित ग्रामीण पेयजल योजना-			
मूल	2,657.76		
पुनर्वि.	(-)2,657.76	0.00	+368.18
₹ 2,657.76 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(8) 6215-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2182-नगरीय नई जल प्रदाय योजनाएं-			
मूल	3,775.00		
पूरक	2900.00	6,675.00	(-)280.04
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			

अनुदान संख्या 21—आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बंधित व्यय  
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
2216—आवास			
2217—शहरी विकास			
4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
6217—शहरी विकास ऋण			
<b>राजस्व:</b>			
मूल	13,01,041		
पूरक	47,750	13,48,791	5,90,216
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)7,58,575 7,58,612
<b>पूंजीगत :</b>			
मूल	64,77,362		
पूरक	सांकेतिक	64,77,362	29,40,826
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)35,36,536 35,36,536
टीका एवं टिप्पणियां			

**राजस्व:**

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 477.50 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक निधि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 7,585.75 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 7,586.12 लाख की निधि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2216-02-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7444-विकास नगर योजना-			
मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	(-)2,000.00	0.00	0.00
(2) 2216-02-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7670-मुख्यमंत्री आवासीय योजना-			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,000.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 2,000.00 लाख एवं ₹ 1,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2012-13 से 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं 2015-16 एवं 2016-17 दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

## अनुदान संख्या 21-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2217-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5371-नया रायपुर विकास प्राधिकरण-			
मूल	3,688.21		
पुनर्वि.	(-1,720.21	1,968.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,720.21 लाख की कमी नया रायपुर विकास प्राधिकरण से संबंधित प्रशिक्षण भारत सरकार के संबंधित विभागों के द्वारा किए जाने एवं बी.आर.टी.एस. बसों के रख रखाव हेतु आवश्यकता अनुसार निधि के जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2217-01-051-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 7334-जी.इ.एफ. सहायित एस.यू.टी.पी. योजना- प्राधिकरण-			
मूल	450.00		
पुनर्वि.	(-331.92	118.08	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 331.92 लाख की कमी भारत सरकार से प्रतिपूर्ति आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(5) 2217-01-053-5371-नया रापुर विकास प्राधिकरण-			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-500.00	500.00	+250.00
(6) 2217-05-053-8635-नया मंत्रालय का रखरखाव-			
मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	(-300.00	1,700.00	(-250.00
उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 500.00 लाख एवं ₹ 300.00 लाख की कमी मांग के अनुरूप निधि के जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(7) 2217-05-001-2020-नगर और ग्राम निवेश-			
मूल	1,262.20		
पूरक	477.50		
पुनर्वि.	(-332.23	1,407.47	+0.36
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 70.00 लाख की वृद्धि, कम बजट प्रावधान किए जाने एवं अवैध निर्माणों का नियमितीकरण किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 402.23 लाख की कमी, 7 <sup>वें</sup> केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन का भुगतान किए जाने, नयी भर्ती, मंहगाई भत्ते के लिए निधि की कमी एवं कर्मचारियों द्वारा चिकित्सा दावे प्रस्तुत नहीं किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 332.23 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(8) 2217-05-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2621-विकास योजना बनाना, पुनर्विलोकन एवं उपांतरण करना-			
मूल	800.00		
पुनर्वि.	(-707.76	92.24	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 637.76 लाख की कमी सी.ई.पी.टी. से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 70.00 लाख की अन्य कमी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 707.76 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

## अनुदान संख्या 21—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2217-05-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7411-विकास प्राधिकरणों को अनुदान-			
मूल	650.00		
पुनर्वि.	(-)650.00	0.00	0.00

₹ 650.00 लाख के सम्पूर्ण निधि का प्रत्याहरण निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

पूँजीगत:

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4217-01-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7552-कर्मचारियों हेतु आवासीय भवनों का निर्माण-			
मूल	1,725.00		
पुनर्वि.	(-)1,725.00	0.00	0.00

₹ 1,725.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया।

(2) 4217-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5371-नया रायपुर विकास प्राधिकरण-			
मूल	36,600.00		
पूरक सांकेतिक			
पुनर्वि.	(-)28,549.94	8,050.06	0.00

समर्पण द्वारा ₹ 3,981.46 लाख की कमी कार्य की धीमी प्रगति एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 24,568.48 लाख की अन्य कमी, कार्य की धीमी प्रगति एवं आवश्यकतानुसार निधि की विमुक्ति के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 28,549.94 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2012-13 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4217-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7669-रायपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट-			
मूल	118.00		
पुनर्वि.	(-)118.00	0.00	0.00

₹ 118.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 6217-01-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7669- रायपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट-			
मूल	7,000.00		
पुनर्वि.	(-)7,000.00	0.00	0.00

₹ 7,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित किया गया है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

## अनुदान संख्या 21—समाप्त

(v) उपरोक्त टिप्पणी (iv) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित

हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4217-01-051-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 7334-जी ई एफ सहायित एस. यू. टी. पी. योजना-			
मूल	426.62		
पुनर्वि.	1,043.01	1,469.63	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 1,094.89 लाख की वृद्धि भारत सरकार से चतुर्थ त्रैमासिक व्यय की प्रतिपूर्ति आदेश वर्ष के अंत में प्राप्त होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 51.88 लाख की कमी भारत सरकार से प्रतिपूर्ति आदेश प्राप्त नहीं होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,043.01 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

(2) 4217-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7416-13 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत प्राप्त अनुदान-			
मूल	2,604.00		
पुनर्वि.	984.57	3,588.57	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 2,886.57 लाख की वृद्धि 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत नया रायपुर के विकास कार्य पूर्ण होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,902.00 लाख की कमी कार्य की धीमी प्रगति एवं आवश्यकतानुसार निधि के विमुक्त किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 984.57 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

## अनुदान संख्या 22—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय निकाय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
<b>2217—शहरी विकास</b>			
<b>राजस्व :</b>			
दत्तमत	2,75,256	2,39,352	(-)35,904
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			35,011
<i>प्रभारित</i>	5	00	(-)5
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)</i>			5
टीका एवं टिप्पणियां			
<b>राजस्व :</b>			
दत्तमत—			

(i) ₹ 359.04 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 350.11 लाख की निधि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2217—80—001—6148—नगरीय स्थानीय निकाय संचालनालय— मूल 297.14 पुनर्वि. (-)69.28	227.86	220.92	(-)6.94

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 69.28 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, निधि की आवश्यकता नहीं होने, फर्नीचर प्रदाय एवं विद्युत व्यवस्था एन. आर. डी. ए. द्वारा किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010—11 से 2016—17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2217—80—001—7442—संभागीय कार्यालय की स्थापना— मूल 400.41 पुनर्वि. (-)117.09	283.32	282.24	(-)1.08
--	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 117.09 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015—16 एवं 2016—17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2217—80—001—7761—शिक्षकों को वेतन— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)157.00	1,843.00	1,843.00	0.00
--	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 157.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015—16 एवं 2016—17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

*प्रभारित—*

(iii) ₹ 0.05 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2018 को अभ्यर्पित किया गया। 2010—11 से 2016—17 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

## अनुदान संख्या 23—जल संसाधन विभाग

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
2700—मुख्य सिंचाई			
2701—मध्यम सिंचाई			
4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4711—बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
<b>राजस्व :</b>			
दत्तमत	50,62,021	45,59,523	(-)5,02,498
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			5,10,128
<i>प्रभारित</i>	<i>110</i>	<i>00</i>	<i>(-)110</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)</i>			<i>110</i>
<b>पूंजीगत:</b>			
दत्तमत—			
मूल	47,31,470		
पूरक	10,001	47,41,471	35,49,949
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)11,91,522
12,01,483			
<i>प्रभारित</i>			
<i>मूल</i>	<i>2,500</i>		
<i>पूरक</i>	<i>45,000</i>	<i>47,500</i>	<i>45,933</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)</i>			(-)1,567
<i>6,700</i>			
टीका एवं टिप्पणियां			
<b>राजस्व:</b>			
दत्तमत—			
(i) ₹ 5024.98 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध में, 31 मार्च 2018 को किया गया ₹ 5,101.28 लाख का अभ्यर्ण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।			
(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2700-01-101-2894-बांध एवं नहरें—			
मूल	3,145.73		
पुनर्वि.	(-)139.15	3,006.58	2,737.60
			(-)268.98
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 39.15 लाख की कमी, 7 <sup>वें</sup> केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुमान अनुसार स्वीकृत निधि का भुगतान नहीं किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 139.15 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की अन्य कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2700-03-101-2894-बांध एवं नहरें—			
मूल	199.88		
पुनर्वि.	(-)5.28	194.60	124.88
			(-)69.72

## अनुदान संख्या 23—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5.28 लाख की कमी 7<sup>वें</sup> केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुमान अनुसार स्वीकृत निधि का भुगतान नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2700-10-101-2894-बांध एवं नहरें—			
मूल	655.39		
पुनर्वि.	(-)138.43	516.96	539.16
			(-)22.20

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 50.00 लाख की कमी अनुरक्षण कार्य की धीमी प्रगति एवं समर्पण द्वारा ₹ 88.43 लाख की अन्य कमी 7<sup>वें</sup> वेतन आयोग के अनुमान अनुसार स्वीकृत निधि का भुगतान नहीं किए जाने के कारण संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 138.43 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

(4) 2700-11-101-2894-बांध एवं नहरें—			
मूल	284.34		
पुनर्वि.	(-)66.14	218.20	232.38
			+14.18

(5) 2701-80-001-275-आबियाना स्थापना—			
मूल	1,975.46		
पुनर्वि.	(-)212.15	1,763.31	1,717.67
			(-)45.64

(6) 2701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 3264-मंडल स्थापना—			
मूल	2,187.30		
पुनर्वि.	(-)370.26	1,817.04	1,804.11
			(-)12.93

उपरोक्त क्रम संख्या (4) से (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 66.14 लाख, ₹ 212.15 लाख एवं ₹ 370.26 लाख की कमी 7<sup>वें</sup> वेतन आयोग के अनुमान अनुसार स्वीकृत निधि का भुगतान नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत आधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2010-11 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(7) 2701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 3556-मुख्यालय स्थापना यूनिट-I—			
मूल	3,195.99		
पुनर्वि.	(-)291.78	2,904.21	2,871.99
			(-)32.22

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 100.00 लाख की कमी, जल उपभोक्ता एजेन्सी का निर्धारण नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 191.78 लाख की अन्य कमी 7<sup>वें</sup> वेतन आयोग के अनुमान अनुसार स्वीकृत निधि का भुगतान नहीं किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 291.78 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2010-11 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(8) 2701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 815-कार्यपालिक स्थापना—			
मूल	31,789.58		
पुनर्वि.	(-)3,491.95	28,297.63	28,483.93
			+186.30

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 100.00 लाख की वृद्धि, राज्योत्सव के खर्च का भुगतान एवं अन्य क्रिया कलापों के भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 3,591.95 लाख की अन्य कमी 7<sup>वें</sup> वेतन आयोग के अनुमान अनुसार भुगतान नहीं किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 3,491.95 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(9) 2701-80-052-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 697-औजार संयंत्र—			
मूल	515.00		
पुनर्वि.	(-)12.87	502.13	468.40
			(-)33.73

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 12.87 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।



## अनुदान संख्या 23—जारी

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित

हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 2700-02-101-2894—बांध एवं नहरें

मूल	1800.94		
पुनर्वि.	(-)81.66	1882.60	1994.47
			+111.87

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 100.00 लाख की वृद्धि, अनुरक्षण कार्य का भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 18.34 लाख की आवर्धन 7<sup>वें</sup> वेतन आयोग के अनुमान अनुसार भुगतान नहीं किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 81.66 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

(2) 2700-07-101-2894—बांध एवं नहरें

मूल	192.55		
पुनर्वि.	(-)19.96	172.59	282.13
			+109.54

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 19.96 लाख की कमी 7<sup>वें</sup> वेतन आयोग के अनुमान अनुसार भुगतान नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

(3) 2701-80-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)–

814—कार्यपालिक स्थापना (वि./यां)–

मूल	772.78		
पुनर्वि.	(-)21.64	751.14	831.70
			+80.56

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 21.64 लाख की कमी 7<sup>वें</sup> वेतन आयोग के अनुमान अनुसार भुगतान नहीं किए जाने, एवं यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा देयकों के प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उचंत लेन देन–

इस अनुदान के राजस्व (दत्तमत) के अन्तर्गत व्यय में “उचंत” शीर्ष के अधीन लेखांकित ₹ 50.35 लाख सम्मिलित है। “उचंत” के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (v) पर की गई है।

वर्ष 2017-18 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित “उचंत” लेन देन का विश्लेषण विभिन्न “उपशीर्षों” के अन्तर्गत प्रारम्भिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया जा रहा है :-

विवरण	प्रारंभिक शेष 01 अप्रैल 2017 को नामे + जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2018 को नामे + जमा (-)
<b>2701—मध्यम सिंचाई</b>	(₹ लाख में)			
(i) क्रय	(-)841.87	0.00	0.00	(-)841.87
(ii) भण्डार	+876.54	(-)50.35	29.77	+796.42
(iii) विविध लोक निर्माण अग्रिम	+2,425.83	0.00	0.00	+2,425.83
(iv) कार्यशाला उचंत	+147.09	0.00	0.00	+147.09
<b>कुल</b>	<b>+2,607.59</b>	<b>(-)50.35</b>	<b>29.77</b>	<b>+2,527.47</b>

प्रभारित–

(v) ₹ 1.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2018 को अभ्यर्पित किया गया। 2011-12 से 2016-17 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत:

दत्तमत–

(vi) ₹ 11,915.22 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध में, 31 मार्च 2018 को किया गया ₹ 12,014.83 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

## अनुदान संख्या 23-जारी

## (vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4700-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2428-कार्यकारी स्थापना (यूनिट 1 एवं 2)- मूल 3,448.95 पुनर्वि. (-)198.57	3,250.38	3,250.41	+0.03
(2) 4700-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3556-मुख्यालय स्थापना (यूनिट-1)- मूल 717.25 पुनर्वि. (-)98.24	619.01	617.27	(-)1.74
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 198.57 लाख एवं ₹ 98.24 लाख की कमी 7 <sup>वें</sup> वेतन आयोग के अनुमान अनुसार भुगतान नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(3) 4700-01-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2898-बांध एवं संलग्न कार्य- मूल 7,050.00 पुनर्वि. (-)2,317.38	4,732.62	4,747.21	+14.59
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 1,171.00 लाख की कमी, निर्माण कार्य हेतु ऐजेन्सी के निर्धारण में विलम्ब किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,146.38 लाख की अन्य कमी, निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,317.38 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 4700-02-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2428-कार्यपालन स्थापना- (यूनिट-I एवं II)- मूल 8,514.48 पुनर्वि. (-)732.96	7,781.52	7,991.60	+210.08
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 732.96 लाख की कमी 7 <sup>वें</sup> वेतन आयोग के अनुमान अनुसार भुगतान नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 4700-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2898-बांध एवं उससे सम्बंधित निर्माण कार्य- मूल 4,510.00 पुनर्वि. (-)2742.00	1,768.00	1,767.63	(-)0.37
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 550.00 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति एवं समर्पण द्वारा ₹ 2,192.00 लाख की अन्य कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति एवं भू अधिग्रहण के प्रकरणों का निपटारा नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,742.00 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(6) 4700-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5685-बांध सुरक्षा एवं सुदृढीकरण- मूल 1,488.00 पुनर्वि. (-)765.30	722.70	722.70	0.00

## अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 4700-05-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5685—बांध सुरक्षा एवं सुदृढीकरण— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)482.68	17.32	17.32	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 765.30 लाख एवं ₹ 482.68 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है।			
(8) 4700-06-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2884—नहर एवं उससे संबंधित कार्य— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)700.76	2,299.24	2,299.13	(-)0.11
(9) 4700-06-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5685—बांध सुरक्षा एवं सुदृढीकरण— मूल 700.00 पुनर्वि. (-)578.56	121.44	121.44	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 700.76 लाख एवं ₹ 578.76 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2010-11 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(10) 4700-11-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2884—नहर एवं उससे संबंधित कार्य— मूल 1000.00 पुनर्वि. (-)863.96	136.04	136.04	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 863.96 लाख की कमी ऐजेन्सियों का निर्धारण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(11) 4700-12-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2884—नहर एवं उससे संबंधित कार्य— मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)554.63	945.37	945.37	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 554.63 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति एवं वन विभाग से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(12) 4700-80-005-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4416—सर्वेक्षण— मूल 375.00 पुनर्वि. (-)276.56	98.44	99.07	+0.63
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 276.56 लाख की कमी सर्वेक्षण प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(13) 4701-01-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898—बांध एवं संलग्न कार्य— मूल 350.00 पुनर्वि. (-)289.09	60.91	27.38	(-)33.53

## अनुदान संख्या 23—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 289.09 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(14) 4701-03-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2898-बांध एवं संलग्न कार्य- मूल 750.00 पुनर्वि. (-)473.14	276.86	276.86	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 99.50 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 373.64 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 473.14 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। उभय कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है।			
(15) 4701-11-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2898-बांध एवं संलग्न कार्य- मूल 250.00 पुनर्वि. (-)14.17	235.83	0.00	(-)235.83
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 14.17 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(16) 4701-37-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2898-बांध एवं संलग्न कार्य- मूल 160.00 पुनर्वि. (-)112.88	47.12	56.57	+9.45
(17) 4701-38-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2898-बांध एवं संलग्न कार्य- मूल 215.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)104.67	110.33	113.08	+2.75
उपरोक्त क्रम संख्या (16) एवं (17) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 112.88 लाख एवं ₹ 104.67 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति एवं भू-अर्जन प्रकरणों का निपटारा नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(18) 4701-80-002-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4793-जल मौसम विज्ञान नेटवर्क एवं संचालनालय स्थापना- मूल 1,507.14 पुनर्वि. (-)115.58	1,391.56	1,388.29	(-)3.27
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 115.58 लाख की कमी 7 <sup>वें</sup> केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुमान अनुसार भुगतान नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(19) 4701-80-005-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3363-मध्यम परियोजना का सर्वे- मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	21.98	+21.98

## अनुदान संख्या 23—जारी

₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण नयी योजना की स्वीकृति का अनुमोदन नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(20) 4711-01-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6757—बाढ़ नियंत्रण योजनाएं— मूल 2,000.00 पूरक 100.00 पुनर्वि. (-)1,148.37	951.63	358.97	(-)592.66

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 100.00 लाख की कमी नयी योजना की स्वीकृति का अनुमोदन नहीं किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,048.37 लाख की अन्य कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति एवं राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,148.37 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2009-10 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4700-02-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3556— मुख्यालय स्थापना— यूनिट I— मूल 911.25 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 364.62	1,275.87	1,162.68	(-)113.19

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 450.00 लाख की वृद्धि निर्माणाधीन भवन के लिए फर्नीचर के क्रय के भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 85.38 लाख की कमी 7<sup>वें</sup> केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुमान अनुसार भुगतान नहीं किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 364.62 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

(2) 4700-08-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2884—नहर एवं उससे संबंधित कार्य— मूल 1,200.00 पुनर्वि. 99.94	1,299.94	1,301.56	+1.62
---	----------	----------	-------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 100.00 लाख की वृद्धि निर्माण कार्यों के लम्बित देयकों के भुगतान किए जाने हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 0.06 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 99.94 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया। कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

(3) 4700-09-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898—बांध एवं संलग्न कार्य— मूल 4,720.00 पुनर्वि. 459.72	5,179.72	5,182.15	+2.43
---	----------	----------	-------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 1,171.00 लाख की वृद्धि योजना के लम्बित अधिग्रहित भूमि मुआवजा एवं वृक्षारोपण मुआवजा हेतु एवं समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 711.28 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 459.72 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया।

## अनुदान संख्या 23-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 4701-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2898-बांध एवं संलग्न कार्य- मूल 325.00 पुनर्वि. 99.48	424.48	424.48	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 99.50 लाख की वृद्धि देयताओं के भुगतान किए जाने हेतु एवं समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 0.02 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 99.48 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया। कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

(5) 4701-10-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2898-बांध एवं संलग्न कार्य- मूल 20.00 पुनर्वि. (-)6.83	13.17	248.98	+235.81
---	-------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6.83 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(6) 4711-01-103-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 6757-बाढ नियंत्रण परियोजना- मूल 100.00 पुनर्वि. 49.32	149.32	741.98	+592.66
---	--------	--------	---------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 100.00 लाख की वृद्धि केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 50.68 लाख की कमी केन्द्रीय जल बोर्ड नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 49.32 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

## (ix) उचंत लेन देन-

“उचंत” के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (v) पर की गई है।

वर्ष 2017-18 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित “उचंत” लेन देन का विश्लेषण विभिन्न “उपशीर्षों” के अन्तर्गत प्रारम्भिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया जा रहा है :-

विवरण	प्रारंभिक शेष 01 अप्रैल 2017 को नामे + जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2018 को नामे + जमा (-)
4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-		(₹ लाख में)		
(i) क्रय	(-)830.51	0.00	0.00	(-)830.51
(ii) भण्डार	+346.16	0.00	0.00	+346.16
(iii) विविध लोक निर्माण अग्रिम	+1,605.18	0.00	10.65	+1,594.53
(iv) कार्यशाला उचंत	(-)76.61	0.00	0.00	(-)76.61
कुल	+1,044.22	0.00	10.65	+1,033.57

## प्रभारित-

(x) ₹ 15.67 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2018 को अभ्यर्पित किया गया ₹ 67.00 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

## अनुदान संख्या 23- समाप्त

(xi) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4701-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4948-डिक्की धन का भुगतान-			
मूल	20.00		
पूरक	450.00		
पुनर्वि.	(-)63.87	406.13	+49.47

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 63.87 लाख की कमी डिक्कीटल निधि के भुगतान हेतु प्रकरण प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2011-12 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

## अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सड़कों और पुल

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
	(₹ हजार में)		
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
3053—नागर विमानन्			
3054—सड़क तथा सेतु			
5053—नागर विमानन् पर पूंजीगत परिव्यय			
5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
<b>राजस्व:</b>			
दत्तमत	1,13,53,661	81,32,187	(-)32,21,474
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि			00
<b>पूंजीगत :</b>			
दत्तमत—			
मूल	2,29,98,000		
पूरक	43,001	2,30,41,001	1,49,54,930
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि			(-)80,86,071
			00
प्रभारित	1,83,130	1,72,133	(-)10,997
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि			00
टीका एवं टिप्पणियां			
<b>राजस्व :</b>			
दत्तमत—			

(i) ₹ 32,214.74 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी निधि अभ्यर्पित नहीं की गई है। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 3054-01-337-134-अनुरक्षण और मरम्मत-साधारण मरम्मत-			
मूल	3,190.00		
पुनर्वि.	(-)1,000.00	2,190.00	992.62
			(-)1,197.38
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,000.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2012-13 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 3054-01-337-4090-विशेष मरम्मत-	60.00	0.00	(-)60.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(3) 3054-03-337-134-अनुरक्षण और मरम्मत-साधारण मरम्मत	5,000.00	4,198.44	(-)801.56
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2012-13 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 3054-03-337-4090-विशेष मरम्मत-			
मूल	2,200.00		
पुनर्वि.	(-)600.00	1,600.00	1,070.96
			(-)529.04
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 600.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			



## अनुदान संख्या 24—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 3054-03-797-8716—केन्द्रीय सड़क निधि	35,000.00	10,255.00	(-)24,745.00
(6) 3054-04-337-134—अनुरक्षण और मरम्मत—साधारण मरम्मत	9,200.00	8,677.90	(-)522.10
(7) 3054-04-337-2227—नवीनीकरण	23,100.00	21,724.35	(-)1,375.65
उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (7) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 3054-04-337-4090—विशेष मरम्मत—			
मूल	1,200.00		
पुनर्वि	(-)400.00	800.00	(-)226.05
प्रावधान से ₹ 400.00 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 3054-04-337-4557—सुदृढीकरण	1,700.00	995.44	(-)704.56
(10) 3054-04-337-7510—ग्रामीण मार्गों का संधारण	11,200.00	10,395.74	(-)804.26
(11) 3054-80-001-2301—निर्देशन एवं प्रशासन— (मांग सं. 67-2059—लोक निर्माण कार्य से अंतरित स्थापना का समानुपातिक भाग)	14,635.83	4,935.35	(-)9,700.48
(12) 3054-80-001-0101— राज्य आयोजना (सामान्य)— 7609—ए.डी.बी.सहायित छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना का स्थापना व्यय	1,221.00	381.56	(-)839.44
(13) 3054-80-052-692—औजार एवं संयंत्र प्रभार— (मांग सं. 67-2059—लोक निर्माण कार्य से अंतरित स्थापना का समानुपातिक भाग)	2,791.28	90.11	(-)2,701.17

उपरोक्त क्रम संख्या (9) से (13) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (10), (11) एवं (13) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी। 2010-11 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
3054-03-337-2227—नवीनीकरण—			
मूल	3,000.00		
पुनर्वि.	2,000.00	5,000.00	+1,042.85

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 2,000.00 लाख का आवर्धन दायित्वों के भुगतान किए जाने के कारण सूचित किया गया है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

(iv) केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता—

केन्द्र सरकार द्वारा इस निधि का गठन सड़क विकास के लिए उद्दिष्ट मोटर स्प्रीट पर उत्पादन शुल्क एवं आयात कर की प्राप्तियों में से किया जाता है। इस निधि से केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित सड़क विकास की योजनाओं

## अनुदान संख्या 24—जारी

पर व्यय हेतु राज्यों को आर्थिक सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता के रूप में यह निधि केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान के रूप में जमा की जाती है और उसके समतुल्य निधि "3054—सड़कें एवं पुल—800—अन्य व्यय" जिसके लिए अनुदान संख्या 24—"लोक निर्माण कार्य सड़कें एवं पुल" में प्रावधान किया गया है, के नामें डालकर जमा लेखा "8449—अन्य जमा—केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता" को अन्तरित कर दी जाती है।

योजनाओं पर वास्तविक व्यय भी इस अनुदान के अन्तर्गत प्रारम्भिक तौर पर लेखांकित किया जाता है और बाद में जमा लेखा "8449—अन्य जमा—केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता" को अन्तरित कर दिया जाता है। इस वर्ष के दौरान कोई भी आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई एवं कोई व्यय नहीं किया गया।

31 मार्च 2018 को जमा लेखे में ₹ 5,162.14 लाख शेष था। निधि का लेखा वर्ष 2017—18 के वित्त लेखे के क्रम संख्या 21—आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संव्यवहारों का विस्तृत विवरण में दिया गया है।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 430.01 लाख का अनुपूरक प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक निधि से सीमित किया जा सकता था।

(vi) ₹ 80,860.71 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी निधि अभ्यर्पित नहीं की गई है। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5053—02—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4727—हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार— मूल 5.00 पूरक 150.00	155.00	83.10	(-) 71.90
<b>बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।</b>			
(2) 5054—03—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3775—रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण— मूल 20,000.00 पूरक 100.00 पुनर्वि. (-)1,000.00	19,100.00	8,363.89	(-) 10,736.11
<b>समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,000.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016—17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।</b>			
(3) 5054—03—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4151—वृहद पुलों का निर्माण— मूल 17,000.00 पूरक 180.00	17,180.00	16,588.24	(-) 591.76
(4) 5054—03—337—0520—केन्द्रीय सड़क निधि— 8716—केन्द्रीय सड़क निधि	35,000.00	19,858.99	(-) 15,141.01
(5) 5054—03—337—0101 राज्य आयोजना (सामान्य)— 1826—डामरीकरण	1,400.00	150.78	(-) 1,249.22
(6) 5054—03—337—0101 राज्य आयोजना (सामान्य)— 4336—राज्यों में सड़कों का निर्माण राज्य मार्ग	9,655.00	6,572.43	(-) 3,082.57
(7) 5054—03—337—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8716—केन्द्रीय सड़क निधि	2,505.00	457.76	(-) 2,047.24

## अनुदान संख्या 24—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 5054-04-337-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 6590—नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण— मूल 9,000.00 पूरक सांकेतिक 9,000.00	9,000.00	7,058.94	(-)1,941.06
उपरोक्त क्रम संख्या (3) से (8) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत एवं 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2010-11 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (3) एवं 2007-08 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(9) 5054-04-337-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 7813—ई. पी. सी. (नाबार्ड) के माध्यम से सड़क निर्माण	2,500.00	0.00	(-)2,500.00
₹ 2,500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			

(10) 5054-04-337-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1513—जिलों में मुख्य सड़कों का निर्माण— मूल 42,500.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)1,700.00	40,800.00	31,031.44	(-)9,768.56
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,700.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अत्यधिक अंतिम बचत कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 5054-04-337-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1826—डामरीकरण	1,400.00	339.37	(-)1,060.63
(12) 5054-05-337-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7818—ई. पी. सी. (इंजीनियरिंग प्रोक्चूरमेंट एण्ड कंस्ट्रक्सन)	65,000.00	32,500.00	(-)32,500.00
उपरोक्त क्रम संख्या (11) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vi) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत मुख्यतः आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5054-04-337-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1222—मूलभूत न्यूनतम सेवा के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण— मूल 16,000.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 1,000.00	17,000.00	16,901.65	(-)98.35

## अनुदान संख्या 24—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 5054-04-337-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2457-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम-			
मूल	8,000.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	1,700.00	9,700.00	9,638.20
			(-)61.80

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में क्रमशः ₹ 1,000.00 लाख एवं ₹ 1,700.00 लाख का आवर्धन दायित्वों के भुगतान किए जाने के कारण सूचित किया गया है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

प्रभारित-

(ix) ₹ 109.97 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी निधि अभ्यर्पित नहीं की गई। यह प्रचलन बजट पर कमजोर प्रबंधन को दर्शाता है।

(x) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
5054-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3115-भू-अर्जन हेतु मुआवजा	1,830.00	1,721.33	(-)108.67

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

## अनुदान संख्या 25—खनिज संसाधन विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
2853—लौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग			
4853—लौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
6853— लौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों के लिए कर्ज			
<b>राजस्व :</b>			
दत्तमत	19,87,154	19,51,471	(-)35,683
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			37,551
<i>प्रभारित</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>00</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि</i>			<i>00</i>
<b>पूंजीगत :</b>			
दत्तमत	86,65,648	41,08,795	(-)45,56,853
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			45,53,330

टीका एवं टिप्पणियां:

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 356.83 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को ₹ 375.51 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2853-02-001-4639—मुख्यालय स्थापना—			
मूल	980.72		
पुनर्वि.	(-)107.67	873.05	870.87
			(-)2.18
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 15.00 लाख की कमी मितव्ययी उपायों के अपनाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 92.67 लाख की अन्य कमी देयक प्राप्त नहीं होने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में से ₹ 107.67 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2008-09 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(2) 2853-02-001-4640—जिला स्थापना—			
मूल	1,859.40		
पुनर्वि.	(-)150.56	1,708.84	1,731.83
			+22.99
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 150.56 लाख की कमी दावें प्राप्त नहीं होने एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2012-13 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2853-02-001-4643—क्षेत्रीय स्थापना—			
मूल	1,136.42		
पुनर्वि.	(-)117.28	1,019.14	1,017.01
			(-)2.13

## अनुदान संख्या 25—समाप्त

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15.00 लाख की वृद्धि लम्बित देयकों के भुगतान किए जाने एवं ₹ 132.28 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों के अपनाने एवं वित्त विभाग द्वारा आहरण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 117.28 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(iii) ₹ 45,568.53 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2018 को ₹ 45,533.30 लाख की निधि अभ्यर्पित की गई।

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4853-01-004-0420-खनिज क्षेत्र विकास निधि— 7792-संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म सम्बन्धी क्रियाकलाप— मूल 1,421.25 पुनर्वि. (-)1,090.29	330.96	296.04	(-)34.92
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,090.29 लाख की कमी दावों के अप्राप्त होने के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 4853-01-004-0420-खनिज क्षेत्र विकास निधि— 7794- परिवहन नेटवर्क (रेल मार्ग)— मूल 22,035.85 पुनर्वि. (-)13,315.40	8,720.45	8,720.45	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 13,315.40 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(3) 4853-01-004-0420-खनिज क्षेत्र विकास निधि— 7795- परिवहन नेटवर्क (नागर विमानन)— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)3,000.00	0.00	0.00	0.00
₹ 3,000.00 लाख के सम्पूर्णप्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(4) 4853-01-004-0420-खनिज क्षेत्र विकास निधि— 7796-छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम सम्बन्धी क्रियाकलाप— मूल 20,000.00 पुनर्वि. (-)17,983.85	2,016.15	2,016.15	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 17,983.85 लाख की कमी देयकों की प्राप्ति नहीं होने एवं निर्धारित अवधि में जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(5) 6853-01-190-0420-खनिज क्षेत्र विकास निधि— 7796-छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम सम्बन्धी क्रियाकलाप— मूल 10,123.38 पुनर्वि. (-)10,123.38	0.00	0.00	0.00
देयकों की प्राप्ति नहीं होने एवं निर्धारित अवधि में जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 10,123.38 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।			

अनुदान संख्या 26—संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय  
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
2202—सामान्य शिक्षा			
2205—कला एवं संस्कृति			
3454—जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी			
4202—शिक्षा, खेलकूद एवं कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
<b>राजस्व :</b>			
मूल	4,09,597		
पूरक	55,655	4,65,252	3,43,550
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)1,21,702 1,23,413
<b>पूंजीगत</b>	15,000	00	(-)15,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			15,000
टीका एवं टिप्पणियां			

**राजस्व :**

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 556.55 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक निधि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 1,217.02 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को किया गया ₹ 1,233.13 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-05-102-444-आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य का संवर्धन—			
मूल	130.03		
पुनर्वि.	(-)64.54	65.49	65.28
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 64.54 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।			(-)0.21
(2) 2205-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 5753-समारोह हेतु अनुदान—			
मूल	1,500.00		
पूरक	506.55		
पुनर्वि.	(-)540.67	1,465.88	1,488.86
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 540.67 लाख की कमी वित्त विभाग से पुनर्विनियोग हेतु निधि का अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है जो अवास्तविक है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			+22.98
(3) 2205-103-2318-निर्देशन एवं प्रशासन—			
मूल	393.07		
पुनर्वि.	(-)51.02	342.05	340.64
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 51.02 लाख की कमी महंगाई भत्ते की दरों में कमी, मितव्ययी उपायों को अपनाने, कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा रियायत का लाभ नहीं लेने एवं कर्मचारियों द्वारा अकादमिक प्रशिक्षण नहीं लिए जाने कारण उल्लिखित की गई है।			(-)1.41

## अनुदान संख्या 26—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2205-103-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) - 2685-प्रकाशन खण्ड-			
मूल	139.76		
पुनर्वि	(-)109.34	30.42	(-)0.19

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 109.34 लाख की कमी कार्य के निष्पादन में विलंब होने, मंहगाई भत्ते की दर में कमी होने एवं कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा रियायत का लाभ नहीं लिए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2205-103-598-उत्खनन एवं सर्वेक्षण-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)143.35	56.65	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 143.35 लाख की कमी गत वर्षों के उत्खनन कार्य के पुरातत्व शेषों का हस्तान्तरण एवं प्रतिवेदन का कार्य लम्बित होने के कारण क्षेत्रीय उत्खनन के बजाय उक्त कार्य इस वर्ष प्राथमिकता के आधार पर किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2205-104-3675-राज्य पुरालेख संचालनालय-			
मूल	150.63		
पुनर्वि.	(-)91.09	59.54	(-)0.01

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 91.09 लाख की कमी मंहगाई भत्ते की दर में कमी, मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं वित्तीय वर्ष में लघु निर्माण कार्य का निष्पादन नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2205-107-4283-संग्रहालय-			
मूल	433.12		
पुनर्वि.	(-)68.20	364.92	(-)2.37

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 68.20 लाख की कमी मंहगाई भत्ते की दर में कमी, मितव्ययी उपायों को अपनाने, अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा यात्रा देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत:

(iv) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4202-04-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7760-सिरपुर का सांस्कृतिक विकास -			
मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-)150.00	0.00	0.00

₹ 150.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण उल्लिखित नहीं किए गये हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।



## अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
2202—सामान्य शिक्षा			
2204—खेलकूद एवं युवा सेवाएं			
2205—कला एवं संस्कृति			
4202—शिक्षा, खेलकूद एवं कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
<b>राजस्व :</b>			
दत्तमत—			
मूल	2,87,88,515		
पूरक	1,55,600	2,89,44,115	2,63,65,350
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)25,78,765 26,37,925
<b>प्रभारित—</b>			
मूल	300		
पूरक	1,150	1,450	1,350
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)100 100
<b>पूंजीगत :</b>			
दत्तमत—			
मूल	20,45,480		
पूरक	सांकेतिक	20,45,480	19,21,436
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)1,24,044 1,24,044
टीका एवं टिप्पणियां			

**राजस्व :**

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2017 में (₹ 1,548.00 लाख) एवं दिसम्बर 2017 (₹ 8.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 1,556.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक निधि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 25,787.65 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को किया गया ₹ 26,379.25 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-001-1500-जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय— (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)—			
मूल	14,194.73		
पुनर्वि.	(-)2,520.66	11,674.07	11,467.60
			(-)206.47

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,520.66 लाख की कमी एरियर का भुगतान नहीं किए जाने एवं रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

## अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2202-01-001-3930—खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय की स्थापना (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 4,114.80 पुनर्वि. (-)1,102.62	3,012.18	3,387.86	+375.68
(3) 2202-01-101-4396—सरकारी प्राथमिक शालाएं— (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 33,112.30 पुनर्वि. (-)4,587.75	28,524.55	28,581.10	+56.55
उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,102.62 लाख एवं ₹ 4,587.75 लाख की कमी 7वें वेतन आयोग के अनुसार एरियर निधि का भुगतान नहीं किए जाने एवं जिलों द्वारा निधि की मांग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2007-08 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(4) 2202-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 110—अशासकीय विद्यालयों हेतु अनुदान (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 2,400.00 पुनर्वि. (-)136.01	2,263.99	2,333.96	+69.97
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 136.01 लाख की कमी जिला कोषालय द्वारा देयकों के आहरण पर आपत्ति लगाये जाने के कारण निधि का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2008-09 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(5) 2202-01-107-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 1502—जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 4,010.06 पुनर्वि. (-)1,112.98	2,897.08	2,900.13	+3.05
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,112.98 लाख की कमी कम निधि के देयक प्राप्त होने एवं रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जानेआदि के कारण उल्लिखित की गई है। 2012-13 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2202-01-107-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7673—विकास खण्ड शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान— मूल 350.29 पुनर्वि. (-)337.26	13.03	13.59	+0.56
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 337.26 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2202-01-107-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8647—विज्ञान एवं गणित शिक्षा का विस्तार— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)72.16	227.84	227.84	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 72.16 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			

## अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2202-01-108-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5904—पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क प्रदाय— मूल 1,121.00 पुनर्वि. (-)655.23	465.77	465.77	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 655.23 लाख की कमी देयकों का भुगतान नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2202-01-111-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 5396—सर्व शिक्षा अभियान— मूल 75,000.00 पुनर्वि. (-)4,678.86	70,321.14	70,321.14	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,678.86 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009-10 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(10) 2202-01-112-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 5169—विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम— मूल 3,500.00 पुनर्वि. (-)1,790.00	1,710.00	1,707.84	(-)2.16
(11) 2202-01-112-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 6933—पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)1,455.83	1,544.17	1,543.45	(-)0.72
उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं (11) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,790.00 लाख एवं ₹ 1,455.83 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं लाभार्थी छात्रों की संख्या में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2008-09 से 2016-17 के दौरान इन शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(12) 2202-01-112-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 5169—विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम— मूल 8,266.00 पुनर्वि. (-)1,730.37	6,535.63	6,536.71	+1.08
(13) 2202-01-112-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6933—पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम— मूल 5,785.00 पुनर्वि. (-)523.97	5,261.03	5,258.78	(-)2.25
उपरोक्त क्रम संख्या (12) एवं (13) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,730.37 लाख एवं ₹ 523.97 लाख की कमी रसोईयों का मानदेय कम होने के कारण कुछ रसोईयों द्वारा कार्य छोड़ देने एवं दर्ज संख्या के मान से विद्यार्थियों की उपस्थिति कम होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2202-01-112-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7765—मुख्यमंत्री अमृत योजना— मूल 390.00 पुनर्वि. (-)177.42	212.58	212.58	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 177.42 लाख की कमी लाभार्थी छात्रों की संख्या में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

## अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(15) 2202-02-105-4402—शासकीय शैक्षणिक महाविद्यालय—			
मूल	805.73		
पुनर्वि.	(-)236.20	569.53	(-)0.18
(16) 2202-02-105-0101—राज्य योजना (सामान्य)— 3694—राज्य शिक्षा संस्थान एवं (एस सी ई आर टी) का पुनर्गठन—			
मूल	639.61		
पुनर्वि.	(-)189.86	449.75	+0.29
उपरोक्त क्रम संख्या (15) एवं (16) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 236.20 लाख एवं ₹ 189.86 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं दावे प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 एवं 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (15) शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(17) 2202-02-109-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7247—राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान—			
मूल	25,000.00		
पुनर्वि.	(-)7,727.32	17,272.68	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान से ₹ 7,727.32 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009-10 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(18) 2202-02-109-0101— राज्य योजना (सामान्य)— 5551—हाईस्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय—			
मूल	1,800.00		
पुनर्वि.	(-)81.07	1,718.93	+21.84
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 81.07 लाख की कमी वास्तविक नामांकन के अनुसार वितरण होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(19) 2202-02-109-0101— राज्य योजना (सामान्य)— 7367—मॉडल स्कूल योजना—			
मूल	2,076.00		
पुनर्वि.	(-)767.18	1,308.82	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 767.18 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 2202-02-800-0101— राज्य योजना (सामान्य)— 5646—सैनिक स्कूलों की स्थापना —			
मूल	345.00		
पुनर्वि.	(-)61.07	283.93	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 61.07 लाख की कमी आवश्यकतानुसार निधि विमुक्त किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			

## अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(21) 2202-04-200-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7362-साक्षर भारत योजना- मूल 2,500.00 पुनर्वि. (-)1,779.28	720.72	720.72	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,779.28 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(22) 2202-80-001-0101- राज्य योजना (सामान्य)- 7840-विभागीय कार्यालय- मूल 152.80 पुनर्वि. (-)152.80	0.00	0.00	0.00
₹ 152.80 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण विभागीय कार्यालयों की स्थापना नहीं होने के कारण सूचित किया गया।			
(23) 2204-101-3464-महिलाओं के लिए शारीरिक शिक्षा- मूल 127.45 पुनर्वि. (-)66.00	61.45	61.26	(-)0.19
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 66.00 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं लम्बित प्रकरणों का भुगतान नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(24) 2204-102-3755-राष्ट्रीय सैन्य दल- मूल 2,191.50 पुनर्वि. (-)851.03	1340.47	1339.16	(-)1.31
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 851.03 लाख की कमी 7वें वेतनमान के अनुसार मंहगाई भत्ता स्वीकृत नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(25) 2205-105-0101- राज्य योजना (सामान्य)- 4395-सरकारी पुस्तकालय- मूल 322.30 पुनर्वि. (-)91.50	230.80	229.60	(-)1.20
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 91.50 लाख की कमी 7वें वेतनमान के अनुसार मंहगाई भत्ता स्वीकृत नहीं किए जाने, रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं लम्बित प्रकरणों का भुगतान नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(26) 2205-105-0101-राज्य योजना (सामान्य)- 7841-सेन्ट्रल लायब्रेरी- मूल 434.30 पुनर्वि. (-)251.30	183.00	183.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 251.30 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-101-0101-राज्य योजना (सामान्य)- 3491-माध्यमिक शालाये (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)- मूल 44,262.60 पुनर्वि. 2,647.98	46,910.58	46,702.48	(-)208.10

## अनुदान संख्या 27—जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,763.50 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 115.52 लाख की कमी जिलों से निधि हेतु मांग प्राप्त नहीं होने एवं अतिरिक्त निधि का उपयोग नहीं किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,647.98 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया। पुनर्विनियोजन के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 578-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय-			
मूल	39,415.53		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(- )3,665.31	43,080.84	43,557.86
			+477.02

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,139.01 लाख की वृद्धि 7वें वेतनमान लागू होने एवं चिकित्सा देयक लम्बित होने के एवं लम्बित देयकों के भुगतान एवं समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 473.70 लाख की कमी 7वें वेतन मान के अनुसार महंगाई भत्ता नहीं दिए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 3,665.31 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

(3) 2202-80-001-0801-केन्द्र प्रायोजित योजना (सामान्य)- 5526- मदरसा बोर्ड का गठन-				
मूल	512.40			
पुनर्वि.	417.87	930.27	930.27	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 444.42 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 26.55 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 417.87 लाख की वृद्धि उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

(4) 2202-80-102-4598-स्काउट एसोसियेशन को अनुदान-				
मूल	350.00			
पुनर्वि.	174.35	524.35	524.35	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 174.35 लाख के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

(5) 2202-80-104-1084-खेलकूद एवं गतिविधियों पर व्यय-				
मूल	986.00			
पुनर्वि.	195.21	1,181.21	1,192.18	+10.96

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 214.44 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 19.23 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 195.21 लाख की वृद्धि उल्लिखित की गई है। वृद्धि एवं कमी के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

पूजीगत:  
दत्तमत-

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-01-201-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7657-विज्ञान केन्द्र का निर्माण-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(- )100.00	100.00	100.00
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 100.00 लाख की कमी प्रशासन द्वारा निधि का अनुमोदन नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

## अनुदान संख्या 27—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4202-01-201-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9005-इमारतों का अनुरक्षण, लघु निर्माण कार्य एवं मरम्मत-			
मूल	7,000.00		
पुनर्वि.	(-)202.61	6,797.39	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 2.61 लाख की अन्य कमी प्रशासनिक स्वीकृति नहीं प्राप्त होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 202.61 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

(3) 4202-01-202-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 578-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय-			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)300.00	0.00	0.00

₹ 300.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित किया गया। 2011-12 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(4) 4202-01-201-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7367-मॉडल स्कूल योजना-			
मूल	700.00		
पुनर्वि.	(-)700.00	0.00	0.00

₹ 700.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

(vi) उपरोक्त टिप्पणी (v) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4202-01-201-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9005-इमारतों का अनुरक्षण लघु निर्माण कार्य एवं मरम्मत-			
पूरक सांकेतिक			
पुनर्वि.	200.00	200.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख के आवर्धन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए हैं (जुलाई 2018)।

अनुदान संख्या 28—राज्य विधान मंडल

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
<b>2011—संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल</b>			
<b>राजस्व :</b>			
दत्तमत—			
मूल	6,21,340		
पूरक	32,500	6,53,840	3,86,742
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)2,67,098 7,612
प्रभारित	8,157	864	(-)7,293
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि			00
टीका एवं टिप्पणियां			

**राजस्व :**  
दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से अत्यंत कम रहा, अगस्त 2017 (₹ 305.00 लाख) एवं दिसम्बर 2017 (₹ 20.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 325.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक निधि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 2,670.98 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 76.12 लाख की निधि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2011-02-101-4007-विधान सभा—			
मूल	3,487.00		
पूरक	290.00	3,777.00	2,528.05
(2) 2011-02-103-4009-विधान सभा सचिवालय	2,486.58	1,223.81	(-)1,262.77

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2004-05 से 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत एवं 2006-07 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 2011-02-103-4312-संसदीय कार्य विभाग—

मूल	154.82		
पुनर्वि.	(-)76.12	78.70	74.50
			(-)4.20

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 76.12 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, जिलों द्वारा मांग प्राप्त नहीं होने, सम्मेलन का आयोजन नहीं किए जाने एवं किताबों की खरीदी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(4) 2011-02-103-6582-भारतीय संसदीय

संघ को सहायक अनुदान—

मूल	85.00		
पूरक	35.00	120.00	41.06
			(-)78.94

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2011-12 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।



## अनुदान संख्या 28—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
<i>प्रभारित—</i>			
(iv) ₹ 72.93 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी निधि अभ्यर्पित नहीं की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।			
(v) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2011-02-101-125-अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का भत्ता	81.57	8.64	(-)72.93

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2004-05 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

## अनुदान संख्या 29—न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
<b>2014—न्याय प्रशासन</b>			
<b>2015—निर्वाचन</b>			
<b>2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं</b>			
<b>2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण</b>			
<b>4059—लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
<b>राजस्व :</b>			
<b>दत्तमत—</b>			
मूल	32,43,848		
पूरक	6,100	32,49,948	24,37,973
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)8,11,975 8,08,860
<b>प्रभारित—</b>			
मूल	6,11,475		
पूरक	5,000	6,16,475	4,63,290
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)1,53,185 1,53,040
<b>पूंजीगत:</b>			
<b>दत्तमत—</b>			
मूल	3,59,800		
पूरक	16,077	3,75,877	1,20,518
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)2,55,359 2,40,182
<b>प्रभारित—</b>			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)	8,400	6,889	(-)1,511 1,993
टीका एवं टिप्पणियां			

**राजस्व:**

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 61.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक निधि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 8,119.75 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 8,088.60 लाख की निधि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2014-102-5421-छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी—			
मूल	537.60		
पुनर्वि.	(-)192.12	345.48	341.81
			(-)3.67

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 192.12 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, यात्रा देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने, अधिकारियों के स्थानांतरण नहीं होने, अवकाश यात्रा रियायत का उपयोग नहीं किए जाने एवं सम्मेलन आयोजित नहीं किए जाने एवं वास्तविकता के आधार पर व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

## अनुदान संख्या 29—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2014-105-2410—निर्वाह पत्र तामिल स्थापना—			
मूल	1,697.90		
पुनर्वि.	(-)444.29	1,253.61	1,244.90
			(-)8.71
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 444.29 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, यात्रा देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने, अधिकारियों का स्थानान्तरण नहीं होने, अवकाश यात्रा रियायत का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2006-07 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(3) 2014-105-4497—सामान्य स्थापना—			
मूल	16,905.04		
पूरक	30.00		
पुनर्वि.	(-)3,433.45	13,501.59	13,498.31
			(-)3.27
समर्पण द्वारा प्रावधान से कुल ₹ 3,433.45 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, यात्रा देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने, अधिकारियों का स्थानान्तरण नहीं होने, अवकाश यात्रा रियायत का उपयोग नहीं किए जाने एवं जिला न्यायालयों की स्थापना नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2005-06 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(4) 2014-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7798—कॉमर्शियल कोर्ट—			
मूल	165.02		
पुनर्वि.	(-)91.98	73.04	73.00
			(-)0.04
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 91.98 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, आकस्मिक पदों का नियमतीकरण नहीं होने एवं इस वित्तीय वर्ष में पीठासीन अधिकारी के पात्र नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(5) 2014-114-3428—महाधिवक्ता—			
मूल	1,217.40		
पुनर्वि.	(-)346.47	870.93	870.85
			(-)0.07
समर्पण द्वारा प्रावधान से कुल ₹ 346.47 लाख की कमी भुगतान हेतु देयक प्राप्त नहीं होने एवं रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2014-114-3572—मुफरिसल स्थापना—			
मूल	935.70		
पुनर्वि.	(-)210.24	725.46	723.96
			(-)1.50
समर्पण द्वारा प्रावधान से कुल ₹ 210.24 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2005-06 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(7) 2014-117-5416—परिवार न्यायालय की स्थापना—			
मूल	1,770.42		
पुनर्वि.	(-)579.07	1,191.35	1,189.90
			(-)1.45
समर्पण द्वारा प्रावधान से कुल ₹ 579.07 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, अवकाश यात्रा रियायत का उपयोग नहीं किए जाने, एवं सूचना प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत आवश्यकता अनुसार खरीदी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

## अनुदान संख्या 29—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2014-118-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7256—न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण— मूल 940.00 पुनर्वि. (-)512.48	427.52	427.02	(-)0.50
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 512.48 लाख की कमी प्राधिकृत समिति से स्वीकृति निधि का अनुमोदन विलम्ब से प्राप्त होने, निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिए जाने एवं रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2014-800-2918—बार एसोसिएशन के पुस्तकालयों के लिए आर्थिक सहायता— मूल 150.00 पुनर्वि. (-)101.03	48.97	39.30	(-)9.67
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 101.03 लाख की कमी निर्माण कार्यों के लिए निविदाएं प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2014-800-5464—राज्यों में राष्ट्रीय विधि विद्यालयों की स्थापना— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)200.00	300.00	300.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 200.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(11) 2015-102-2409—निर्वाचन अधिकारी— मूल 1,838.00 पुनर्वि. (-)498.50	1,339.50	1,321.54	(-)17.96
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 498.50 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2009-10 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(12) 2015-103-3307—मतदाता सूचियों की तैयारी एवं छपाई— मूल 2,400.00 पुनर्वि. (-)150.51	2,249.49	2,252.89	+3.40
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.51 लाख की कमी निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2015-108-9503—मतदाताओं को फोटो परिचय पत्र जारी करना— मूल 250.00 पुनर्वि. (-)148.35	101.65	100.03	(-)1.62
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 53.35 लाख की कमी निर्धारित समय में मतदाता पहचान पत्र प्राप्त नहीं होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 95.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 148.35 लाख की कमी उल्लिखित की गई पुनर्विनियोजन द्वारा अन्य कमी के कारण उल्लिखित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2052-090-9057—विधि एवं विधायी कार्य— मूल 860.70 पुनर्वि. (-)240.53	620.17	615.65	(-)4.52

## अनुदान संख्या 29—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 240.53 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, सेमिनार का आयोजन नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009—10 से 2016—17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(15) 2235—60—200—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3255—विधिक सहायता एवं विधिक सलाह बोर्ड को सहायक अनुदान—			
मूल	1,959.20		
पूरक	31.00		
पुनर्वि.	(-879.41)	1,110.79	1,132.27
			+21.48

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 879.41 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2009—10 से 2016—17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2015—106—4006—राज्य विधान मण्डल के चुनाव पर प्रभार—			
मूल	76.05		
पुनर्वि.	72.60	148.65	145.65
			+3.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 95.00 लाख की वृद्धि निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 22.40 लाख की कमी जिलों से जानकारी नहीं प्राप्त होने एवं लम्बित न्यायिक बिलों के प्रकरण निपटारे हेतु प्रक्रियाधीन होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 72.60 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

प्रभारित—

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 500.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक निधि से सीमित किया जा सकता था।

(vi) ₹ 1,531.86 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 1,530.40 लाख की निधि अभ्यर्पित की गई।

(vii) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2014—102—573—उच्च न्यायालय—			
मूल	5,912.00		
पूरक	50.00		
पुनर्वि.	(-1,473.80)	4,488.20	4,489.84
			+1.64

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,473.80 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन नहीं किए जाने एवं न्यायधीशों से दावे प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2005—06 से 2016—17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

## अनुदान संख्या 29—समाप्त

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2052-091-9056—माध्यस्थम अधिकरण—			
मूल	202.75		
पुनर्वि.	(-)56.60	146.15	(-)3.09
		143.06	

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 56.60 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, यात्रा दावे प्रस्तुत नहीं किए जाने, अवकाश यात्रा रियायत का उपयोग नहीं किए जाने एवं सामग्री क्रय नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012-13 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(viii) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से अत्यंत कम रहा, अगस्त 2017 (₹ 6.00 लाख) एवं सितम्बर 2017 (₹ 154.77 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 160.77 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक निधि से सीमित किया जा सकता था।

(ix) ₹ 2,553.59 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 2,401.82 लाख की निधि अभ्यर्पित की गई।

(x) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2450—न्याय प्रशासन—			
मूल	2,200.00		
पूरक	(-)2,200.00	0.00	0.00
		0.00	

₹ 2,200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण निधि के कम प्राप्त होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5421—छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी			
मूल	500.00		
पूरक	154.77	654.77	(-)154.77
		500.00	

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5464—हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय—			
मूल	800.00		
पुनर्वि.	(-)168.00	632.00	0.00
		632.00	

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 100.00 लाख की कमी कम निधि के आबंटन एवं समर्पण द्वारा ₹ 68.00 लाख की अन्य कमी हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के संसाधनों के लिए कम खर्च किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 168.00 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

## अनुदान संख्या 30—पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
2215—जल पूर्ति एवं सफाई			
2216—आवास			
2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण			
2501—ग्राम विकास के विशेष कार्यक्रम			
2505—ग्राम रोजगार			
2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
3054—सड़कें एवं सेतु			
4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
5054—सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय			

## राजस्व :

## दत्तमत—

मूल	3,29,09,083			
पूरक	57,01,291	3,86,10,374	3,32,81,322	(-)53,29,052
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)				47,51,812
<i>प्रभारित</i>		<i>200</i>	<i>00</i>	<i>(-)200</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)</i>				<i>200</i>

## पूंजीगत :

## दत्तमत—

मूल	73,91,700			
पूरक	5,00,000	78,91,700	53,06,358	(-)25,85,342
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)				19,88,448

## टीका एवं टिप्पणियां

## राजस्व :

## दत्तमत—

(i) ₹ 3,32,813.22 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में अगस्त 2017 (₹ 1,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था वहीं दिसम्बर 2017 (₹ 13,512.91 लाख) एवं फरवरी 2018 (₹ 42,500.00 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक निधि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 53,290.52 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 47,518.12 लाख की निधि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

## (iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2216-03-105-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7807-प्रधानमंत्री आवास योजना-			
मूल	1,42,050.00		
पूरक	40,000.00		
पुनर्वि.	(-)51,479.93	1,30,570.07	1,30,570.07
			0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 18,633.93 लाख की कमी जिलों द्वारा कम मांग किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 32846.00 लाख की अन्य कमी कोषालय द्वारा निधि आहरित न किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 51,479.93 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	अनुदान संख्या 30-जारी		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
	कुल अनुदान			
(2) 2235-60-196-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7291-आम आदमी बीमा योजना-				
मूल	300.00			
पुनर्वि.	(-)300.00	0.00	0.00	0.00
(3) 2235-60-196-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8968-अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना-				
मूल	1,270.00			
पुनर्वि.	(-)1,270.00	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 300.00 लाख एवं ₹ 1,270.00 लाख का प्रत्याहरण एल.आई.सी. बीमा नवीनीकरण के लिए प्रीमियम जमा किए जाने हेतु मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(4) 2501-06-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7490-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-				
मूल	10,750.00			
पूरक	1,127.04			
पुनर्वि.	(-)215.00	11,662.04	11,662.04	0.00
(5) 2501-06-196-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 8775-जिला स्तर की प्रशासनिक योजनाएं-				
मूल	668.80			
पुनर्वि.	(-)66.71	602.09	585.92	(-)16.17
उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 215.00 लाख एवं ₹ 66.71 लाख की कमी राज्यांश के समतुल्य केन्द्रांश निधि आहरित किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2012-13 से 2016-17 के उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(6) 2505-60-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6728-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-				
मूल	221.54			
पुनर्वि.	(-)68.51	153.03	157.52	+4.49
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 68.51 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।				
(7) 2505-60-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7877-मुख्यमंत्री मनरेगा मजदूर टिफिन वितरण योजना-				
पूरक	1,000.00	1,000.00	0.00	(-)1,000.00
सम्पूर्ण पूरक प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।				
(8) 2505-196-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6768-बेरोजगारी भत्ता निधि हेतु अनुदान-				
मूल	90.00			
पुनर्वि.	(-)90.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 90.00 लाख का प्रत्याहरण जिला पंचायतों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।				



## अनुदान संख्या 30-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2515-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1033-विकास खंड कार्यालय-			
मूल	8,676.94		
पुनर्वि.	(-)8.27	8,668.67	5,608.06
			(-)3,060.61

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 8.27 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2011-12 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(10) 2515-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3926-विकास आयुक्त-			
मूल	539.69		
पुनर्वि.	(-)66.06	473.63	321.72
			(-)151.91

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4.32 लाख की कमी कम मांग किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 61.74 लाख की अन्य कमी डिक्री मांगलों के प्रकरण अप्राप्त रहने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 66.06 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 2515-003-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 5063-ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान-			
मूल	560.28		
पुनर्वि.	(-)279.65	280.63	261.84
			(-)18.79

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 279.65 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 2515-101-2467-पंचायत संचालनालय-			
मूल	151.80		
पुनर्वि.	(-)84.42	67.38	67.76
			+0.38

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 84.42 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं यात्रा भत्ता देयकों के भुगतान में कम व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(13) 2515-101-2474-पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रभार-			
मूल	11,483.57		
पुनर्वि.	(-)2,265.84	9,217.73	8,329.76
			(-)887.97

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,265.84 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2012-13 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(14) 2515-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7687-मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तीकरण योजना-			
पूरक	900.00		
पुनर्वि.	(-)391.44	508.56	587.06
			+78.50

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 391.44 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम अधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

## अनुदान संख्या 30-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(15) 2515-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7847-पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मशती योजना-			
पूरक	1,300.00		
पुनर्वि.	(-)669.60	630.40	630.40
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 669.60 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित हुई है।			0.00
(16) 2515-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)- 7645-ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन इकाई-			
मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-)90.00	60.00	51.26
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 90.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			(-)8.74
(17) 2515-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1208-ग्रामीण यांत्रिकी सेवा-			
मूल	7,419.68		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)1,377.50	6,042.18	4,847.07
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4.32 लाख की वृद्धि निधि की अतिरिक्त मांग एवं समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,381.82 लाख की कमी व्यय में कमी होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,377.50 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			(-)1,195.11
(18) 2515-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4855-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-			
मूल	5,579.00		
पुनर्वि.	(-)1,537.85	4,041.15	4,206.95
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 13.93 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,523.91 लाख की अन्य कमी कम व्यय किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,537.85 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के साथ अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			+165.80
(19) 2515-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7475-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना-			
मूल	3,258.73		
पुनर्वि.	(-)1,520.95	1,737.78	1,492.61
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,520.95 लाख की कमी कम व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			(-)245.17

## अनुदान संख्या 30-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(20) 2515-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7644-ग्रामीण सड़क सम्पर्क प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र-			
मूल	234.27		
पुनर्वि.	(-)104.78	129.49	(-)17.29

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 13.93 लाख की वृद्धि अधिक देयकों की प्राप्ति एवं समर्पण द्वारा ₹ 118.71 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 104.78 लाख की कमी उल्लिखित की गई। कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(21) 2515-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7645-ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन इकाई-			
मूल	638.58		
पुनर्वि.	(-)555.25	83.33	(-)21.60

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 555.25 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित हुई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(22) 3054-04-105-4855-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-			
मूल	21,000.00		
पुनर्वि.	(-)2,958.45	18,041.55	(-)382.35

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,958.45 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा शेष निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2215-02-107-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7610-स्वच्छ भारत अभियान-			
मूल	50,000.00		
पूरक	8,135.87		
पुनर्वि.	4,287.30	62,423.17	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 4,287.30 लाख का आवर्धन अतिरिक्त निधि की मांग किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(2) 2505-60-196-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 6728-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना-			
मूल	60,000.00		
पूरक	4,250.00		
पुनर्वि.	13,756.63	78,006.63	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14,346.63 लाख की वृद्धि, निधिकी अतिरिक्त मांग किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 590.00 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग अप्राप्त रहने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 13,756.63 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

## अनुदान संख्या 30-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2515-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7806-हमर छत्तीसगढ़-			
मूल	1,510.00		
पुनर्वि.	(-)60.04	1,449.96	2,449.96
			+1,000.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 60.04 लाख की कमी प्राप्त देयकों के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

प्रभारित-

(v) ₹ 2.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2018 को अभ्यर्पित किया गया है। 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vi) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से अत्यन्त कम था, अगस्त 2017 (₹ 3,750.00 लाख) एवं फरवरी 2018 (₹ 1,250.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 5,000.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक निधि से सीमित किया जा सकता था।

(vii) ₹ 25,853.42 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 19,884.48 लाख की निधि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4515-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)- 7644-ग्रामीण सड़क सम्पर्क प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र-			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)300.00	0.00	0.00
			0.00
(2) 4515-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना(सामान्य)- 7645-ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन इकाई-			
मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	(-)2,000.00	0.00	0.00
			0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान क्रमशः ₹ 300.00 लाख एवं ₹ 2,000.00 लाख का प्रत्याहरण कार्य योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4515-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7658-सांसद आदर्श ग्राम योजना-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)19.90	480.10	380.60
			(-)99.50

(4) 4515-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7659-विधायक आदर्श ग्राम योजना-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)94.44	405.56	372.61
			(-)32.95

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 19.90 लाख एवं ₹ 94.44 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ इन शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

## अनुदान संख्या 30—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 5054-04-337-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 4855—प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना— मूल 40,000.00 पुनर्वि. (-)11,158.70	28,841.30	28,841.30	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 11,158.70 लाख की कमी भारत सरकार से निधि विमुक्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 5054-04-337-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 7475—मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना— मूल 19,500.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)914.97	18,585.03	13,675.78	(-)4,909.25
(7) 5054-04-337-0311—नाबार्ड पोषित योजनायें (सामान्य)— 8650—मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना— मूल 3,800.00 पूरक 2,500.00 पुनर्वि. (-)2,096.50	4,203.50	3,281.77	(-)921.73
उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 914.97 लाख एवं ₹ 2,096.50 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 5054-04-337-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4855—प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना— मूल 3,250.00 पुनर्वि. (-)3,250.00	0.00	0.00	0.00

₹ 3,250.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण वित्त विभाग से निधि आहरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 31—योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
<b>3451—सचिवालय—आर्थिक सेवाएं</b>			
<b>3454—जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी</b>			
<b>राजस्व :</b>			
दत्तमत—	3,95,121	2,55,161	(-)1,39,960
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			1,40,124
<i>प्रभारित</i>	40	0.00	(-)40
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)</i>			40

टीका एवं टिप्पणियां

**राजस्व :**  
दत्तमत—

(i) ₹ 1,399.60 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को किया गया ₹ 1,401.24 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 3451-101-3686-राज्य योजना आयोग—			
मूल	457.00		
पुनर्वि.	(-)150.23	306.77	(-)0.01
(2) 3451-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—			
7639-राज्य योजना का सुदृढीकरण, मूल्यांकन एवं अनुसंधान—			
मूल	142.00		
पुनर्वि.	(-)73.59	68.41	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 150.23 लाख एवं ₹ 73.59 की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी। 2009-10 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(3) 3454-02-111-1430-जन्म मृत्यु सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन—			
मूल	288.30		
पुनर्वि.	(-)113.32	174.98	+0.18
(4) 3454-02-201-512-नमूना सर्वेक्षण—			
मूल	194.30		
पुनर्वि.	(-)96.96	97.34	+0.19
(5) 3454-02-203-0801-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—			
7604-भवन सांख्यिकीय सर्वेक्षण—			
मूल	62.00		
पुनर्वि.	(-)60.59	1.41	0.00

## अनुदान संख्या 31—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(6) 3454-02-205-8048-आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय— मूल 2,732.54 पुनर्वि. (-)855.91	1,876.63	1,877.74	+1.11

उपरोक्त क्रम संख्या (3) से (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 113.32 लाख, ₹ 96.96 लाख, एवं ₹ 60.59 लाख एवं ₹ 855.91 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (3),(4) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.40 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2018 को अभ्यर्पित किया गया। 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

## अनुदान संख्या 32—जनसम्पर्क विभाग से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
-----------------------------	----------------------------------	-------------------

## मुख्य शीर्ष—

- 2015—निर्वाचन  
 2029—भू—राजस्व  
 2039—राज्य उत्पाद शुल्क  
 2040—बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर  
 2051—लोक सेवा आयोग  
 2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं  
 2053—जिला प्रशासन  
 2054—खजाना एवं लेखा प्रशासन  
 2055—पुलिस  
 2056—जेल  
 2058—लेखन सामग्री एवं मुद्रण  
 2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं  
 2075—विविध सामान्य सेवाएं  
 2202—सामान्य शिक्षा  
 2203—तकनीकी शिक्षा  
 2204—खेल और युवा कल्याण  
 2205—कला एवं संस्कृति  
 2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य  
 2215—जलपूर्ति एवं सफाई  
 2217—शहरी विकास  
 2220—सूचना एवं प्रचार  
 2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों  
 एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण  
 2230—श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास  
 2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण  
 2251—सचिवालय—सामाजिक सेवाएं  
 2401—फसल कृषि—कर्म  
 2403—पशुपालन  
 2405—मछली पालन  
 2406—वानिकी एवं वन्य प्राणी  
 2425—सहकारिता  
 2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम  
 2701—मध्यम सिंचाई  
 2702—लघु सिंचाई  
 2851—ग्राम एवं लघु उद्योग  
 2852—उद्योग  
 2853—अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग  
 3054—सड़क एवं सेतु  
 3454—जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी  
 3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं  
 4220—सूचना एवं प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय



## अनुदान संख्या 32—जारी

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
राजस्व :			
दत्तमत—	15,63,231	14,42,237	(-)1,20,994
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			1,19,743
प्रभारित	10	00	(-)10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			10
पूंजीगत :			
दत्तमत—	200	00	(-)200
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			200
टीका एवं टिप्पणियां			

## राजस्व :

## दत्तमत—

(i) ₹ 1,209.94 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 1,197.43 लाख की निधि अभ्यर्पित की गई है। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

## (ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2039-001-3956-विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय—			
मूल.	200.00		
पुनर्वि.	(-)172.69	27.31	0.00
(2) 2203-800-3956-विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय—			
मूल.	65.00		
पुनर्वि.	(-)47.30	17.70	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 172.69 लाख एवं ₹ 47.30 लाख की कमी बजट प्रावधान से कम व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2016-17के दौरान भी बचत हुई थी।			
(3) 2220-01-001-2320-निर्देशन और प्रशासन—			
मूल	5,661.51		
पुनर्वि.	(-)294.87	5,366.64	(-)5.02
(4) 2220-01-001-8688-छत्तीसगढ़ सूचना केन्द्र, नई दिल्ली—			
मूल	183.10		
पुनर्वि.	(-)30.33	152.77	(-)4.70
(5) 2220-60-106-1479-जिला प्रचार एवं मोबाइल यूनिट की स्थापना—			
मूल	3,056.30		
पुनर्वि.	(-)282.03	2,774.27	(-)3.54

## अनुदान संख्या 32—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(6) 2701—80—001—3956—विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय—			
मूल.	400.00		
पुनर्वि.	(-)-64.68	335.32	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (3) से (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 294.87 लाख, ₹ 30.33 लाख, ₹ 282.03 लाख एवं ₹ 64.68 लाख की कमी बजट प्रावधान से निधि के कम व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015—16 एवं 2016—17के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत 2008—09 से 2016—17 के दौरान निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2018 को अभ्यर्पित किया गया। 2014—15 से 2016—17 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत—

(iv) ₹ 2.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2018 को अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 33—आदिम जाति कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
2202—सामान्य शिक्षा			
2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			

## राजस्व:

दत्तमत—	1,89,02,462	1,57,39,294	(-)31,63,168
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			31,75,037
प्रभारित	500	3,859	3,359
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			

## पूंजीगत:

दत्तमत	2,700	1,500	(-)1,200
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			1,200
टीका एवं टिप्पणियां			

## राजस्व:

## दत्तमत—

(i) ₹ 31,631.68 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को किया गया ₹ 31,750.37 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-001-2721—प्रशासन का सुदृढीकरण विकास खण्ड स्तर—			
मूल	4,488.50		
पुनर्वि.	(-)1,066.96	3,421.54	(-)0.23

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,066.96 लाख रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, जिलों द्वारा निधि का व्यय नहीं होने एवं लम्बित देयकों के भुगतान नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2202-01-101-2772—प्राथमिक शालाएं—

मूल	52,049.10		
पुनर्वि.	(-)11,783.15	40,265.95	(-)5.20

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 98.01 लाख की कमी 7<sup>वें</sup> वेतन आयोग की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में वेतन शीर्ष के अन्तर्गत आबंटित निधि के आहरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 11,685.14 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने, देयकों के लम्बित रहने, निधि का आहरण नहीं किए जाने एवं 7<sup>वें</sup> वेतन आयोग की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में वेतन शीर्ष के अन्तर्गत आबंटित अतिरिक्त निधि का उपयोग नहीं किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 11,783.15 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2202-01-101-495-आश्रम और शालाएं-			
मूल	3,308.55		
पुनर्वि.	(-)2,440.42	868.13	913.84
			+45.71
(4) 2202-02-109-3492-माध्यमिक विद्यालय-			
मूल	81,250.00		
पुनर्वि.	(-)13,446.52	67,803.48	67,871.13
			+67.65
उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 2,440.42 लाख एवं ₹ 13,446.52 लाख की कमी कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, 7 <sup>वें</sup> वेतन आयोग की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में वेतन शीर्ष के अन्तर्गत आबटित अतिरिक्त निधि का उपयोग नहीं किए जाने एवं यात्रा देयकों के लम्बित रहने के कारण उल्लिखित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(5) 2202-02-109-363-आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय-			
मूल	1,000.40		
पुनर्वि.	(-)123.04	877.36	889.53
			+12.17
समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 123.04 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने, देयकों के लम्बित रहने के कारण एवं जिलों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2202-02-109-583-उच्चतर माध्यमिक शालाएं-			
मूल	31,175.00		
पुनर्वि.	(-)356.02	30,818.98	30,831.57
			+12.59
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 76.10 लाख की वृद्धि 7 <sup>वें</sup> केन्द्रीय वेतन आयोग के लागू होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 432.12 लाख की कमी 7 <sup>वें</sup> केन्द्रीय वेतन मान के अनुसार मंहगाई भत्ते स्वीकृत नहीं किए जाने, रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं जिलों द्वारा व्यय नहीं किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 356.02 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2202-02-109-979-क्रीडा परिसर-			
मूल	1,427.00		
पुनर्वि.	(-)382.62	1,044.38	1,042.80
			(-)1.58
(8) 2225-02-001-1483-जिला प्रशासन-			
मूल	5,466.00		
पुनर्वि.	(-)960.36	4,505.64	4,432.56
			(-)73.08
उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 382.62 लाख एवं ₹ 960.36 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			

## अनुदान संख्या 33—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2225-02-001-3728—आदिवासी संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विकास— मूल 717.25 पुनर्वि. (-)226.79	490.46	489.94	(-)0.52
(10) 2225-02-001-6130—संचालनालय— मूल 1,530.10 पुनर्वि. (-)263.64	1,266.46	1,261.59	(-)4.87
(11) 2515-101-5495—मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का वेतन— मूल 2,604.00 पुनर्वि. (-)653.42	1,950.58	1,936.42	(-)14.16

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 226.79 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने, रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं (11) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 263.64 लाख एवं ₹ 653.42 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही इन शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2013-14 से 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2202-02-109-1117—गुरुकुल विद्यालय— मूल 306.52 पुनर्वि. (-)21.08	285.44	366.95	+81.51

समर्पण द्वारा ₹ 21.08 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं 7<sup>वें</sup> वेतन आयोग की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में वेतन शीर्ष के अन्तर्गत आबंटित अतिरिक्त निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

प्रभारित—

(iv) प्रभारित विनियोग से हुए ₹ 33,58,661 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

## अनुदान संख्या 34—समाज कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
<b>2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण</b>			
<b>4235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
<b>राजस्व:</b>			
दत्तमत—			
मूल	8,55,943		
पूरक	90,359	9,46,302	7,76,168
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)1,70,134 1,67,173
<i>प्रभारित</i>	<i>40</i>	<i>00</i>	<i>(-)40</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि</i> (31 मार्च 2018)			<i>40</i>
<b>पूंजीगत:</b>			
दत्तमत	1,000	998	(-)2
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			2
टीका एवं टिप्पणी:			

**राजस्व :**

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2017 (₹ 888.59 लाख) एवं दिसम्बर 2017 (₹ 15.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 903.59 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनवाश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक निधि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 1,701.34 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2018 को केवल 1,671.73 लाख की निधि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235-02-001-2322-निर्देशन और प्रशासन—			
मूल	2,090.15		
पुनर्वि.	(-)711.88	1,378.27	1,376.63
(2) 2235-02-101-79-अंधे, बहरे एवं गूंगों के लिए शाला एवं संस्थाएं—			
मूल	1,325.20		
पुनर्वि.	(-)332.14	993.06	992.55
(3) 2235-02-101-0801-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7491-निःशक्त जनों को बाधा रहित सुविधाओं का विकास—			
मूल	150.00		
पूरक	703.59		
पुनर्वि.	(-)61.18	792.41	792.41
			0.00

## अनुदान संख्या 34—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2235-02-106-2517-परीवीक्षा इकाई— मूल 187.69 पुनर्वि. (-)41.34	146.34	145.91	(-)0.43
(5) 2235-02-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5490-राष्ट्रीय पुनर्वास कार्यक्रम निःशक्तजन— मूल 183.90 पुनर्वि. (-)35.65	148.25	148.25	0.00
(6) 2235-02-200-795-कला पथक— मूल 359.75 पुनर्वि. (-)110.01	249.74	244.34	(-)5.40

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से कमशः ₹ 711.88 लाख, ₹ 332.14 लाख, ₹ 61.18 लाख, ₹ 41.34 लाख, ₹ 35.65 लाख एवं ₹ 110.01 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2012-13 से 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत, 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत एवं 2014-15 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2009-10 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

## अनुदान संख्या 35—पुर्नवास

(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>		
<b>2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण</b>		
राजस्व	23,473	19,147
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)		(-)4,326 7,068

टीका एवं टिप्पणियां:

राजस्व :

(i) ₹ 43.26 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2018 को किया गया ₹ 70.68 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235—01—200—3135—भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये नव अप्रवासियों के पुर्नस्थापन—			
मूल	19.25		
पुनर्वि.	(-)19.25	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 19.25 लाख के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016—17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2235—01—200—4625—स्थायी दायित्व गृह

माना, जिला रायपुर

का संचालन—

मूल 170.91

पुनर्वि. (-)28.22

142.69

141.08

(-)1.61

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 28.22 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2003—04 से 2016—17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2235—01—001—2709—प्रधान कार्यालय के कर्मचारी वृंद पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के लिए (नये)—			
मूल	44.57		
पुनर्वि.	(-)23.21	21.36	+29.03

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 23.21 लाख की कमी रिक्त पदों, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति एवं चिकित्सा देयकों के भुगतान अपूर्ण रहने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।



## अनुदान संख्या 36—परिवहन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
2013—मंत्री परिषद			
2041—वाहन कर			
2052—सचिवालय सामान्य सेवाएं			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2075—विविध सामान्य सेवाएं			
5055—सड़क परिवहन पर पूर्ण परिव्यय			
<b>राजस्व :</b>			
दत्तमत—			
मूल	6,93,253		
पूरक	सांकेतिक		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)	6,93,253	3,46,600	(-)3,46,653
प्रभारित	2,010	528	(-)1,482
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			10
<b>पूंजीगत:</b>			
दत्तमत	4,23,300	45,318	(-)3,77,982
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			2,77,981
टीका एवं टिप्पणियां			
<b>राजस्व:</b>			
दत्तमत—			
(i) ₹ 3,466.54 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 3,206.02 लाख की निधि अभ्यर्पित की गई।			
(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2013-108-3283—मंत्रियों के दौरे के समय पेट्रोल पर व्यय	296.40	194.23	(-)102.17
अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए हैं (जुलाई 2018)।			
(2) 2041-001-3565—मुख्यालय स्थापना—			
मूल	794.30		
पुनर्वि.	(-)468.69	325.61	323.67
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 468.69 लाख की कमी निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			(-)1.94
(3) 2041-001-8333—सड़क सुरक्षा कोष से व्यय—			
मूल	120.00		
पुनर्वि.	(-)120.00	0.00	0.00

## अनुदान संख्या 36-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2041-001-0801-केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना (सामान्य)- 7749-अत्याधुनिक वाहनों के परीक्षण एवं प्रमाण पत्र वितरण केन्द्र स्थापना-			
मूल	315.00		
पुनर्वि.	(-)315.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम सं. (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 120.00 लाख एवं ₹ 315.00 लाख का प्रत्याहरण निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2014-15 से 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(5) 2041-101-4280-संग्रह प्रभार-			
मूल	2,733.30		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)1,568.65	1,164.65	1,159.50
			(-)5.15

(6) 2041-102-679-एन्फोर्समेंट-			
मूल	1,302.30		
पुनर्वि.	(-)679.74	622.56	618.83
			(-)3.73

उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,568.65 लाख एवं ₹ 679.74 लाख की कमी निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2007-08 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(7) 2070-114-3598-मोटर गैरेज	938.68	802.97	(-)135.71
------------------------------	--------	--------	-----------

अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए हैं (जुलाई 2018)। 2011-12 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

प्रभारित-

(iii) ₹ 14.82 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 0.10 लाख की निधि अभ्यर्पित की गई। यह बजट प्रबंधन पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(iv) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2070-114-3598-मोटर गैरेज	20.00	5.28	(-)14.72

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2011-12 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

पूजीगत-  
दत्तमत-

(v) ₹ 3779.82 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 2779.81 लाख की निधि अभ्यर्पित की गई।

(vi) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

(1) 5055-050-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)- 7749- अत्याधुनिक वाहन-परीक्षण एवं प्रमाण पत्र वितरण केन्द्र की स्थापना-			
मूल	675.00		
पुनर्वि.	(-)625.00	50.00	50.00
			0.00

₹ 625.00 लाख का प्रत्याहरण योजना का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

## अनुदान संख्या 36—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 5055-050-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 7750—ड्रायविंग ट्रेनिंग एवं अनुसंधान संस्थान— मूल 1,440.00 पुनर्वि. (-)1,440.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,440.00 लाख का प्रत्याहरण योजना का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 5055-800-679—एन्फोर्समेंट— मूल 1,060.00 पुनर्वि. (-)3.11	1,056.89	56.89	(-)1,000.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3.11 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 5055-800-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 7749— अत्याधुनिक वाहन—परीक्षण एवं प्रमाण पत्र वितरण केन्द्र की स्थापना— मूल 450.00 पुनर्वि. (-)450.00	0.00	0.00	0.00
(5) 5055-800-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 7750— ड्रायविंग ट्रेनिंग एवं अनुसंधान संस्थान— मूल 260.00 पुनर्वि. (-)260.00	0.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 450.00 लाख एवं ₹ 260.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण योजना के क्रियान्वयन नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2016-17 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

## अनुदान संख्या 37-पर्यटन

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष-</b>			
<b>3452-पर्यटन</b>			
<b>5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
<b>राजस्व:</b>			
मूल	3,27,200		
पूरक	15,157	3,42,357	1,91,057
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)1,51,300 1,51,300
<b>पूंजीगत:</b>			
मूल	3,55,000	40,000	(-)3,15,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			3,15,000

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2017 में प्राप्त ₹ 151.57 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक निधि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 3452-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3239-छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन विकास मंडल को अनुदान-			
मूल	3,150.00		
पुनर्वि.	(-)1,460.00	1,690.00	1,690.00
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,460.00 लाख की कमी वित्त विभाग से निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 3452-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

7323-भारतीय होटल  
प्रबंधन संस्थान-

मूल

122.00

पुनर्वि.

(-)53.00

69.00

69.00

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 53.00 लाख की कमी वित्त विभाग से निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

## अनुदान संख्या 37—समाप्त

पूँजीगत:

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5452-01-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7009-पर्यटन केन्द्रों का विकास-			
मूल	700.00		
पुनर्वि.	(-)700.00	0.00	0.00
₹ 700.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण केन्द्र प्रवर्तित योजना में राज्यांश सम्मिलित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2010-11 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(2) 5452-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7771-पर्यटन क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों हेतु अनुदान-			
मूल	2,850.00		
पुनर्वि.	(-)2,450.00	400.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,450.00 लाख की कमी वित्त विभाग से निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
2408—खाद्य, भण्डारण एवं भण्डागार			
3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें			
4408—खाद्य, भण्डारण एवं भण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय			
6408—खाद्य, भण्डारण एवं भण्डागार के लिए कर्ज			
<b>राजस्व:</b>			
<b>दत्तमत—</b>			
मूल	1,78,73,680		
पूरक	8,26,410	1,87,00,090	1,40,54,295
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)46,45,795 46,46,532
<i>प्रभारित</i>	<i>50</i>	<i>24</i>	<i>(-)26</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि</i>			<i>00</i>

<b>पूंजीगत:</b>			
<b>दत्तमत—</b>			
मूल	69,900		
पूरक	2,500	72,400	26,558
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)45,842 13,442

टीका एवं टिप्पणियां

**राजस्व :**

**दत्तमत—**

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2017 (₹ 8,158.17 लाख) एवं दिसम्बर 2017 (₹ 105.93 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 8,264.10 लाख का अनुपूरक प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक निधि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 46,457.96 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को किया गया ₹ 46,465.32 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2408-01-001-1471-जिला कार्यालय-			
मूल	2,215.06		
पुनर्वि.	(-)233.92	1,981.14	1,974.33
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 5.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा अन्य ₹ 228.92 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यय किए जाने, चिकित्सा अग्रिम हेतु मांग प्राप्त नहीं होने, मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 233.92 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			(-)6.81

(2) 2408-01-001-629-उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ-

मूल	1,273.10		
पूरक	40.66		
पुनर्वि.	(-)417.94	895.82	877.80
			(-)18.02

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 417.94 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

## अनुदान संख्या 39—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2408-01-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7801—मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना— मूल 1,350.00 पुनर्वि. 1,350.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,350.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2408-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3248—राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति— मूल 25,000.00 पुनर्वि. (-)2,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,500.00 लाख की कमी सरकार द्वारा निधि के विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(5) 2408-01-102-0101— राज्य आयोजना (सामान्य)— 5456—अंत्योदय अन्न योजना— मूल 4,500.00 पुनर्वि. (-)1,776.77	2,723.23	2,723.23	0.00
(6) 2408-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6839—मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना— मूल 1,20,000.00 पुनर्वि. (-)38,094.00	81,906.00	81,906.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,776.77 लाख ₹ 38,094.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2408-01-102-0101— राज्य आयोजना (सामान्य)— 6964—सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु सहायता— मूल 72.65 पुनर्वि. (-)66.23	6.42	6.42	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 66.23 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यय किए जाने, सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(8) 2408-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8933—शक्कर वितरण योजना— मूल 2,000.00 पूरक 5,000.00 पुनर्वि. (-)3,175.10	3,824.90	3,824.90	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,175.10 लाख की कमी राज्य सरकार द्वारा निधि के विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

## अनुदान संख्या 39—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2408-01-106-6112—मुख्यालय एवं संभागीय कार्यालय—			
मूल	639.85		
पूरक	14.00		
पुनर्वि.	(-)66.80	587.05	587.94
			+0.89

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 66.80 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2408-01-101-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7872—पी. डी. एस. डीलर का मार्जिन—			
पूरक	2,935.13		
पुनर्वि.	1,267.89	4,203.02	4,203.02
			0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,341.45 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 73.56 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,267.89 लाख के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

प्रभारित—

(v) ₹ 0.26 लाख के उपलब्ध विनियोग के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी निधि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूँजीगत:  
दत्तमत—

(vi) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 25.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक निधि से सीमित किया जा सकता था।

(vii) ₹ 458.41 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 134.42 लाख की निधि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4408-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7478—नगरीय क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकान सह गोदाम निर्माण			
	300.00	0.00	(-)300.00

₹ 300.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।

(2) 6408-02-190-0311—नाबार्ड पोषित योजनायें (सामान्य)—

8545—नाबार्ड सहायता से  
गोदाम निर्माण—

मूल 250.00  
पूरक 25.00  
पुनर्वि. (-)134.42

140.59

140.59

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 134.42 लाख की कमी छत्तीसगढ़ वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2012-13 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।



## अनुदान संख्या 40—आयाकट विभाग से सम्बंधित व्यय

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
<b>2705—कमान क्षेत्र विकास</b>			
<b>4705—कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
<b>राजस्व</b>	41,276	29,414	(-)11,862
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			11,772
<b>पूंजीगत</b>	2,85,000	98,475	(-)1,86,525
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			1,86,388
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

(i) ₹ 118.62 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 117.72 लाख की निधि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2705—209—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6305—सिंचाई सहभागिता प्रबंध समितियों को अनुदान— मूल 150.00 पुनर्वि. (-)81.71	68.29	68.28	(-)0.01
(2) 2705—210—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 5593—हसदेव विकास प्राधिकरण— मूल 95.72 पुनर्वि. (-)26.33	69.39	69.44	+0.05

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 81.71 लाख एवं ₹ 26.33 की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013—14 से 2016—17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

पूंजीगत:

(iii) ₹ 1,865.25 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 1,863.88 लाख की निधि अभ्यर्पित की गई।

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4705—209—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 2823—फील्ड चेनल्स का निर्माण— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)1,563.41	436.59	435.22	(-)1.37

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,563.41 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2013—14 से 2016—17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

## अनुदान संख्या 40—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4705—210—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 2823—फील्ड चैनल्स का निर्माण— मूल 3.00.00 पुनर्वि. (-)3.00.00	0.00	0.00	0.00

भारत सरकार से केन्द्रांश की निधि प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 300.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण किया गया। 2016—17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(v) उचंत लेन देन:-

‘उचंत’ लेन देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के विनियोग लेख के नीचे टिप्पणी (v) में दी गई है।

विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत 2017—18 तक इस अनुभाग में लेखांकित उचंत लेन-देनों का विश्लेषण प्रारम्भिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दी गई है :-

विवरण	प्रारंभिक शेष 1 अप्रैल 2017 को नामे + जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंतशेष 31 मार्च 2018 को नामे+ जमा (-)
-------	--	--------------------------	-------------------------	--

4701—मध्यम सिंचाई पर  
पूंजीगत परिव्यय—

( ₹ लाख में )

(1) क्रय	(-)4.74	0.00	0.00	(-)4.74
(2) भण्डार	(-)0.03	0.00	0.00	(-)0.03
(3) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+15.07	0.00	0.00	+15.07
<b>योग</b>	<b>+10.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>+10.30</b>

## अनुदान संख्या 41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना

मुख्य शीर्ष—

- 2202—सामान्य शिक्षा  
 2203—तकनीकी शिक्षा  
 2204—खेल एवं युवा सेवाएं  
 2205—कला एवं संस्कृति  
 2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य  
 2211—परिवार कल्याण  
 2215—जलपूर्ति एवं सफाई  
 2216—आवास  
 2217—शहरी विकास  
 2220—सूचना एवं प्रचार  
 2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण  
 2230—श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास  
 2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण  
 2236—पोषण  
 2401—फसल कृषि—कर्म  
 2402—मृदा एवं जल संरक्षण  
 2403—पशु—पालन  
 2405—मछली—पालन  
 2406—वानिकी एवं वन्य प्राणी  
 2408—खाद्य भण्डारण एवं भांडागार  
 2415—कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा  
 2425—सहकारिता  
 2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम  
 2505—ग्राम रोजगार  
 2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम  
 2702—लघु सिंचाई  
 2801—बिजली  
 2810—नवीन एवं अक्षय उर्जा  
 2851—ग्राम एवं लघु उद्योग  
 2852—उद्योग  
 3275—अन्य संचार सेवाएं  
 4202—शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय  
 4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय  
 4215—जलपूर्ति और मल प्रत्याहरण पर पूंजीगत परिव्यय  
 4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय  
 4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय  
 4235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय  
 4401—फसल कृषिकर्म पर पूंजीगत परिव्यय  
 4402—मृदा एवं जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय  
 4405—मतस्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय  
 4406—वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय  
 4408—खाद्य भण्डारण एवं भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय  
 4415—कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय  
 4425—सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय  
 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय  
 4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय  
 4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय  
 4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय  
 4801—उर्जा परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय  
 4810—अपारम्परिक उर्जा स्रोतों पर पूंजीगत परिव्यय

## अनुदान संख्या 41—जारी

- 4851—ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय  
 4853—अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय  
 5054—सड़कों एवं सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय  
 5275—अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय  
 6215—जलपूर्ति एवं सफाई के लिए कर्ज  
 6401—फसल पालन के लिए कर्ज  
 6408—खाद्य, भण्डारण एवं भण्डागार के लिए कर्ज  
 6425—सहकारिता के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>राजस्व:</b>			
दत्तमत—			
मूल	11,56,39,489		
पूरक	1,64,27,094	13,20,66,583	(-)2,42,91,210
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			2,35,28,438
प्रभारित	10	00	(-)10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			10
<b>पूंजीगत:</b>			
दत्तमत—			
मूल	2,79,45,660		
पूरक	25,73,210	3,05,18,870	(-)96,29,503
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			89,51,846
प्रभारित	1,500	0.00	(-)1,500
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			1,500
टीका एवं टिप्पणियां			

**राजस्व:**

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से अत्यन्त कम रहा, अगस्त 2017 (₹ 15,100.79 लाख), सितम्बर 2017 (₹ 79,800.00 लाख), दिसम्बर 2017 (₹ 37,054.05 लाख) एवं फरवरी 2018 (₹ 32,316.10 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,64,270.94 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक निधि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 2,42,912.10 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 2,35,284.38 लाख की निधि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3491—माध्यमिक शालाएं— (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल	33,639.50		
पुनर्वि.	(-)8,113.13	25,526.37	+90.91

## अनुदान संख्या 41-जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7,808.50 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, महंगाई भत्ता की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, जिलों द्वारा निधि की मांग प्राप्त नहीं होने, जिलों द्वारा निधि के आहरण नहीं किए जाने एवं यात्रा देयकों के लम्बित रहने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 304.63 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 8,113.13 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अन्य कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2202-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4396-शासकीय प्राथमिक विद्यालय- (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)- मूल 25,127.37 पुनर्वि. (-)5,694.67	19,432.70	19,623.42	+190.72

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,694.67 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, जिलों द्वारा निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं दरी वितरणों का सत्यापन न होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। (जुलाई 2018)।

(3) 2202-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 495-आश्रम और शालाएं- मूल 24,410.00 पुनर्वि. (-)4,227.07	20,182.93	19,124.65	(-)1,058.28
--	-----------	-----------	-------------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,151.99 लाख की कमी कोषालयों द्वारा निधि आहरित नहीं किए जाने, एवं जिलों द्वारा कम निधि की मांग प्राप्त होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,075.08 लाख की अन्य कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं जिलों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 4,227.07 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। (जुलाई 2018)। 2009-10 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(4) 2202-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5092-जवाहर उत्कर्ष योजना- मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)193.53	806.47	806.47	0.00
--	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 193.53 लाख की कमी जिलों से निधि की कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(5) 2202-01-796-108-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5904-निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय- मूल 1,979.00 पुनर्वि. (-)200.70	1,778.30	1,778.30	0.00
--	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 200.70 लाख की कमी छात्रों की उपस्थिति पंजी के अनुसार भुगतान किए जाने एवं राजीव गांधी शिक्षा अभियान से निर्धारित समयान्तर्गत जानकारी अप्राप्त रहने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2202-01-796-109-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8979-एकीकृत अम्बेला योजना- मूल 13,400.00 पुनर्वि. (-)3,746.27	9,653.73	9,653.73	0.00
--	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,746.27 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009-10 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

## अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 2202-01-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1394-छात्राओं का गणवेश- (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)- मूल 1,200.00 पुनर्वि. (-)866.52	333.48	333.48	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 866.52 लाख की कमी महिला स्वयं सहायता समूह के देयक लम्बित होने एवं सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत छात्रों की कम उपस्थिति दर्ज होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2202-01-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7437-मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना- मूल 985.80 पूरक 525.10 पुनर्वि. (-)167.47	1,343.43	1,331.13	(-)12.30
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 167.47 लाख की कमी जिलों द्वारा निधि की कम मांग प्राप्त होने एवं जिलों द्वारा निधि के समर्पण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2009-10 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(9) 2202-01-796-111-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 5396-सर्व शिक्षा अभियान- मूल 57,000.00 पुनर्वि. (-)7,150.40	49,849.60	49,849.60	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7,150.44 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009-10 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(10) 2202-01-796-112-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5169-विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम- मूल 4,959.00 पुनर्वि. (-)985.83	3,973.17	3,975.02	+1.85
(11) 2202-01-796-112-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6933-पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम- मूल 3,465.00 पुनर्वि. (-)253.52	3,211.48	2,947.53	(-)263.95

उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं (11) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 985.83 लाख एवं ₹ 253.52 लाख की कमी रसोईयों की उपस्थिति कम होने, छात्रों की उपस्थिति कम होने एवं कम मानदेय भुगतान के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2009-10 से 2016-17 के दौरान इन शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

## अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(12) 2202-02-796-109-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5480-आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार, अनुच्छेद-[275(i)]- मूल 4,289.00 पूरक 170.31 पुनर्वि. (-)2,519.73	1,939.58	1,939.58	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,519.73 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2202-02-796-109-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7247-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान- मूल 20,000.00 पुनर्वि. (-)6,521.99	13,478.01	13,478.01	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,521.99 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009-10 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(14) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1395-छात्रावास- मूल 23,113.50 पुनर्वि. (-)2,751.06	20,362.44	20,208.07	(-)154.37
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,751.06 लाख की कमी जिलों द्वारा निधि की कम मांग प्राप्त होने एवं कोषालय द्वारा निधि आहरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 578-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय- मूल 27,824.85 पुनर्वि. (-)1,315.25	26,509.60	26,449.47	(-)60.13
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,315.25 लाख की कमी जिलों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने, यात्रा भत्ता देयकों के लम्बित रहने एवं जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6140-छात्र भोजन सहायता योजना- मूल 900.00 पुनर्वि. (-)121.16	778.84	778.84	0.00
(17) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7363-युवा कैरियर निर्माण योजना- मूल 550.90 पुनर्वि. (-)173.17	377.73	362.44	(-)15.29

उपरोक्त क्रम संख्या (16) एवं (17) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 121.16 लाख एवं ₹ 173.17 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (17) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (16) के शीर्षान्तर्गत भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

## अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(18) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7367-मॉडल स्कूल योजना-			
मूल	1,100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	1,000.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 100.00 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 2202-02-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 307-गैर-सरकारी संस्थानों को योगदान-			
मूल	5,650.00		
पूरक	15.30		
पुनर्वि.	(-)913.69	4,751.61	+414.73
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 913.69 लाख की कमी जिलों से निधि की कम मांग प्राप्त होने एवं जिलों द्वारा निधि के आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। (जुलाई 2018)।			
(20) 2202-03-796-001-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8971-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-			
मूल	3,996.00		
पुनर्वि.	(-)2,982.61	1,013.39	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,982.61 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(21) 2202-03-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7290-बस्तर विश्वविद्यालय-			
मूल	425.00		
पुनर्वि.	(-)155.00	270.00	0.00
(22) 2202-03-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7751-स्वामी विवेकानन्द ज्ञानदीप योजना-			
मूल	162.00		
पुनर्वि.	(-)120.50	41.50	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (21) एवं (22) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 155.00 लाख एवं ₹ 120.50 लाख की कमी राज्य सरकार से निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2014-15 से 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (21) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(23) 2202-03-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 798-कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय-			
मूल	7,804.30		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)2,405.23	5,399.07	+806.73
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,405.23 लाख की कमी कम व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			



## अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(24) 2202-04-796-200-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7362—स्वच्छ भारत योजना— मूल 1,900.00 पुनर्वि. (-)695.92	1,204.18	1,204.08	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 695.92 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई हैं।			
(25) 2203-796-105-0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2668—पॉलीटेक्निक संस्थाएं— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)85.00	15.00	0.00	(-)15.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 85.00 लाख की कमी भवन निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। (जुलाई 2018)।			
(26) 2203-796-105-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2668—पॉलीटेक्निक संस्थाएं— मूल 1,672.40 पुनर्वि. (-)378.68	1,293.72	1,523.69	+229.97
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 378.68 लाख की कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(27) 2204-796-104-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7819—युवा शक्ति योजना— मूल 380.00 पुनर्वि. (-)380.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 380.00 लाख के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। (जुलाई 2018)।			
(28) 2210-01-796-110-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8940— चिकित्सा महाविद्यालय और संबद्ध चिकित्सालय, सरगुजा— मूल 2,031.00 पूरक 521.00 पुनर्वि. (-)571.82	1,980.18	1,984.46	+4.28
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 571.82 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(29) 2210-01-796-196-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1473—जिला चिकित्सालय— मूल 6,634.00 पूरक 2,416.80	9,050.80	5,266.51	(-)3,784.29
(30) 2210-01-796-200-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8649—मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम 100.00	100.00	0.00	(-)100.00
(31) 2210-04-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5683—जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठ की स्थापना	2,957.45	2,366.87	(-)590.58

## अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(32) 2210-04-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5683-जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठ की स्थापना	271.02	94.94	(-)176.08
उपरोक्त क्रम संख्या (29) से (32) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (31) एवं (32) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2010-11 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (29) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(33) 2210-05-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8941-चिकित्सा महाविद्यालय- सरगुजा-			
मूल	1,881.39		
पूरक	40.80		
पुनर्वि.	(-)621.27	1,300.92	1,300.39
			(-)0.53
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 621.27 लाख का कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(34) 2210-06-796-003-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 2502-परिचारिकाओं का प्रशिक्षण	425.50	137.25	(-)288.25
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(35) 2210-06-796-003-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2216-नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम कार्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण-			
मूल	617.70		
पुनर्वि.	(-)226.88	390.82	390.82
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 226.88 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(36) 2210-06-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5026-छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता निधि की स्थापना हेतु आर्थिक सहायता/अनुदान-			
मूल	1,520.00		
पूरक	900.00	2,420.00	2,305.00
			(-)115.00
(37) 2210-06-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4244-मलेरिया	1,921.90	1,148.70	(-)773.20
(38) 2210-06-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5688-मुख्यमंत्री प्राथमिक उपचार बॉक्स-	500.00	309.65	(-)190.35
(39) 2210-06-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7679-टी.बी. रोकथाम के लिए पोषक खाद्य प्रदाय	500.00	0.00	(-)500.00

## अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(40) 2211-796-003-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 336—ऑक्जीलियरी नर्स, मिड़ वाइफ एवं हैल्थ विजीटर्स को परिवार कल्याण का प्रशिक्षण	265.54	167.69	(-)97.85
(41) 2211-796-101-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 621—उप स्वास्थ्य केन्द्र	11,401.90	9,957.70	(-)1,444.20
उपरोक्त क्रम संख्या (36) से (41) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (41) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(42) 2215-01-796-005-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1196—ग्रामीण जल प्रदाय सर्वेक्षण एवं जांच पड़ताल— मूल 140.90 पुनर्वि. (-)95.98	44.92	44.92	0.00
(43) 2215-01-796-192-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5717—मनेन्द्रगढ़ जल प्रदाय आवर्धन योजना— मूल 250.00 पुनर्वि. (-)164.31	85.69	85.69	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (42) एवं (43) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 95.98 लाख एवं ₹ 164.31 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2016-17 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(44) 2215-01-796-193-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7454—बस्तर आवर्धन जल प्रदाय योजना— मूल 226.00 पुनर्वि. (-)226.00	0.00	0.00	0.00
राज्य सरकार द्वारा योजना का अनुमोदन नहीं किए जाने के कारण ₹ 226.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।			
(45) 2215-02-796-107-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7610—स्वच्छ भारत अभियान— मूल 38,000.00 पुनर्वि. (-)12,053.77	25,946.23	25,946.23	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 12,053.77 लाख की कमी केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश के आहरण किए जाने के  
कारण उल्लिखित की गई है।

## अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(46) 2216-03-796-105-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7807—प्रधान मंत्री आवास योजना— मूल 1,07,958.00 पूरक 49,600.00 पुनर्वि. (-)26,198.46	1,31,359.54	1,31,359.54	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15,719.08 लाख की कमी जिलों से निधि की कम मांग प्राप्त होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 10,479.38 लाख की अन्य कमी कोषालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए निधि का आहरण नहीं किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 26,198.46 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(47) 2217-80-796-191-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7610—स्वच्छ भारत अभियान— मूल 3,635.00 पुनर्वि. (-)1,020.62	2,614.38	2,614.38	0.00
(48) 2217-80-796-192-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7610—स्वच्छ भारत अभियान— मूल 1,550.00 पुनर्वि. (-)116.96	1,433.04	1,433.04	0.00
(49) 2217-80-796-193-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7610—स्वच्छ भारत अभियान— मूल 1,135.00 पुनर्वि. (-)751.02	383.98	383.98	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (47) से (49) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,020.62 लाख, ₹ 116.96 लाख एवं ₹ 751.02 लाख की कमी कोषालयों द्वारा देयक पारित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (49) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(50) 2220-60-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 9797—आदिवासी क्षेत्रों में सूचना केम्प को आयोजन— मूल 1,800.00 पुनर्वि. (-)188.84	1,611.16	1,611.16	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 188.84 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। (जुलाई 2018)।			
(51) 2225-02-796-001-0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 3728—आदिवासी संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान प्रशिक्षण एवं विकास— मूल 163.50 पुनर्वि. (-)163.50	0.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 163.50 लाख का प्रत्याहरण भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

## अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(52) 2225-02-796-102-0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5024—आदिवासी विशेष पिछड़े समूह— मूल 1,750.00 पुनर्वि. (-)391.51	1,358.49	1,354.47	(-)4.02
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 391.51 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2012-13 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(53) 2225-02-796-102-0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7672—वनबन्धु कल्याण योजना— मूल 562.50 पुनर्वि. (-)562.50	0.00	0.00	0.00
₹ 562.50 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(54) 2225-02-796-102-0602—अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए भारत सरकार के अलावा निधियों से पोषित— 7626—विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम— मूल 8,000.00 पुनर्वि. (-)6,513.73	1,486.27	1,514.30	+28.03
(55) 2225-02-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5024—आदिवासी विशेष पिछड़ा वर्ग— मूल 236.00 पुनर्वि. (-)104.54	131.46	131.09	(-)0.37
उपरोक्त क्रम संख्या (54) एवं (55) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,513.73 लाख एवं ₹ 104.54 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ क्रम संख्या (54) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (54) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(56) 2225-02-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5601—बस्तर विकास प्राधिकरण— मूल 1,075.00 पुनर्वि. (-)648.81	426.19	418.19	(-)8.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 648.81 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं। (जुलाई 2018)।			
(57) 2225-02-796-277-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 8979—एकीकृत अम्ब्रेला योजना— मूल 245.00 पुनर्वि. (-)245.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 245.00 लाख का प्रत्याहरण भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

## अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(58) 2225-02-796-277-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोगना- 7627-व्यवसायिक प्रशिक्षण योजनाएं-			
मूल	824.50		
पुनर्वि.	(-)409.27	415.23	400.87
			(-)14.36
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 409.27 लाख की कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(59) 2230-02-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोगना- 7632-युवा क्षमता विकास योजना-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00
			0.00
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(60) 2230-03-796-003-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोगना)- 717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं-			
मूल	166.50		
पूरक	37.71		
पुनर्वि.	(-)139.58	64.63	64.49
			(-)0.14
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 139.58 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(61) 2230-03-796-003-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोगना- 717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं-			
मूल	2,546.00		
पूरक	15.50		
पुनर्वि.	(-)589.41	1,972.09	1,977.10
			+5.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 589.41 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(62) 2230-03-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोगना- 7683-मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना-			
मूल	3,990.00		
पुनर्वि.	(-)570.05	3,419.95	3,419.95
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 570.05 लाख की कमी कम व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(63) 2235-02-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोगना)- 5354-एकीकृत सेवाएं योजना (विदेशी सहायता अंतर्गत योजनाएं)-			
मूल	1,683.50		
पुनर्वि.	(-)752.77	930.73	930.73
			0.00

## अनुदान संख्या 41—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 752.77 लाख की कमी विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त “स्नाइप” योजना के लागू होने में हुई देरी के कारण कम व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(64) 2235-02-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7423-इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना-			
मूल	3,000.00		
पुनर्वि.	(-)2,940.97	59.03	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,940.97 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(65) 2235-02-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 9044-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना-			
मूल	19,954.03		
पुनर्वि.	(-)6,159.44	13,794.59	+6.49

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,159.44 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(66) 2235-02-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 9130-एकीकृत बाल विकास सेवाओं का पर्यवेक्षण-			
मूल	537.30		
पुनर्वि.	(-)235.84	301.46	(-)0.38

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 235.84 लाख की कमी कम व्यय किए जाने एवं रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी इन शीर्षों के अन्तर्गत बचत हुई थी।

(67) 2235-02-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6908-कार्यकर्ताओं एवं सहायकों को मानदेय-			
मूल	3,420.00		
पुनर्वि.	(-)614.30	2,805.70	(-)6.82

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 614.30 लाख की कमी आंगनवाड़ी सहायक पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(68) 2235-02-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7680-आंगनवाड़ी केन्द्रों का उन्नयन एवं ईसीसीई घटक-			
मूल	1,102.00		
पुनर्वि.	(-)774.51	327.49	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 774.51 लाख की कमी वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

## अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(69) 2235-02-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8958-आंगनवाड़ी पर इलेक्ट्रिक व्यय-			
मूल	171.00		
पुनर्वि.	(-)114.37	56.63	56.63
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 114.37 लाख की कमी आंगनवाड़ी सहायक पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(70) 2235-02-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7875-सुचिता योजना-			
मूल	380.00		
पुनर्वि.	(-)380.00	0.00	0.00
			0.00
₹ 380.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(71) 2235-02-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8957-नौनी सुरक्षा योजना-			
मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	(-)494.63	1,505.37	1,505.37
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 494.63 लाख की कमी पात्र लाभार्थियों की गैर उपलब्धता के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(72) 2236-02-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 414-आदिवासी क्षेत्रों में विशेष आहार योजना-			
मूल	17,480.00		
पुनर्वि.	(-)2,328.22	15,151.78	15,128.83
			(-)22.95
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 400.00 लाख की कमी "महतारी जतन योजना" के अंतर्गत व्यंजन बनाने के लिए बरतन खरीदने हेतु निधि अन्य योजना को आबंटित किए जाने एवं समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,928.22 लाख की अन्य कमी भारत सरकार से डबल दृढ़ नमक का खरीद निदेश प्राप्त नहीं होने एवं आंगनवाड़ी/लघु आंगनवाड़ी केंद्रों का क्रियान्वयन नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,328.22 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण उल्लिखित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(73) 2236-02-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7361-सबला योजना-			
मूल	6,270.00		
पुनर्वि.	(-)90.80	6,179.20	6,176.00
			(-)3.20
समर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 90.80 लाख की कमी आंगनवाड़ी/लघु आंगनवाड़ी केंद्रों का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(74) 2236-02-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7765-मुख्यमंत्री अमृत योजना-			
मूल	1,322.00		
पुनर्वि.	(-)744.89	577.11	577.11
			0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 100.00 लाख की कमी "महतारी जतन योजना" के अंतर्गत व्यंजन बनाने के लिए बरतन खरीदने हेतु निधि अन्य योजना को आबंटित किए जाने एवं समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 644.89 लाख की अन्य कमी जिलों की मांग के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ द्वारा दूध की आपूर्ति नहीं किए जाने के संयुक्त			



## अनुदान संख्या 41—जारी

प्रभाव से प्रावधान में ₹ 744.89 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(75) 2236-02-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना- मूल 2,543.72 पुनर्वि. (-)917.02	1,626.70	1,626.70	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 917.02 लाख की कमी कम व्यय किए जाने एवं निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2007-08 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(76) 2401-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7255-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- मूल 4,750.00 पुनर्वि. (-)2,160.93	2,589.07	2,589.07	0.00
(77) 2401-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7258-ऑइल सीडस एवं ऑइलपॉम पर राष्ट्रीय अभियान- मूल 304.00 पुनर्वि. (-)213.73	90.27	90.27	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (76) एवं (77) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 2,160.93 लाख एवं ₹ 213.73 लाख की कमी भारत सरकार से निधि के विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(78) 2401-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8972-धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना- मूल 0.01 पूरक 79,800.00 पुनर्वि. (-)2,218.47	77,581.54	77,581.54	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,218.47 लाख की कमी "छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड रायपुर" की मांग अनुसार निधि के व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(79) 2401-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6820-कृषक समग्र विकास योजना- मूल 3,272.94 पुनर्वि. (-)285.09	2,987.85	2,987.85	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 285.09 लाख की कमी "सामान्य गन्ना विकास योजना" के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

## अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(80) 2401-796-108-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 4,560.00 पुनर्वि. (-)2,518.29	2,041.71	2,041.66	(-)0.05

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 345.60 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 2,172.69 लाख की अन्य कमी राज्य सरकार द्वारा निधि विमुक्तानुसार व्यय किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,518.29 लाख की कमी के कारण उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन द्वारा कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(81) 2401-796-108-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7266—एन.एम.एस.ए. रेन फेड क्षेत्र डेवलपमेंट योजना— मूल 704.10 पुनर्वि. (-)537.67	166.43	166.43	0.00
---	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 537.67 लाख की कमी भारत सरकार से निधि की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(82) 2401-796-108-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7684—प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना— मूल 800.10 पुनर्वि. (-)681.92	118.18	118.18	0.00
---	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 681.92 लाख की कमी “चेम्पस” के अंतर्गत प्राप्त आवेदन की तुलना में “छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम” द्वारा पर्याप्त सामग्री की आपूर्ति निर्धारित समय पर नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(83) 2401-796-108-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7830—परम्परागत कृषि विकास योजना— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)362.46	237.54	237.54	0.00
--	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 362.46 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(84) 2401-796-108-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7832—टारगेटेड राईस फेलो एरिया (टी.आर.एफ.ए.)— मूल 950.00 पुनर्वि. (-)109.03	840.97	840.97	0.00
--	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 109.03 लाख की कमी भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

## अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(85) 2401-796-108-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7833-रिक्लेमेशन आफ प्राब्लम स्वाइल (आर.पी.एस.)- मूल 950.00 पुनर्वि. (-)917.26	32.74	32.74	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 917.26 लाख की कमी भारत सरकार से कम निधि प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(86) 2401-796-108-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8942-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति)- मूल 6,650.00 पुनर्वि. (-)2,663.99	3,986.01	3,986.01	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,663.99 लाख की कमी इस योजना अंतर्गत द्वितीय किस्त की निधि अप्रयुक्त रहने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(87) 2401-796-109-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7269-एन.एम.ए.ई.टी. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन- मूल 1,120.00 पुनर्वि. (-)256.80	863.20	863.20	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 256.80 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा विमुक्त निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(88) 2401-796-113-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8961-कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान- मूल 1,140.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)989.70	150.30	150.30	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 989.70 लाख की कमी "चेम्पस" के अंतर्गत प्राप्त आवेदन की तुलना में "छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम" द्वारा पर्याप्त सामग्री की निर्धारित अवधि में आपूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(89) 2401-796-119-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)- मूल 3,040.00 पुनर्वि. (-)2,227.43	812.57	812.57	0.00
(90) 2401-796-119-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7258-नेशनल मिशन आन आईलसीड्स एन्ड आईलपाम- मूल 422.31 पुनर्वि. (-)342.35	79.96	79.96	0.00

## अनुदान संख्या 41-जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (89) एवं (90) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 2,227.43 लाख एवं ₹ 342.35 लाख की कमी जिलों द्वारा निधि का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(91) 2401-796-119-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7684-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-			
मूल	1,683.32		
पुनर्वि.	(-)1,636.82	46.50	46.50
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,636.82 लाख की कमी ड्रिप की दर अधिक होने एवं किसानों के अंशदान का भुगतान किए जाने में असमर्थ होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(92) 2401-796-119-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7705-एकीकृत बागवानी विकास मिशन-			
पूरक	5,343.96		
पुनर्वि.	(-)618.12	4,725.84	4,725.84
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 618.12 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं जिलों द्वारा निधि का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(93) 2401-796-119-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7874-एन.एम.एस.ए. नेशनल मिशन ऑन एग्रोफोरेस्ट्री-			
पूरक	316.67		
पुनर्वि.	(-)195.54	121.13	121.13
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 195.54 लाख की कमी जिलों द्वारा निधि का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(94) 2401-796-119-0312-नाबार्ड प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7854-नाबार्ड पोषित संरक्षित खेती एवं फसलोत्तर प्रबंधन योजना-			
मूल	874.00		
पुनर्वि.	(-)874.00	0.00	0.00
			0.00

(95) 2401-796-800-0312-नाबार्ड प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7853-नाबार्ड से सहायता प्राप्त लघु सिंचाई योजना-			
मूल	4,978.00		
पुनर्वि.	(-)4,978.00	0.00	0.00
			0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (94) एवं (95) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान क्रमशः ₹ 874.00 लाख एवं ₹ 4,978.00 लाख का प्रत्याहरण "नाबार्ड" से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

## अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(96) 2402-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7350-एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम- मूल 5,700.00 पुनर्वि. (-)4,076.67	1,623.33	1,623.33	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,076.67 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा विमुक्त निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(97) 2403-796-101-0312- नाबार्ड प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7471-नाबार्ड योजनांतर्गत पशुधन एवं कुक्कुट उद्यमिता विकास हेतु अनुदान- मूल 684.00 पुनर्वि. (-)684.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 684.00 लाख का प्रत्याहरण "नाबार्ड" से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है।			
(98) 2405-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)- मूल 565.00 पुनर्वि. (-)184.39	380.61	363.12	(-)17.49
(99) 2405-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7814-नीलक्रांति अंतर्गत मत्स्य पालन विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रम- मूल 881.00 पुनर्वि. (-)90.36	790.64	790.64	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (98) एवं (99) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 184.39 लाख एवं ₹ 90.36 लाख की कमी के साथ क्रम संख्या (98) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (98) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(100) 2406-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2962-अवनत वनों का विकास- मूल 8,620.00 पूरक (-)150.38	8,469.62	8,441.43	(-)28.19
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 150.38 लाख की कमी दिए गए निर्धारित समयान्तराल में अधीनस्थ कार्यालयों से मांग अप्राप्त रहने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(101) 2406-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2533-हरियाली प्रसार योजना- मूल 3,300.00 पूरक (-)226.97	3,073.03	3,059.85	(-)13.18

## अनुदान संख्या 41-जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 226.97 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(102) 2406-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6724-बांस वनों का पुनरोद्धार- मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)76.11	1,923.89	1,556.32	(-)367.57

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 76.11 लाख की कमी दिए गए निर्धारित समयान्तराल में अधीनस्थ कार्यालयों से मांग प्राप्त नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(103) 2406-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7731-बांड़ी बांस योजना- मूल 380.00 पुनर्वि. (-)311.89	68.11	68.79	+0.68
--	-------	-------	-------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 15.41 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 296.48 लाख की अन्य कमी निधि का उपयोग नहीं किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 311.89 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन द्वारा कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

(104) 2406-01-796-105-0802- केन्द्र क्षेत्रीय योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5231-लघु वनोपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान- मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण भारत सरकार से स्वीकृति अप्राप्त रहने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(105) 2406-01-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5231-लघु वनोपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान- मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)719.00	781.00	781.00	0.00
--	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 719.00 लाख की कमी कम व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(106) 2406-02-796-110-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6771-अचानकमार अमरकंटक बायोस्फेयर रिजर्व का विकास	250.80	148.17	(-)102.63
--	--------	--------	-----------

(107) 2406-02-796-110-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 3730-प्रोजेक्ट टाईगर	2,200.00	1,222.90	(-)977.10
--	----------	----------	-----------

(108) 2406-02-796-110-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6539-राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों का विकास	380.00	96.75	(-)283.25
--	--------	-------	-----------

## अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(109) 2406-02-796-800-0102-राज्य आयोजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6886-पुल निर्माण एवं वन मार्गों पर रपटा	240.00	101.05	(-)138.95
उपरोक्त क्रम संख्या (106) से (109) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (106) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2009-10 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (107) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(110) 2406-04-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7261-राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम-	मूल 2,487.00 पुनर्वि. (-)1761.87	725.13	725.13 0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,761.87 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति अप्राप्त रहने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(111) 2408-01-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7801-मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना-	मूल 1,026.00 पुनर्वि. (-)1,026.00	0.00	0.00 0.00
₹ 1,026.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण भारत सरकार से स्वीकृति अप्राप्त रहने के कारण उल्लिखित किया गया है।			
(112) 2408-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3248-राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति-	मूल 19,000.00 पुनर्वि. (-)1,900.00	17,100.00	17,100.00 0.00
(113) 2408-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5456-अन्त्योदय अन्न योजना-	मूल 3,420.00 पुनर्वि. (-)1,350.34	2,069.66	2,069.66 0.00
(114) 2408-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6839-मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना-	मूल 1,44,000.00 पुनर्वि. (-)45,712.80	98,287.20	98,287.20 0.00
(115) 2408-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7436-अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत चना वितरण योजना-	मूल 40,000.00 पुनर्वि. (-)7,970.93	32,029.07	32,029.07 0.00

## अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(116) 2408-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8933-शक्कर वितरण योजना-			
मूल	1,520.00		
पूरक	3,800.00		
पुनर्वि.	(-)2,413.08	2,906.92	2,906.92
			0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (112) से (116) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,900.00 लाख, ₹ 1,350.34 लाख, ₹ 45,712.80 लाख, ₹ 7,970.93 लाख एवं ₹ 2,413.08 लाख की कमी राज्य सरकार से स्वीकृति अप्राप्त रहने के कारण उल्लिखित की गई है।

(117) 2425-796-107-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5628-किसान ऋण की ब्याज युक्तिकरण के लिए ब्याज अनुदान-			
मूल	7,032.00		
पुनर्वि.	(-)2,700.00	4,332.00	4,332.00
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,700.00 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति अप्राप्त रहने के कारण उल्लिखित की गई है।

(118) 2501-06-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7490-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-			
मूल	8,170.00		
पुनर्वि.	(-)2,586.22	5,583.78	5,583.78
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,586.22 लाख की कमी राज्यांश के समतुल्य केंद्रांश से निधि विमुक्त किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(119) 2505-60-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7877-मुख्यमंत्री मनरेगा मजदूर टिफिन वितरण योजना-			
मूल	760.00		
पुनर्वि.	(-)760.00	0.00	0.00
			0.00

₹ 760.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण जिलों द्वारा निधि आहरित नहीं करने के कारण उल्लिखित किया गया है।

(120) 2515-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1208-ग्रामीण यांत्रिकी सेवा-			
मूल	3,846.76		
पुनर्वि.	(-)303.30	3,543.46	2,596.71
			(-)946.75

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 303.30 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

(121) 2702-03-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5707-शाकम्बरी प्रोजेक्ट-			
मूल	1,520.00		
पुनर्वि.	(-)1,142.57	377.43	373.51
			(-)3.92

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,142.57 लाख की कमी "चेम्पस" के अंतर्गत प्राप्त आवेदन की तुलना में "छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम" द्वारा पर्याप्त सामग्री की आपूर्ति निर्धारित समयान्तराल में नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।



## अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(122) 2801-06-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7305-5 एच.पी. कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए अनुदान-			
मूल	72,768.00		
पुनर्वि.	(-)17,261.00	55,507.00	55,507.00
			0.00
(123) 2801-80-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6501-एकल बल्ब कनेक्शन के लिए अनुदान-			
मूल	18,031.00		
पुनर्वि.	(-)2,319.00	15,712.00	15,712.00
			0.00
(124) 2801-80-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7620-उपभोक्ताओं को बिजली बिल में छूट-			
मूल	7,600.00		
पूरक	14,636.00		
पुनर्वि.	(-)5,396.00	16,840.00	16,840.00
			0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (122) से (124) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 17,261.00 लाख, ₹ 2,319.00 लाख एवं ₹ 5,396.00 लाख की कमी राज्य सरकार द्वारा निधि वर्ष के अन्त तक विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(125) 2810-796-800-0410-ऊर्जा विकास निधि- 3188-ऊर्जा विकास संस्थान को सहायता अनुदान	450.00	292.50	(-)157.50
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(126) 2810-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5415-ग्रामीण उर्जा को सहायक अनुदान-			
मूल	280.00		
पुनर्वि.	(-)168.00	112.00	112.00
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 168.00 लाख की कमी राज्य सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(127) 2851-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6857-उद्योगों को ब्याज अनुदान-			
मूल	800.00		
पुनर्वि.	(-)267.43	532.57	532.57
			0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 225.70 लाख की कमी जिलों द्वारा प्रकरण प्राप्त नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 41.72 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 267.43 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2009-10 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(128) 2851-796-104-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4748-हस्तशिल्प निगमों को विकास योजना के तहत अनुदान-			
मूल	197.17		
पुनर्वि.	(-)107.50	71.67	71.67
			0.00

## अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(129) 2851-796-107-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5662-पालित प्रजाति के कृमि पालकों काटसर स्वास्थ्य डिम्ब समूह- मूल 1,241.71 पुनर्वि. (-)596.34	645.37	645.37	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (128) एवं (129) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 107.50 लाख एवं ₹ 596.34 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (128) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(130) 2852-80-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5385-नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना- मूल 1,967.18 पुनर्वि. (-)1,967.18	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

₹ 1967.18 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

(131) 3275-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7776-कौशल विकास एवं प्लेसमेंट हेतु अनुदान- मूल 128.00 पुनर्वि. (-)96.25	31.75	31.75	0.00
---	-------	-------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 96.25 लाख की कमी जिलों से निधि हेतु मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 110-अशासकीय विद्यालयों को अनुदान- (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)- मूल 1,800.00 पुनर्वि. 116.97	1,916.97	1,916.97	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 116.97 लाख का आवर्धन अशासकीय विद्यालयों के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों का भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है।

(2) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5216-हाई स्कूल- मूल 9,523.29 पुनर्वि. 2,073.69	11,596.98	11,933.68	+336.70
---	-----------	-----------	---------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,493.59 लाख की वृद्धि 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार वेतन वृद्धि होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 419.90 लाख की कमी महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किए जाने, रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, यात्रा देयकों के लम्बित रहने एवं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से निधि की मांग अनुसार भुगतान किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,073.69 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

## अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2202-03-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 110-अशासकीय विद्यालयों को अनुदान- (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)- मूल 2,300.00 पुनर्वि. 187.66	2,487.66	2,487.66	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 187.66 लाख का आवर्धन अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों का भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है।			
(4) 2210-03-796-197-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5998-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र- मूल 6,626.50 पूरक सांकेतिक 6,626.50	6,626.50	7,734.53	+1,108.03
(5) 2210-03-796-198-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2777-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र- (मूलभूत सेवाएं) 8,874.80	8,874.80	9,350.44	+475.64
(6) 2210-03-796-198-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 620-उप स्वास्थ्य केन्द्र 3,696.00	3,696.00	5,640.82	+1,944.82
उपरोक्त क्रम संख्या (4) से (6) के शीर्षान्तर्गत अत्याधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2012-13 से 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (6) एवं 2014-15 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत भी आधिक्य हुआ था।			
(7) 2236-02-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7747-महतारी जतन योजना- मूल 950.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 432.18	1,382.18	1,380.52	(-)1.66
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 500.00 लाख की वृद्धि व्यंजन वाहिकाओं का क्रय किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 67.82 लाख की कमी आंगनवाड़ी केन्द्रों के चलायमान नहीं होने एवं गर्भवती महिलाओं की कम उपस्थिति रहने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 432.18 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।			
(8) 2401-796-108-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7267-एन.एम.एस.ए.सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट योजना- मूल 312.00 पुनर्वि. 131.93	443.93	444.30	+0.37
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 345.60 लाख की वृद्धि मृदा स्वास्थ्य कार्ड एवं मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए स्वीकृत प्राप्त होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 213.67 लाख की कमी केन्द्र एवं राज्य सरकार से जारी स्वीकृति अनुसार व्यय किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 131.93 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।			
(9) 2406-01-796-070-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6886- पुल निर्माण एवं वन मार्गों पर रपटा- मूल 1450.00 पुनर्वि. (-)1.33	1,448.67	1,586.91	+138.24
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1.33 लाख की कमी आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

## अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 2505-60-796-196-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6728-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना-			
मूल	45,600.00		
पूरक	3,230.00		
पुनर्वि.	15,719.08	64,549.08	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15,719.08 लाख का आवर्धन निधि के लिए अतिरिक्त मांग की आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(11) 2852-80-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 9068-औद्योगिक इकाईयों को लागत पूंजी अनुदान-			
मूल	1,200.00		
पूरक	200.00		
पुनर्वि.	199.59	1,599.59	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख की वृद्धि व्यंजन वाहिकाओं के क्रय किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.41 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 199.59 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। समर्पण द्वारा कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

प्रभारित-

(v) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2018 को अभ्यर्पित किया गया। 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vi) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अगस्त 2017 (₹ 13,238.49 लाख), दिसम्बर 2017 (₹ 6,558.01 लाख) एवं फरवरी 2018 (₹ 5,935.60 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 25,732.10 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक निधि से सीमित किया जा सकता था।

(vii) ₹ 96,295.03 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 89,518.46 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-01-796-202-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 1400-विवेकानन्द गुरुकुल उन्नयन योजना-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00

(2) 4202-01-796-202-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8979-एकीकृत अम्ब्रेला योजना-			
मूल	1,200.00		
पुनर्वि.	(-)1,200.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान क्रमशः ₹ 500.00 लाख एवं ₹ 1,200.00 लाख का प्रत्याहरण भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2014-15 से 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2010-11 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

## अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 4202-01-796-202-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1400—विवेकानन्द गुरुकुल उन्नयन योजना— मूल 9,600.00 पुनर्वि. (-)2,019.00	7,581.00	8,851.84	+1,270.84
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,019.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 4202-01-796-202-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7367—मॉडल स्कूल योजना— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)600.00	0.00	0.00	0.00
₹ 600.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण डी.ए.वी. स्कूल के समझौते अनुसार मॉडल स्कूलों की अधोसंरचना अनुदान हेतु साधारण बजट के अतिरिक्त एकमुस्त निधि का प्रावधान होने के कारण उल्लिखित किया गया है।			
(5) 4202-01-796-202-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 9005—भवनों का रखरखाव— सूक्ष्म कार्य एवं मरम्मत— मूल 8,000.00 पुनर्वि. (-)5,005.20	2,994.80	2,869.80	(-)125.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 5.20 लाख की कमी जिला शिक्षा अधिकारी कांकरे द्वारा निधि का आहरण नहीं किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 5,000.00 लाख की अन्य कमी हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूल के लिए अधिक प्रावधान किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 5,005.20 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2009-10 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(6) 4202-01-796-202-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 9840—शिक्षा संस्थानों एवं भवनों का निर्माण कार्य— मूल 7,500.00 पुनर्वि. (-)1,070.08	6,429.92	6,437.29	+7.37
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,070.08 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई हैं।			
(7) 4202-01-796-203-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7252—विश्वविद्यालयों के स्थापना हेतु ऋण का पुनर्भुगतान— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण ऋणों का पुनर्भुगतान नहीं कि जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 4202-01-796-203-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7289—सरगुजा विश्वविद्यालय— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)398.00	102.00	102.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 398.00 लाख की कमी राज्य सरकार द्वारा निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

## अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 4202-01-796-203-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7290—बस्तर विश्वविद्यालय— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
₹ 500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण राज्य सरकार द्वारा निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(10) 4202-02-796-103-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं— मूल 210.00 पुनर्वि. (-)186.68	23.32	23.32	0.00
(11) 4202-02-796-103-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7438—स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट मिशन— मूल 412.00 पुनर्वि. (-)393.94	18.06	18.06	0.00
(12) 4202-02-796-103-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)482.67	17.33	17.33	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (10) से (12) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 186.68 लाख, ₹ 393.94 लाख एवं ₹ 482.67 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2013-14 से 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत एवं 2012-13 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(13) 4202-02-796-104-0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 2668—पॉलिटेक्निक संस्थाएं— मूल 4,170.00 पुनर्वि. (-)1,605.01	2,564.99	2,260.87	(-)304.12
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,605.01 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं भवन निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(14) 4202-02-796-104-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2668—पॉलिटेक्निक संस्थाएं— मूल 445.00 पुनर्वि. (-)345.00	100.00	0.00	(-)100.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 345.00 लाख की कमी वित्त विभाग से अधिक निधि विमुक्त किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(15) 4210-01-796-110-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7668—बर्न एवं ट्रामा केयर सेंटर	238.00	0.00	(-)238.00
₹ 238.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			

शीर्ष	अनुदान संख्या 41—जारी		वास्तविक	आधिक्य+
	कुल		व्यय	बचत(-)
	अनुदान		(₹ लाख में)	
(16) 4210-02-796-110-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7851—टर्सरी कैसर संस्थान— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)1,000.00	0.00		0.00	0.00
₹ 1,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।				
(17) 4210-01-796-110-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— 8940—चिकित्सा महाविद्यालय और संबद्ध चिकित्सालय, सरगुजा— मूल 200.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)118.56	81.44		81.44	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 118.56 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(18) 4210-01-796-196-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1473—जिला चिकित्सालय— मूल 3,808.00 पूरक 100.00	3,908.00		1,039.05	(-)2,868.95
(19) 4210-02-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 620—उपस्वास्थ्य केन्द्र	1,500.00		1,056.04	(-)443.96
(20) 4210-02-796-103-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2777—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मूलभूत सेवाएं)	930.00		797.17	(-)132.83
(21) 4210-02-796-104-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5998—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1,512.80		1,048.66	(-)464.14
उपरोक्त क्रम संख्या (18) से (21) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (18) एवं (21) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।				
(22) 4210-03-796-105-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 8941—चिकित्सा महाविद्यालय, सरगुजा— मूल 1,700.00 पुनर्वि. (-)1,170.86	529.14		529.14	0.00
(23) 4210-03-796-105-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5689—चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, जगदलपुर— मूल 550.00 पूरक 50.00 पुनर्वि. (-)165.68	434.32		434.31	(-)0.01
उपरोक्त क्रम संख्या (22) एवं (23) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,170.86 लाख एवं ₹ 165.68 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				

## अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(24) 4215-01-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7353-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-			
मूल	6,080.00		
पूरक	1,747.00		
पुनर्वि.	(-)2,879.54	4,947.46	4,998.55
			+51.09
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2879.54 लाख की कमी भारत सरकार से कम निधि प्राप्त होने, योजना का अनुमोदन नहीं होने एवं राज्य शासन द्वारा राज्यांश विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(25) 4215-01-796-102-0312-नाबार्ड प्रवर्तित योजना (टी.ए.एस.पी.)-			
5403- ग्रामीण नल-जल प्रदाय योजना-			
मूल	2,900.00		
पुनर्वि.	(-)1,174.67	1,725.33	1,639.12
			(-)86.21
(26) 4215-01-796-102-0312-नाबार्ड सहायता योजना (टी.ए.एस.पी.)-			
7858-सौर उर्जा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम-			
मूल	5,393.00		
पुनर्वि.	(-)489.05	4,903.95	4,903.95
			0.00
(27) 4215-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-			
5403-पाईप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना-			
मूल	1,178.00		
पुनर्वि.	(-)208.81	969.19	892.69
			(-)76.50
उपरोक्त क्रम संख्या (25) से (27) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,174.67 लाख, ₹ 489.05 लाख एवं ₹ 208.81 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग नहीं प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। क्रम संख्या (25) एवं (27) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (25) एवं (26) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(28) 4225-02-796-102-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता-			
(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5480-आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार {अनुच्छेद 275(i)}-			
मूल	12,000.00		
पूरक	2,210.64		
पुनर्वि.	(-)2,909.36	11,301.28	11,296.40
			(-)4.88
(29) 4225-02-796-102-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना-			
(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5024-आदिवासी विशेष पिछड़े समूह-			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)892.06	107.94	107.94
			0.00



## अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(30) 4225-02-796-102-0602—अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए भारत सरकार के अलावा निधियों से पोषित— 7626—विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाएं से स्थानीय विकास कार्यक्रम— मूल 15,000.00 पूरक 2,208.66 पुनर्वि. (-)1,740.67	15,467.99	15,002.44	(-)465.55
उपरोक्त क्रम संख्या (28) से (30) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 2,909.36 लाख, ₹ 892.06 लाख एवं ₹ 1,740.67 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ क्रम संख्या (30) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इन शीर्षों के अन्तर्गत बचत हुई थी।			
(31) 4225-02-796-800-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7844—शहीद वीर नारायण स्मारक एवं संग्रहालय— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00	0.00	0.00	0.00
₹ 300.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(32) 4235-02-796-102-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 337—आंगनवाड़ियों का सुधार एवं निर्माण— मूल 1,520.00 पुनर्वि. (-)366.38	1,153.62	1,153.62	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 366.38 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(33) 4401-796-108-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7267—एन.एम.एस.ए. मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजनाएँ— मूल 228.00 पुनर्वि. (-)147.84	80.16	80.16	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 147.84 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गई निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(34) 4406-796-101-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5538—एकीकृत वन सुरक्षा संरक्षण योजना— मूल 684.00 पुनर्वि. (-)684.00	0.00	0.00	0.00
₹ 684.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण भारत सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(35) 4406-02-796-110-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 3730—बाघ परियोजना	140.00	0.00	(-)140.00

## अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(36) 4406-02-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4342-भवन और सड़कों का निर्माण	300.00	97.20	(-)202.80
उपरोक्त क्रम संख्या (35) एवं (36) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (35) एवं 2014-15 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (36) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(37) 4408-02-796-195-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7478-नगरीय क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकान सह गोदाम निर्माण हेतु-			
मूल	228.00		
पुनर्वि	(-)228.00	0.00	0.00
₹ 228.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण राज्य सरकार द्वारा निधि के विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(38) 4415-01-796-277-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 9182-इन्दिरा गांधी विश्वविद्यालय को अनुदान-			
मूल	500.00		
पुनर्वि	(-)250.00	250.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 250.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(39) 4425-796-200-0312-नाबार्ड सहायता योजना (टी.ए.एस.पी.)- 8545-गोदाम निर्माण के लिए नाबार्ड सहायता-			
मूल	190.00		
पुनर्वि	(-)190.00	0.00	0.00
₹ 190.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(40) 4700-03-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2898-बांध एवं संलग्न कार्य-			
मूल	6,700.00		
पुनर्वि.	(-)6,259.37	440.63	441.05
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,259.37 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति, राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं वृक्षारोपण के लिए मुआवजे के भुगतान नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(41) 4700-03-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5685-बांध सुरक्षा और सुदृढीकरण-			
मूल	400.00		
पुनर्वि.	(-)254.94	145.06	145.06
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 254.94 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

## अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(42) 4700—80—796—005—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4416—सर्वेक्षण— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)280.30	19.70	0.00	(-)19.70
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 280.30 लाख की कमी सर्वेक्षण कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014—15 से 2016—17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(43) 4701—22—796—800—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3366—मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015—16 एवं 2016—17के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(44) 4701—25—796—800—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3366—मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण राज्य सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013—14 से 2016—17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(45) 4701—33—796—800—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3366—मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य— मूल 550.00 पुनर्वि. (-)352.02	197.98	197.30	(-)0.68
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 352.02 लाख की कमी वन विभाग से मांग प्राप्त नहीं होने एवं निविदा कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2013—14 से 2016—17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(46) 4701—80—796—005—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3363—मध्यम परियोजना का सर्वे— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)265.98	34.02	34.87	+0.85
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 265.98 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(47) 4702—796—101—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7684—प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना— मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)1,500.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं एजेसियों का निर्धारण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया। 2016—17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

## अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(48) 4702-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3828—लघु सिंचाई योजना— मूल 28,200.00 पुनर्वि. (-)832.01	27,367.99	27,275.91	(-)92.08
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 832.01 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(49) 4702-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4416—सर्वेक्षण— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)212.37	787.63	906.20	+118.57
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 212.37 लाख की कमी सर्वे कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(50) 4702-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5059—एनीकट / स्टॉपडेम का निर्माण— मूल 14,500.00 पुनर्वि. (-)9,741.75	4,758.25	4,667.74	(-)90.51
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9,176.75 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति एवं समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 565.00 लाख की अन्य कमी वित्त विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 9,741.75 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(51) 4702-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7422—औद्योगिक जल संरचना का निर्माण— मूल 16,000.00 पुनर्वि. (-)11,609.68	4,390.32	4,390.37	+0.05
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 11,609.68 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2012-13 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(52) 4801-06-796-800-0410—उर्जा विकास निधि— 6758—कृषि पम्पों का उर्जाकरण	380.00	0.00	(-)380.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(53) 4801-06-796-800-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6758—कृषि पम्पों का उर्जाकरण— मूल 4,530.00 पुनर्वि. (-)2,660.00	1,870.00	2,250.00	+380.00
(54) 4801-80-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8548—मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना— मूल 1,800.00 पुनर्वि. (-)1,391.00	409.00	409.00	0.00

## अनुदान संख्या 41—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (53) एवं (54) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 2,660.00 लाख एवं ₹ 1,391.00 लाख की कमी राज्य सरकार द्वारा वर्षान्त तक निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (53) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2012-13 से 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (53) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(55) 4810-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7652-दीनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योति योजना-			
मूल	2,787.00		
पुनर्वि.	(-)1,639.50	1,147.50	1,147.50
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,639.50 लाख की कमी वित्त विभाग से निधि के आहरण हेतु अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(56) 4810-796-102-0102-अनुसूचित जन जाति उपयोजना- 8965-मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना-			
मूल	1,520.00		
पुनर्वि.	(-)1,520.00	0.00	0.00
			0.00

₹ 1,520.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण वित्त विभाग से आहरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया।

(57) 4853-01-796-004-0420-खनिज एरिया विकास निधि- 7795-यातायात नेटवर्क (नगर विमानन)-			
मूल	2,767.00		
पुनर्वि.	(-)2,767.00	0.00	0.00
			0.00

₹ 2,767.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

(58) 5054-04-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4871-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गों पर पुलों का निर्माण-			
मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	(-)166.00	1,834.00	1,834.00
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 166.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(59) 5054-04-796-337-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 4855-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-			
मूल	30,400.00		
पुनर्वि.	(-)8,480.90	21,919.10	21,919.10
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 8,480.90 लाख की कमी भारत सरकार से निधि कम प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

## अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(60) 5054-04-796-337-0312-नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7475-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना- मूल 7,000.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)1,808.34	5,191.66	3,392.96	(-)1,798.70
(61) 5054-04-796-337-0312-नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8650-मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना- मूल 2,888.00 पूरक 1,900.00 पुनर्वि. (-)2,453.59	2,334.41	1,639.04	(-)695.37
उपरोक्त क्रम संख्या (60) एवं (61) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,808.34 लाख एवं ₹ 2,453.59 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (61) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2011-12 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (60) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(62) 5054-04-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4855-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- मूल 3,250.00 पुनर्वि. (-)3,250.00	0.00	0.00	0.00
₹ 3,250.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण वित्त विभाग से निधि के आहरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(63) 5275-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7861-संचार क्रान्ति योजना- मूल 7,600.00 पुनर्वि. (-)7,532.36	67.64	67.64	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7,532.36 लाख की कमी निविदा प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(64) 6408-02-796-190-0312-नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8545-नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण- मूल 190.00 पूरक 19.00 पुनर्वि. (-)102.16	106.84	106.84	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 102.16 लाख की कमी छत्तीसगढ़ राज्य भंडार निगम से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

## अनुदान संख्या 41—समाप्त

(ix) उपरोक्त टिप्पणी (viii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-01-796-201-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 9005-भवनों का रखरखाव- लघु एवं मरम्मत कार्य- पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,000.00 लाख का आवर्धन प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के लिए मूल बजट में प्रावधान नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया।			
(2) 4406-01-796-070-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4342-रोड एवं भवनों का निर्माण- मूल 1,210.00 पुनर्वि. (-)9.10	1,200.90	1,379.41	+178.51
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 9.10 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(3) 4701-08-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य- मूल 1,020.00 पुनर्वि. 397.29	1,417.29	1,417.29	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 500.00 लाख की वृद्धि निर्माण कार्यों के लम्बित देयकों के भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 102.71 लाख की कमी भूमि अधिग्रहण मुआवजों के प्रकरणों का निदान नहीं होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 397.29 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।			
(4) 4701-34-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2898-बांध और आनुषंगिक कार्य- मूल 950.00 पुनर्वि. 466.62	1,416.62	1,416.62	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 565.00 लाख की वृद्धि निर्माण कार्यों के लम्बित देयकों के भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 98.38 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 466.62 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। समर्पण के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

प्रभारित

(x) ₹ 15.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2018 को अभ्यार्पित किया गया। 2016-17 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 42-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कों और पुल

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष-</b>			
5053-नगर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय			
5054-सड़कों एवं सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
<b>पूंजीगत :</b>			
दत्तमत-			
मूल	1,54,73,900		
पूरक	1,15,000	1,55,88,900	63,25,547
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि			(-)92,63,353 00
प्रभारित	84,200	16,759	(-)67,441 00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि			

टीका एवं टिप्पणियां

**पूंजीगत :**

दत्तमत-

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा अगस्त 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 1,150.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक निधि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 92,633.53 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी निधि अभ्यर्पित नहीं की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5053-02-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4727-हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार-			
मूल	1,560.00		
पूरक	450.00	2,010.00	527.96
			(-)1,482.04
(2) 5054-03-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4149-वृहद् पुलों का निर्माण-			
मूल	22,500.00		
पूरक	100.00	22,600.00	12,120.82
			(-)10,479.18
(3) 5054-03-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3710-राज्यों के राजमार्ग			
	11,154.00	4,049.99	(-)7,104.01

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2003-04 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।



## अनुदान संख्या 42—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)	
(4) 5054-03-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4149-वृहद पुलों का निर्माण— पूरक	100.00	100.00	0.00	(-)100.00
<b>सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 100.00 लाख के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।</b>				
(5) 5054-04-796-337-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7842-आर. आर. पी. फेस-II	54,660.00	14,329.68		(-)40,330.32
(6) 5054-04-796-337-0312-नाबार्ड पोषित योजनाएं— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 6590-नाबार्ड पोषित अनुदान के अन्तर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण	9,000.00	3,359.18		(-)5,640.82
<b>उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।</b>				
(7) 5054-04-796-337-0312-नाबार्ड पोषित योजनाएं— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 7813-ई.पी.सी. (नाबार्ड) के माध्यम से सड़क निर्माण	1,900.00	0.00		(-)1,900.00
<b>सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।</b>				
(8) 5054-04-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2457-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम— मूल	15,000.00			
पूरक	500.00	15,500.00	6,101.22	(-)9,398.78
(9) 5054-04-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3539-मुख्य जिला सड़कें	29,400.00	13,312.13		(-)16,087.87
(10) 5054-04-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4416-सर्वेक्षण	205.00	112.19		(-)92.81

उपरोक्त क्रम संख्या (8) से (10) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत एवं 2014-15 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) ₹ 674.41 लाख के उपलब्ध विनियोग के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

## अनुदान संख्या 42—समाप्त

(v) विनियोग में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
5054-04-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3115-भू-अर्जन हेतु मुआवजा	842.00	167.59	(-)674.41

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

## अनुदान संख्या 43—खेल और युवा कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
<b>2204—खेलकूद एवं युवा सेवाएं</b>			
<b>4202—शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
<b>राजस्व :</b>			
दत्तमत	7,09,452	1,80,616	(-)5,28,836
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			5,27,208
<i>प्रभारित—</i>			
मूल	30		
पूरक	1,606	1,636	(-)5
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			5
<b>पूँजीगत :</b>			
दत्तमत	17,500	15,500	(-)2,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			2,000
टीका एवं टिप्पणियां			

**राजस्व :**  
दत्तमत—

(i) ₹ 5,288.36 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 5,272.08 लाख की निधि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2204—103—2323—निर्देशन एवं प्रशासन—			
मूल	779.69		
पुनर्वि.	(-)189.79	589.90	(-)16.74

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14.13 लाख की वृद्धि मजदूरी दर में वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 203.92 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 189.79 लाख की कमी उल्लिखित की गई। कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2008—09 से 2016—17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2204—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—  
5430—युवा आयोग  
को अनुदान—

मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-)90.00	60.00	60.00
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 90.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

## अनुदान संख्या 43—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2204-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7819-युवा शक्ति योजना-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 79.24 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 420.76 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से ₹ 500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

(4) 2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7296-खेल अकादमी-			
मूल	417.58		
पुनर्वि.	(-)297.22	120.36	120.52
			+0.16

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12.01 लाख की वृद्धि मजदूरी दर में वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 309.23 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 297.22 लाख की कमी उल्लिखित की गई। समर्पण द्वारा कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7473-37 <sup>वें</sup> राष्ट्रीय खेल-			
मूल	4,100.00		
पुनर्वि.	(-)4,100.00	0.00	0.00

₹ 4,100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7777-खेल प्रशिक्षण अकादमी-			
मूल	105.75		
पुनर्वि.	(-)92.62	13.13	13.13
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 92.62 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3706-राज्य स्तरीय संघों एवं अन्य संस्थाओं को अनुदान-			
मुल	110.00		
पुनर्वि.	34.10	144.10	144.10
			0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों के आवर्धन से प्रावधान में ₹ 34.10 लाख की वृद्धि, लगातार खेल आयोजन एवं क्रियाकलापों के जारी रहने के कारण उल्लिखित की गई है।

## अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष —</b>			
<b>2202—सामान्य शिक्षा</b>			
<b>4202—शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
<b>राजस्व :</b>			
दत्तमत—			
मूल	68,24,466		
पूरक	1,000	68,25,466	56,79,505
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)11,45,961 12,45,858
<i>प्रभारित</i>	<i>70</i>	<i>00</i>	<i>(-)70</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)</i>			<i>70</i>
<b>पूंजीगत :</b>			
दत्तमत	1,22,750	31,145	(-)91,605
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			91,605
टीका एवं टिप्पणियां			

**राजस्व:**  
दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 10.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक निधि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 11,459.61 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को किया गया ₹ 12,458.58 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अर्न्तगत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202—03—001—3443—महाविद्यालयीन शिक्षा संचालनालय—			
मूल	616.80		
पुनर्वि.	(-)164.76	452.04	449.27
			(-)2.77
(2) 2202—03—001—7835—छ.ग.राज्य मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद का गठन—			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)190.00	10.00	0.00
			(-)10.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 164.76 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यय किए जाने एवं निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011—12 से 2016—17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 190.00 लाख की कमी छ.ग. राज्य मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद का गठन नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

## अनुदान संख्या 44—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2202-03-001-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 3753—राष्ट्रीय सेवा योजना— मूल 695.50 पुनर्वि. (-)651.40	44.10	104.00	+59.90
समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 651.40 लाख की कमी भारत सरकार से बजट से अतिरिक्त निधि प्राप्त होने, वास्तविक आधार पर व्यय किए जाने एवं निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2011-12 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(4) 2202-03-001-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 8971—राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान— मूल 9,415.00 पुनर्वि. (-)68.32	9,346.68	9,346.67	(-)0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 68.32 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(5) 2202-03-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5205—रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर— मूल 2,800.00 पूरक 10.00 पुनर्वि. (-)230.00	2,580.00	2,580.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 230.00 लाख की कमी राज्य शासन द्वारा निधि के विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(6) 2202-03-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7484—बिलासपुर विश्वविद्यालय— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)60.00	140.00	140.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 60.00 लाख की कमी राज्य शासन द्वारा निधि के विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(7) 2202-03-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7656—दुर्ग विश्वविद्यालय— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)400.00	100.00	100.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 400.00 लाख की कमी निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(8) 2202-03-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9948—विश्वविद्यालय पेंशन भुगतान योजना— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)110.00	490.00	490.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 110.00 लाख की कमी राज्य शासन द्वारा निधि के विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			

## अनुदान संख्या 44—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2202-03-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7751—स्वामी विवेकानंद ज्ञानदीप योजना— मूल 435.00 पुनर्वि. (-)303.22	131.78	131.08	(-)0.70

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 303.22 लाख की कमी वास्तविक आधार पर व्यय किए जाने, राज्य शासन द्वारा निधि के विमुक्त नहीं किए जाने एवं निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(10) 2202-03-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 798—कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय— मूल 45,156.70 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)10,110.87	35,045.83	35,988.37	+942.54
--	-----------	-----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 10,110.87 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2011-12 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(11) 2202-03-104-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3444—महाविद्यालयों को पोषण अनुदान— मूल 4,300.00 पुनर्वि. (-)50.93	4,249.07	4,249.07	0.00
---	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 50.93 लाख की कमी राज्य शासन द्वारा निधि के विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) ₹ 0.70 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2018 को अभ्यर्पित किया गया। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत :  
दत्तमत—

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-01-203-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5205—रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00

₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण राज्य शासन द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4202-01-203-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7484—बिलासपुर विश्वविद्यालय— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण निधि की मांग नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

## अनुदान संख्या 44—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 4202-01-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7656-दुर्ग विश्वविद्यालय-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00
₹ 500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण अपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण उल्लिखित किया गया।			
(4) 4202-01-203-0101-राज्य योजना (सामान्य)- 7751-स्वामी विवेकानन्द ज्ञानदीप योजना-			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	(-)50.00	0.00	0.00
₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			



**अनुदान संख्या 45—लघु सिंचाई निर्माण कार्य**

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
<b>2702—लघु सिंचाई</b>			
<b>4402—मृदा एवं जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
<b>4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
<b>5054—सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
<b>राजस्व</b>	8,28,709	6,13,652	(-)2,15,057
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			2,08,330
<b>पूंजीगत :</b>	47,65,000	29,06,757	(-)18,58,243
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			18,56,667
टीका एवं टिप्पणियां			
<b>राजस्व :</b>			

(i) ₹ 2,150.57 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 2,083.30 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2702-03-101-207-अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य—			
मूल	3,487.94		
पुनर्वि.	(-)357.88	3,130.06	(-)225.39
(2) 2702-03-103-207-अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य—			
मूल	1,371.05		
पुनर्वि.	(-)231.69	1,139.36	(-)9.13
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 357.88 लाख एवं ₹ 231.69 लाख की कमी 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत वित्त विभाग द्वारा अतिरिक्त अनुदान प्रदान किए जाने एवं सहायता अनुदान के अंतर्गत कई रख रखाव कार्य हेतु व्यय नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत एवं 2014-15 से 2016-17 के दौरान एवं क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(3) 2702-03-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5707-शाकम्बरी योजना—			
मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,393.16	606.84	(-)19.70
(4) 2702-03-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5709-किसान समृद्धि योजना हेतु अनुदान —			
मूल	795.00		
पुनर्वि.	(-)119.82	675.18	+25.15

## अनुदान संख्या 45—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,393.16 लाख एवं ₹ 119.82 लाख की कमी चेम्स योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के अनुसार कृषि यंत्रों की आपूर्ति की जाने वाली संस्था द्वारा पर्याप्त सामग्री प्रदाय नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत के अंतिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (3) शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2702-03-102-207-अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य—			
मूल	234.10		
पुनर्वि.	33.81	267.91	456.36
			+188.45

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 53.00 लाख की वृद्धि बकाया देयकों का भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 19.19 लाख की कमी 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत वित्त विभाग द्वारा अतिरिक्त अनुदान प्रदान किए जाने एवं सहायता अनुदान के अंतर्गत कई रख रखाव कार्य हेतु व्यय नहीं किए जाने के सहायता अनुदान एवं विभिन्न रख-रखाव कार्य हेतु निधि का उपयोग न करने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 33.81 का आवर्धन उल्लिखित किया गया। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

पूँजीगत :

(iv) ₹ 18,582.43 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 18,566.67 लाख की रशि अभ्यर्पित की गई।

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4702-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7684-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना—			
मूल	1,500.00		
पुनर्वि.	(-)1,500.00	0.00	0.00
			0.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,500.00 लाख का प्रत्याहरण केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली से स्वीकृति की प्राप्ति नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4702-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—  
4416-सर्वेक्षण—

मूल	600.00		
पुनर्वि.	(-)151.87	448.13	442.94
			(-)5.19

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 151.87 लाख की कमी कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4702-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—  
5059-एनीकट/स्टॉपडेम  
का निर्माण—

मूल	13,500.00		
पुनर्वि.	(-)5,933.84	7,566.16	7,550.28
			(-)15.88

समर्पण द्वारा ₹ 5,933.84 लाख की कमी नवीन कार्य के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत बचत दृष्टिगत हुई है।

## अनुदान संख्या 45—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 4702-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7422-औद्योगिक जल संरचना निर्माण-			
मूल	14,500.00		
पुनर्वि.	(-)8,967.92	5,532.08	5,532.09
			+0.01

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,028.92 लाख की कमी भू अर्जन मुआवजा प्रकरणों का निराकरण नहीं किए जाने एवं ऐजेन्सी का निर्धारण नहीं किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,939.00 लाख की अन्य कमी कार्य की धीमी प्रगति के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 8,967.92 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(5) 5054-05-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7820-सड़क और पुलों का निर्माण-			
मूल	3,000.00		
पुनर्वि.	(-)2,666.15	333.85	333.85
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,666.15 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। (जुलाई 2018)।

(6) 5054-05-337-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7820-सड़क और पुलों का निर्माण-			
मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	(-)2,000.00	0.00	0.00
			0.00

₹ 2,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण ऐजेन्सी का निर्धारण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया।

(vi) उपरोक्त टिप्पणी (v) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4702-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3803-मेजर, माईनर एवं माइक्रो सिंचाई योजना-			
मूल	11,800.00		
पुनर्वि.	2,653.13	14,453.13	14,458.43
			+5.30

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,939.00 लाख की वृद्धि कार्यों के लम्बित देयकों के भुगतान किए जाने एवं भू-अर्जन मुआवजों का भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 285.87 लाख कमी वन विभाग से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,653.13 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(vii) उचंत लेन देन:-

उचंत के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (v) में दर्शाई गई है।

वर्ष 2017-18 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित उचंत लेन देनों का विश्लेषण विभिन्न उपशीर्षों के अन्तर्गत प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है।

## अनुदान संख्या 45—समाप्त

विवरण	प्रारंभिक शेष 1 अप्रैल 2017 को नामें + जमा(-)	वर्ष के दौरान नामें	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2018 को अंतिम शेष नामें + जमा(-)
<b>4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय</b>	(₹ लाख में)			
(i) क्रय	(-)47.83	0.00	0.00	(-)47.83
(ii) भण्डार	+186.40	0.00	0.00	+186.40
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+42.24	0.00	0.00	+42.24
(iv) कार्य शाला उचन्त	+0.04	0.00	0.00	+0.04
<b>योग</b>	<b>+180.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>+180.85</b>

**अनुदान संख्या 46—विज्ञान और टेक्नालॉजी**  
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
<b>3425—अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान</b>			
<b>5425—अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
<b>राजस्व</b>	1,57,500	78,330	(-)79,170
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			79,170
<b>पूंजीगत</b>	60,000	00	(-)60,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			60,000
टीका एवं टिप्पणियां			

**राजस्व:**

**(i) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 3425—60—200—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5433—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को अनुदान— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)450.00	550.00	550.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 450.00 लाख की कमी निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(2) 3425—60—200—0101—राज्य योजना (सामान्य)— 5632—साईन्स सिटी की स्थापना— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)296.70	203.30	203.30	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 296.70 लाख की कमी अमले की नियुक्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(3) 3425—60—200—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6736—केन्द्रीय प्रयोगशाला की स्थापना— मूल 75.00 पुनर्वि. (-)45.00	30.00	30.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 45.00 लाख की कमी निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			

## अनुदान संख्या 46—समाप्त

पूँजीगत :

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5425-600-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 5632-साईन्स सिटी की स्थापना-			
मूल	400.00		
पुनर्वि.	(-)400.00	0.00	0.00
(2) 5425-600-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6736-केन्द्रीय प्रयोगशाला की स्थापना-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00

₹ 400.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने एवं भूमि की उपलब्धता नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण द्वारा प्रत्याहरण निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

**अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग**

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
<b>2203—तकनीकी शिक्षा</b>			
<b>2230—श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास</b>			
<b>4202—शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
<b>राजस्व :</b>			
<b>दत्तमत—</b>			
मूल	37,82,294		
पूरक	72,934	38,55,228	29,57,297
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)8,97,931 4,64,603
<i>प्रभारित</i>	<i>20</i>	<i>00</i>	<i>(-)20</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)</i>			<i>10</i>
<b>पूंजीगत :</b>			
<b>दत्तमत—</b>			
मूल	3,84,550		
पूरक	6,732	3,91,282	1,51,449
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)2,39,833 1,42,656
टीका एवं टिप्पणियां			
<b>राजस्व :</b>			
<b>दत्तमत—</b>			
<b>(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से अत्यन्त कम रहा, अगस्त 2017 (₹ 313.34 लाख) एवं दिसम्बर 2017 (₹ 416.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 729.34 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक निधि से सीमित किया जा सकता था।</b>			
<b>(ii) ₹ 8,979.31 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 4,646.03 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।</b>			
<b>(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-</b>			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2203-001-1869-तकनीकी शिक्षा संचालनालय	398.20	316.38	(-)81.82
<b>बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।</b>			
(2) 2203-001-0101- राज्य योजना (सामान्य)- 7745-छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना	8,000.00	4,706.99	(-)3,293.01
<b>अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।</b>			
(3) 2203-105-0801-केन्द्र क्षेत्र योजना (सामान्य) - 2668 -पॉलीटेक्निक संस्थाएं- मूल पुनर्वि.	313.60 (-)200.00	113.60	36.38 (-)77.22

## अनुदान संख्या 47-जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 200.00 लाख की कमी कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2007-08 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2203-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2668-पॉलीटेक्निक संस्थाएं	7,010.95	6,578.24	(-)432.71
(5) 2203-112-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 502-इंजीनियरिंग महाविद्यालय	3,194.00	2,819.53	(-)374.47
(6) 2203-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8643-मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ब्याज अनुदान योजना-	300.00	167.55	(-)132.45
उपरोक्त क्रम संख्या (4), (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(7) 2230-02-001-3795-रोजगार संचालनालय-			
मूल	256.10		
पुनर्वि.	(-)129.18	126.92	126.87
			(-)0.05
(8) 2230-02-001-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)- 9147-रोजगार कार्यालय-			
मूल	50.00		
पूरक	416.00		
पुनर्वि.	(-)447.18	18.82	18.82
			0.00
(9) 2230-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7632-युवा क्षमता विकास योजना-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)78.94	21.06	21.06
			0.00
(10) 2230-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9147-रोजगार कार्यालय-			
मूल	1,244.00		
पुनर्वि.	(-)254.42	989.58	994.91
			+5.34

उपरोक्त क्रम संख्या (7) से (10) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 129.18 लाख ₹ 447.18 लाख, ₹ 78.94 लाख एवं ₹ 254.42 लाख की कमी वास्तविकता आवश्यकता के आधार पर व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत एवं 2015-16 एवं 2016-17 दौरान क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(11) 2230-03-001-9148-प्रशिक्षण निदेशालय-			
मूल	295.50		
पुनर्वि.	(-)62.28	233.22	237.05
			+3.83

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 62.28 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

(12) 2230-03-003-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान-			
मूल	672.45		
पूरक	67.04		
पुनर्वि.	(-)176.88	562.61	561.75
			(-)0.86

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 176.88 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2010-11 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।



## अनुदान संख्या 47-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(13) 2230-03-003-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान-			
मूल	7,918.30		
पूरक	32.50		
पुनर्वि.	(-)1,123.01	6,827.79	6,882.27
			+54.48
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,123.01 लाख की कमी के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(14) 2230-03-003-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7683-मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना-			
मूल	5,250.00		
पुनर्वि.	(-)2,036.00	3,214.00	3,214.00
			0.00
(15) 2230-03-003-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8935-लाईवलीहुड कॉलेज-			
मूल	250.00		
पुनर्वि.	(-)87.50	162.50	162.50
			0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (14) एवं (15) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 2,036.00 लाख एवं ₹ 87.50 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित-

(iv) ₹ 0.20 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 0.10 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई है।

पूँजीगत :  
दत्तमत-

(v) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 67.32 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक निधि से सीमित किया जा सकता था।

(vi) ₹ 2,398.33 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 1,426.56 लाख का अभ्यर्पण किया गया। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-02-103-0801-केन्द्र क्षेत्र योजना (सामान्य)- 717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं-			
मूल	190.00		
पुनर्वि.	(-)138.00	52.00	52.00
			0.00
(2) 4202-02-103-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)129.43	70.57	70.57
			0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 138.00 लाख एवं ₹ 129.43 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2006-07 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

## अनुदान संख्या 47—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 4202-02-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 717—औद्योगिक प्रशिक्षण— संस्थाएं— मूल 700.00 पुनर्वि. (-)651.13	48.87	48.87	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 651.13 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2011-12 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(4) 4202-02-104-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 2668—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं— मूल 1,666.50 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)300.00	1,366.50	813.96	(-)552.54
--	----------	--------	-----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 300.00 लाख की कमी सामान का क्रय नहीं किए जाने एवं संस्थानों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 4202-02-104-0101—राज्य योजना (सामान्य)— 2668—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं	140.00	76.49	(-)63.51
---	--------	-------	----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 4202-02-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 502—अभियांत्रिकी महाविद्यालय— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)200.00	400.00	44.82	(-)355.18
---	--------	-------	-----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 200.00 लाख की कमी इंजीनियरिंग संस्थानों की मांग अनुसार निधि का आबंटन किए जाने, एवं नेशनल ड्रग एजुकेशन एवं रिसर्च इन्स्टीट्यूट हेतु भूमि हेतु चयन प्रक्रियाधीन होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

## अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
<b>2202—सामान्य शिक्षा</b>			
<b>2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण</b>			
राजस्व	57,253	62,533	+5,280
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			14,672
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

(i) दत्तमत प्रावधान से हुए ₹ 52,79,857 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(ii) ₹ 52.80 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को किया गया ₹ 146.72 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2202-01-101-495-आश्रम और शालाएं—			
मूल	222.33		
पुनर्वि.	(-)138.24	84.09	+199.62

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 138.24 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं किराये का भवन उपलब्ध नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 50—बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से सम्बंधित व्यय  
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
<b>2053—जिला प्रशासन राजस्व</b>	19,960	27,429	+7,469
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)			5,005

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) दत्तमत अनुदान से हुए ₹ 74,69,051 से अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(ii) ₹ 74.69 लाख के अंतिम आधिक्य के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2018 को ₹ 50.05 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन दोषपूर्ण बजट प्रक्रिया को इंगित करता है।

(iii) प्रावधान में आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2053—093—2987—20 सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन—			
मूल	199.60		
पुनर्वि.	(-)50.05	149.55	274.29
			+124.74

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 50.05 लाख की कमी के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015—16 एवं 2016—17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

**अनुदान संख्या 51—धार्मिक न्यास और धर्मस्व**

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
2075—विविध सामान्य सेवायें			
2250—अन्य सामाजिक सेवायें			
4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
<b>राजस्व:</b>			
मूल	1,12,560		
पूरक (31 मार्च 2018)	5,658	1,18,218	96,908
			(-)21,310
			18,334
<b>पूंजीगत</b>	30,000	26,082	(-)3,918
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि			00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, फरवरी 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 56.58 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक निधि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 213.10 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 183.34 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2250—103—3379—मंदिरों की मरम्मत हेतु अनुदान—			
मूल	38.50		
पुनर्वि.	(-)1.27	37.23	10.00
			(-)27.23
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1.27 लाख की कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(2) 2250—800—2003—सिंधु दर्शन /कैलाश मानसरोवर यात्रा—			
मूल	130.00		
पुनर्वि.	(-)130.00	0.00	0.00
₹ 130.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
2016—17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2250—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6292—शासकीय मंदिरों का पुनरोद्धार—			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	(-)30.69	19.31	19.31
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 30.69 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			

पूंजीगत :

(iv) ₹ 39.18 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

## अनुदान संख्या 51—समाप्त

(v) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4250-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5805-मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों पर धर्मशालाओं आदि का निर्माण	300.00	260.82	(-)39.18

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 53—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत  
नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता  
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
2217—शहरी विकास			
2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण			
2853—लौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग			
4217—शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय			
<b>राजस्व :</b>			
मूल	2,10,060		
पूरक	95,404	3,05,464	2,72,655
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)32,809 33,034
<b>पूंजीगत :</b>			
मूल	3,15,000		
पूरक	1,90,000	5,05,000	5,05,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			00 00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) ₹ 328.09 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को किया गया ₹ 330.34 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन बजट पर कमजोर नियंत्रण को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अर्न्तगत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2217-05-789-192-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 7643-मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना-			
मूल	30.00		
पुनर्वि.	(-)30.00	0.00	0.00
₹ 30.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान के लागू होने के कारण उल्लिखित किया गया।			
(2) 2217-05-789-193-1103-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7643-मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना-			
मूल	60.00		
पुनर्वि.	(-)60.00	0.00	0.00
₹ 60.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान के लागू होने के कारण उल्लिखित किया गया।			

शीर्ष	अनुदान संख्या 53—समाप्त		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
	कुल अनुदान			
(3) 2235-60-789-192-1003-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5401-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन—				
मूल	270.00			
पुनर्वि.	(- )36.78	233.22	233.22	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 36.78 लाख की कमी शहरी निकायों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।				
(4) 2853-02-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7611-गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का नगरीय निकायों के लिए अंतरण—				
मूल	380.00			
पूरक	370.07			
पुनर्वि.	(- )141.96	608.11	608.11	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 141.96 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				



अनुदान संख्या 54—कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से सम्बंधित व्यय  
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
<b>2415—कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा</b>			
<b>4415—कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
<b>राजस्व:</b>			
मूल	12,85,000		
पूरक	सांकेतिक	12,85,000	(-)19,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			19,000
<b>पूंजीगत</b>	2,42,000	1,21,000	(-)1,21,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			1,21,000

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 2415-01-120-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—

8902-मेनपाट में आलू

अनुसंधान केन्द्र—

मूल 100.00

पुनर्वि. (-)100.00

0.00

0.00

0.00

राज्य सरकार से निधि के विमुक्त नहीं किए जाने के कारण ₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण किया गया। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2415-01-120-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—

9182-इंदिरा गांधी कृषि

विश्वविद्यालय—

मूल 12,750.00

पूरक सांकेतिक

पुनर्वि. (-)90.00

12,660.00

12,660.00

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 90.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2005-06 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

पूंजीगत :

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

4415-01-277-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—

9182-इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय

को अनुदान—

मूल 2,420.00

पुनर्वि. (-)1,210.00

1,210.00

1,210.00

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,210.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण			
2236—पोषण			
4235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
<b>राजस्व :</b>			
दत्तमत—			
मूल	91,41,658		
पूरक	1,60,002	93,01,660	66,89,841
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)26,11,819 26,11,830
प्रभारित वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि	10	138	+128 00

**पूंजीगत :**

दत्तमत—			
मूल	5,07,150		
पूरक	59,320	5,66,470	4,49,623
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)1,16,847 1,16,847
टीका एवं टिप्पणियां			

**राजस्व :**

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 1,600.02 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक निधि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 26,118.19 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2018 को किया गया ₹ 26,118.30 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235-02-001-9041-महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय—			
मूल	1,271.40		
पुनर्वि.	(-)483.71	787.69	788.81
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 483.71 लाख की कमी लम्बित देयकों के प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित किए गए हैं। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			+1.12
(2) 2235-02-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 5354-एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता योजनान्तर्गत)—			
मूल	2,016.70		
पुनर्वि.	(-)929.86	1,086.84	1,086.84
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 929.86 लाख की कमी एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता योजनान्तर्गत) के क्रियान्वयन में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			0.00

## अनुदान संख्या 55—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2235-02-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7361—सबला योजना— मूल 334.40 पुनर्वि. (-)111.61	222.79	221.59	(-)1.20
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 111.61 लाख की कमी निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2235-02-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7423—इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)2,592.06	407.94	407.94	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 469.67 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 2,122.39 लाख की अन्य कमी केन्द्र सरकार द्वारा योजना की संरचना में परिवर्तन किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,592.06 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2235-02-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7507—राज्य महिला सशक्तीकरण प्राधिकरण के अंतर्गत राज्य महिला आयोग की स्थापना— मूल 261.30 पूरक 0.01 पुनर्वि. (-)229.46	31.85	31.94	+0.09
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 229.46 लाख की कमी केन्द्र सरकार द्वारा योजना की संरचना में परिवर्तन किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2235-02-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 9042—एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम के अन्तर्गत बाल गृह— मूल 1,808.06 पुनर्वि. (-)1,048.21	759.85	755.27	(-)4.58
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,048.21 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2235-02-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 9044—एकीकृत बाल विकास सेवा योजना— मूल 26,074.55 पुनर्वि. (-)6,269.95	19,804.60	19,817.62	+13.02
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,269.95 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2007-08 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(8) 2235-02-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 9130—एकीकृत बाल विकास सेवाओं का पर्यवेक्षण— मूल 764.12 पुनर्वि. (-)344.45	419.67	418.71	(-)0.96

## अनुदान संख्या 55—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 344.45 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2003-04 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2235-02-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 9131—एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण— मूल 100.00 पूरक 1100.00 पुनर्वि. (-)210.89	989.11	987.00	(-)2.11

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 210.89 लाख की कमी निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(10) 2235-02-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 9949—एकीकृत बाल संरक्षण योजना— मूल 6,167.00 पुनर्वि. (-)3,345.94	2,821.06	2,821.06	0.00
---	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,345.94 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2010-11 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(11) 2235-02-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6908—कार्यकर्ताओं एवं सहायकों को मानदेय— मूल 4,500.00 पुनर्वि. (-)426.54	4,073.46	4,110.63	+37.17
--	----------	----------	--------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 426.54 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2008-09 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(12) 2235-02-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7680—आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन एवं ईसीसीई घटक का विकास— मूल 1,450.00 पुनर्वि. (-)989.33	460.67	460.67	0.00
--	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 989.33 लाख की कमी आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(13) 2235-02-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8958—आंगनबाड़ी केन्द्रों का बिजली खर्च— मूल 225.00 पुनर्वि. (-)100.33	124.67	124.84	+0.17
--	--------	--------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 100.33 लाख की कमी आंगनबाड़ी केन्द्रों के विद्युतीकरण न होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(14) 2235-02-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9949—एकीकृत बाल संरक्षण योजना— मूल 150.00 पुनर्वि. (-)150.00	0.00	0.11	+0.11
---	------	------	-------

## अनुदान संख्या 55—जारी

₹ 150.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण कार्य योजना हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(15) 2235-02-103-0801—केन्द्र क्षेत्र योजना (सामान्य)— 7701—बेटी बचाओ—बेटी पढाओ— पूरक 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
(16) 2235-02-103-0801—केन्द्र क्षेत्र योजना (सामान्य)— 7702—महिला हेल्पलाईन— मूल 70.00 पुनर्वि. (-)70.00	0.00	0.00	0.00
(17) 2235-02-103-0801—केन्द्र क्षेत्र योजना (सामान्य) 7703—वन स्टॉप सेन्टर की स्थापना व संचालन— मूल 350.00 पुनर्वि. (-)350.00	0.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (15) से (17) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान क्रमशः ₹ 100.00 लाख, ₹ 70.00 लाख एवं ₹ 350.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण केन्द्र प्रवर्तित योजना का केन्द्र क्षेत्र योजना में परिवर्तन होने एवं राज्य के स्थान पर जिलाधीशों को निधि विमुक्त किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है।

(18) 2235-02-103-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7754—स्वाधार योजना— मूल 174.00 पुनर्वि. (-)146.96	27.04	27.04	0.00
---	-------	-------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 146.96 की कमी भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(19) 2235-02-103-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7824—राजीव गांधी राष्ट्रीय झूलाघर— मूल 775.00 पुनर्वि. (-)625.20	149.80	149.80	0.00
--	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 625.20 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(20) 2235-02-103-0101—राज्य योजना (सामान्य)— 5373—महिला कोष का गठन— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)300.00	200.00	200.00	0.00
--	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 300.00 लाख की कमी प्रथम किस्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(21) 2235-02-103-0101—राज्य योजना (सामान्य)— 7875—सुचिता योजना— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

₹ 500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

## अनुदान संख्या 55—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(22) 2235-02-103-0101-राज्य योजना (सामान्य)- 8626-अनैतिक देह व्यापार एवं यौन शोषण की रोकथाम हेतु कार्यक्रम- मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण पात्र लाभार्थियों के उपलब्ध नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(23) 2235-02-103-0101-राज्य योजना (सामान्य)- 8681-राज्य महिला आयोग- मूल 270.30 पुनर्वि. (-)72.60	197.70	197.81	+0.11
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 72.60 लाख की कमी कर्मचारियों की वास्तविक संख्या के आधार पर व्यय होने के उल्लिखित की गई है।			
(24) 2235-02-103-0101-राज्य योजना (सामान्य)- 8809-घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण (नवा-विहान)- मूल 458.60 पुनर्वि. (-)230.22	228.38	227.87	(-)0.51
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 230.22 लाख की कमी जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसियों की चयन प्रक्रिया अपूर्ण रहने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012-13 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(25) 2235-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8957-नोनी सुरक्षा योजना- मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)1,500.00	500.00	500.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 400.00 लाख की कमी और समर्पण द्वारा ₹ 1,100.00 लाख की अन्य कमी पात्र लाभार्थियों के उपलब्ध नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,500.00 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(26) 2235-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8976-कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु कार्यक्रम- मूल 116.50 पुनर्वि. (-)110.07	6.43	6.43	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 110.07 लाख की कमी मीटिंग का संचालन नियमित रूप से नहीं होने एवं जिला कमेटी मीटिंग में सदस्यों की उपस्थिति कम होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(27) 2236-02-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7361-सबला योजना- मूल 8,250.00 पुनर्वि. (-)140.86	8,109.14	8,093.83	(-)15.31
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 140.86 लाख की कमी आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2007-08 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			

## अनुदान संख्या 55—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(28) 2236-02-101-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 9050—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना— मूल 22,850.00 पुनर्वि. (-)2,589.04	20,260.96	20,262.37	+1.41

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 410.00 लाख की कमी बर्तन खरीदने हेतु अन्य योजना 7747 (महतारी जतन योजना) को निधि का आबंटन होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 2,179.04 लाख की अन्य कमी आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,589.04 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2007-08 से 2016-17 के दौरान इन शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(29) 2236-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6904—पोषक तत्वों की निगरानी योजना— मूल 130.00 पुनर्वि. (-)96.52	33.48	8.48	(-)25.00
--	-------	------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 96.52 लाख की कमी वित्त विभाग से एम. आई. एस. सेल हेतु अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(30) 2236-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7765—मुख्यमंत्री अमृत योजना— मूल 1,740.00 पुनर्वि. (-)1,105.15	634.85	622.31	(-)12.54
---	--------	--------	----------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की कमी बर्तन खरीदने हेतु अन्य योजना 7747 (महतारी जतन योजना) को निधि का आबंटन होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,005.15 लाख की अन्य कमी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ द्वारा जिलों की मांग के अनुरूप दुग्ध आपूर्ति नहीं किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,105.15 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(31) 2236-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8660—मुपत नमक आपूर्ति योजना— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(32) 2236-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9050—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना— मूल 2,197.00 पुनर्वि. (-)1,307.50	889.50	889.50	0.00
--	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,307.50 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2007-08 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235-02-103-0701— केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7879—महिला पुलिस स्वयं सेवक योजना— पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 469.66	469.66	469.66	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 469.66 लाख के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

## अनुदान संख्या 55—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2236—02—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7747—महतारी जतन योजना—			
मूल	1,250.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	609.96	1,859.96	1,862.66
			+2.70

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 910.00 लाख की वृद्धि बर्तन खरीदने हेतु निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 300.04 लाख की कमी आंगनबाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन नहीं होने एवं गर्भवती महिलाओं की कम संख्या होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 609.96 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

प्रभारित—

(v) प्रभारित विनियोग पर हुए ₹ 1,27,764 लाख के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vi) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 593.20 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक निधि से सीमित किया जा सकता था।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4235—02—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 337—आंगनबाड़ियों का सुधार एवं निर्माण—			
मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	(-)482.08	1,517.92	1,517.92
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 482.08 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015—16 एवं 2016—17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4235—02—102—0101—राज्य योजना (सामान्य)— 5564—परियोजना कार्यालय सह संसाधन केन्द्र हेतु भवन निर्माण—			
मूल	80.00		
पुनर्वि.	(-)80.00	0.00	0.00
			0.00

₹ 80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

(3) 4235—02—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य) — 7764—किशोर न्याय अधिनियम अंतर्गत भवन निर्माण—			
मूल	425.00		
पुनर्वि.	(-)74.23	350.77	350.77
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 74.23 लाख की कमी जिलों की आवश्यकता के अनुरूप निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 4235—02—103—0801—केन्द्र क्षेत्र योजना (सामान्य)— 7703—वन स्टॉप सेन्टर की स्थापना व संचालन—			
मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-)150.00	0.00	0.00
			0.00



## अनुदान संख्या 55—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 4235-02-103-0701—केन्द्र क्षेत्र योजना (सामान्य)— 7754—स्वाधार योजना— मूल 199.50 पुनर्वि. (-)199.50	0.00	0.00	0.00
(6) 4235-02-800-9041—महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय— मूल 150.00 पुनर्वि. (-)150.00	0.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (4) से (6) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 150.00 लाख, ₹ 199.50 लाख एवं ₹ 150.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

## अनुदान संख्या 56—ग्रामोद्योग

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
<b>2851—ग्राम एवं लघु उद्योग</b>			
<b>4851—ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
<b>राजस्व :</b>			
दत्तमत	10,15,008	8,17,767	(-)1,97,241
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			1,97,276
<i>प्रभारित</i>	<i>10</i>	<i>00</i>	<i>(-)10</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)</i>			<i>10</i>
<b>पूंजीगत:</b>			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)	14,900	14,583	(-)317
टीका एवं टिप्पणियां			317
<b>राजस्व:</b>			
दत्तमत—			

(i) ₹ 1,972.41 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य 31 मार्च 2018 को किया गया ₹ 1,972.76 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2851-103-931—केन्द्रीय कार्यालय—			
मूल	529.55		
पुनर्वि.	(-)151.96	377.59	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 151.96 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2851-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
7625—हथकरघा सी. एफ. सी. स्थापना—			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)300.00	0.00	0.00
₹ 300.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण वित्त विभाग द्वारा निधि का अनुमोदन नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है।			
(3) 2851-104-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
4748—हस्तशिल्प निगम को विकास योजनाओं हेतु अनुदान—			
मूल	161.02		
पुनर्वि.	(-)64.68	96.34	0.00

## अनुदान संख्या 56—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2851-104-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5458—हस्तशिल्प विकास बोर्ड— मूल 187.53 पुनर्वि. (-)65.52	122.01	122.01	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 64.68 लाख एवं ₹ 65.52 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा निधि की स्वीकृति नहीं दिए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(5) 2851-104-0101— राज्य आयोजना (सामान्य)— 6913—कुम्भकार—टेराकोटा शिल्प योजना— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

₹ 300.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2851-107-3778—रेशम उद्योग की क्रियाओं का क्रियान्वयन— मूल 4897.43 पुनर्वि. (-)979.25	3918.18	3918.58	+0.40
---	---------	---------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 892.19 लाख की कमी, जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 87.16 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 979.25 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। ₹ 87.16 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2011-12 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2018 को अभ्यर्पित किया गया। 2016-17 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय  
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
<b>2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत</b>			
<b>6245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज</b>			
<b>राजस्व:</b>			
मूल	59,17,321		
पूरक	67,50,000	1,26,67,321	1,04,09,471
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)22,57,850 26,15,554
<b>पूँजीगत</b>	2,000	00	(-)2,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			2,000

टीका एवं टिप्पणियां

**राजस्व:**

(i) ₹ 22,578.50 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2018 को किया गया ₹ 26,155.54 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2245-01-101-7710—फसल क्षति हेतु सहायता—			
मूल	1,600.00		
पूरक	67,500.00		
पुनर्वि.	(-)12,217.42	56,882.58	56,632.74
			(-)249.84
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9,224.70 लाख की वृद्धि सूखाग्रस्त क्षेत्रों के पीड़ितों को अनुदान देने एवं समर्पण द्वारा ₹ 21,442.12 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं जिला कलेक्टरों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 12,217.42 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(2) 2245-01-800-1467—जिला एवं अन्य सडकें—			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)965.00	35.00	0.00
			(-)35.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 965.00 लाख की कमी जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2010-11 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(3) 2245-01-800-2389—निर्माण कार्य—			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00	35.00	0.00
			0.00
(4) 2245-01-800-3819—लघु सिंचाई (कृषि)—			
मूल	800.00		
पुनर्वि.	(-)800.00	0.00	0.00
			0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान क्रमशः ₹ 500.00 लाख, ₹ 800.00 लाख के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2011-12 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

## अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 2245-02-101-2018—नगद दान— मूल 2,080.00 पुनर्वि. (-)1,009.82	1,070.18	1,130.71	+60.53
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,009.82 लाख की कमी जिलाधीशों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(6) 2245-02-106-1467—जिला एवं अन्य सडकें— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)2,987.32	12.68	162.67	+149.99
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,987.32 लाख की कमी जिलाधीशों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(7) 2245-02-107-7349—मरम्मत— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
(8) 2245-02-108-7349—मरम्मत— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
(9) 2245-02-109-7349—मरम्मत— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (7) से (9) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2012-13 से 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2010-11 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(10) 2245-02-110-2018—नगद दान— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)511.11	88.89	79.39	(-)9.50
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 511.11 लाख की कमी जिलाधीशों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2016-17 के दौरान उपरोक्त इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(11) 2245-02-111-7352—शोकाकुल परिवारों को सहायक अनुदान— मूल 1,900.00 पुनर्वि. (-)660.00	1,240.00	1,661.48	+421.48
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 140.00 लाख की वृद्धि जिलाधीशों को अनुदान दिए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 800.00 लाख की कमी जिला कलेक्टरों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 660.00 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2012-13 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2245-02-112-5607—बाढ़ नियंत्रण— मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)1,145.89	354.11	136.63	(-)217.48
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,145.89 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं जिलाधीशों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

## अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(13) 2245-02-112-7357—बाढ़ आदि में सहायता— मूल 110.00 पुनर्वि. (-)110.00	0.00	0.00	0.00
₹ 110.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण जिलाधीशों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2245-02-113-7357—बाढ़ आदि में सहायता— मूल 1,400.00 पुनर्वि. (-)900.26	499.74	493.77	(-)5.97
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 900.26 लाख की कमी जिलाधीशों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 2245-02-114-7357—बाढ़ आदि में सहायता— मूल 1,100.00 पुनर्वि. (-)418.52	681.48	839.70	+158.22
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,118.52 लाख की कमी जिलाधीशों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,700.00 लाख की वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रवधान में ₹ 418.52 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन द्वारा वृद्धि के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(16) 2245-02-117-7357—बाढ़ आदि में सहायता— मूल 800.00 पुनर्वि. (-)238.86	561.14	577.93	+16.79
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 75.10 लाख की वृद्धि, जिलाधीशों को सहायता अनुदान प्रदाय करनें एवं समर्पण द्वारा ₹ 313.96 लाख की कमी, जिला कलेक्टरों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 238.86 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 2245-02-122-989—क्षतिग्रस्त सिंचाई बाढ़, नियंत्रण निर्माण कार्य के मरम्मत और उसकी पुनःस्थापना— मूल 2,890.00 पुनर्वि. (-)2,890.00	0.00	0.00	0.00
₹ 2,890.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण जिला कलेक्टरों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2010-11 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(18) 2245-05-101-4849—राष्ट्रीय आकस्मिक राहत कोष से आपदा राहत कोष में अंतरण— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)3,000.00	0.00	0.00	0.00
₹ 3,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है।			

## अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(19) 2245-05-101-7427—राज्य आपदा मोचन निधि—			
मूल	26,500.00		
पुनर्वि.	(-)600.00	25,900.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 600.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधि के प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(20) 2245-80-001-2304—निर्देशन एवं प्रशासन—			
मूल	139.00		
पुनर्वि.	(-)62.28	76.72	(-)2.10
(21) 2245-80-001-0801—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7770—योजना कार्यान्वयन एवं आपदा विश्लेषण—			
पूरक	112.00		
पुनर्वि.	(-)61.56	50.44	+0.82

उपरोक्त क्रम संख्या (20) एवं (21) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 62.28 लाख एवं ₹ 61.56 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (21) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2245-01-101-2018—नगद दान—			
मूल	850.00		
पुनर्वि.	(-)0.20	849.80	+488.08

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 0.20 लाख की कमी के साथ अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(2) 2245-01-102-2661—पेयजल आपूर्ति—			
पूरक	50.00		
पुनर्वि.	1,001.00	1,051.00	(-)126.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,001.00 लाख का आवर्धन जल आपूर्ति के लिए अतिरिक्त निधि का आबंटन, सूखा राहत हेतु बेमेतरा एवं मुंगेली जिलाधीशों को पेय जल अंपूर्ति की व्यवस्था किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

(3) 2245-80-800-2018—नगद दान—			
मूल	1,654.00		
पुनर्वि.	259.97	1,913.97	+175.80

समर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 540.68 की लाख की कमी जिला कलेक्टरों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 800.65 लाख की वृद्धि जिलाधीशों को सहायता अनुदान प्रदान किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 259.97 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

(4) 2245-80-800-7408—राज्य आपदा प्रबंधन के तहत कार्य कुशलता वृद्धि—			
मूल	2,612.21		
पुनर्वि.	63.42	2,675.63	(-)0.02

## अनुदान संख्या 58—जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 133.08 लाख की वृद्धि होमगार्डों एवं सिविल सुरक्षा मुख्यालय नया रायपुर को निधि आबंटन किए जाने, प्रशासनिक प्रेस को भुगतान किए जाने एवं जिलाधीशों को सहायक अनुदान दिए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 69.66 लाख की कमी संचालक होमगार्ड द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने एवं निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 63.42 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 2245-80-800-747-ओलावृष्टि पीड़ितों को राहत—			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	574.00	1,574.00	2,171.44
(6) 2245-80-800-7729-बिजली, खान एवं बाढ़ आपदा—			
मूल	1,680.00		
पुनर्वि.	1,406.60	3,086.60	4,365.57

उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में क्रमशः ₹ 574.00 लाख एवं ₹ 1,406.60 लाख का आवर्धन जिलाधीशों को सहायता अनुदान प्रदान करने के कारण उल्लिखित किया गया है। इन शीर्षान्तर्गत अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत भी आधिक्य हुआ था।

(7) 2245-80-800-96-आग के फैलने से राहत—				
मूल	1,138.00			
पुनर्वि.	422.50	1,560.50	2,432.50	+872.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 472.50 लाख की वृद्धि जिलाधीशों को सहायक अनुदान प्रदान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 50.00 लाख की कमी जिलाधीशों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 422.50 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

## (iv) अकाल राहत निधि—

1 अप्रैल 2017 को निधि में प्रारंभिक शेष ₹ 777.54 लाख (जमा) था। वर्ष के दौरान ₹ 8.62 लाख जमा की गई एवं भारत सरकार की प्रतिभूतियों में वर्ष के दौरान कोई निधि निवेश नहीं की गयी। 31 मार्च 2018 को निधि का अंत शेष ₹ 786.16 लाख (जमा) था।

निधि लेखा का 31 मार्च 2018 को अंतिम शेष निम्नानुसार है :-

विवरण		01 अप्रैल 2017 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2018 को अंतशेष
		₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में
8223					
अकाल	101 निधि लेखा	368.77 (जमा)	00	8.62	377.39 (जमा)
राहत	102 निवेश लेखा	408.77 (जमा)	00	0.00	408.77 (जमा)
निधि	योग	777.54 (जमा)	00	8.62	786.16 (जमा)

निधि के लेन देनों का लेखा राज्य वित्त लेखे वर्ष 2017-18 के आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संव्यवहारों का विस्तृत विवरण क्रम संख्या-21 में सम्मिलित किया गया है।

## (v) राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) :-

आपदा प्रबंधन विधेयक 2005 के खण्ड 48 (1) (क) राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) का गठन करने की स्वीकृति देती है। 'आपदा प्रबंधन विधेयक-2005 के खंड 48 (1) (क) के उपबंधों में भारत सरकार, गृह मंत्रालय



अनुदान संख्या 58—समाप्त

(आपदा पबंधन विभाग) के पत्र क्रम संख्या 33-5/2015-एन.डी.एम-1 दिनांक 30 जुलाई 2015 के अनुसार 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा को स्वीकार किया गया है।

चक्रवात, सूखा, भूकंप, अग्नि, बाढ़, सूनामी, ओला वृष्टि, भू-स्खलन, हिम स्खलन, बादल फटना एवं कीटों के आक्रमण आदि से पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए राज्य आपदा मोचन निधि का उपयोग किया जावेगा।

राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत 2015-16 से 2019-20 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष की निधि को 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार निर्धारित किया जावेगा। राज्य आपदा मोचन निधि की कुल निधि में 75 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार द्वारा जबकि 25 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा।

वर्ष 2017-18 के लिए कुल प्रावधानित निधि ₹ 29,693.27 लाख में से केन्द्रांश ₹ 19,425.00 लाख एवं राज्यांश ₹ 6,475.00 लाख था।

केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान प्राथमिक अवस्था में लेखा शीर्ष "1601-भारत सरकार से सहायक अनुदान-01 आयोजनेत्तर अनुदान-109-राज्य आपदा मोचन निधि में अंशदान हेतु अनुदान" के अंतर्गत जमा होता था। भारत सरकार के अंशदान सहित सम्पूर्ण अंशदान लेखा शीर्ष "8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि-122-राज्य आपदा मोचन निधि" में अंतरण, अनुदान संख्या 58 के लेखा शीर्ष "2245-दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत-05-राज्य आपदा मोचन निधि -101-आरक्षित निधि में अंतरण" में इस बावत प्रावधान करने के बाद किया गया है। मोचन सहायता पर व्यय आरंभ में इस अनुदान में प्रावधान के विरुद्ध नामें किया जाता है, एवं वर्षके लेखा बंदी से पूर्व समान मात्रा की निधि अंतरित कर "2245-दैवीय विपत्तियों के संबंध में राहत 05-राज्य आपदा मोचन निधि में अंतरण 901-राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत पुर्नप्राप्तियां में समायोजित किया जाता है।

1 अप्रैल 2017 को निधि में प्रारंभिक शेष ₹ 69,320.34 लाख (जमा) था। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान लेखा शीर्ष "8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि-122-राज्य आपदा मोचन निधि" में ₹ 26,303.66 लाख जमा किया गया। लेखा शीर्ष "2245-05-101-7427 को नामें किया गया है। ₹ 78,068.83 का व्यय राष्ट्रीय आपदा निधि में किया गया जिसे इस निधि में नामें किया गया। 31 मार्च 2018 को निधि का अंत शेष ₹ 17,555.17 लाख (जमा) था। वर्ष के दौरान निधि में कोई भी निवेश एवं ब्याज जमा नहीं किया गया।

निधि में हुई अभिवृद्धि का पूंजी निवेश भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियां नीलाम किए गए खजाना बिल एवं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ब्याज वाले जमा और जमा प्रमाण पत्र में निवेश करना चाहिए। यदि निधि का निवेश संभव न हो तो, इस पर राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक की अधिविकर्षण विनिमय योजना के अन्तर्गत लागू ब्याज दर से ब्याज का भुगतान करना चाहिए। ब्याज अर्ध वार्षिक आधार पर मुख्य शीर्ष "2049-ब्याज आदयी"-05- आरक्षित निधियों पर ब्याज-105-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज को नामें किया जाता है।

आपदा प्रबंधन में निहित प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एन.डी.आर.एफ.) के गठन को अधिसूचित किया। जब भी राज्य सरकार एस.डी.आर.एफ. में राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एन.डी.आर.एफ.) से अतिरिक्त अनुदान द्वारा पूर्ति की जाती है तब ऐसी निधि को अन्तरण एवं लेखांकन प्रक्रिया के प्रयोजन हेतु एस.डी.आर.एफ.निधि के रूप में माना जाता है।

भारत सरकार द्वारा उपरोक्त उल्लेखित प्रकृति आपदा को गम्भीर प्रकृति के रूप में माना है एवं राज्य सरकार द्वारा उसके स्वयं राज्य आपदा मोचन निधि में उपलब्ध शेष से अधिक व्यय की जरूरत है, तो एन.डी.आर.एफ. से तत्काल राहत सहायता हेतु पात्र होगा।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एन.डी.आर.एफ.) से निधि ₹ 4,931.00 लाख की निधि विमुक्त की है एवं राज्य शासन का पत्र क्रमांक एफ 23(32)/एफ.सी.डी/2015 दिनांक 13.03.2018 द्वारा इसके जमा हेतु स्वीकृति जारी की है।

निधि के लेन देनों का लेखा वित्त लेखे वर्ष 2017-18 के आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संव्यवहारों का विस्तृत विवरण क्रम संख्या-21 में दर्शाया गया है।

पूंजीगत :

(vi) ₹ 20.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2018 को अभ्यर्पित किया गया। 2011-12 से 2016-17 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।

**अनुदान संख्या 60—जिला परियोजनाओं से सम्बंधित व्यय**  
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
<b>3451—सचिवालय आर्थिक सेवाएं</b>			
<b>4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
<b>राजस्व:</b>			
मूल	7,100		
पूरक	3,50,000	3,57,100	(-)4,014
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			4,014
<b>पूंजीगत</b>	<b>5,20,000</b>	<b>5,14,868</b>	<b>(-)5,132</b>
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			4,796
टीका एवं टिप्पणियां			

**राजस्व :**

**(i) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
3451—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
7282—जिला योजना का			
सुदृढीकरण—			
मूल	71.00		
पुनर्वि.	(-)40.14	30.86	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 40.14 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2008—09 से 2016—17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

**पूंजीगत :**

**(ii) ₹ 51.32 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 47.96 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।**

**(iii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4515—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
7493—विधान सभा निर्वाचन			
क्षेत्र विकास योजना—			
मूल	5,200.00		
पुनर्वि.	(-)47.96	5,152.04	(-)3.36

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 47.96 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

अनुदान संख्या 64—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

मुख्य शीर्ष—

- 2014—न्याय प्रशासन  
 2055—पुलिस  
 2202—सामान्य शिक्षा  
 2203—तकनीकी शिक्षा  
 2204—खेलकूद एवं युवा सेवाएं  
 2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य  
 2211—परिवार कल्याण  
 2215—जलपूर्ति और सफाई  
 2216—आवास  
 2217—शहरी विकास  
 2225—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति  
 एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण  
 2230—श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास  
 2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण  
 2236—पोषण  
 2401—फसल कृषि—कर्म  
 2402—मृदा एवं जल संरक्षण  
 2403—पशु—पालन  
 2405—मछली—पालन  
 2406—वानिकी और वन्य प्राणी  
 2408—खाद्य, भण्डारण एवं भंडागार  
 2415—कृषि अनुसंधान और शिक्षा  
 2425—सहकारिता  
 2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम  
 2505—ग्रामीण रोजगार  
 2702—लघु सिंचाई  
 2801—बिजली  
 2810—नवीन एवं अक्षय उर्जा  
 2851—ग्राम एवं लघु उद्योग  
 2852—उद्योग  
 3275—अन्य दूरसंचार सेवायें  
 4070—प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय  
 4202—शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय  
 4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय  
 4215—जलपूर्ति एवं सफाई पर पूंजीगत परिव्यय  
 4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय  
 4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं  
 अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय  
 4235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय  
 4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय  
 4401—फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय  
 4402—मृदा एवं जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय  
 4406—वानिकी एवं वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय  
 4408—खाद्य, भण्डारण एवं भण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय  
 4415—कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय  
 4425—सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय  
 4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय  
 4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय  
 4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय  
 4801—उर्जा परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय  
 4810—नवीन एवं अक्षय उर्जा पर पूंजीगत परिव्यय

## अनुदान संख्या 64—जारी

4851—ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय  
 5054—सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय  
 5275—अन्य संचार पर पूंजीगत परिव्यय  
 6215—जलपूर्ति एवं सफाई के लिए कर्ज  
 6401—कृषि कार्य के लिए कर्ज  
 6408—खाद्य भण्डारण एवं भंडागार के लिए कर्ज  
 6425—सहकारिता के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>राजस्व :</b>			
दत्तमत—			
मूल	3,76,44,707		
पूरक	73,90,775	4,50,35,482	3,77,00,460
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)73,35,022 68,48,139
प्रभारित	10	00	(-)10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			10

**पूंजीगत :**

दत्तमत—			
मूल	1,10,75,510		
पूरक	7,17,701	1,17,93,211	69,42,240
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)48,50,971 31,93,396

टीका एवं टिप्पणियां

**राजस्व:**

दत्तमत—

(i) ₹ 3,77,004.60 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में अगस्त 2017 में प्राप्त ₹ 3,693.98 लाख का प्रावधान आवश्यकता से अधिक था वहीं सितम्बर 2017 (₹ 25,200.00 लाख), दिसम्बर 2017 (₹ 34,813.76 लाख) एवं फरवरी 2018 (₹ 10,200.00 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 73,350.22 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 68,481.39 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2014-789-103-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 5171-विशेष न्यायालयों की स्थापना-			
मूल	621.80		
पुनर्वि.	(-)296.33	325.47	327.96
			+2.49

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 296.33 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं यात्रा देयक एवं अवकाश यात्रा रियायत दावे हेतु आवेदन प्राप्त नहीं होने एवं सामग्री आदि क्रय नहीं किए जाने आदि कारणों से उल्लिखित की गई है। वर्ष 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

## अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2202-01-789-101-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 3491—माध्यमिक शालायें— (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 10,623.00 पुनर्वि. (-)5,380.12	5,242.88	5,241.46	(-)1.42
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,380.12 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मंहगाई भत्ते हेतु स्वीकृति नहीं प्राप्त होने एवं जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(3) 2202-01-789-101-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 4396— सरकारी प्राथमिक शालाएं—मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए— मूल 7,935.03 पुनर्वि. (-)2,772.46	5,162.57	5,135.41	(-)27.16
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,772.46 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मंहगाई भत्ते हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(4) 2202-01-789-101-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 495—आश्रम एवं शालाएं— मूल 1,719.24 पुनर्वि. (-)234.78	1,484.46	1,399.79	(-)84.67
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 437.38 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 202.60 लाख की वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 234.78 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2202-01-789-108-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5904—निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय— मूल 2,900.00 पुनर्वि. (-)292.87	2,607.13	2,607.13	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 292.87 लाख की कमी राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अंतर्गत पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या में कमी होने से कम भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2202-01-789-109-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 1394—छात्राओं का गणवेश— (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 933.00 पुनर्वि. (-)226.40	706.60	706.60	0.00

## अनुदान संख्या 64—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 226.40 लाख की कमी गणवेश के जी.एस.टी दर में कमी होने, महिला स्व सहायता समूह से संबंधित लम्बित देयकों के भुगतान नहीं होने, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत गणवेश हेतु भुगतान नहीं होने एवं सर्व शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत दर्ज विद्यार्थियों की संख्या में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 2202-01-789-111-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5396—सर्व शिक्षा अभियान— मूल 18,000.00 पुनर्वि. (-)261.97	17,738.03	17,738.03	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 261.97 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2007-08 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(8) 2202-01-789-112-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5169—विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम— मूल 3,306.00 पुनर्वि. (-)931.20	2,374.80	2,370.62	(-)4.18
--	----------	----------	---------

(9) 2202-01-789-112-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना — (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6933—पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम— मूल 2,275.00 पुनर्वि. (-)370.58	1,904.42	1,904.42	0.00
--	----------	----------	------

उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 931.20 लाख एवं ₹ 370.58 लाख की कमी रसोईयों के मानदेय में कमी होने, कुछ रसोईयों के कार्य छोड़ देने एवं सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत दर्ज विद्यार्थियों की संख्या में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2016-17 के दौरान इन शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(10) 2202-02-789-109-0803—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8050—स्कॉलरशिप — मूल 6,282.58 पुनर्वि. (-)2,894.17	3,388.41	3,388.41	0.00
--	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,894.17 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 2202-02-789-109-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7247—राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान— मूल 17,400.00 पुनर्वि. (-)6,348.40	11,051.60	11,051.60	0.00
---	-----------	-----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,348.40 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009-10 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

## अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(12) 2202-02-789-109-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 1395-छात्रावास- मूल 7,367.00 पुनर्वि. (-)918.17	6,448.83	6,248.33	(-)200.50
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 918.17 लाख की कमी कोषालय से निधि का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2010-11 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(13) 2202-02-789-109-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 979-खेल संकुल- मूल 125.00 पुनर्वि. (-)94.76	30.24	30.31	+0.07
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 94.76 लाख की कमी नये संस्थान हेतु अनुमोदन प्राप्त नहीं होने एवं रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2202-03-789-103-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 798-कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय- मूल 3,682.60 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)771.37	2,911.23	2,905.90	(-)5.33
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 771.37 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, वास्तविक आवश्यकता अनुसार भुगतान किए जाने, जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(15) 2202-04-789-200-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7362-साक्षर भारत योजना- मूल 600.00 पुनर्वि. (-)118.80	481.20	481.20	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 118.80 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(16) 2203-789-105-0803-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- 2668-पॉलीटेक्निक संस्थाएं- मूल 150.00 पुनर्वि. (-)150.00	0.00	0.00	0.00
₹ 150.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण गलत बजट प्रावधान होने के कारण इस योजना के अन्तर्गत बजट प्रावधान की मांग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है।			
(17) 2204-789-104-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 7819-युवा शक्ति योजना- मूल 120.00 पुनर्वि. (-)120.00	0.00	0.00	0.00
₹ 120.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण उल्लिखित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			

## अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(18) 2210-01-789-110-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 6967-चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय बिलासपुर मूल 3,072.50 पुनर्वि. (-)127.17	2,945.33	2,942.33	(-)3.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 127.17 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 2210-02-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 8951-आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर	443.90	262.62	(-)181.28
(20) 2210-03-789-103-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 1228-ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र एवं औषधालय-	625.89	329.98	(-)295.91
(21) 2210-03-789-197-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 5998-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-	2,185.20	1,492.21	(-)692.99
(22) 2210-03-789-198-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 2777-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मूलभूत सेवाएं)-	4,705.10	2,666.98	(-)2,038.12
(23) 2210-05-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 8952-आयुर्वेदिक महाविद्यालय बिलासपुर	753.70	387.29	(-)366.41
उपरोक्त क्रम संख्या (19) से (23) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। 2014-15 से 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (19) एवं (23) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2011-12 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (20), (21) एवं (22) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(24) 2210-05-789-105-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 6968-चिकित्सा महाविद्यालय, बिलासपुर- मूल 4,330.00 पूरक 149.20 पुनर्वि. (-)745.93	3,733.27	3,750.09	+16.82
(25) 2210-06-789-003-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 2216- नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण- मूल 324.38 पुनर्वि. (-)124.35	200.03	200.03	0.00



## अनुदान संख्या 64—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (24) एवं (25) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 745.93 लाख एवं ₹ 124.35 लाख की कमी के कारणों के साथ क्रम संख्या (24) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (24) एवं 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (25) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(26) 2210-06-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 7679- टी बी के रोकथाम हेतु पोषण आहार	200.00	0.00	(-)200.00
(27) 2211-789-001-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 1508-जिला स्तरीय अमला	210.06	93.05	(-)117.01
(28) 2211-789-101-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 621-उप स्वास्थ्य केन्द्र	2,525.40	1,259.42	(-)1,265.98

उपरोक्त क्रम संख्या (26) से (28) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (28) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(29) 2216-03-789-105-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7807-प्रधानमंत्री आवास योजना-			
मूल	34,092.00		
पूरक	28,800.00		
पुनर्वि.	(-)1,843.49	61,048.51	61,048.51
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,843.49 लाख की कमी निधि की कम मांग होने एवं कोषालय द्वारा निधि आहरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(30) 2217-80-789-191-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7610-स्वच्छ भारत अभियान-			
मूल	2,600.00		
पुनर्वि.	(-)1,806.53	793.47	793.47
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,806.53 लाख की कमी केन्द्रांश के समतुल्य राज्यांश आहरित नहीं किए जाने, विगत वर्ष के व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु राज्यांश का अनुमोदन प्राप्त नहीं होने एवं देयकों के वर्ष के अन्त में प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(31) 2217-80-789-192-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7610-स्वच्छ भारत अभियान-			
मूल	1,070.00		
पुनर्वि.	(-)528.37	541.63	541.63
			0.00

(32) 2217-80-789-193-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7610-स्वच्छ भारत अभियान-			
मूल	822.00		
पुनर्वि.	(-)273.77	548.23	548.23
			0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (31) एवं (32) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 528.37 लाख एवं ₹ 273.77 लाख की कमी देयकों के वर्ष के अन्त में प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	अनुदान संख्या 64—जारी		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
	कुल अनुदान			
(33) 2225-01-789-102-0603—अनुसूचित जाति के लिए भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित— 7626—विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम— मूल 2500.00 पुनर्वि. (-)340.03	2,159.97	2,159.97	0.00	
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 340.03 लाख की के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(34) 2225-01-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5631—अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण— मूल 550.00 पुनर्वि. (-)183.42	366.58	366.58	0.00	
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 183.42 लाख की कमी जिलों से निधि की कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(35) 2225-01-789-277-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7627—व्यवसायिक प्रशिक्षण योजनाएं— मूल 525.00 पूरक (-)12.00	513.00	272.25	(-)240.75	
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 12.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(36) 2230-03-789-003-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7683—मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना— मूल 1260.00 पूरक (-)544.00	716.00	716.00	0.00	
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 544.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।				
(37) 2235-02-789-102-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5354—एकीकृत सेवा योजना— (विदेशी सहायता अन्तर्गत योजना)— मूल 561.40 पुनर्वि. (-)166.81	394.59	394.59	0.00	
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 166.81 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।				

## अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(38) 2235-02-789-102-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7423—इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना—			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)979.82	20.18	20.18
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 979.82 लाख कमी योजना में परिवर्तन किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(39) 2235-02-789-102-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 9044—एकीकृत बाल विकास योजना—			
मूल	6,262.08		
पुनर्वि.	(-)1,258.66	5,003.42	5,002.56
			(-)0.86

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,258.66 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(40) 2235-02-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7680—आंगनवाड़ी केन्द्रों का उन्नयन एवं ईसीसीई घटक—			
मूल	372.00		
पुनर्वि.	(-)273.58	98.42	98.42
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 273.58 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(41) 2235-02-789-103-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5645—मुख्यमंत्री कन्या दान योजना—			
मूल	400.00		
पुनर्वि.	(-)87.55	312.45	312.45
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 87.55 लाख की कमी जिलों द्वारा निधि का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(42) 2235-02-789-103-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7875—सुचिता योजना—			
मूल	120.00		
पुनर्वि.	(-)120.00	0.000	0.00
			0.00

₹ 120.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

(43) 2235-02-789-103-0103— अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8957—नोनी सुरक्षा योजना—			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)998.78	1.22	1.22
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 998.78 लाख की कमी पात्र हितग्राहियों के उपलब्ध नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

## अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(44) 2236-02-789-101-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 2179—अनुसूचित जाति के लिए विशेष पोषाहार कार्यक्रम— मूल 5,520.00 पुनर्वि. (-)1,306.07	4,213.93	4,213.93	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,106.07 लाख की कमी डबल प्युरीफाईड नमक की खरीद हेतु भारत सरकार से स्वीकृति नहीं प्राप्त होने एवं आंगनवाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन नहीं होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,306.07 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(45) 2236-02-789-101-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7765—मुख्यमंत्री अमृत योजना— मूल 418.00 पुनर्वि. (-)293.98	124.02	124.02	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 293.98 लाख की कमी जिलों की मांग के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ द्वारा दुग्ध की आपूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(46) 2236-02-789-101-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 9050—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना— मूल 569.28 पुनर्वि. (-)350.52	218.76	218.76	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 350.52 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(47) 2401-789-102-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना) 7255—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान— मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)385.93	1,114.07	1,114.07	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 385.93 लाख की कमी भारत सरकार से पर्याप्त निधि प्राप्त नहीं होने एवं व्यय जारी निधि के अनुसार किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(48) 2401-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8972—धान उत्पादन पर प्रोत्साहन— मूल 0.01 पूरक 25,200.00 पुनर्वि. (-)701.01	24,499.00	24,499.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 701.01 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			

## अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(49) 2401-789-105-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 8900-बायो कृषि मिशन- मूल 314.04 पुनर्वि. (-)202.02	112.02	111.71	(-)0.31

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 202.02 लाख की कमी जिलों द्वारा जैविक प्रमाणीकरण का कार्य भारत सरकार द्वारा संचालित पी. जी एस. पोर्टल. के द्वारा किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(50) 2401-789-108-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)- मूल 1,440.00 पुनर्वि. (-)1,040.38	399.62	396.96	+2.66
--	--------	--------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 670.38 लाख की कमी स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार निधि का व्यय किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 370.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,040.38 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(51) 2401-789-108-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7266-एन एम एस ए रेनफेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम- मूल 264.10 पुनर्वि. (-)179.57	84.53	84.73	+0.20
---	-------	-------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 179.57 लाख की कमी स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(52) 2401-789-108-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7684-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- मूल 300.10 पुनर्वि. (-)231.11	68.99	68.99	0.00
--	-------	-------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 231.11 लाख की कमी सामग्री की आपूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(53) 2401-789-108-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7830-परम्परागत कृषि विकास योजना- मूल 180.00 पुनर्वि. (-)126.23	53.77	53.77	0.00
--	-------	-------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 126.23 लाख की कमी स्वीकृत कार्यक्रम के लिए निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

## अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(54) 2401-789-108-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7832-टारगेटेड राईस फेलो एरिया (टी.आर.एफ.ए.)- मूल 295.00 पुनर्वि. (-)159.52	135.48	135.48	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 159.52 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(55) 2401-789-108-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7833-रिक्लेमेशन आफ प्राब्लम स्वाइल (आर. पी. एस.)- मूल 295.00 पुनर्वि. (-)285.12	9.88	9.88	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 285.12 लाख की कमी अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार व्यय किए जाने एवं भारत सरकार द्वारा निधि जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(56) 2401-789-108-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 8942-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति)- मूल 2,100.00 पुनर्वि. (-)1,002.51	1,097.49	1,097.49	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 702.51 लाख की कमी भारत सरकार से वर्ष के अन्त में निधि प्राप्त होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 300.00 लाख की अन्य कमी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यय किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,002.51 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(57) 2401-789-110-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 7797-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना- मूल 1,627.20 पुनर्वि. (-)342.02	1,285.18	1,285.18	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 342.02 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(58) 2401-789-113-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 8961-कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान- मूल 360.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)324.50	35.50	35.50	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 694.50 लाख की कमी सामग्री की आपूर्ति नहीं किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 370.00 लाख की वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 324.50 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

## अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(59) 2401-789-113-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 8963-कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत यांत्रिकीकरण रोपाई, जोताई एवं बुआई हेतु अनुदान-	मूल 120.00 पुनर्वि. (-)92.00	28.00	28.00
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 92.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(60) 2401-789-119-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)-	मूल 960.00 पुनर्वि. (-)793.37	166.63	166.63
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 526.00 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 267.37 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 793.37 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(61) 2406-789-119-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7258-नेशनल मिशन ऑन आईलसीडस एन्ड आईलपॉम-	मूल 133.52 पुनर्वि. (-)93.84	39.68	39.68
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 93.84 लाख की कमी जिलों द्वारा निधि का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(62) 2401-789-119-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7684-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-	मूल 531.58 पुनर्वि. (-)512.08	19.50	19.50
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 512.08 लाख की कमी जिलों द्वारा निधि का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(63) 2401-789-119-0313-नाबार्ड पोषित योजनाएं- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7854-नाबार्ड पोषित संरक्षित खेती एवं फसलोत्तर प्रबंधन योजना-	मूल 276.00 पुनर्वि. (-)276.00	0.00	0.00
			0.00
₹ 276.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण नाबार्ड से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है।			

## अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(64) 2401-789-800-0313-नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7853-नाबार्ड पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना- मूल 1572.00 पुनर्वि. (-)1572.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,572.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है।			
(65) 2402-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7350-एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम- मूल 1800.00 पुनर्वि. (-)753.34	1,046.66	1,046.66	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 753.34 लाख की कमी भारत सरकार से प्राप्त निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(66) 2403-789-101-0313-नाबार्ड पोषित योजनायें- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7471-नाबार्ड योजनांतर्गत पशुधन एवं कुक्कुट उद्यमिता विकास हेतु अनुदान- मूल 216.00 पुनर्वि. (-)196.02	19.98	19.98	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.00 लाख की वृद्धि नाबार्ड उद्यमिता के अंतर्गत डेयरी, बकरी एवं पोल्टी फार्म के हितग्राहियों के भुगतान हेतु एवं समर्पण द्वारा ₹ 216.02 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 196.02 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(67) 2403-789-108-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)- मूल 600.00 पुनर्वि. (-)288.78	311.22	311.22	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 288.78 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(68) 2406-01-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 2962-बिगड़े वनों का सुधार- मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)295.71	2,704.29	2,694.28	(-)10.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 295.71 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			



शीर्ष	अनुदान संख्या 64-जारी		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
	कुल अनुदान			
(69) 2406-01-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 2533-हरियाली प्रसार योजना - मूल 2,280.00 पुनर्वि. (-)570.55	1,709.45	1,998.96	+289.51	
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 570.55 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(70) 2406-01-789-102-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 7731-बाड़ी बांस- मूल 120.00 पुनर्वि. (-)81.19	38.81	38.78	(-)0.03	
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 81.19 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।				
(71) 2406-04-789-101-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7261-राष्ट्रीय वानिकी योजना- मूल 1,921.10 पुनर्वि. (-)1,346.10	575.00	575.00	0.00	
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,346.10 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(72) 2408-01-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7801-मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना- मूल 324.00 पुनर्वि. (-)324.00	0.00	0.00	0.00	
₹ 324.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है।				
(73) 2408-01-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 3248-राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति- मूल 6,000.00 पुनर्वि. (-)600.00	5,400.00	5,400.00	0.00	
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 600.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।				
(74) 2408-01-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 5456-अंतयोदय अन्न योजना- मूल 1,080.00 पुनर्वि. (-)426.42	653.58	653.58	0.00	
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 426.12 लाख की कमी वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।				

## अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(75) 2408-01-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 6839-मुख्यमंत्री खाधान्न सहायता योजना- मूल 36,000.00 पुनर्वि. (-)11,428.20	24,571.80	24,571.80	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 11,428.20 लाख की कमी वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(76) ) 2408-01-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 8933-शक्कर वितरण योजना- मूल 480.00 पूरक 1,200.00 पुनर्वि. (-)762.02	917.98	917.98	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 762.02 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(77) 2425-789-107-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 5628-कृषक ऋण ब्याजदर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान- मूल 1,594.00 पुनर्वि. (-)226.00	1,368.00	1,368.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 226.00 लाख की कमी वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(78) 2505-60-789-101-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 7877-मुख्यमंत्री मनरेगा मजदूर टिफिन वितरण योजना- मूल 240.00 पुनर्वि. (-)240.00	0.00	0.00	0.00
₹ 240.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण कोषालय से निधि का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है।			
(79) 2702-03-789-103-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 5707-शाकम्भरी योजना- मूल 480.00 पुनर्वि. (-)443.87	36.13	31.50	(-)4.63
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 443.87 लाख की कमी सामग्री की आपूर्ति नहीं किए होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

## अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(80) 2801-06-789-101-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6501—एकल बत्ती कनेक्शन हेतु अनुदान— मूल 9,225.00 पुनर्वि. (-)935.00	8,290.00	8,290.00	0.00
(81) 2801-06-789-101-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7305—5 एच पी के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान— मूल 32,980.00 पुनर्वि. (-)6,588.00	26,392.00	26,392.00	0.00
(82) 2801-80-789-101-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7620—उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी— मूल 3,500.00 पूरक 4,622.00 पुनर्वि. (-)922.00	7,200.00	7,200.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (80) से (82) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 935.00 लाख, ₹ 6,588.00 लाख एवं ₹ 922.00 लाख की कमी वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन से स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-02-789-109-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 578—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय— मूल 8,663.75 पुनर्वि. 744.44	9,408.19	9,483.30	+75.11
(2) 2210-03-789-198-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 620—उप स्वास्थ्य केन्द्र	630.50	922.31	+291.81

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 884.35 लाख की वृद्धि सातवें वेतनमान के लागू होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 139.91 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 744.44 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

## अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2225-01-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7629-अनुसूचित जाति के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं-			
मूल	596.80		
पूरक	367.40		
पुनर्वि.	(-)-63.71	900.49	1,261.97
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 63.71 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग नहीं प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			+361.48
(4) 2236-02-789-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 7747-महतारी जतन योजना-			
मूल.	300.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	122.94	422.94	446.28
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 77.06 लाख की कमी आंगनवाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन नहीं होने एवं गर्भवती महिलाओं की कम संख्या होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 200.00 लाख की वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 122.94 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। पुनर्विनियोजन के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			+23.34
(5) 2401-789-109-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7269-एन. एम. ए. ई. टी. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन-			
मूल	355.00		
पुनर्वि.	252.76	607.76	607.76
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 47.24 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने एवं पुर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 300.00 लाख की वृद्धि भारत सरकार द्वारा योजनांतर्गत अनुमानित आबंटन के फलस्वरूप निधि की आवश्यकता होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 252.76 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।			0.00
(6) 2401-789-119-0703-केन्द्र प्रवर्तितयोजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7705- एकीकृत बागबानी विकास अभियान-			
मूल	1,736.80		
पुनर्वि.	177.99	1,914.79	1,914.79
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 89.38 लाख की कमी जिलों द्वारा निधि का आहरण नहीं किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 267.37 लाख की वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 177.99 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			0.00
(7) 2403-789-102-0703- केन्द्र प्रवर्तितयोजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7621-नेशनल लाइवस्टॉक मिशन-			
मूल	250.00		
पुनर्वि.	259.82	509.82	509.82
समर्पण द्वारा ₹ 57.18 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 317.00 लाख की वृद्धि राज्य प्रायोजित डेयरी उद्यमिता विकास योजनांतर्गत हितग्राहियों को भारत सरकार द्वारा जारी निधि अनुसार भुगतान किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 259.82 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।			0.00

## अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2505-60-789-196-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 6728-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना-			
मूल.	14,400.00		
पूरक	1,020.00		
पुनर्वि.	1,106.10	16,526.10	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 1,106.10 लाख के आवर्धन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

प्रभारित-

(v) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2018 को अभ्यर्पित किया गया। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत :

दत्तमत-

(vi) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अगस्त 2017 (₹ 3,259.64 लाख), दिसम्बर 2017 (₹ 2,042.97 लाख) एवं फरवरी 2018 (₹ 1,874.40 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 7,177.01 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक निधि से सीमित किया जा सकता था।

(vii) ₹ 48,509.71 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 31,933.96 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-01-789-202-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 1400-विवेकानन्द गुरुकुल उन्नयन योजना-			
मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-)150.00	0.00	0.00

₹ 150.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4202-01-789-202-0103-अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना-

1400-छात्रावास एवं आश्रम

भवन का निर्माण-

मूल

600.00

पुनर्वि.

(-)145.49

454.51

454.51

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 145.49 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4202-01-789-202-0103-अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना-

7367-मॉडल स्कूल योजना-

पूरक

200.00

पुनर्वि.

(-)200.00

0.00

0.00

0.00

डी. ए. व्ही. स्कूल से समझौते के अनुसार मॉडल स्कूलों की अधोसंरचना के लिए राशि एक ही बार दिया जाना था लेकिन इस वर्ष त्रुटिपूर्ण बजट प्रावधान किए जाने के कारण संपूर्ण प्रावधान ₹ 200.00 लाख का प्रत्याहरण किया गया है।

## अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 4202-01-789-203-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5086—महाविद्यालय भवनों का निर्माण	122.00	30.56	(-)91.44
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 4202-02-789-103-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान— पूरक 100.00 पुनर्वि. (-)99.88	0.12	0.12	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 99.88 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(6) 4202-02-789-104-0803—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 2668—पॉलीटेक्निक संस्थान— पूरक 129.00 पुनर्वि. (-)112.01	16.99	16.99	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 12.01 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधि के विमुक्त नहीं किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की अन्य कमी भारत सरकार से प्राप्त प्रथम किस्त का उपयोग नहीं किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 112.01 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।			
(7) 4210-01-789-110-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6967—चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय बिलासपुर— मूल 525.00 पुनर्वि. (-)525.00	0.00	0.00	0.00
₹ 525.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 4210-02-789-101-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 620—उप स्वास्थ्य केन्द्र	300.00	205.53	(-)94.47
(9) 4210-02-789-103-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2777—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मूलभूत सेवायें)	700.00	494.05	(-)205.95
(10) 4210-02-789-103-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 4143—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	200.00	34.61	(-)165.39
उपरोक्त क्रम संख्या (8) से (10) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			

## अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(11) 4215-01-789-102-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति योजना)— 7353—राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम— मूल. 1,920.00 पूरक 852.00 पुनर्वि. (-)2,005.72	766.28	755.68	(-)10.60
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,005.72 लाख की कमी योजना का अनुमोदन नहीं होने, भारत सरकार से कम निधि प्राप्त होने के फलस्वरूप राज्यांश विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 4215-01-789-102-0313—नाबार्ड पोषित योजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5403—पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना— मूल 950.00 पुनर्वि. (-)203.74	746.26	746.26	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 203.74 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 4225-01-789-102-0703— केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7699—प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना— मूल 4,000.00 पुनर्वि. (-)3,625.00	375.00	375.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,625.00 लाख की कमी जिलों से निधि की कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(14) 4225-01-789-102-0603—अनुसूचित जातियों के लिए भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित के लिए विशेष घटक योजना— 7626—विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाएँ से स्थानीय विकास कार्यक्रम— मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)985.00	515.00	515.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 985.00 लाख की कमी निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 4225-01-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5631—अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण— मूल 3,000.00 पूरक 181.97 पुनर्वि. (-)49.36	3,132.61	3,092.26	(-)40.35
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 49.36 लाख की कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			

## अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(16) 4235-02-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 337-आंगनबाडियों का सुधार एवं निर्माण- मूल 480.00 पुनर्वि. (-)115.70	364.30	364.30	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 115.70 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 4250-789-203-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 8935- लाइवलीहुड कालेज	103.00	0.00	(-)103.00
₹ 103.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(18) 4406-01-789-101-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 5538-बांध एवं संलग्न कार्य- मूल 216.00 पुनर्वि. (-)216.00	0.00	0.00	0.00
₹ 216.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण भारत सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है।			
(19) 4408-02-789-195-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 7478-नगरीय क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकान सह गोदाम निर्माण हेतु- मूल 120.00 पुनर्वि. (-)120.00	0.00	0.00	0.00
₹ 120.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण भारत सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है।			
(20) 4415-01-789-277-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 9182-इंदिरागांधी कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान- मूल 300.00 पुनर्वि. (-)102.00	198.00	198.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 102.00 लाख की कमी राज्य सरकार से विमुक्त निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(21) 4515-789-102-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7759-श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी मिशन- मूल 480.00 पूरक 600.00 पुनर्वि. (-)486.00	594.00	594.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 486.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			



शीर्ष	अनुदान संख्या 64-जारी		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
	कुल अनुदान			
(22) 4700-01-789-800-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 2898-बांध एवं संलग्न कार्य- मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)1,298.81	701.19		700.64	(-)0.55
(23) 4700-02-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 2898-बांध एवं संलग्न कार्य- मूल 4,000.00 पुनर्वि (-)914.33	3,085.67		3,085.67	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (22) से (23) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 1,298.81 लाख एवं ₹ 914.33 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(24) 4700-08-789-800-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 2884-नहर एवं उससे संबंधित कार्य- मूल 180.00 पुनर्वि (-)162.01	17.99		17.99	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान से ₹ 162.01 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति, प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने इत्यादि के कारण उल्लिखित की गई है।				
(25) 4700-11-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 2884-नहर एवं उससे संबंधित कार्य- मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)806.27	193.73		193.73	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 806.27 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(26) 4702-789-101-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 3828-लघु सिंचाई योजना- मूल 4,000.00 पुनर्वि. (-)1,680.92	2,319.08		2,320.49	+1.41
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,680.92 लाख की कमी वन विभाग से वृक्षारोपण हेतु मुआवजा निधि की मांग नहीं प्राप्त होने एवं कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(27) 4702-789-102-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 5059-एनिकट/स्टापडेम का निर्माण- मूल 5,000.00 पुनर्वि. (-)4,000.14	999.86		999.78	(-)0.08
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,000.14 लाख की कमी नवीन योजना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, एजेंसी का निर्धारण नहीं होने एवं कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2008-09 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।				

## अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(28) 4702-789-102-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 7422-आद्यौगिक जल संरचना निर्माण-			
मूल	4,000.00		
पुनर्वि.	(-)3,940.42	59.58	59.58
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,940.42 लाख की कमी भूमि अधिग्रहण दावों का निपटारा नहीं होने, एजेंसी का निर्धारण नहीं होने एवं कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(29) 4801-06-789-800-0410-उर्जा विकास निधि-			
6758-कृषि पंपों का उर्जाकरण	120.00	0.00	(-)120.00
₹ 120.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(30) 4801-06-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 6758-कृषि पंपों का उर्जाकरण-			
मूल	1,695.00		
पुनर्वि.	(-)840.00	855.00	975.00
			+120.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 840.00 लाख की कमी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(31) 4801-80-789-101-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 8548-मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना-			
मूल	700.00		
पुनर्वि.	(-)700.00	0.00	0.00
			0.00
₹ 700.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है।			
(32) 4810-789-101-0703-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7652-दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना-			
मूल	929.00		
पुनर्वि.	(-)546.50	382.50	382.50
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 546.50 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(33) 4810-789-101-0410-उर्जा विकास निधि-			
8965-मुख्यमंत्री माजरा टोला विद्युतीकरण योजना-			
मूल	692.64		
पुनर्वि.	(-)480.00	212.64	212.64
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 480.00 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			

शीर्ष	अनुदान संख्या 64—जारी		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
	कुल अनुदान			
(34) 5054-03-789-101-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 4149—वृहद पुलों का निर्माण— मूल 3,992.00 पूरक 100.00	4,092.00		2,506.66	(-)1,585.34
अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2009-10 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।				
(35) 5054-04-789-337-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 4855—प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना— मूल 9,600.00 पुनर्वि. (-)2,678.90	6,921.10		6,921.10	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,678.90 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधि की किश्त विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।				
(36) 5054-04-789-337-0313—नाबार्ड पोषित योजनायें— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6590—नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण	5,000.00		1,918.90	(-)3,081.10
अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2012-13 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(37) 5054-04-789-337-0313—नाबार्ड पोषित योजनायें— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7475—मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना— मूल 3,500.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि (-)984.62	2,515.38		2,272.47	(-)242.91
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 984.62 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(38) 5054-04-789-337-0313—नाबार्ड पोषित योजनायें— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7813—ई पी सी (नाबार्ड) के माध्यम से सड़क निर्माण	600.00		0.00	(-)600.00
₹ 600.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।				
(39) 5054-04-789-337-0313—नाबार्ड पोषित योजनायें— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8650—मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना— मूल 912.00 पूरक 600.00 पुनर्वि (-)988.93	523.07		302.02	(-)221.05
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 988.93 लाख की कमी के पर्याप्त कारण के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2012-13 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				

## अनुदान संख्या 64—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(40) 5054-04-789-337-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 9002-अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण— मूल 25,000.00 पुनर्वि (-)4,500.00	20,500.00	10,527.57	(-)9,972.43

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,500.00 लाख की कमी पर्याप्त कारणों के साथ अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(41) 5275-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7861-संचार क्रांति योजना— मूल 2,400.00 पुनर्वि (-)2,378.64	21.36	21.36	0.00
--	-------	-------	------

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 2,378.64 लाख की कमी निविदा कार्य हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(ix) उपरोक्त टिप्पणी (viii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4216-01-789-106-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5918-सामान्य प्रशासन विभाग— पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 500.00	500.00	320.56	(-)179.44

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 500.00 लाख का आवर्धन दायित्वों के भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

(2) 5054-05-789-337-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7818-ई.पी.सी.(इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एण्ड कन्सट्रक्शन)— मूल 4,200.00 पुनर्वि 4,000.00	8,200.00	8,200.00	0.00
---	----------	----------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,000.00 लाख का आवर्धन दायित्वों के भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है।

## अनुदान संख्या 65—विमानन विभाग

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
<b>2052—सचिवालय—सामान्य सेवायें</b>			
<b>5053—नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
<b>राजस्व:</b>			
दत्तमत	3,27,642	2,59,513	(-)68,129
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			68,095
<i>प्रभारित</i>	<i>10</i>	<i>0.00</i>	<i>(-)10</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)</i>			<i>10</i>
<b>पूंजीगत:</b>			
दत्तमत			
मूल	6,40,000		
पूरक	सांकेतिक		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)	6,40,000	1,83,284	(-)4,56,716
टीका एवं टिप्पणियां			4,56,716

**राजस्व :**

दत्तमत—

(i) ₹ 681.29 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को ₹ 680.95 लाख की निधि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2052-091-4043-विमानन संचालनालय—			
मूल	3,276.42		
पुनर्वि.	(-)680.95	2,595.47	2,595.13
			(-)0.34

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 680.95 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2004-05 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है जो कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2018 को अभ्यर्पित किया गया। 2011-12 से 2016-17 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

## अनुदान संख्या 65—समाप्त

पूँजीगत:

दत्तमत—

(iv) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
5053-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4727-हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार-			
मूल	6,400.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-4,567.16	1,832.84	1,832.84
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,567.16 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा बीजापुर, दंतेवाड़ा एवं स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, माना, रायपुर के विकास हेतु भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

**अनुदान संख्या 66—पिछड़ा वर्ग कल्याण**

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
<b>2202—सामान्य शिक्षा</b>			
<b>2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण</b>			
<b>4202—शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
<b>4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
<b>राजस्व:</b>			
मूल	22,67,530		
पूरक	72,000	23,29,530	17,62,864
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)5,76,666 5,73,952

**पूंजीगत:**

मूल	2,11,400		
पूरक	सांकेतिक	2,11,400	1,20,354
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)91,046 91,045

टीका एवं टिप्पणियां

**राजस्व :**

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2017 (₹ 354.00 लाख) एवं दिसम्बर 2017 (₹ 366.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 720.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 5,766.66 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 5,739.52 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-02-109-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)- 8050-छात्रवृत्तियां-			
मूल	1,900.00		
पूरक	714.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	2,414.00	2,414.00
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 200.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

3673-राज्य छात्रवृत्तियां-

मूल 17,300.00

पुनर्वि. (-)5,175.90

12,124.10

12,121.66

(-)2.44

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,175.90 लाख की कमी दाखिले लिए विद्यार्थियों द्वारा आनलाइन पंजीयन कम किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

## अनुदान संख्या 66—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2202-02-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5551—हाईस्कूल छात्राओं को निःशुल्क साईकिल वितरण— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)32.66	567.34	531.22	(-)36.12

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 32.66 लाख की कमी जिला स्तर पर अल्प बचत के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2010-11 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(4) 2202-02-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7363—युवा वाहक विकास योजना— मूल 159.00 पुनर्वि. (-)44.07	114.93	104.43	(-)10.50
---	--------	--------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 44.07 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2225-04-102-5073—अल्पसंख्यक आयोग— मूल 216.30 पुनर्वि. (-)41.94	174.36	174.29	(-)0.07
--	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 41.94 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

(6) 2225-04-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7605—अल्पसंख्यक बहुक्षेत्रीय विकास योजना— पूरक 50.00 पुनर्वि. (-)50.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया।

पूँजीगत:

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-01-202-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 1395—छात्रावास— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00

₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4225-03-190-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5096—राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को अंशपूँजी— मूल 150.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)150.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

₹ 150.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।



## अनुदान संख्या 66—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 4225-04-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7605—अल्पसंख्यक बहुक्षेत्रीय विकास योजना— पूरक 1,339.00 पुनर्वि. (-)360.45	978.55	978.55	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 360.45 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 4225-04-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9410—हज कमेटी को सहायता अनुदान— मूल 200.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 67—लोक निर्माण कार्य—भवन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
2059—लोक निर्माण कार्य			
2202—सामान्य शिक्षा			
2203—तकनीकी शिक्षा			
2204—खेलकूद एवं युवा सेवाएं			
2205—कला एवं संस्कृति			
2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य			
2211—परिवार कल्याण			
2216—आवास			
2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
2230—श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास			
2401—फसल कृषि—कर्म			
2403—पशुपालन			
2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
2851—ग्राम एवं लघु उद्योग			
2853—अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग			
4059—लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
4210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
4235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
4250—अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
4403—पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
4405—मीन उद्योग पर पूंजी परिव्यय			
<b>राजस्व:</b>			
<b>दत्तमत—</b>			
मूल	61,96,801		
पूरक	सांकेतिक	61,96,802	46,09,607
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)15,87,195 2,739
<i>प्रभारित</i>	<i>4,600</i>	<i>219</i>	<i>(-)4,381</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि</i>			<i>00</i>
<b>पूंजीगत :</b>			
<b>दत्तमत—</b>			
मूल	54,01,698		
पूरक	5,82,813	59,84,511	33,49,903
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)26,34,608 46,663
टीका एवं टिप्पणियां			
<b>राजस्व :</b>			
<b>दत्तमत—</b>			

(i) ₹ 15,871.95 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 27.39 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

## अनुदान संख्या 67—जारी

## (ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2059-01-053-1481—जिला प्रशासन	447.00	323.15	(-)123.85
(2) 2059-01-053-1533—जेल प्रशासन	214.00	81.56	(-)132.44
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2059-01-053-2449—न्याय प्रशासन (न्यायालय भवनों की मरम्मत)— मूल 1,243.00 पुनर्वि. (-)100.00	1,143.00	665.11	(-)477.89
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 100.00 लाख की कमी व्यय में कमी के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2059-01-053-2631—पुलिस प्रशासन	177.00	72.68	(-)104.32
(5) 2059-01-053-3125—भू-राजस्व	664.00	243.45	(-)420.55
(6) 2059-01-053-3383—विशेष मरम्मत—भवन	1,862.00	994.33	(-)867.67
(7) 2059-01-053-3387—मरम्मत—विश्राम गृह	841.00	513.22	(-)327.78
(8) 2059-01-053-4144—अस्पताल एवं औषधालय भवनों का निर्माण— (मूलभूत सेवाओं के लिये)	1,193.00	695.26	(-)497.74
(9) 2059-01-053-4608—स्टाम्प और पंजीयन	144.00	30.84	(-)113.16
(10) 2059-01-053-6220—लोक निर्माण विभाग	548.00	445.57	(-)102.43
उपरोक्त क्रम संख्या (4) से (10) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (4), (5) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत, 2014-15 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (6), (8) एवं (10) के शीर्षान्तर्गत एवं 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(11) 2059-01-053-6519—योजनाओं के अनुश्रवण व्यवस्था का सुदृढीकरण— मूल 3,160.00 पुनर्वि. (-)402.00	2,758.00	2,685.87	(-)72.13
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 402.00 लाख की कमी व्यय में कमी के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(12) 2059-01-053-7479—छत्तीसगढ़ सदन, नई दिल्ली— मूल 125.00 पूरक सांकेतिक	125.00	44.77	(-)80.23
(13) 2059-60-053-1864—तकनीकी भवनों का रख रखाव	134.00	58.77	(-)75.23
(14) 2059-60-053-3645—राजकीय उच्चतर विद्यालय एवं महाविद्यालयों भवनों के रख रखाव	979.00	659.98	(-)319.02

शीर्ष	अनुदान संख्या 67—जारी कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(15) 2059-60-053-3647—राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का रख रखाव	1,242.00	772.20	(-)469.80
(16) 2059-60-053-4143—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	555.00	215.00	(-)340.00
(17) 2059-60-053-5056—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	265.00	118.52	(-)146.48
(18) 2059-60-053-7421—विश्राम गृहों/ भवनों की व्यवस्था पर व्यय	410.00	291.58	(-)118.42
(19) 2059-60-053-7425—नवीन अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का रख रखाव	350.00	94.17	(-)255.83
(20) 2059-60-053-794—कला और संस्कृति भवनों का रखरखाव	340.00	90.55	(-)249.45
(21) 2059-60-053-8167—आई टी आई भवनों का रखरखाव	219.00	73.07	(-)145.93
<p>उपरोक्त क्रम संख्या (12) से (21) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (15) के शीर्षान्तर्गत, 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (16) के शीर्षान्तर्गत एवं 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (17) से (21) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।</p>			
(22) 2059-80-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2418—निष्पादन— मूल 31,726.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)10.00	31,716.00	28,615.29	(-)3,100.71
<p>समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 10.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।</p>			
(23) 2059-80-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3300—मण्डल स्थापना	1,749.20	1,507.77	(-)241.43
(24) 2059-80-052-9269— मशीनों का नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन	470.00	381.20	(-)88.80
(25) 2059-80-799-1051—स्टॉक	552.00	50.23	(-)501.77
(26) 2210-05-105-4220—शिक्षा—चिकित्सा महाविद्यालय	100.00	8.31	(-)91.69
(27) 2216-05-053-2450—न्याय प्रशासन	240.00	107.66	(-)132.34
(28) 2216-05-053-4095—विशेष मरम्मतें	2,337.00	1,289.68	(-)1,047.32
(29) 2216-05-053-4489—सामान्य मरम्मतें	2,000.00	1,837.68	(-)162.32
(30) 2216-80-001-2300—निर्देशन एवं प्रशासन— (मांग संख्या 67-2059 लोक निर्माण कार्य से अंतरित स्थापना) का समानुपातिक भाग	3,842.12	306.10	(-)3,536.02

## अनुदान संख्या 67-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(31) 2216-80-052-692-औजार एवं संयंत्र प्रभार (मांग संख्या 67-2059 लोक निर्माण कार्य से अंतरित औजार एवं संयंत्र का समानुपातिक भाग)	426.90	4.49	(-)422.41

उपरोक्त क्रम संख्या (23) से (31) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (23) एवं (27) के शीर्षान्तर्गत, 2014-15 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (24) एवं (28) के शीर्षान्तर्गत, 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (29) एवं (30) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2011-12 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (25) के शीर्षान्तर्गत एवं 2007-08 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (31) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्नांतर्गत आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2059-01-053-3692-राज्य विधानसभा	120.00	193.18	+73.18

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

(2) 2059-60-053-7755-अतिविशिष्ट अतिथियों का भ्रमण-			
मूल	75.00		
पुनर्वि.	100.00	175.00	172.54
			(-)2.46

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 100.00 लाख का आवर्धन दायित्वों के भुगतान हेतु किया गया है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(3) 2059-80-799-4056-विविध-लोक निर्माण पेशगियां	90.00	(-)167.64	(-)257.64
--	-------	-----------	-----------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

(iv) उचंत लेन देन-

इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय में ₹ 50.23 लाख को "2059-लोक निर्माण कार्य उचंत" शीर्ष के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए हैं। उचंत के अन्तर्गत लेन देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या अनुदान संख्या 20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के विनियोग लेखे की टीप (v) में दिए गए हैं।

वर्ष 2017-18 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित उचंत लेन देनों का विश्लेषण विभिन्न उचंत उपशीर्षों के अन्तर्गत प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है।

विवरण	प्रारंभिक शेष वर्ष के दौरान 1 अप्रैल 2017 को नामे + जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2018 को नामे+ जमा(-)
<b>2059-लोक निर्माण कार्य-</b>	( ₹ लाख में )			
(i) क्रय	(-) 2,282.95	0.00	0.00	(-)2,282.95
(ii) भण्डार	+1,730.79	50.23	11.22	+1,769.80
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+ 7,523.62	(-)167.64	0.00	+7,355.98
<b>योग</b>	<b>+ 6,971.46</b>	<b>(-)117.41</b>	<b>11.22</b>	<b>+6,842.83</b>

प्रभारित-

(v) ₹ 43.81 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी निधि अभ्यर्पित नहीं की गई। यह प्रचलन बजट पर कमजोर नियंत्रण को दर्शाता है।

## अनुदान संख्या 67—जारी

(vi) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2059-60-800-1835-डिक्री धन का भुगतान	35.00	2.19	(-)32.81
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2216-80-800-1836-डिक्री धन का भुगतान (भारित)	11.00	0.00	(-)11.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

पूँजीगत  
दत्तमत-

(vi) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा अगस्त 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 5,828.12 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक निधि से सीमित किया जा सकता था।

(vii) ₹ 26,346.08 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 466.63 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4059-01-051-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 6333-भू-राजस्व कार्यालय भवन	2,300.00	895.18	(-)1,404.82
(2) 4059-01-051-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 2450-न्याय प्रशासन- मूल 2,191.00 पूरक 200.00	2,391.00	672.56	(-)1,718.44
(3) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2407-निर्वाचन- मूल 17.60 पूरक 1,400.00	1,417.60	58.45	(-)1,359.15
(4) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2449-न्याय प्रशासन (न्यायालय भवनों की मरम्मत)	200.00	0.54	(-)199.46
(5) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2450-न्याय प्रशासन- मूल 980.00 पूरक सांकेतिक	980.00	493.56	(-)486.44
(6) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2956-बिक्री कर	195.00	62.18	(-)132.82

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (6) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2008-09 से 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

## अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3643-राज भवन- मूल 250.00 पुनर्वि. 47.00	297.00	50.22	(-)246.78
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 47.00 लाख का आवर्धन दायित्वों के भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3692-राज्य विधान मण्डल	115.00	0.00	(-)115.00
(9) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3755-राष्ट्रीय सैन्य दल	100.00	12.05	(-)87.95
(10) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3855-लोक निर्माण कार्य-भवन- मूल 3,900.00 पूरक 100.00	4,000.00	2,835.44	(-)1,164.56
(11) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4606-स्टॉम्प एवं पंजीयन	200.00	51.67	(-)148.33
(12) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5049-राज्य विधान मण्डल- मूल 100.00 पूरक सांकेतिक	100.00	0.38	(-)99.62
(13) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5558-जिला उपभोक्ता फोरम भवनों का निर्माण	142.00	0.00	(-)142.00
उपरोक्त क्रम संख्या (8) से (13) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (8), (11) एवं (13) के शीर्षान्तर्गत एवं 2014-15 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (9) एवं (10) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(14) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5600-परिवहन कार्यालय भवन का निर्माण- मूल 440.00 पुनर्वि. (-)140.00	300.00	97.86	(-)202.14
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 140.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5651-होम गार्ड परिसर में निर्माण	248.00	103.40	(-)144.60
(16) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5918-सामान्य प्रशासन विभाग- मूल 750.00 पूरक 2,250.61	3,000.61	2,250.21	(-)750.40
उपरोक्त क्रम संख्या (15) एवं (16) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (16) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			

## अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(17) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6220-लोक निर्माण विभाग- पूरक 214.00 पुनर्वि. (-)47.00	167.00	18.34	(-)148.66
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 47.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6333-भू-राजस्व कार्यालय भवन	2,140.00	1,559.76	(-)580.24
(19) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7274-लोक अभियोजन	275.00	94.36	(-)180.64
उपरोक्त क्रम संख्या (18) एवं (19) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(20) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7716-मैदानी कार्यालय, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं- मूल 500.00 पुनर्वि. (-)160.00	340.00	0.00	(-)340.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान ₹ 160.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(21) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8040-जेल भवनों का निर्माण मूल 4,173.85 पुनर्वि. (-)200.00	3,973.85	879.22	(-)3,094.63
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 200.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2008-09 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(22) 4059-60-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9262-जिला सैनिक बोर्ड- मूल 150.00 पुनर्वि. (-)150.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 150.00 लाख के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(23) 4059-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2418-निष्पादन	233.00	87.22	(-)145.78
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(24) 4059-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3566-मुख्यालय स्थापना	209.50	0.00	(-)209.50
(25) 4202-01-202-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 1502-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था- (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)- मूल 2.00 पूरक 382.00	384.00	0.00	(-)384.00
उपरोक्त क्रम संख्या (24) एवं (25) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			



## अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(26) 4202-01-202-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7673—विकास खण्ड शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान— मूल 2.00 पूरक 326.51	328.51	47.99	(-)280.52
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(27) 4202-01-202-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3490—माध्यमिक शला भवनों का निर्माण— मूल 10,210.15 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)2,200.00	8,010.15	7,012.58	(-)997.57
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 2,200.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(28) 4202-02-104-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8071—पॉलीटेक्निक भवनों का निर्माण— मूल 1,596.00 पूरक 50.00	1,646.00	941.16	(-)704.84
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2012-13 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(29) 4202-02-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 515—इन्जीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय और संस्थान, भवनों का निर्माण— मूल 1,627.00 पूरक (-)1,300.00	327.00	311.93	(-)15.07
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 1,300.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(30) 4202-03-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5908—खेल प्रशिक्षण भवन का निर्माण— मूल 1,525.00 पुनर्वि. (-)100.00	1,425.00	407.12	(-)1,017.88
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 100.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(31) 4202-03-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8984—यूथ हास्टल— पूरक 480.00 पुनर्वि. (-)275.00	205.00	0.00	(-)205.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 275.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

## अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(32) 4210-02-101-1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य) — 617—उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	200.00	0.00	(-)200.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(33) 4210-02-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य) — 4143—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	100.00	15.35	(-)84.65
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं(जुलाई 2018)।			
(34) 4210-03-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4136— आयुर्वेद भवन का निर्माण	72.00	0.00	(-)72.00
(35) 4210-03-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2216—नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	70.00	0.00	(-)70.00
उपरोक्त क्रम संख्या (34) एवं (35) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (34) के शीर्षान्तर्गत एवं 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (35) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(36) 4210-03-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4220—शिक्षा—चिकित्सा महाविद्यालय— मूल 7,600.00 पूरक 27.00 पुनर्वि. (-)800.00	6,827.00	3,409.57	(-)3,417.43
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 800.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(37) 4216-01-106-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6222—न्याय प्रशासन के आवास गृह का निर्माण— मूल 2,010.00 पूरक 320.00	2,330.00	437.27	(-)1,892.73
(38) 4216-01-106-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3125—भू राजस्व	245.00	122.67	(-)122.33
(39) 4216-01-106-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5640—उच्च न्यायालय हेतु आवासीय परिसर का निर्माण	160.00	69.37	(-)90.63
उपरोक्त क्रम संख्या (37) से (39) के संख्या शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2013-14 से 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम (37) के शीर्षान्तर्गत, 2014-15 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (38) के शीर्षान्तर्गत एवं 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (39) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(40) 4216-01-106-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6222—न्याय प्रशासन के आवास गृह का निर्माण	387.00	0.00	(-)387.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

## अनुदान संख्या 67—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(41) 4235-02-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7446-समाज कल्याण संस्थाओं का एकीकृत परिसर (माना केम्प)/ घरोंदा योजना	166.00	23.12	(-)142.88
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(42) 4250-203-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 976-औ.प्र.सं. कार्यालय भवनों का निर्माण	80.00	0.00	(-)80.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(43) 4250-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 976-औ.प्र.सं. कार्यालय भवनों का निर्माण	1,611.00	1,413.43	(-)197.57
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(44) 4403-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2567-पशु प्रजनन प्रक्षेत्र- मूल 188.70 पुनर्वि. (-)188.70	0.00	0.00	0.00
(45) 4403-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3784-रोग अनुसंधान- मूल 74.75 पुनर्वि. (-)74.75	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (44) एवं (45) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 188.70 लाख एवं ₹ 74.75 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण राज्य सरकार द्वारा निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया।			
(46) 4405-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3321-मत्स्यालय- मूल 50.00 पूरक 100.00	150.00	0.00	(-)150.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 68—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—भवन  
(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—		
4055—पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय		
4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय		
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय		
4210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय		
4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय		
4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय		
4250—अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय		
4403—पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय		
पूंजीगत:		
दत्तमत		
मूल	25,68,091	
पूरक	3,320	25,71,411
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)		11,56,304
		(-)-14,15,107 4,650

टीका एवं टिप्पणियां—

पूंजीगत :

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 33.20 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक निधि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 14,151.07 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 46.50 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4059-01-796-051-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6333-भू-राजस्व कार्यालय- भवन	3,132.00	1,61.77	(-)-1,520.23
(2) 4059-01-796-051-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7307-विशेष अधोसंरचना विकास योजना	97.00	7.69	(-)-89.31
(3) 4059-01-796-051-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3855-लोक निर्माण कार्य भवन	578.00	61.87	(-)-516.13
(4) 4059-01-796-051-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6333-भू-राजस्व कार्यालय-भवन	145.00	33.03	(-)-111.97

## अनुदान संख्या 68—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 4059-01-796-051-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7402—खनिज प्रशासन	200.00	11.95	(-)188.05
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (5) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2012-13 से 2016-17 उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 4202-01-796-202-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3490—माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण	1,585.00	0.00	(-)1,585.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(7) 4202-01-796-203-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5086—महाविद्यालयीन भवनों का निर्माण	4,120.00	1,759.55	(-)2,360.45
(8) 4202-02-796-104-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8071—पॉलिटेक्निक भवनों का निर्माण	2,000.00	1,054.83	(-)945.17
(9) 4202-03-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5226—मूलभूत सुविधाओं का विकास स्टेडियम आदि— मूल 620.00 पूरक 20.00	640.00	132.87	(-)507.13
(10) 4210-02-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 617—उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	86.00	25.69	(-)60.31
उपरोक्त क्रम संख्या (7) से (10) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत एवं 2012-13 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 4210-02-796-103-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4143—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण— मूल 334.00 पुनर्वि (-)60.00	274.00	35.00	(-)239.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 60.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2010-11 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(12) 4210-02-796-104-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5057—चिकित्सालयों में शयाओं की वृद्धि	170.00	0.00	(-)170.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

## अनुदान संख्या 68—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(13) 4210-03-796-105-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2216—नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	90.00	5.91	(-)84.09
<b>बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।</b>			
(14) 4210-03-796-105-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4220—शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय— मूल 5,000.00 पुनर्वि. (-)200.00	4,800.00	2,970.86	(-)1,829.14
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 200.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 4216-01-796-106-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2631—पुलिस प्रशासन	950.00	180.41	(-)769.59
(16) 4216-01-796-106-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5918—सामान्य प्रशासन विभाग	500.00	410.55	(-)89.45
(17) 4225-02-796-277-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 9840—शैक्षणिक संस्थाओं के भवनों का निर्माण	2,000.00	716.21	(-)1,283.79
(18) 4250-796-203-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8935—लाइवलीहुड कालेज	723.00	184.85	(-)538.15
(19) 4250-796-203-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 976—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें कार्यालय भवनों का निर्माण	2,581.00	1,720.21	(-)860.79

उपरोक्त क्रम संख्या (15) से (19) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (15), 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (16) एवं 2014-15 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (18) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4210-01-796-110-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 395—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत अस्पताल भवन का निर्माण— मूल 200.00 पुनर्वि. 260.00	460.00	425.99	(-)34.01

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 260.00 लाख का आवर्धन दायित्वों का भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 69—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय कल्याण  
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
<b>2217—शहरी विकास</b>			
<b>राजस्व</b>			
मूल	73,00,900		
पूरक	40,000	73,40,900	61,26,938
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)12,13,962 12,13,962

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 400.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2217-05-191-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7681—वाटर ए.टी.एम. की स्थापना— मूल 350.00 पुनर्वि. (-)350.00	0.00	0.00	0.00
(2) 2217-05-192-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7681—वाटर ए.टी.एम. की स्थापना— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00	0.00	0.00	0.00
(3) 2217-05-193-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7681—वाटर ए.टी.एम. की स्थापना— मूल 350.00 पुनर्वि. (-)350.00	0.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान क्रमशः ₹ 350.00 लाख, ₹ 300.00 एवं ₹ 350.00 लाख का प्रत्याहरण वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2015-16 एवं 2016-17के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2217-80-191-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7610—स्वच्छ भारत

अभियान—

मूल 12,000.00

पुनर्वि. (-)3,424.78

8,575.22

8,575.22

0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,363.31 लाख की कमी केन्द्रांश अनुसार राज्यांश की राशि आहरित नहीं किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 2,061.47 लाख की अन्य कमी कोषालय द्वारा बिलों के भुगतान वर्षान्त तक नहीं किएजाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 3,424.78 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।

## अनुदान संख्या 69—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 2217-80-191-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7685—स्मार्ट सिटी— मूल 20,000.00 पूरक 400.00 पुनर्वि. (-)450.00	19,950.00	19,950.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 450.00 लाख की कमी भारत सरकार से वर्षान्त में जारी निधि आहरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(6) 2217-80-191-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7709—सबके लिए आवास योजना— मूल 9,000.00 पुनर्वि. (-)2,360.72	6,639.28	6,639.28	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,360.72 लाख की कमी योजना के केन्द्रांश के अतिरिक्त राज्यांश भी आहरित किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2217-80-191-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 8996—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन— मूल 2,600.00 पुनर्वि. (-)1,425.37	1,174.63	1,174.63	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,425.37 लाख की कमी प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2217-80-192-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7610—स्वच्छ भारत अभियान— मूल 5,200.00 पुनर्वि. (-)1,785.44	3,414.56	3,414.56	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,785.44 लाख की कमी कोषालय द्वारा वर्षान्त तक बिलों के स्वीकृत नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(9) 2217-80-192-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7709—सबके लिए आवास योजना— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)1,632.36	1,367.64	1,367.64	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,632.36 लाख की कमी योजना के केन्द्रांश के अतिरिक्त राज्यांश भी आहरित किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(10) 2217-80-193-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7610—स्वच्छ भारत अभियान— मूल 3,588.00 पुनर्वि. (-)1,115.04	2,472.96	2,472.96	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 466.69 लाख की कमी केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश आहरित नहीं किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 648.35 लाख की अन्य कमी कोषालय द्वारा वर्षान्त तक बिलों के स्वीकृत नहीं किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान से ₹ 1,115.04 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			



## अनुदान संख्या 69—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(11) 2217-80-193-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7709—सबके लिए आवास योजना—			
मूल	1,400.00		
पुनर्वि.	(-673.91)	726.09	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 673.91 लाख की कमी योजना में केन्द्रांश के अतिरिक्त राज्यांश भी आहरित किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2217-80-191-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6808—लघु एवं मध्यम नगरों की अद्योसंरचना विकास योजना—			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	1,730.00	1,830.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 1,830.00 लाख की वृद्धि केन्द्रांश के जारी किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 100.00 लाख की कमी देयकों के कोषालय में प्रस्तुत नहीं किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,730.00 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 71—सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
<b>3275—अन्य दूरसंचार सेवायें</b>			
<b>5275—अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
<b>राजस्व :</b>			
मूल	10,07,360		
पूरक	27,900	10,35,260	6,17,683
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)4,17,577 3,69,297
<b>पूंजीगत:</b>	10,00,000	8,900	(-)9,91,100
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			9,91,100
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2017 (₹ 39.00 लाख) एवं दिसम्बर 2017 (₹ 240.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 279.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक निधि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 4,175.77 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2018 को केवल का ₹ 3,692.97 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 3275-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7270-जिला परियोजना-			
मूल	765.90		
पुनर्वि.	(-)382.95	382.95	382.95
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 382.95 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कम केन्द्रांश जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 3275-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-

7276-स्टेट डाटा सेंटर  
की स्थापना-

मूल	940.00		
पुनर्वि.	(-)940.00	0.00	0.00
			0.00

₹ 940.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2015-16 एवं 2016-17के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 3275-800-0101-राज्य योजना (सामान्य)-

7482-सूचना तकनीक एवं ई-गवर्नेंस  
प्रशिक्षण संस्थान-

मूल	50.00		
पुनर्वि.	(-)50.00	0.00	0.00
			0.00

सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

शीर्ष	अनुदान संख्या 71—जारी		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
	कुल अनुदान			
(4) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7752—कोर इनक्यूबेटर सह एक्सीलिरेटर योजना— मूल 422.00 पुनर्वि. (-)422.00		0.00	0.00	0.00
₹ 422.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण निधि के आहरण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने कारण उल्लिखित किया गया है। 2016—17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(5) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7775— नागरिक संबंधों के लिए केंद्रीय योजना— मूल 637.00 पुनर्वि. (-)323.00		314.00	314.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 323.00 लाख की कमी निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई।				
(6) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7821—जिला ई—गवर्नेंस सोसायटी का संचालन— मूल 150.00 पुनर्वि. (-)150.00		0.00	0.00	0.00
₹ 150.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण निधि के आहरण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।				
(7) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7822—यूनीफाईड डेटाबेस परियोजना— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)1,000.00		0.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 482.80 लाख की कमी परियोजना कार्य के प्रारम्भ नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 517.20 लाख की अन्य कमी परियोजना की डी पी आर पूर्ण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।				
(8) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7823—स्वान परियोजना का विस्तारी करण— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00		0.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण निधि के आहरण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।				
(9) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8954—वाई फाई शहर योजना— मूल 126.00 पुनर्वि. (-)100.00		26.00	26.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 100.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016—17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				

## अनुदान संख्या 71—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 3275-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8955—राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में केंद्रीय योजना में निवेश— मूल 1,700.00 पुनर्वि. (-)333.45	1366.55	883.75	(-)482.80

समर्पण द्वारा ₹ 417.20 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 83.75 लाख की वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 333.45 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 3275-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7873—आधार परियोजना (विशिष्ट पहचान)— मूल 39.00 पुनर्वि 110.40	149.40	149.40	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 28.65 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 139.05 लाख की वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 110.40 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

(2) 3275-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8726—छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी की स्थापना— मूल 500.00 पुनर्वि 75.00	575.00	575.00	0.00
--	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 125.00 लाख की कमी निधि के आहरण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख की वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 75.00 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

(3) 3275-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8922—मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना— मूल 300.00 पूरक 240.00 पुनर्वि 60.00	600.00	600.00	0.00
--	--------	--------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 60.00 लाख के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

पूँजीगत:

(v) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
5275-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7861—संचार क्रांति योजना— मूल 10,000.00 पुनर्वि (-)9,911.00	89.00	89.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 9,911.00 लाख की कमी निविदा प्रक्रिया के पूर्ण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 75—जल संसाधन विभाग से सम्बंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
<b>पूंजीगत:</b>	69,99,100	51,61,159	(-)18,37,941
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			18,37,026

टीका एवं टिप्पणियां

**पूंजीगत :**

(i) ₹ 18,379.41 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 18,370.26 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4700-03-800-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 2,400.00 पुनर्वि. (-)1,637.29	762.71	574.69	(-)188.02
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,000.00 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति एवं समर्पण द्वारा ₹ 637.29 लाख की अन्य कमी कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,637.29 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 4700-04-800-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 250.00 पुनर्वि. (-)233.62	16.38	16.39	+0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 233.62 लाख की कमी कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 4700-05-800-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)1,745.39	1,254.61	1,249.47	(-)5.14
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 1,025.00 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति एवं समर्पण द्वारा ₹ 720.39 लाख की अन्य कमी कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,745.39 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

## अनुदान संख्या 75—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 4700—09—800—0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 4,500.00 पुनर्वि. (-)4,500.00	0.00	0.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 4,400.00 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 100.00 लाख की अन्य कमी सरकार से सी. ए. डी. कार्य की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं एजेन्सी का निर्धारण नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से ₹ 4,500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।

(5) 4700—10—800—0313—नाबार्ड योजनाएं— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 3,700.00 पुनर्वि. (-)3,700.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 500.00 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति एवं समर्पण द्वारा ₹ 3,200.00 लाख की अन्य कमी सरकार से सी. ए. डी. कार्य की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं एजेन्सी का निर्धारण नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से ₹ 3,700.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण उल्लिखित किया गया।

(6) 4700—10—800—0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 1,800.00 पुनर्वि. (-)1,800.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 1,300.00 लाख की कमी निविदा प्रक्रिया की धीमी प्रगति एवं समर्पण द्वारा ₹ 500.00 लाख की अन्य कमी सरकार से सी. ए. डी. कार्य की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं एजेन्सी का निर्धारण नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से ₹ 1,800.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण उल्लिखित किया गया।

(7) 4700—11—800—0313—नाबार्ड योजनाएं— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 6,000.00 पुनर्वि. (-)6,000.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

₹ 6,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण सरकार से सी. ए. डी. कार्य की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं एजेन्सी का निर्धारण नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

(8) 4700—11—800—0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 4,000.00 पुनर्वि. (-)4,000.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 3,500.00 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 500.00 लाख की अन्य कमी सरकार से सी. ए. डी. कार्य की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं एजेन्सी का निर्धारण नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से ₹ 4,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।

## अनुदान संख्या 75—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 4700—12—800—0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 22,000.00 पुनर्वि. (-)2,017.92	19,982.08	19,982.10	+0.02

समर्पण द्वारा द्वारा प्रावधान से ₹ 2,017.92 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है।

(10) 4701—05—800—0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5188—मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 101.00 पुनर्वि. (-)101.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

₹ 101.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण नवीन कार्य की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

(11) 4702—101—0312—नाबार्ड पोषित योजनाएं(सामान्य)— 5189—लघु सिंचाई योजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 5,000.00 पुनर्वि. (-)1,837.03	3,162.97	3,157.99	(-)4.98
---	----------	----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,837.03 लाख की कमी वन विभाग से मांग प्राप्त नहीं होने एवं कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015—16 एवं 2016—17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

(1) 4700—02—800—0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 8,000.00 पुनर्वि. 574.43	8,574.43	8,762.44	+188.01
---	----------	----------	---------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,000.00 लाख की वृद्धि वर्तमान दायित्वों के भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 425.57 लाख की कमी कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 574.43 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

(2) 4700—07—800—0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 2,000.00 पुनर्वि. 3,499.77	5,499.77	5,499.77	0.00
---	----------	----------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,500.00 लाख की वृद्धि लम्बित एवं वर्तमान दायित्वों का भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.23 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 3,499.77 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। समर्पण के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016—17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

## अनुदान संख्या 75—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 4701-06-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 5188-मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 100.00 पुनर्वि. 124.96	224.96	224.96	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 125.00 लाख की वृद्धि बांध एवं नहर के स्वीकृत कार्यों को निर्धारित अवधि में पूर्ण किए जाने के कारण भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.04 लाख की कमी के निवल परिणाम से प्रावधान में ₹ 124.96 का आवर्धन उल्लिखित किया गया। कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 4701-12-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 5188-मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 700.00 पुनर्वि. 2,397.00	3,097.00	3,097.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,400.00 लाख की वृद्धि लम्बित एवं वर्तमान निर्माण कार्यों के दायित्वों का भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 3.00 लाख की कमी के निवल परिणाम से प्रावधान में ₹ 2,397.00 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया। कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(5) 4702-101-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 9469-नाबार्ड से ऋण सहायता अन्तर्गत- मूल 3,900.00 पुनर्वि. 2,697.62	6,597.62	6,598.58	+0.96

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,200.00 लाख की वृद्धि लम्बित एवं वर्तमान निर्माण कार्यों के दायित्वों का भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,502.38 लाख की कमी वन विभाग से मांग प्राप्त नहीं होने एवं कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के निवल परिणाम से प्रावधान में ₹ 2,697.62 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।



अनुदान संख्या 76—लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं  
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
<b>5054—सड़कों एवं सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
<b>पूंजीगत</b>			
मूल	90,00,000		
पूरक	सांकेतिक	90,00,001	23,48,721
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि			00

टीका एवं टिप्पणियां

पूंजीगत :

(i) ₹ 23,487.21 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5054-03-337-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7433-छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेव्हलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट-फेज-II			
मूल	30,000.00		
पूरक	सांकेतिक	30,000.00	(-)7,067.69
(2) 5054-03-337-1202-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7433-छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेव्हलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट फेज-II			
मूल	15,000.00		
पूरक	सांकेतिक	15,000.00	(-)5,804.36
(3) 5054-03-337-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 7433-छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेव्हलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट फेज-II			
मूल	45,000.00		
पूरक	सांकेतिक	45,000.00	(-)10,615.14

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2011-12 से 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

## अनुदान संख्या 79—चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
2071—पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ			
2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य			
4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
<b>राजस्व :</b>			
दत्तमत—			
मूल	57,74,508		
पूरक	1,42,668	59,17,176	43,13,552
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)16,03,624 10,85,024
प्रभारित	310	00	(-)310
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि			00
<b>पूंजीगत:</b>			
दत्तमत—			
मूल	12,11,400		
पूरक	11,30,000	23,41,400	20,69,064
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			2,72,336 (-)2,42,337
टीका एवं टिप्पणियां			
<b>राजस्व :</b>			
दत्तमत—			
(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2017 (₹ 629.91 लाख) एवं दिसम्बर 2017 (796.77 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,426.68 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।			
(ii) ₹ 16,036.24 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 10,850.24 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2071-01-800-5499-सेवा निवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा—			
मूल	370.00		
पुनर्वि.	(-)78.06	291.94	0.00
(2) 2210-01-110-1353-चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय—			
मूल	7631.47		
पूरक	193.90	6661.52	6661.52
पुनर्वि.	(-)1,144.35	6681.02	(-)19.50

## अनुदान संख्या 79—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2210-01-110-7719—सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय, रायपुर— मूल 2,047.20 पूरक संकेतिक पुनर्वि. (-)1,664.51	382.69	374.45	(-)8.24
(4) 2210-01-110-962—कैंसर चिकित्सालय— मूल 1,107.71 पुनर्वि. (-)104.70	1,003.01	1,000.77	(-)2.24
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 78.06 लाख, ₹ 1,144.35 लाख, ₹ 1,664.51 लाख एवं ₹ 104.70 लाख की कमी के साथ ही क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2008-09 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (1), 2006-07 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(5) 2210-01-110-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7637—राज्य कैंसर संस्थान— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)1,000.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2210-01-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6997—चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय, रायगढ़— मूल 3416.30 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)268.27	3,148.03	3,143.70	(-)4.33
(7) 2210-01-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8938—चिकित्सा महाविद्यालय, तथा सम्बद्ध चिकित्सालय राजनांदगांव— मूल 2,267.40 पूरक 186.77 पुनर्वि. (-)499.40	1,954.77	1,954.04	(-)0.73
उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 268.27 लाख एवं ₹ 499.40 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत एवं 2013-14 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2210-02-101-4286—संचालक आयुर्वेद एवं प्रशासन	385.00	302.16	(-)82.84
(9) 2210-02-101-461—आयुर्वेदिक प्रशासन का सुदृढीकरण	1015.28	597.14	(-)418.14
(10) 2210-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4194—शासकीय आयुर्वेदिक फार्मसी एण्ड डिपो	607.61	293.61	(-)314.00
(11) 2210-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 460—आयुर्वेदिक चिकित्सालय और औषधालय	1706.95	1290.12	(-)416.83

## अनुदान संख्या 79—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(12) 2210-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7511-आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय	616.30	457.02	(-)159.28
(13) 2210-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4810-होम्योपैथिक औषधालय (मूलभूत सेवाएं)	457.66	361.05	(-)96.61
(14) 2210-04-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 460-आयुर्वेद चिकित्सालय एवं औषधालय	10812.50	8568.08	(-)2244.42
(15) 2210-04-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7240-आयुर्वेदिक ग्राम	500.00	400.50	(-)99.50
(16) 2210-04-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4810-होम्योपैथिक औषधालय (मूलभूत सेवायें)	449.85	317.39	(-)132.46
(17) 2210-05-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 469-आयुर्वेदिक महाविद्यालय	1,791.02	1351.18	(-)439.84
उपरोक्त क्रम संख्या (8) से (17) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2012-13 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (9) एवं 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (15) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी। 2008-09 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (8) एवं (10) एवं 2007-08 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (14) एवं (17) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(18) 2210-05-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1352-चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर— मूल 7,795.53 पूरक 318.00 पुनर्वि. (-)1,791.55	6,321.98	6,166.98	(-)155.00
(19) 2210-05-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1915-दंत महाविद्यालय— मूल 2,276.70 पुनर्वि. (-)458.63	1,818.07	1,813.65	(-)4.42
(20) 2210-05-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6996-चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़— मूल 2,689.40 पूरक 244.00 पुनर्वि. (-)741.04	2,192.36	2,171.77	(-)20.59
(21) 2210-05-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8897-सिकल सेल इंस्टीट्यूट की स्थापना— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)150.00	150.00	150.00	0.00

## अनुदान संख्या 79—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(22) 2210-05-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8939—चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव— मूल 3,536.65 पूरक 340.00 पुनर्वि. (-)1,689.34	2,187.31	2,185.53	(-)1.78
उपरोक्त क्रम संख्या (18) से (22) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,791.55 लाख ₹ 458.63 लाख ₹ 741.04 लाख ₹ 150.00 लाख एवं ₹ 1,689.34 लाख की कमी के कारणों के साथ क्रम संख्या (18) एवं (20) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (18) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2007-08 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (19), (20) एवं (22) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(23) 2210-06-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2216—नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण— मूल 1,662.48 पूरक 55.00 पुनर्वि. (-)682.42	1,035.06	1,033.91	(-)1.15
(24) 2210-06-112-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7279—चिकित्सा विश्वविद्यालय— मूल 400.00 पुनर्वि. (-)240.00	160.00	160.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (23) एवं (24) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 682.42 लाख एवं ₹ 240.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (24) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2009-10 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (23) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(25) 2210-06-112-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7674—चिकित्सा विश्वविद्यालय में फार्मसी महाविद्यालय— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			

पूँजीगत:

दत्तमत—

(iv) ₹ 2,723.36 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 2,423.37 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4210-01-110-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 1353—चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय— पूरम 525.00 पुनर्वि. (-)525.00	0.00	0.00	0.00

₹ 525.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

## अनुदान संख्या 79—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4210-01-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7719-सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, रायपुर-			
मूल	500.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)200.00	300.00	0.00
			(-)300.00
(3) 4210-03-105-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 8939-चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव-			
मूल	3830.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)734.73	3,095.27	3,095.27
			0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 200.00 लाख एवं ₹ 734.73 लाख की कमी के कारण उल्लिखित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(4) 4210-03-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8897-सिकल सेल इन्स्टीट्यूट की स्थापना-			
मूल	400.00		
पुनर्वि.	(-)400.00	0.00	0.00
			0.00
₹ 400.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण उल्लिखित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 4210-03-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8939-चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव-			
मूल	150.00		
पूरक	10,200.00		
पुनर्वि.	(-)350.00	10,000.00	10,000.00
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 350.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 4210-04-112-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7279-चिकित्सा विश्वविद्यालय-			
मूल	900.00		
पुनर्वि.	(-)140.00	760.00	760.00
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 140.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			

अनुदान संख्या 80—त्रि—स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता  
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
2202—सामान्य शिक्षा			
2215—जलापूर्ति एवं सफाई			
2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण			
2236—पोषण			
2403—पशु—पालन			
2405—मछली पालन			
2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
2851—ग्राम एवं लघु उद्योग			
2853—अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग			
3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			

**राजस्व:**

मूल	3,73,46,292			
पूरक	9,49,561	3,82,95,853	3,51,62,171	(-)31,33,682
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)				35,63,561

**पूंजीगत:**

मूल	26,70,000			
पूरक	10,000	26,80,000	26,78,231	(-)1,769
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)				(-)522

टीका एवं टिप्पणियां

**राजस्व :**

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अगस्त 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 9,495.61 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ, इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 31,336.82 लाख के उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को ₹ 35,635.61 लाख अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-197-0101 राज्य आयोजना (सामान्य)— 8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए— मूल 1,14,000.00 पुनर्वि. (-)5,892.25	1,08,107.75	1,07,849.49	(-)258.26
(2) 2202-02-196-0101 राज्य आयोजना (सामान्य)— 8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए— मूल 37,003.00 पुनर्वि. (-)1,714.96	35,288.04	35,544.39	+256.35

## अनुदान संख्या 80—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 5,892.25 लाख एवं ₹ 1,714.96 लाख की कमी सी.ई.ओ., जिला पंचायत द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। इस शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2215-01-198-0101 राज्य आयोजना (सामान्य)— 1194—ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का संधारण— मूल 147.00 पुनर्वि. (-)147.00	0.00	0.00	0.00
₹ 147.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है जो कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।			
(4) 2235-60-198-1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 5397—राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	955.00	804.13	(-)150.87
बचत के कारण सूचित नहीं किए हैं (जुलाई 2018)।			
(5) 2515-101-6981—पंचमन पत्रिका का संपादन— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)99.94	0.06	0.06	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 99.94 लाख की कमी व्यय के लिए निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है जो कमजोर बजट प्रबंधन को उल्लेखित करता है।			
(6) 2515-101-7791—पंचायत अधिकारियों का सम्मेलन— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)115.00	885.00	885.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 115.00 लाख की कमी निधि का कम व्यय होने के कारण उल्लिखित किया गया है।			
(7) 2515-101-8391—त्रिस्तरीय पुरस्कार— मूल 700.00 पुनर्वि. (-)350.00	350.00	350.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 350.00 लाख की कमी पंचायतों को पुरस्कार वितरण में कम व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(8) 2515-196-1101—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 7788—जिला पंचायत विकास निधि— मूल 1,800.00 पुनर्वि. (-)100.00	1,700.00	1,700.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 100.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2515-197-8879—मनोरंजन कर से प्राप्त राशि से पंचायतों को अनुदान— मूल 350.00 पुनर्वि. (-)350.00	0.00	0.00	0.00
₹ 350.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा निधि अंतरण आदेश जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			



## अनुदान संख्या 80—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 2515-198-7675-14वां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 1,02,218.00 पुनर्वि. (-)11,637.00	90,581.00	90,581.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 11,637.00 लाख की कमी निर्धारित समय में वित्त विभाग द्वारा निधि आहरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(11) 2515-198-8210-पंचायत अधिकारियों का प्रशिक्षण— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण "राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान" में व्यय के बाद इस योजनान्तर्गत निधि व्यय नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(12) 2515-198-1101-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 5848-ग्राम पंचायतों को मूलभूत कार्यों हेतु अनुदान— मूल 20,000.00 पूरक 5,000.00 पुनर्वि. (-)319.12	24,680.88	24,680.88	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 319.12 लाख की कमी विद्युत मंडल द्वारा मांग अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(13) 2515-198-1101-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 8214-सचिवीय व्यवस्था— मूल 9,500.00 पुनर्वि. (-)88.43	9,411.57	9,411.56	(-)0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 88.43 लाख की कमी कोषालयों द्वारा निधि का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(14) 2515-198-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7790-श्रद्धांजलि योजना— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)300.00	200.00	200.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 300.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने एवं राज्य सरकार से स्वीकृति अप्राप्त रहने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(15) 2515-198-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 8555-छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण क्षेत्र विकास— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)92.00	108.00	108.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 92.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए हैं (जुलाई 2018)।			
(16) 2853-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6299-ग्रामीण क्षेत्रों में गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण— मूल 12,581.00 पूरक 4,495.61 पुनर्वि. (-)7,482.79	9,593.82	13,601.60	+4,007.78

## अनुदान संख्या 80—समाप्त

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7,482.79 लाख की कमी निर्धारित समय में राजस्व प्राप्तियों की पुष्टि नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(17) 2853-02-197-0480-पंचायत, भू-राजस्व उपकर एवं स्टाम्प शुल्क निधि— 4610-स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध पंचायतों को अनुदान— मूल 6,500.00 पुनर्वि. (-)6,500.00	0.00	0.00	0.00

₹ 6,500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235-60-198-9142-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण— मूल 29,605.20 पुनर्वि. 3.88	29,609.08	30,101.99	+492.91

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 3.88 लाख के आवर्धन के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

(2) 2235-60-198-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 7336-इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	2,080.80	2,183.35	+102.55
---	----------	----------	---------

इन शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

पूँजीगत :

(v) ₹ 17.69 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2018 को केवल ₹ 5.22 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

## अनुदान संख्या 81—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
2202—सामान्य शिक्षा			
2215—जल पूर्ति एवं सफाई			
2217—शहरी विकास			
2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण			
2853—अलोह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग			
3604—स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन			
4515— जल पूर्ति एवं सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4217—शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय			
6217—शहरी विकास के लिए कर्ज			
<b>राजस्व :</b>			
दत्तमत—			
मूल	1,69,34,540		
पूरक	30,56,758	1,99,91,298	1,89,27,856
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)10,63,442 10,67,809
<i>प्रभारित</i>	<i>6,90,000</i>	<i>6,90,000</i>	<i>00</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि</i>			<i>00</i>
<b>पूंजीगत :</b>			
दत्तमत			
मूल	40,20,000		
पूरक	10,63,125	50,83,125	36,22,136
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)14,60,989 14,60,989
टीका एवं टिप्पणियां			
<b>राजस्व :</b>			
दत्तमत—			
(i) ₹ 10,634.42 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को किया गया ₹ 10,678.09 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।			
(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-192-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए—			
मूल	11,883.00		
पुनर्वि.	(-)483.44	11,444.56	11,460.19
			+15.63
(2) 2202-02-192-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए—			
मूल	5,587.00		
पुनर्वि.	(-)229.42	5,357.58	5,352.91
			(-)4.67

## अनुदान संख्या 81—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 483.44 लाख एवं ₹ 229.42 लाख की कमी जिला पंचायतों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी। 2011-12 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत हुई है। उपरोक्त क्रम संख्या (1) शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2217-05-191-7675-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 19,267.00 पुनर्वि. (-)4,320.00	14,947.00	14,947.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,320.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(4) 2217-05-191-1101-वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत अनुदान (सामान्य)— 8934-नगरीय क्षेत्र में महिलाओं के लिए सार्वजनिक प्रसाधन— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00	0.00	0.00	0.00
₹ 300.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण "स्वच्छ भारत अभियान" के अंतर्गत कार्य हेतु निधि आहरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2217-05-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ— मूल 1,250.00 पुनर्वि. (-)1,250.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,250.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण वित्त विभाग से प्रस्ताव के अनुमोदन नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(6) 2217-05-192-7675-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 6,220.00 पुनर्वि. (-)1,395.00	4,825.00	4,825.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,395.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(7) 2217-05-192-1101-वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत अनुदान (सामान्य)— 8934-नगरीय क्षेत्र में महिलाओं के लिए सार्वजनिक प्रसाधन— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कार्य हेतु निधि आहरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2217-05-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ— मूल 125.00 पुनर्वि. (-)125.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण वित्त विभाग से प्रस्ताव के अनुमोदन नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

शीर्ष	अनुदान संख्या 81—जारी		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
	कुल अनुदान			
(9) 2217-05-192-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 7643-मुख्यमंत्री शहरी आजिविका योजना-				
मूल	100.00			
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कार्य हेतु निधि आहरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है।				
(10) 2217-05-193-7675-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-				
मूल	5,940.00			
पुनर्वि.	(-)1,332.00	4,608.00	4,608.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,332.00 लाख की कमी केन्द्र सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।				
(11) 2217-05-193-1101-वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत अनुदान (सामान्य)- 8934-नगरीय क्षेत्र में महिलाओं के लिए सार्वजनिक प्रसाधन-				
मूल	100.00			
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कार्य हेतु निधि आहरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(12) 2217-05-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ-				
मूल	125.00			
पुनर्वि.	(-)125.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण वित्त विभाग से प्रस्ताव के अनुमोदन नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(13) 2217-05-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7643-मुख्यमंत्री शहरी आजिविका योजना-				
मूल	130.00			
पुनर्वि.	(-)130.00	0.00	0.00	0.00
₹ 130.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण "राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन" लागू होने के कारण उल्लिखित किया गया है।				
(14) 2235-60-191-9142-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		2,870.00	2,713.57	(-)156.43
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।				
(15) 2235-60-191-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 5397-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सहायता योजना-				
मूल	400.00			
पुनर्वि.	(-)2.32	397.68	303.60	(-)94.08
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2.32 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।				

## अनुदान संख्या 81—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(16) 2235-60-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7589-शहरी क्षेत्रों में बायोमेटिक सिस्टम के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00
₹ 500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 2235-60-193-9142-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,812.00	1,634.47	(-)177.53
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 2235-60-193-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 5397-राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना-			
मूल	240.00		
पुनर्वि.	(-)73.60	166.40	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 73.60 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			
(19) 2235-60-193-1001- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 5401-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन-	576.00	513.14	(-)62.86
अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235-60-191-4858-इंदिरा सहायता योजना	1,231.00	1,454.36	+223.36
अत्याधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2017)।			
(2) 2235-60-191-1001- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 5401-राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना-			
मूल	1,128.00		
पुनर्वि.	(-)62.86	1,065.14	+248.50
समर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 62.86 लाख की कमी के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।			

पूँजीगत:

दत्तमत-

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4215-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7845- नगरीय निकायों की जल आवर्धन योजना-			
मूल	4,500.00		
पुनर्वि.	(-)4,500.00	0.00	0.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 4,500.00 लाख का प्रत्याहरण वित्त विभाग द्वारा निधि आहरण हेतु अनुमोदन नहीं के कारण उल्लिखित किया गया है।

## अनुदान संख्या 81—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4217-60-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7241-नगरीय निकायो का अधोसंरचना विकास-			
मूल	11,900.00		
पुनर्वि.	(-)3,565.00	8,335.00	0.00
(3) 4217-60-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7241-नगरीय निकायो का अधोसंरचना विकास-			
मूल	3,800.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)1,544.89	2,255.11	0.00
(4) 6217-60-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ-			
मूल	4,600.00		
पुनर्वि.	(-)4,600.00	0.00	0.00
(5) 6217-60-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00
(6) 6217-60-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 3,565.00 लाख एवं ₹ 1,544.89 लाख की कमी कोषालयों से देयकों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 4,600.00 लाख एवं क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत ₹ 200.00 लाख का प्रत्याहरण वित्त विभाग से प्रस्ताव का अनुमोदित नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012-13 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी। 2011-12 से 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 82—अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती  
राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2215—जलपूर्ति एवं सफाई			
2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण			
2236—पोषण			
2403—पशु-पालन			
2405—मछली-पालन			
2515—अन्य ग्रामीण विकास योजनाएँ			
2853—अलोह धातु खनन और धातु कर्म उद्योग			
4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व			
दत्तमत—			
मूल	1,89,47,855		
पूरक	2,05,639	1,91,53,494	1,59,35,575
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			(-)32,17,919 32,30,989
पूंजीगत	15,30,000	15,30,000	00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि			00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अगस्त 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 2,056.39 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक निधि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 32,179.19 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को ₹ 32,309.89 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण रहा। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-796-196-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4691-कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाएं— मूल	598.00		
पुनर्वि.	(-)224.99	373.01	373.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 224.99 लाख की कमी ऑनलाइन पंजीकृत विधार्थियों की संख्या के अनुरूप भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			0.00
(2) 2202-01-796-196-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए— मूल	8,000.00		
पुनर्वि.	(-)7,308.08	691.92	700.82
			+8.90



## अनुदान संख्या 82—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7,308.08 लाख की कमी जिलों द्वारा निधि का समर्पण किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2202—01—796—197—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5169—विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम— मूल 13,733.00 पुनर्वि. (-)3,173.86	10,559.14	10,562.99	+3.85
(4) 2202—01—796—197—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6933—पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम— मूल 8,579.40 पुनर्वि. (-)1,027.57	7,551.83	7,550.58	(-)1.25
उपरोक्त क्रम संख्या (3) से (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,173.86 लाख एवं ₹ 1,027.57 लाख की कमी विद्यार्थियों की कम उपस्थिति एवं रसोईयों के मानदेय हेतु वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 से 2016—17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2009—10 से 2016—17 के दौरान क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(5) 2202—01—796—197—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2949—बालिकाओं का गणवेश— मूल 3,100.00 पुनर्वि. (-)1,174.84	1,925.16	1,925.16	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,174.84 लाख की कमी सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों की कम उपस्थिति एवं महिला स्वयं सहायता समूह के लम्बित देयकों का भुगतान नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2202—01—796—197—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान— मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए— मूल 87,600.00 पुनर्वि. (-)8,741.44	78,858.56	78,839.00	(-)19.56
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 8,741.44 लाख की कमी जिला पंचायतो द्वारा निधि का उपयोग नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016—17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2202—02—796—197—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान— मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए— मूल 48,590.00 पुनर्वि. (-)8,011.65	40,578.35	40,258.03	(-)320.32
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,867.74 लाख की कमी जिला पंचायतो द्वारा राशि का उपयोग नहीं किये जाने, एवं ₹ 4,143.91 लाख की अन्य कमी जिलों द्वारा राशि का उपयोग नहीं किये जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 8,011.65 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2011—12 से 2016—17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			

## अनुदान संख्या 82—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2215-01-796-198-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1194-जल प्रदाय योजनाओं का संधारण- पूरक 50.00 पुनर्वि. (-)50.00	0.00	0.00	0.00
<b>₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याहरण जिलों से मांग अप्राप्त होने के कारण उल्लिखित किया गया है।</b>			
(9) 2235-60-796-198-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5397-राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना-	460.00	410.19	(-)49.81
<b>अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)।</b>			
(10) 2236-02-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8891-फुलवारी योजना- पूरक 1,000.00 पुनर्वि. (-)1,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>₹ 1000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।</b>			
(11) 2515-796-198-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7790-श्रद्धांजलि योजना- मूल 380.00 पुनर्वि. (-)226.50	153.50	153.50	0.00
<b>समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 226.50 लाख की कमी निर्धारित दर से व्यय नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।</b>			
(12) 2853-02-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6299-ग्रामीण क्षेत्रों में गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण- मूल 4,700.00 पूरक 2,056.39 पुनर्वि. (-)1,257.06	5,499.33	5,816.24	+316.91
<b>समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,257.06 लाख की कमी देय तिथि पर राजस्व प्राप्ति हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।</b>			
<b>(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-</b>			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235-60-796-198-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5401-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	5,040.00	5,145.85	+105.85
(2) 2235-60-796-198-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7336-इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन-	1,692.00	1,807.09	+115.09
<b>उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (2) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2016-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।</b>			

अनुदान संख्या 83—अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
<b>मुख्य शीर्ष—</b>			
2217—शहरी विकास			
2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण			
2853—अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग			
4217—शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय			
<b>राजस्व:</b>	4,34,660	4,02,048	(-)32,612
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि (31 मार्च 2018)			33,415
<b>पूंजीगत</b>	3,00,000	3,00,000	0.00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधि			0.00
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

(i) ₹ 326.12 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को ₹ 334.15 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण रहा। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2217-05-796-192-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7643—मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना— मूल 60.00 पुनर्वि. (-)60.00	0.00	0.00	0.00
(2) 2217-05-796-193-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7643—मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना— मूल 120.00 पुनर्वि. (-)120.00	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान क्रमशः ₹ 60.00 लाख एवं ₹ 120.00 लाख का प्रत्याहरण राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लागू होने कारण उल्लिखित किया गया है। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(3) 2235-60-796-191-1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7336—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन— मूल 129.60 पुनर्वि. (-)32.66	96.94	96.94	0.00
(4) 2235-60-796-192-1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5397—राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना— मूल 60.00 पुनर्वि. (-)26.20	33.80	33.80	0.00

## अनुदान संख्या 83—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 2235-60-796-193-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5401-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन-			
मूल	250.00		
पुनर्वि.	(-42.67	207.33	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (3) से (5) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 32.66 लाख, ₹ 26.20 लाख एवं ₹ 42.67 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2018)। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।



परिशिष्ट

## परिशिष्ट—जारी

(विनियोग लेखे के सारांश में पृष्ठ 16 पर संदर्भित)

अनुमानों का अनुदानवार विवरण एवं लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े अधिक(+)/कमी(-)
		(₹ हजार में )	
08. पुलिस— राजस्व दत्तमत	5,30,000	10,10,422	+4,80,422
पूंजीगत— दत्तमत	12,71,000	23,70,897	+10,99,897
10. वन— राजस्व— दत्तमत	2,60,000	2,07,635	(-)52,365
12. ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय— राजस्व— दत्तमत	75,500	96,000	+20,500
पूंजीगत— दत्तमत	10,50,000	11,06,526	+56,526
20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी— राजस्व— दत्तमत	2,00,000	42,368	(-)1,57,632
23. जल संसाधन विभाग— राजस्व— दत्तमत	40,62,815	2,999	(-)40,59,816
पूंजीगत— दत्तमत	200	1,065	+865
24. लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल पूंजीगत— दत्तमत	35,00,000	19,85,899	(-)15,14,101
25. खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय— पूंजीगत— दत्तमत	86,58,048	41,03,264	(-)45,54,784
30. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित व्यय— पूंजीगत— दत्तमत	00	1,307	+1,307
39. खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय— पूंजीगत— दत्तमत	00	434	+434

## परिशिष्ट-समाप्त

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े (₹ हजार में )	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े अधिक(+)/कमी(-)
41. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना—			
राजस्व—			
दत्तमत	52,400	36,338	(-)16,062
पूँजीगत—			
दत्तमत	10,75,150	8,78,365	(-)1,96,785
56. ग्रामोद्योग—			
पूँजीगत—			
दत्तमत	1,500	00	(-)1,500
58. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय—			
राजस्व—			
दत्तमत	29,69,327	78,06,883	+48,37,556
पूँजीगत—			
दत्तमत	2,000	00	(-)2,000
64. अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना—			
राजस्व—			
दत्तमत	18,100	12,790	(-)5,310
पूँजीगत—			
दत्तमत	2,52,600	2,73,788	+21,188
67. लोक निर्माण कार्य—भवन—			
राजस्व—			
दत्तमत	8,37,371	11,81,833	+3,44,462
पूँजीगत—			
दत्तमत	10,95,570	00	(-)10,95,570
80. त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता—			
राजस्व—			
दत्तमत	6,50,000	00	(-)6,50,000
<b>योग—</b>			
राजस्व—			
दत्तमत	96,55,513	1,03,97,268	(-)7,41,755
पूँजीगत—			
दत्तमत	1,69,06,068	1,07,21,545	+61,84,523
<b>महायोग—</b>			
राजस्व	96,55,513	1,03,97,268	(-)7,41,755
पूँजीगत	1,69,06,068	1,07,21,545	+61,84,523



